एकादश माला खंड 18, अंक 4

सोमवार, 24 नवम्बर, 1997

3 अग्रहायण, 1919 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(भाग-एक)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 18 में अंक 1 से 4 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 24 नवम्बर, 1997 / 3 अग्रहायण, 1919 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

.....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
131	26	(ख)	(ग)
163	नीचे से 5	(ख) से (ग)	(ख) से (घ)
223	25	(ग) और (च)	(ग) और (घ)
223	नीचे से 7	(ड·) और (घ)	(ड·) और (च)
243	8	एक-सूची योजना	एक दस सूची योजना

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डॉ० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री एम० आर० खोसला
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे० एस० वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्री गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

[एकादश माला, खंड-18 छठा सत्र (भाग एक), 1997/1919 (शक)]

अंक 4, सोमवार, 24 नवम्बर, 1997 / 3 अग्रहायण, 1919 (शक)

विषय	कॉलम
रूस के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1-6
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 80	8-26
अतारांकित प्रश्न संख्या 679 से 908	26-286
सभा पटल पर रखे गए पत्र	287-295
प्राक्कलन समिति सातवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत	295
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
तिरेसठवां प्रतिवेदन-सभा पटल पर रखा गया	296
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	296-298

लोक सभा

सोमवार, 24 नवम्बर, 1997/3 अग्रहायण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : महोदय, राष्ट्रीय सरकार के संबंध में आपका क्या कहना है? .....*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह चुनावों के बाद ही होगा।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

रूस के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से भारत आए अपने माननीय अतिथियों रूसी संघ की फैडरल एसेम्बली स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष महामहिम श्री गनाडे, एन० सेलेज़्नेव तथा रूसी संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य निम्नलिखित हैं :

1. श्री निकोलाई आई० रिजकोव
2. अनातोली आई० लुक्यानोव
3. श्री अलेक्सेई वी० मित्रोफानोव
4. श्री बोरिस ए० मोईसीव
5. श्री अनातोली टी० मोरोजोव
6. श्री एलेक्जेन्डर एन० लोतोरेव
7. श्री व्लादीमीर एन० प्लोतनीकोव

यह शिष्टमंडल दिल्ली में 23 नवम्बर, 1997 को पहुंचा। वे इस समय विशेष बॉक्स में बैठे हैं। हमारी कामना है कि इस देश में उनका प्रवास सुखद और सफल हो। उनके माध्यम से, हम रूसी संघ के राष्ट्रपति, संसद तथा मित्र लोगों को बधाई तथा शुभकामनाएं देते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 61। श्री संतोष मोहन देव यहां उपस्थित नहीं हैं। श्री रघुनन्दन लाल भाटिया जी।

.....*(व्यवधान)*

डा० के० पी० रामलिंगम (तिरूचेनगोडे) : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाए। .....*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती) : यह सरकार अपनी वैधता खो चुकी है। इस सरकार को इस सदन में कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है।.....*(व्यवधान)*। इसलिए हमने प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि वे द्रविड़ मुनैत्र कज़्गम के मंत्रियों को हटा दें क्योंकि वे यहां मंत्रियों के रूप में कार्य नहीं कर सकते। .....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह समझ नहीं आता कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं।

.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहने दीजिए। कृपया बैठ जाइए। मेरी बात सुनिए। प्रश्न काल को निलम्बित करने के संबंध में मुझे श्री ए० सी० जोस से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। मैंने पहले ही दिन नियमों, विनियमों को बड़े ध्यान से पढ़ा था। आप किस कारण से प्रश्न काल को रोकना चाहते हैं? आप किस प्रस्ताव पर चर्चा करना चाहते हैं? किस पर चर्चा की जानी चाहिए? मैं प्रश्न काल को रोकने के लिए तैयार हूँ। परन्तु उसके बाद आप क्या चाहते हैं? इस सभा में किस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए? आप मुझे यह बताइए कि प्रश्न काल को रोकने के बाद किस प्रस्ताव या सदन की किस कार्य सूची पर चर्चा की जाए। आप मुझे यह बताइए। आप किस बारे में चर्चा करना चाहते हैं?

श्री शरद पवार : हम नहीं चाहते कि यह सरकार कुछ करे। यह सरकार अपनी वैधता खो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब है कि आप प्रश्न काल निलम्बित करने के लिए नहीं कह रहे।

श्री शरद पवार : इस सरकार को कुछ भी करने के अधिकार ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ है कि आप प्रश्न काल रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। आप स्थगन की बात कर रहे हैं। स्थगन के लिए भी आपको नोटिस देना होगा। यह इस तरह नहीं हो सकता। सभा की कार्यवाही इस तरह नहीं चल सकती। मुझे खेद है।

.....*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : सभा की कार्यवाही किसी राजनैतिक कारण से रोकी नहीं जा सकती। अगर कांग्रेस संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन नहीं करती तो उन्हें तुरंत समर्थन वापस ले लेना चाहिए। .....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री जोस की बात सुनूंगा।

.....(*व्यवधान*)

श्री शरद पवार : हम इस सरकार को सरकार के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। इसी कारण हमने उन्हें नोटिस भेजा है। अगर द्रविड़ मुनैत्र कज़गम सरकार में जारी रहेगी तो हम इस सरकार का समर्थन नहीं कर सकते। उन्होंने वैधता खो दी है। उन्हें इस सभा में कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। इसी कारण, हम इस सभा में किसी कार्यवाही को जारी नहीं रखना चाहते। .....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : पवार जी, इसका फैसला आपको अन्य कहीं करना चाहिए सदन में नहीं। अगर इसकी चर्चा सदन में की जानी है तो यह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा की जानी चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। मुझे अफसोस है। श्री जोस जी, आप क्या कारण बताते हैं?

.....(*व्यवधान*)

श्री ए॰ सी॰ जोस (इदुक्की) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि पिछले दो-तीन दिनों से देश में तथा इस सदन में भी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे सदन में गुरूवार और शुक्रवार को सदन में कोई कार्य नहीं हो सका। इसलिए प्रश्न काल को जारी रखने का कोई अर्थ नहीं है।

इसलिए लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 388 (नियमों का स्थगन) तथा नियम 389 (अवशिष्ट शक्तियां) के अंतर्गत मैंने प्रश्न काल को निलंबित करने के लिए एक नोटिस दिया था - प्रस्ताव के रूप में नहीं बल्कि एक नोटिस के रूप में – जिससे अन्य कार्य किए जा सकें।.....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : क्या ? मुझे यह बताइए कि प्रश्न काल निलंबित करने के बाद क्या कार्य करना है?

श्री ए॰ सी॰ जोस : महोदय, यह आपका विशेषाधिकार है।.... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जसवंत सिंह जी की बात सुनते हैं।

.....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। शांत रहना ज्यादा अच्छा है। अब हम श्री जसवंत सिंह जी की बात सुनते हैं।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जोस का कहना है कि बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। सचमुच बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चल रही संयुक्त मोर्चा सरकार अपने आपको गंभीर स्थिति में पा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता ने संसद में खड़े होकर पूरी जिम्मेवारी से यह कहा था कि वे किसी भी कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति नहीं देंगे क्योंकि जहाँ तक कांग्रेस दल का संबंध है उन्होंने इस सरकार में अपना विश्वास खो दिया है। ..... (*व्यवधान*)। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है, यह एक बहुत ही विचित्र स्थिति है। परन्तु यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति भी है। सरकार तब तक काम नहीं कर सकती जब तक इसका बहुमत नहीं होगा। अगर बहुमत कांग्रेस के साथ है तो सबसे पहले सरकार को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वह आदेश देना जारी रखे या सत्ता में रहे। या तो इस सरकार को सत्ता त्याग देनी चाहिए या कांग्रेस पार्टी को उसका अनुसरण करना चाहिए जो वे कह रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से अपने तर्क को अंतिम रूप देने का अनुरोध करता हूँ। उन्हें "अविश्वास प्रस्ताव" लाना चाहिए या समर्थन वापिस ले लेना चाहिए। उन्हें कुछ करना चाहिए। परन्तु महोदय, यह बात इतनी गंभीर है क्योंकि यह देश का अपमान है। यह निश्चय ही संसद का अपमान है। संसद कार्य नहीं कर सकती क्योंकि सरकार तथा सरकार का समर्थन करने वाले लोग लड़ रहे हैं। इस प्रकार की ऊलजलूल हरकतों से देश को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर यही स्थिति रही तो यह कोई शासन नहीं होगा। यह तो मजाक हो रहा है। यह कोई गठबंधन नहीं है। यह तो मात्र सत्ता बांटने की व्यवस्था थी जो समाप्त हो गई है। अगर इसका अंत आ गया है तो इसे समाप्त कर देना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। इस मजाक को जारी न रखें। .....(*व्यवधान*)

श्री माधवराव सिंधिया (ग्वालियर) : वे भाषण दे रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या किया है? उन्होंने पूरी तरह नैतिकता खो दी है। मैं उनका भाषण सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ.....(*व्यवधान*)

श्री जसवंत सिंह : मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। ....(*व्यवधान*)

[*हिन्दी*]

मुझे अचंभा होता है। माननीय सदस्यगण अपने कारनामों से देश को इस परिस्थिति में लाते हैं और माननीय सदस्यगण को जब हम शीशा दिखाते हैं तो उनको अपने चेहरे पर ही गुस्सा आता है।..... (*व्यवधान*)

[*अनुवाद*]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि ....:(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : हम श्री राजेश पायलट जी की बात सुनते हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि क्या वे पूरी स्थिति संभाल सकते हैं।

[*हिन्दी*]

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है जो आपने कही है। हम सब आपकी भावना से बिल्कुल सहमत हैं लेकिन सदन को चलाने में सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग होता है और सरकार को देखना चाहिए कि जिस पार्टी के जिस सदस्य की जो फीलिंग्ज हैं सरकार को सदन में उनका जवाब देना चाहिए। आपने कांग्रेस पार्टी की बात कही। हमने लिखकर भेज दिया है कि हम इनका

साथ नहीं दे सकते।....(*व्यवधान*) सरकार अब तक उस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और ये चुप बैठ गये हैं।.....(*व्यवधान*) आज तक ये जवाब देने को तैयार नहीं हैं और चाहते हैं कि सदन चले। ... ...(*व्यवधान*)

[*अनुवाद*]

वे हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री प्रमोद महाजन : क्या यह पत्र सदन की संपत्ति है? यदि हाँ, तो हम उस पत्र पर चर्चा करेंगे। आप कृपया इस को सभा पटल पर रखिए उसके बाद सदन उस पत्र पर चर्चा कर सकेगा। सभा के कार्य के अंतर्गत इसे कितनी प्राथमिकता दी जा सकती है इस पर चर्चा की जा सकती है। यह अब तक सदन की संपत्ति नहीं है। किसी निजी पत्र को सदन के कार्य के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है।

[*हिन्दी*]

श्री राजेश पायलट : स्पीकर सर, हम एक प्रजातांत्रिक देश में यह संदेश नहीं देना चाहते कि हम सरकार को डीस्टेबिलाइज करना चाहते हैं।

[*अनुवाद*]

अध्यक्ष महोदय : श्री पायलट को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

[*हिन्दी*]

श्री राजेश पायलट : हम देश की फीलिंग्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहते, हम इनका गेम नहीं खेलना चाहते। हम साफ गेम खेल चुके हैं कि हमारा यह मत है, आप इसका जवाब दो। ये जवाब दें और आगे चलें, ये चलने को तैयार नहीं हैं।.....(*व्यवधान*)

[*अनुवाद*]

श्री प्रमोद महाजन : क्या हम इसे प्रश्न संख्या 61 की संज्ञा दे सकते हैं और फिर क्या श्री राम विलास पासवान इसका उत्तर दे सकते हैं? यह प्रश्न श्री राजेश पायलट ने पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शरद यादव को बोलने की आज्ञा दी है।

[*हिन्दी*]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, श्री शरद पवार जी और कांग्रेस पार्टी के मित्रों ने कहा.....(*व्यवधान*) मित्र तो आप भी है, यहां कोई मनभेद नहीं, मतभेद है। श्री जसवंत सिंह जी ने जैसा कहा कि सदन का मामला अलग है तथा हमारे और कांग्रेस पार्टी के बीच का राजनीतिक मामला अलग है और आपने पूरे सदन की तरफ से बहुत वाजिब बात कही। आपने सबकी भावनाओं को रखा क्योंकि क्वश्चन ऑवर को सस्पेंड करने का मोशन है। अभी कांग्रेस (आई) के मित्रों ने कहा और मैं भी मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के साथ जो कुछ हुआ वहां जो मर्यादा टूटी है, उसका मोशन आपके पास पड़ा हुआ है....(*व्यवधान*) उसका मोशन आपके पास है। यदि सदन में आप तैयार हों तो हमारी तरफ से इसका प्रोपर मोशन है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने दिया है। यदि बेहतर समझें तो जब तक हमारे और आपके बीच में पत्र का आदान-प्रदान न हो तब तक के लिए इस मुद्दे पर बहस हो जाए।

श्री प्रमोद महाजन : बीच के टाइम में क्या आप हमारे बारे में चर्चा करना चाहते हैं?

श्री शरद यादव : मैं अपने मित्रों से तब तक के लिए कहना चाहता हूँ। इसके बाद फिर लंच ऑवर में आप सब पार्टियों के लोगों को बुला लीजिए और जिस मामले पर यह बहस के लिए कह रहे हैं, वह देश के हित और अहित में कितनी दूर तक है, सदन का मालिक होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते, मैं आपसे देश और राष्ट्र की तरफ से विनती करना चाहता हूँ कि इस रपट के ऊपर हमारे बीच में डैडलॉक हो सकता है। हममें संवादहीनता हो गई है या हमारे आपके बीच में संवादहीनता है, इसके लिए आप लंच ऑवर में लीडर्स की मीटिंग बुला लें और बहस को किस तरह से चलाया जाए, क्या नहीं किया जाए, यह मामला बहस के लिए आप बाद में लें। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के संबंध में मोशन है, उस पर पहले बहस करा ली जाए।. ....(*व्यवधान*) आप इस पर तैयार हो जाएं तो बेहतर होगा।

[*अनुवाद*]

कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य श्री माधव राव सिंधिया ने अभी-अभी यह सुझाव दिया है कि हमें इस मामले पर विचार करना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि हमें अब इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं दो शर्तों पर श्री सुरेन्द्र सिंह को बोलने दूंगा। उन्हें सदन को हंसाना होगा, यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो यह उनके लिए आखिरी अवसर होगा।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : आपने पहले ही सदस्यों को हंसा दिया है।

[*हिन्दी*]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, तीन रोज पहले भी सदन में जब श्री शरद पवार जी ने जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां सदन के नेता हैं, एक लाइन का मोशन दिया था कि क्वश्चन ऑवर को सस्पेंड करके हाऊस में दूसरा सीरियस मामला टेकअप किया जाए और आपने सभी कांग्रेस के सदस्यों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि किस वजह से करें।

आपने बार-बार इनसे पूछा कि किस इश्यू को आप टेक-अप करना चाहते हैं, यहां तक कि रूल्स रेगुलेशन्स के बारे में भी पूछताछ की कि किस रूल के माध्यम से आप ऐसा करना चाहते हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि जब कभी आप कांग्रेस के सदस्यों से ऐसी बात पूछें, तो इन्हें सिर्फ इतना मार्जिन देकर चलें कि इनके सभी लिखने-पढ़ने वाले, कायदे-कानून वाले और फैसला लेने वाले लोग दूसरे हाउस में हैं। .....(*व्यवधान*)

मेरी दूसरी सब्मिशन आपसे यह है कि इस सदन में बहुत से सीनियर कांग्रेस लीडर्स बैठे हैं, जैसे अन्तुले जी हैं, शरद पवार जी हैं, पायलट साहब भी कभी-कभी खड़े हो जाते हैं, और सदन में इनके दल का नेता होने के नाते शरद पवार जी को पूरे अख्त्यारात हैं, अगर वास्तव में इन्होंने राष्ट्रपति जी को लिख दिया, जिसका उल्लेख यहां किया गया कि हमने सपोर्ट विदड्रा कर लिया है, तो इन्हें सदन में खड़े होकर आपसे कहना चाहिए कि हमारी रिक्वैस्ट राष्ट्रपति जी को कन्वे कर दी जाए कि हमने फोर्मली इस सरकार से सपोर्ट विदड्रा कर लिया है, यह गवर्नमेंट अगले ही क्षण चली जाएगी। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्हें सदन में खड़े होकर ऐसा कहना चाहिए। ....(*व्यवधान*)

[*अनुवाद*]

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र सिंह, मुझे लगता है आपने अपनी परीक्षा विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण की है। आपको और भी मौके मिलेंगे।

श्री अजीत कुमार पांजा (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय, हमारी मांग तो यह है कि सदन को अब और काम नहीं करना चाहिए, ..(*व्यवधान*)

अनेक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री अजीत कुमार पांजा : मैं इसका कारण आपको अवश्य बताऊंगा। मैं यह बात निराधार नहीं कर रहा।

मैं इस बात का बहुत एतराज करता हूँ और मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और सभा को इसे हंसी-मजाक के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह मेरी पहली आपत्ति है। यह एक ऐसा मामला है जिसके अंर्तराष्ट्रीय प्रभाव होंगे। हमारे नेता श्री राजीव गांधी अब हमारे बीच नहीं रहे। यह स्थान कोई हंसी-खेल का नहीं है। मुझे इस बात पर आपत्ति है।

दूसरी बात यह भी है। मैं दो दृष्टांत उद्धृत कर रहा हूँ।..... (*व्यवधान*)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सदन की कार्यवाही आगे होगी या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष महोदय को लेना है।

श्री अजीत कुमार पांजा : विगत गुरूवार को, जैन कमीशन के मुद्दे पर आपने सदन स्थगित कर दिया था। जो आपके द्वारा हाल ही में लिया गया है। विगत शुक्रवार को भी ऐसे ही एक मुद्दे पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी सदन स्थगित कर दिया था। स्थिति यह है और निर्णय आपके द्वारा ही लिया गया था। एक बार यह आपके द्वारा हुआ और दूसरी बार माननीय उपाध्यक्ष महोदय द्वारा। अत: इन दोनों पूर्व उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों पर सदन को तुरंत स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

हम यह स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम अपने नेता के इस निर्णय का पूर्णत: समर्थन करते हैं कि सदन की कार्यवाही चलने नहीं दी जा सकती है।

जैन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय दो भाग छह के पृष्ठ 352 पर मंत्रियों के नाम अंकित हैं। .....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : हम उस रिपोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। .....(*व्यवधान*) *

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

.....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया, कृपया बैठ जाएं।

.....(*व्यवधान*)

[*हिन्दी*]

श्री शरत् पटनायक (बोलंगीर) : डी॰ एम॰ के॰ हटाओ, देश बचाओ।....(*व्यवधान*)

[*अनुवाद*]

श्री पी॰ एम॰ सिंघा (पुडुक्कोट्टई) : उन्हें अध्यक्ष में निहित अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।.....(*व्यवधान*)

[*हिन्दी*]

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : डी॰ एम॰ के॰ हटाओ, तमिलनाडु बचाओ .....(*व्यवधान*)

[*अनुवाद*]

अध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न दो बजे तक के लिये स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[*अनुवाद*]

भारत-पाक सीमा पर गोलाबारी की घटनायें

*61. **श्री संतोष मोहन देव :**

श्री रघुनंदन लाल भाटिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान भारत-पाक सीमा पर अकारण गोलाबारी की घटनायें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस गोलाबारी में कितने नागरिक तथा सुरक्षाबल कर्मी मारे गए हैं/ घायल हुए;

(ग) सीमा क्षेत्रों पर इन घटनाओं के कारण हुए संपत्ति आदि के नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पाकिस्तान के हस्तक्षेप से जम्मू और कश्मीर में आंतकवादियों की घुसपैठ को और बढ़ावा मिला है जिसके कारण

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नागरिक क्षेत्र में पड़ने वाले बड़े उर्वरक भू-भाग पर खेती नहीं हो पायी है;

(ङ) सरकार द्वारा उक्त गोलाबारी में मारे गए नागरिकों तथा सुरक्षाबल कर्मियों के आश्रितों को तथा घायल हुए नागरिकों तथा सुरक्षाबल कर्मियों को अथवा उन लोगों, को जिनकी संपत्ति को गोलाबारी से नुकसान हुआ है, कितना मुआवजा दिया गया है, और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) जी, हां। पाकिस्तान ने जम्मू तथा कश्मीर सीमा पर अकारण फायरिंग की।

(ख) पिछले छह माह के दौरान गोलाबारी तथा उसके परिणामस्वरूप हताहतों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सितंबर, 97 में कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा की गई अकारण फायरिंग के कारण कारगिल शहर में संपत्ति का नुकसान हुआ जहां आठ दुकानें, एक अस्पताल और एक मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ सेना बंकरों को भी क्षति पहुंची।

(घ) पाकिस्तान द्वारा फायरिंग, घुसपैठ में सहायता देने के इरादे से की जाती है और कभी-कभी फायरिंग की ऐसी घटनाओं से खेती-बाड़ी पर विशेषकर जम्मू सेक्टर में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ङ) सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए उदारीकृत पेंशन योजना में सीमा पर फायरिंग के कारण हताहत हुए कार्मिकों को मुआवजा दिए जाने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। सितंबर, 1997 में पाकिस्तान द्वारा फायरिंग के कारण कारगिल क्षेत्र में सिविलियनों के कष्टों को कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राहत के अलावा प्रधान मंत्री राहत कोष से भी राहत स्वीकृत की गई है।

(च) सीमा के साथ-साथ सभी जगह सतत् निगरानी रखी जाती है। हमारी सेनाएं सीमा-पार से उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।

विवरण

मई से अक्तूबर, 1997 के दौरान जम्मू कश्मीर में भारत-पाक सीमा पर गोलाबारी तथा हताहतों का ब्यौरा

सेक्टर	घटनाओं की सं॰	सेना		सीमा सुरक्षा बल		सिविलियन	
		मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए	मारे गए	घायल हुए
सियाचिन ग्लेशियर	171	2	21	-	-	-	-
नियंत्रण रेखा	1618	11	44	-	3	24	35
अंर्तराष्ट्रीय रेखा	147	-	11	-	4	8	15
योग	1936	13	76	-	7	32	50

[हिन्दी]

खराब पड़े टेलीफोन एक्सचेंज

*62. **श्री विश्वेश्वर भगत :**

डा॰ अरविन्द शर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंज गत छह माह से खराब पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन एक्सचेजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके कारण करोड़ों रुपयों की हानि हो रही है;

(घ) टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने के पूर्व टेलीफोन एक्सचेजों की उचित देखभाल के लिए तैयार की गई योजनाओं का क्या ब्यौरा है तथा उन्हें लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में अनेक अधिकारी दोषी पाये गये हैं; और

(च) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थापित अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंजों में नवीनतम डिजिटल स्विचन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। ये काफी विश्वसनीय हैं और संतोषजनक ढग से कार्य कर रहे हैं। तथापि, जब कभी ग्रामीण एक्सचेंजों के काम न करने, के बारे में कोई विशिष्ट मामला सरकार की जानकारी में लाया जाता है तो सरकार उसकी जांच करती है और आवश्यक समझे जाने पर उपचारात्मक कार्रवाई करती है।

(घ) से (च) टेलीफोन एक्सचेंजों, विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे एक्सचेजों के समुचित रख-रखाव संबंधी विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं। विभाग के विशेषज्ञ संगठन द्वारा सभी एक्सचेजों का स्वीकृति परीक्षण किया जाता हैं फील्ड यूनिटों द्वारा समुचित रखरखाव संबंधी अनुदेशों का पालन किया जाता है। यदि कोई कर्मचारी लापरवाही बरतता है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

सिंचाई क्षमता

*63. **डा॰ सत्यनारायण जटिया** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई क्षमता में हुई वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे "नर्मदा सागर बांध" पर हुए व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश माध्यस्थ पंचाट के अधीन नर्मदा नदी से उपलब्ध कराये गये जल का उपयोग विद्युत उत्पादन और सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने हेतु कब तक कर सकेगा; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ तैयार की गई कार्य योजना और निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला):

विवरण

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई क्षमता में हुई वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं॰	राज्य का नाम	वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान सृजित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर में)**		
		बृहद एवं मध्यम सिंचाई	लघु सिंचाई	कुल सिंचाई
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	339.16	91.11	430.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	10.90	10.90
3.	असम	28.90	32.00	60.90
4.	बिहार	133.00	488.00	581.00
5.	गोआ	1.00	1.06	2.06
6.	गुजरात	94.25	65.19	159.44
7.	हरियाणा	28.00	30.90	58.90
8.	हिमाचल प्रदेश	0.55	4.82	5.37
9.	जम्मू व कश्मीर	2.60	7.50	10.10
10.	कर्नाटक	282.97	71.00	353.97
11.	केरल	187.81	59.55	247.36
12.	मध्य प्रदेश	221.00	80.00	301.00
13.	महाराष्ट्र	159.61	98.30	257.91
14.	मणिपुर	26.20	7.42	33.62
15.	मेघालय	0.00	5.10	5.10
16.	मिजोरम	0.00	1.59	1.59
17.	नागालैंड	0.00	1.35	1.35
18.	उड़ीसा	106.65	116.26	222.91
19.	पंजाब	102.10	63.16	165.26
20.	राजस्थान	200.77	63.67	264.44
21.	सिक्किम	0.00	2.23	2.23
22.	तमिलनाडु	5.38	43.50	48.88
23.	त्रिपुरा	0.00	4.60	4.60
24.	उत्तर प्रदेश	161.00	3072.00	3233.00
25.	पश्चिम बंगाल	135.92	300.00	435.92
	कुल राज्य	2216.87	4681.21	6898.08
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	2.71	5.36	8.07
	सकल योग	2219.58	4686.57	6906.15

** आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर बांध के निर्माण में किये गये व्यय का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

1994-95	-	126.33 करोड़ रुपये
1995-96	-	96.78 करोड़ रुपये
1996-97	-	99.69 करोड़ रुपये

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश ने सिंचाई क्षमता और विस्तृत उत्पादन बढ़ाने के वास्ते उसे आंबटित 18.25 मिलियन एकड़ फुट नर्मदा जल के अपने हिस्से का उपयोग करने के लिए एक मास्टर योजना बनाई है। इस मास्टर योजना के तहत 29 बृहद, 135 मध्यम और 3000 लघु स्कीमों की आयोजना की गई है। यदि निधियां उपलब्ध होंगी तो वर्ष 1979 में नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट के प्रकाशन के वर्ष से 45 वर्षों के जल के आबंटित हिस्से का उपयोग हो जाने की संभावना है। इन प्रस्तावित वृहद परियोजनाओं को दो चरणों में पूरा करने की योजना है। चरण-I में वर्ष 1979-2000 तक की अवधि शामिल है और चरण-II में वर्ष 2000-2015 तक की अवधि शामिल है।

[*अनुवाद*]

रक्षा उपकरणों के उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी

*64. **श्री वी॰ एल॰ शंकर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में रक्षा उपकरणों के उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को स्वीकृति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका देश की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) देश में रक्षा उपस्करों के उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी कई दशकों से सतत् रूप से चलती आ रही है।

(ख) 1962 तथा 1965 के युद्धों के परिणामस्वरूप रक्षा उपस्करों में बड़े पैमाने पर आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस की गई और रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण में सिविल क्षेत्र के उद्योगों के योगदान को बढ़ाने के विशिष्ट उद्देश्य से रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग की स्थापना की गई थी। ये उत्पादन अधिकांशत: गैर-घातक तथा गैर-संवेदनशील मदों से संबंधित हैं।

(ग) रक्षा आवश्यकताओं की तेजी से अधिप्राप्ति हेतु मौजूदा बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करके निजी क्षेत्र की भागीदारी से देश की रक्षा तैयारी में वृद्धि हुई है। निजीकरण का सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि निजीकरण चुनिंदा आधार पर किया गया है जिसमें संवेदनशील उपस्करों को शामिल नहीं किया गया है जिनका विकास अथवा निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के जरिए किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति

*65. **श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी :**

श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित संशोधित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिषद् ने सड़क सुरक्षा में वृद्धि के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करने की भी सिफारिश की है;

(घ) इस संबंध में विधेयक के कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अनुरोध किया है;

(च) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(छ) क्या राज्य सरकारें राष्ट्रीय राजमार्ग चौकसी योजना के अंतर्गत उन्हें दी जा रही वित्तीय सहायता का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर रही हैं;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) क्या राज्य सरकारों से केन्द्रीय सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को बराबर का अनुदान देने का आग्रह किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) जी नहीं।

(ख) संशोधित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या को कम करके सन् 2001 तक लगभग 12 प्रति 10,000 वाहन तथा सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करके लगभग 50 प्रति 10,000 वाहन तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) जी हां

(घ) इस बारे में विधायन शीघ्र ही पुन:स्थापित किया जाएगा।

(ङ) जी हां।

(च) जी हां।

(छ) और (ज) कुछेक मामलों में खरीद के लिए प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी करने में हुए विलम्ब के कारण उपस्करों की खरीद और उन्हें प्रचालन में लाने के मामले में कुछ राज्य सरकारों की तरफ से विलम्ब हुआ है।

(झ) जी नहीं।

अवैध फोन

*66. **श्री नारायण आठवले :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अक्तूबर, 1997 के "द इकोनोमिक टाइम्स" में "इल्लीगल सैटेलाइट फोन्स लीव गवर्नमेंट पूअरर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार पत्र में प्रकाशित "न्यूज आइटम" तथा इसमें बताए गए 500 अवैध उपभोक्ताओं के आंकड़े पूर्णतया कपोल कल्पित हैं। उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान योग्य लाइसेंस शुल्क 20,000/- रुपये की रॉयल्टी के साथ 100/- रुपये है न कि 50,000/- रुपये जैसा कि न्यूज आइटम में बताया गया है।

(ग) बहुत छोटे आकार के कारण अवैध मिनी-एम टर्मिनल्स् के प्रयोग को पूर्णतया नकारा नहीं जा सकता है। तथापि, "न्यूज आइटम" में उल्लिखित सुरक्षा संबंधी कारणों की वजह से, मिनी एम-टर्मिनल के व्यक्तिगत प्रयोग को रोकने के लिए कुछ दिनों से सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। तथापि, शुरूआत में केवल सरकारी विभागों, केन्द्र सरकार के मंत्रियों तथा राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को ही इसके प्रयोग की अनुमति दी जाएगी। इसके सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर सलाह के लिए गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय से सलाह मांगी गई है।

साक्षरता कार्यक्रमों का कार्यनिष्पादन

*67. **श्री भक्त चरण दास :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा और अन्य राज्यों में चलाए जा रहे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन उपलब्धियों तथा कमियों का ब्यौरा क्या है जो इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार की नजर में आई; और

(ग) ध्यान में आई कमियों को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) शिक्षा विभाग ने देश में संपूर्ण साक्षरता अभियानों की स्थिति और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए प्रो॰ अरूण घोष की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित किया है। विशेषज्ञ दल द्वारा इस कार्यक्रम में पाए गए मुख्य तथ्य निम्नवत् हैं :

- यह एक कार्यक्रम की अपेक्षा आंदोलन अधिक है। इसका महिलाओं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है।
- संपूर्ण साक्षरता अभियान जाति और सांप्रदायिक संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
- साक्षरता आंदोलन ने प्राथमिक शिक्षा की मांग उत्पन्न की है।
- साक्षरता अभियानों ने उचित और मानवोचित समाज विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से ध्यान दिया है।
- इससे नौकरशाही की सुग्रहियता निश्चित हो गई है।
- साक्षरता अभियानों को शुरू करने में राष्ट्रीय कार्य-सूची में साक्षरता को स्थान दिया गया है।

इसमें निम्नवत् कमियाँ पाई गई :

- ऐसे कुछ स्थानों पर शिक्षण की गुणवत्ता को क्षति पहुँची है जहां पर केवल साक्षरता योग्यताओं के साथ अत्यधिक पूर्व व्यवसाय हैं।
- कमजोर साक्षरता योग्यताओं को और अधिक प्रभावशाली साक्षरता उपायों के माध्यम से समेकित करने की आवश्यकता है।
- कुछ अभियानों की उपयुक्त तैयारियों के बिना ही शुरू कर दिया गया है।
- साक्षरता प्रगति शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम रही है।

(ग) साक्षरता कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने और सुधारने के लिए कुछ निम्नलिखित उपाए किए गए हैं :

- राज्य सरकारों ने शामिल न किए गए जिलों को संपूर्ण/उत्तर साक्षरता अभियानों के अंतर्गत शामिल करने के लिए एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने का अनुरोध किया ।
- साक्षरता अभियानों में कार्यरत स्वयंसेवियों की सराहना करने के माध्यम से उनको प्रेरित करने के लिए उपाय करना।
- पंचायती राज संस्थान साक्षरता अभियानों के कार्यान्वयन में और अधिक प्रगाढ़ रूप से शामिल किए जा रहे हैं।
- साक्षरता कार्यक्रम और अन्य विकास कार्यक्रमों के मध्य सुदृढ़ संपर्कों पर बल दिया गया।
- राज्य साक्षरता मिशनों की स्थापना करके साक्षरता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के प्राधिकरण का विकेन्द्रीकरण और प्रत्यायोजन किया गया है।
- मॉनिटरिंग और मूल्यांकन तंत्र के नवीनीकरण और उसे सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं। राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय जिला साक्षरता समितियों के सचिवों के साथ मासिक मॉनिटरिंग बैठकें आयोजित करके साक्षरता कार्यक्रमों को सूक्ष्म रूप से मॉनिटर करते हैं।
- कार्यान्वयन में कमियों का पता लगाने और समय पर सुधारात्मक उपाय करने के लिए सशक्त रूप से साक्षरता कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन किया जा रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा

*68. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका** :

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सभी प्रौढ़ निरक्षर व्यक्तियों को शिक्षित करने के संबंध में अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए 3,600 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रौढ़ निरक्षर व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) किन-किन राज्यों में प्रौढ़ निरक्षरता सबसे अधिक हैं;

(घ) क्या यह निश्चित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किये गये हैं कि नौवीं योजना में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा;

(ङ) इस परियोजना पर प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि खर्च की जाएगी; और

(च) किन-किन राज्यों को उक्त धनराशि आबंटित की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) योजना आयोग ने इस संबंध में आबंटन को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मुख्य उद्देश्य 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों को शामिल करना है। प्रौढ़ निरक्षरों की संख्या इस समय लगभग 54.73 मिलियन है।

(ग) जिन राज्यों में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है वह है मेघालय (49.10%), उड़ीसा (49.09%), मध्य प्रदेश (44.20%), आंध्र प्रदेश (44.09%), उत्तर प्रदेश (41.60%), अरुणाचल प्रदेश (41.59%), दादरा एवं नगर हवेली (40.71%), राजस्थान (38.55%) तथा बिहार (38.48%)।

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रदान की जाने वाली राशि को निम्न तरीके से प्रयुक्त किया जाएगा :-

(i) साक्षरता अभियानों तथा सतत् शिक्षा योजनाओं के अंतर्गत

साक्षरता कौशल प्रदान करने हेतु (ii) श्रमिक विद्यापीठ योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण हेतु (iii) स्वैच्छिक संगठनों के लिए (iv) प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के माध्यम से मीडिया के लिए (v) अपेक्षित वैतनिक तथा सहयोगी सेवाओं के लिए।

(ङ) वर्ष 1997-98 के लिए 107 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। अनन्तिम योजनागत आबंटन के पश्चात् ही अग्रिम आयोजना निश्चित की जाएगी।

(च) निधियों का कोई राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है। विभिन्न संगठनों/जिलों साक्षरता समितियों/राज्यों को संस्वीकृत की जाने वाली निधियाँ, परियोजना विशेष पर आधारित होती हैं।

"मोबाइल फोन" सेवा

*69. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की महानगरों में मोबाइल फोन सेवा आरंभ किए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का संपूर्ण देश में मोबाइल फोन सेवा आरंभ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां। महानगर टेलीफोन निगम लि० ने मुम्बई तथा दिल्ली महानगरों में मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू करने की योजना बनाई है।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लि० द्वारा इसके ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडोनेशिया में पर्यावरणीय दुर्घटना

*70. **श्री राम सागर** :

डा० मुरली मनोहर जोशी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अक्तूबर, 1997 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में इंडियन पावडर-केग्स : वेटिंग टू एक्सप्लोड, "हेज हिट्स कोलम्बो, नो थ्रेट टू इंडिया यट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार को भविष्य में भारत में भी इस तरह की प्राकृतिक विपदा की कोई संभावना नजर आती है और इस संबंध में उसका समयोचित कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार ने "एल निनोफेनोमिनन" तथा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में इसके संभावित प्रभाव का अध्ययन कराया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) यह समाचार भारत में बढ़ रहे वायु और जल प्रदूषण, विषैले अपशिष्टों की उत्पत्ति, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और उत्पादकता में ह्रास से संबंधित है। इस समाचार में इंडोनेशिया के वनों में लगी आग और इस घटना से भारत को जो सबक मिलता है उसका भी उल्लेख किया गया है। औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र के विकास और अन्य बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ जनसंख्या में वृद्धि के कारण भारत में प्रदूषण के स्तर बढ़े हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण की सुरक्षा तथा उसमें सुधार करने के लिए सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 जल अधिनियम, 1974 वायु अधिनियम 1981, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 आदि सहित अपेक्षित कानून लागू किए हैं। हाल ही में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण स्थापित किया गया था। इन नियमों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा विभिन्न अन्य केन्द्रीय तथा राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जाता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर इंडोनेशिया के वनों में लगी आग के कारण फैल रहे धुएं और धुंध से भारत प्रभावित होगा ऐसी कोई संभावना भविष्य में नहीं है।

(ङ) जी, हां। भारत मौसम विभाग ने वर्ष 1901 से आगे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए "एल निनोफेनोमिनन" का अध्ययन किया है। पिछले 97 वर्षों में "द एल निनोफेनोमिनन" का 18 वर्षों का पर्यवेक्षण किया गया था। इन 18 पर्यवेक्षित एल निनो वर्षों में से 9 एल निनो वर्षों ने भारतीय मानसून को प्रभावित किया है।

[*हिन्दी*]

अनौपचारिक शिक्षा योजना

*71. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनौपचारिक शिक्षा योजना कब से चलाई जा रही है और इस योजना के अंतर्गत कितने छात्रों को शिक्षा प्रदान की गई है;

(ख) 1990 से इस योजना पर कितनी राशि व्यय की गई है और कितने राज्यों में यह योजना लागू की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे अध्यापकों के लिए कोई मानदेय योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो इस मानदेय की दर कब से बढ़ाए जाने की संभावना है, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क)

अनौपचारिक शिक्षा योजना 30 जून, 1978 को शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1979-80 से वर्ष 1996-97 तक लगभग 821.93 लाख शिक्षार्थी नामित किए गए।

(ख) वर्ष 1990-91 से वर्ष 1996-97 तक 21 राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को अनौपचारिक शिक्षा योजना के लिए 701.81 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई।

(ग) जी, हाँ। वर्तमान योजना के अनुसार, अनुदेशकों को मानदेय के रूप में 200 रुपये की राशि दी जाती है।

(घ) नौवीं योजना के दौरान, विद्यमान अनौपचारिक शिक्षा योजना को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिसमें अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के लिए मानदेय बढ़ाना भी सम्मिलित है बशर्ते कि राशि उपलब्ध हो।

[*अनुवाद*]

प्रादेशिक सेना समिति

*72. **लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाशमणि त्रिपाठी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सुरक्षा ड्यूटी विशेषकर विद्रोह विरोधी कार्यों में सैन्य बलों की भूमिका कम करने तथा प्रादेशिक सेना की भूमिका बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या प्रादेशिक सेना समिति ने नौ-सेना तथा वायु सेना हेतु सरकारी कर्मचारियों तथा प्रादेशिक सेना की अनिवार्य भर्ती का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रादेशिक सेना संबंधी समिति के सुझावों को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) इस समय सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रादेशिक सेना पुनरीक्षा समिति ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सेना, नौसेना और वायुसेना संघटकों को शामिल करके एक भारतीय प्रादेशिक बल बनाए जाने की सिफारिश की है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकारी सेवकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में सेवा करने का दायित्व अनिवार्य रूप से सौंपा जाए।

(ग) प्रादेशिक सेना पुनरीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश में कार्यकलापों का व्यापक क्षेत्र शामिल किया गया है और इसमें कई एजेंसियों/ संगठनों के साथ परामर्श करना आवश्यक हो गया है। परामर्श की प्रक्रिया, जो पहले से चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है।

"बिहार रिसर्च सोसायटी" से गायब हुए दस्तावेज

*73. **श्री एल॰ रमना** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अगस्त, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें बिहार रिसर्च सोसायटी से बौद्ध धर्म तथा दर्शन संबंधी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हजारों दुर्लभ पुस्तकों, पांडुलिपियों, शोध-पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों के गायब होने की खबर छपी है;

(ख) यदि हां, तो गायब हुए दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर वह इस सोसायटी को एक राष्ट्रीय विरासत घोषित करे ताकि बचे-खुचे दुर्लभ संग्रहों का संरक्षण किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) जी, हां। किन्तु, सरकार को बिहार रिसर्च सोसायटी पटना के मामलों के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है जो एक पंजीकृत सोसायटी है, परन्तु केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस मामले पर अंतिम रूप से कोई विचार नहीं किया गया है।

डाक सेवाएं

*74. **श्री बादल चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में डाक सेवाओं में गंभीर रूप से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात डाक कर्मचारियों को विशेष कार्य भत्ता देना पुन: चालू करने तथा इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की तारीख तक इन्हें विशेष कार्यभत्तों की बकाया राशि का भुगतान करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विभागेत्तर कर्मचारियों को जिनकी सेवाएं विभाग के लिए वर्षों से अति आवश्यक बनी रही है। नियमित करने का कोई विचार है; और

(च) यदि हां, तो यह कब तक हो जाएगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) उत्तर-पूर्व राज्यों में डाक सेवाएं कुल मिलाकर संतोषजनक हैं। तथापि, डाक ले जाने वाले विमानों, रेल गाड़ियों तथा बसों के रद्द हो जाने अथवा देरी से चलने, प्राकृतिक आपदाओं, क्षेत्र के एक अथवा किसी अन्य राज्य में बंद तथा आंदोलन के आयोजन जैसे कारणों से डाक में विलंब होने की घटनाएं हो जाती हैं। डाक सेवाएं बनाए रखने के लिए ऐसे सभी

अवसरों पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। उत्तर-पूर्व राज्यों की डाक व्यवस्था की हाल ही में समीक्षा की गई है तथा कलकत्ता से ऐजवाल व दीमापुर और ऐजवाल व दीमापुर से कलकत्ता की सीधी उड़ान का उपयोग इन क्षेत्रों से डाक को तेजी से लाने-ले जाने के लिए किया जा रहा है। क्षेत्र में सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बड़ी संख्या में आधुनिकीकृत परियोजनाएं भी आरंभ की गई हैं जिनमें मनीआर्डर सेवा में तेजी लाने के लिए वी एस एटी स्टेशनों की स्थापना भी शामिल हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपुर्यक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) अतिरिक्त विभागीय एजेंट देश की डाक प्रणाली का एक हिस्सा हैं तथा उनकी सेवा के निबंधनों एवं शर्तों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

गैर-सरकारी पार्टियों को रक्षा भूमि का आबंटन

*75. **डा॰ एम॰ जगन्नाथ :**

श्री एस॰ रामचन्द्र रेड्डी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना के नियमों का उल्लंघन कर तथा सेनाध्यक्षों के विरोध के बावजूद सैन्य प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रमुख रक्षा भूमि विभिन्न गैर-सरकारी पार्टियों को आबंटित कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उस रक्षा भूमि का ब्यौरा क्या है जो गत तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी पार्टियों को आबंटित की गई, अप्रयुक्त पड़ी है अथवा जिसका अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी पार्टियों को प्रमुख रक्षा भूमि के आबंटन को रद्द करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रक्षा भूमि के दुरूपयोग को रोकने हेतु सरकार का विचार भूमि प्रबंधन नीति तैयार करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (घ) सैन्य प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल में लाई वाली कोई भी प्रमुख रक्षा भूमि, नियमों को उल्लंघन करके, गैर-सरकारी पार्टियों को आबंटित नहीं की गई है।

(ङ) से (छ) प्रधान मंत्री के निदेशानुसार, मंत्रिमंडल के विशिष्ट पूर्व-अनुमोदन के बिना, सभी तरह की रक्षा भूमि का अंतरण/ अन्य संक्रामण निषिद्ध कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, रक्षा भूमि तथा भवनों के वाणिज्यिक इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

विदेशी डिग्रियां

*76. **श्री वी॰ वी॰ राघवन :**

श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्तन :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अक्तूबर, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "स्टूडेंट्स स्मेक बीलाइन फॉर कैश-एंड-कैरी फारेन डिग्रीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस खबर में प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे विश्वविद्यालयों की निगरानी करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई तंत्र है, जिन्होंने भारत में अपनी दुकानें खोली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) देश में चल रहे विदेशी विश्वविद्यालयों की वैधता को चुनौती देते हुए श्री आर॰ सेथुरमन की एक याचिका के आधार पर यह मामला मद्रास उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है। जबकि मामले का अभी अन्तिम रूप से निपटारा किया जाना है माननीय न्यायालय ने मामले का अन्तिम रूप से निपटारा होने तक ऐसे विश्वविद्यालयों को कुछ प्रतिबंधों के साथ देश में कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

कावेरी जल विवाद

*77. **श्री एन॰ डेनिस :**

श्री ए॰ जी॰ एस॰ राम बाबू :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी जल विवाद के बारे में चर्चा करने के लिए हाल ही में दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कावेरी आयोग की अंतरिम सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) कावेरी बेसिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक 30.9.1997 को आयोजित की गई थी जिससे ऐसी योजना बनाने के लिए सभी बेसिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के दृष्टिकोण समझे जा सकें जो कुल मिलाकर सामान्यत: सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को स्वीकार्य हो और साथ ही जिससे कावेरी जल विवाद अधिकरण के आदेशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इस

बैठक में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों और पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र के सिंचाई/ अन्य संबंधित मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इस बैठक में भागीदारों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। जहां तमिलनाडु, केरल राज्यों एवं पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र ने केन्द्र सरकार द्वारा तैयार की गई प्रारूप योजना पर कुछ परिवर्तनों के साथ सामान्यत: सहमति व्यक्त की वहीं कर्नाटक राज्य ने इस योजना का कड़ा विरोध किया और इसके स्थान पर एक समन्वय समिति के गठन करने का सुझाव दिया।

सभी बेसिन राज्यों/संघ शासित क्षेत्र के दृष्टिकोणों को यथासंभव सीमा तक ध्यान में रखते हुए योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस योजना के अधिसूचित हो जाने के पश्चात्, अन्तर राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6 ए की उपधारा (7) के अनुसार इसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा।

सेलफोनों में प्रीपेड कार्ड के दुरूपयोग के संबंध में पुलिस को चेतावनी

78. **श्री मृत्युंजय नायक :**

श्रीमती भावना बेन देवराज भाई चिखलिया :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अक्तूबर, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "मिसयूज ऑफ कार्डस् इन सेलफोन्स अलार्म कॉप्स" शीर्षक कॉप्स के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस खबर में इस मामले के क्या तथ्य दिए गए हैं;

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार को सेलफोनों के उपयोग में अंतर्निहित खतरों की भी जानकारी है जो समानान्तर वायर लेस प्रणाली के रूप में कार्य कर रहे हैं जिससे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो सेलफोन के दुरूपयोग को रोकने और सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली ऐसी कालों को बीच में ही सुनने तथा ऐसी काल करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार को मुम्बई में माफिया द्वारा प्रीपेड एस आई एम कार्डो के दुरूपयोग की जानकारी कराई है।

(ग) सरकार ने अनिवार्यत: उपभोक्ताओं की पहचान के सत्यापन हेतु मुम्बई सहित चार महानगरों में सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा के सभी 8 प्रचालकों के साथ इस बारे में बात की है। प्रचालकों की उन सभी उपभोक्ताओं के समुचित रिकार्ड रखे जाने के भी निदेश दिए गए हैं जिन्हें प्रचालकों ने सेवा प्रदान की है।

(घ) और (ङ) जी हां। सरकार को सेल्यूलर सेवा से सुरक्षा प्रभावों की जानकारी है। सेल्यूलर सेवा के प्रचालन हेतु लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, भारतीय तार अधिनियम, 1885 द्वारा शासित है। उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत सेल्यूलर प्रचालकों के लिए यह अनिवार्य है कि उनके नेटवर्कों के माध्यम से दिए जाने वाले संदेशों को बीच में सुनने के बारे में वे आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे।

[*हिन्दी*]

भारतीय मालवाहक पोत का डूबना

*79. **श्री भीमराव विष्णु जी वडाडे :**

श्री नवीन पटनायक :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक भारतीय मालवाहक पोत मलक्का क्षेत्र के तटवर्ती क्षेत्र में डूब गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस दुर्घटना से चालक दल के कितने व्यक्तियों को बचाया गया है और कितने व्यक्ति अभी भी लापता है;

(घ) लापता चालक दल में भारतीय चालक दल के कितने सदस्य थे;

(ङ) क्या मालवाहक पोत के दुर्घटनाग्रस्त होने के परिणामस्वरूप मरने वाले भारतीय चालक दल के सदस्यों के नजदीकी रिश्तेदारों को उचित मुआवजा दिया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हों, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) से (घ) भारत में पंजीकृत इंडिया सीमेंट्स लि॰, चेन्नई का जलयान आई सी एल विक्रमन और सेंट विन्सेंट फ्लेग का जलयान एक वी माउंट-1 दिनांक 26.9.97 को आपस में टकरा गए। परिणामस्वरूप आई सी एल विक्रमन कार्गो के साथ डूब गया। 34 भारतीय कर्मीदल सदस्यों और अधिकारियों में से आई सी एल विक्रमन के मास्टर सहित 29 व्यक्तियों के मारे जाने की आशंका है। शेष 5 कर्मीदल सदस्य बचा लिए गए हैं और उन्हें भारत भेज दिया गया है। नौवहन महानिदेशक, मुम्बई द्वारा की गई, जांच से मालूम हुआ कि यह दुर्घटना अंतर्राष्ट्रीय टक्कर निरोध विनियमावली, 1972 का अनुपालन न करने, सावधानी और कुशलता पूर्वक चालन में विलंब, वर्जित दृष्टि सीमा में वी एच एफ के उपयोग के कारण भ्रम और एकदम निकट आने पर गलत चालन के कारण हुई।

(ङ) और (च) जलयान के मालिकों ने मृत्यु के लिए प्रतिपूर्ति, सामान की हानि तथा कर्मीदल सदस्यों और अधिकारियों की बकाया मजदूरी एवं वेतन के लिए अपेक्षित राशि कामगार प्रतिपूर्ति आयुक्त, मुम्बई एवं चेन्नई तथा नौवहन मास्टर मुम्बई के पास जमा करवा दी है।

(छ) सरकार ने, अंतर्राष्ट्रीय टक्कर निरोध विनियमावली, 1972 के उल्लंघन के लिए वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 363 के तहत एम वी माउंट-1 के मास्टर कप्तान ए॰ पी॰ गोनाहलेकर के विरुद्ध जांच कार्यवाही शुरू करने के लिए महानिदेशक (नौवहन) को अनुमति प्रदान कर दी है। वर्जित दृष्टि सीमा में वी एच एफ चैनल के उपयोग में निहित खतरों को स्पष्ट करते हुए नौवहन महानिदेशालय, मुम्बई सभी जलयान मास्टरों के लिए एक वाणिज्यिक नौवहन नोटिस भी जारी कर रहा है।

सती प्रथा

*80. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में सती के कितने मामले प्रकाश में आए;

(ख) क्या इस अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में क्या निर्णय दिया गया;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए कठोर कानून बनाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास वर्ष 1989 से 1996 के दौरान सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या की ही सूचना है, जो इस प्रकार है :

क्रम सं॰	वर्ष	दर्ज मामले
1.	1989	36
2.	1990	52
3.	1991	17
4.	1992	1
5.	1993	5
6.	1994	2
7.	1995*	2
8.	1996	10

* बिहार, राजस्थान और दमन तथा दीव से संबंधित आंकड़े क्रमशः मई, अक्तूबर और नवम्बर, 1995 तक के लिए हैं।

(ङ) और (च) सती की प्रथा और इसे महिमा मण्डित करने को कारगर तरीके से रोकने के लिए सरकार ने सती (निवारण) अधिनियम, 1987 बनाया है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्य बल

679. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्य बल (नेशनल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टास्क फोर्स) की इस सिफारिश पर विचार किया है कि चूंकि देश में उत्पादित 60 प्रतिशत से अधिक प्लास्टिक पुन: प्रयोग में लाये जाने वाले माल के लिये इस्तेमाल किया जाता है इसीलिये मटमैले रंगों वाली थैलियों पर प्रतिबंध लगाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जी, हां। कार्य दल ने दृश्य संदूषण मुक्त भददे रंगों वाले थैलों के विनिर्माण पर प्रतिबंध की संस्तुति दी है। तथापि, कार्य दल ने यह भी पाया है कि देश में उत्पन्न 60 प्रतिशत से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट सामग्री पुन: प्रयोग के लिए जाता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उक्त कार्य दल की संस्तुतियों की प्रगति तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी के लिए कार्यान्वयन तथा निगरानी समिति का गठन किया है।

देश में वनक्षेत्र

680. **श्री केशव महंत** :

श्री ए॰ जी॰ एस॰ रामबाबू :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितना वन क्षेत्र है ;

(ख) वन क्षेत्र में कमी आने के क्या कारण हैं; और

(ग) वन क्षेत्र के अंतर्गत भूमि बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) 1995 की स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश में वन आवरण 639,600 वर्ग कि॰मी॰ अर्थात् कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19.46 प्रतिशत है। वन आवरण का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) वन आवरण में कमी होने के मुख्य कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने से जलाऊ लकड़ी, चारा और इमारती लकड़ी की मांग और आपूर्ति में व्यापक अंतर की वजह से है जिसके फलस्वरूप

असंपोषणीय अपनयन (अनसस्टेनेबल विदड्राल्स) हुआ, झूम खेती, वन, अग्नि तथा चराई के कारण वनों की क्षति हुई तथा वनेतर प्रयोजनों के कारण वन भूमि को उपयोग में लाने से भी वनों की क्षति हुई है।

(ग) वन आवरण के तहत अधिक भूमि लाने के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न कदम निम्नलिखित हैं :

1. वनीकरण, वनों की सुरक्षा तथा पारिस्थिति की संतुलन की बहाली के लिए राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों तथा भारत सरकार की वित्तीय सहायता से व्यापक वनीकरण कार्यक्रम;

2. वन आवरण तथा संसाधनों के संरक्षण और उनमें वृद्धि करने के लिए विभिन्न विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को कार्यान्वयन;

3. संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से अवक्रमित वनों के पुनर्जनन के लिए ग्राम समुदायों को शामिल करना;

4. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वनेतर प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग को विनियमित करना;

5. सुरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क का संरक्षण एंव वैज्ञानिक प्रबंधन।

विवरण

1995 की स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वन आवरण का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण।

क्र॰ सं॰	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वन आवरण (वर्ग कि॰मी॰ में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	47,112
2.	अरुणाचल प्रदेश	68,621
3.	असम	24,061
4.	बिहार	26,561
5.	दिल्ली	26
6.	गोआ, दमन एवं दीव	1,250
7.	गुजरात	12,320
8.	हरियाणा	603
9.	हिमाचल प्रदेश	12,501
10.	जम्मू व कश्मीर	20,433
11.	कर्नाटक	32,382
12.	केरल	10,336
13.	मध्य प्रदेश	1,35,164
14.	महाराष्ट्र	43,843
15.	मणिपुर	17,558
16.	मेघालय	15,714
17.	मिजोरम	18,576
18.	नागालैंड	14,291
19.	उड़ीसा	47,107
20.	पंजाब	1,342
21.	राजस्थान	13,280
22.	सिक्किम	3,127
23.	तमिलनाडु	17,766
24.	त्रिपुरा	5,538
25.	उत्तर प्रदेश	33,986
26.	पश्चिम बंगाल	8,276
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7,615
28.	चंडीगढ़	7
29.	दादर व नगर हवेली	204
30.	लक्षद्वीप *	-
31.	पांडिचेरी *	-
	जोड़	6,39,600

*कोई ज्ञेय वन आवरण नहीं।

ऑटोमेटिक डिजीटल एक्सचेंज

681. श्री पी॰ आर॰ दासमुंशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऑटोमेटिक डिजीटल एक्सचेंज का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने गांवों को टेलीफोन से जोड़े जाने का विचार है तथा उपरोक्त प्रकार के कितने एक्सचेंज स्थापित किये जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31.10.97 की स्थिति के अनुसार देश में 22228 स्वचालित (आटोमेटिक) डिजिटल एक्सचेंज कार्यरत हैं। सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 31.10.97 की स्थिति के अनुसार 275839 गांवों को टेलीफोन से जोड़ा जाना शेष है। इन्हें नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़े जाने की योजना बनाई गई है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3763 एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	31.10.97 की स्थिति के अनुसार आटोडिजिटल एक्सचेंजों की संख्या	टेलीफोन से जोड़े जाने वाले प्रस्तावित गांवों की संख्या	नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1944	7688	150
2.	असम	285	13224	300
3.	अरूणाचल प्रदेश	65	3092	70
4.	बिहार	827	62919	-
5.	गुजरात	1386	4282	150
6.	गोवा	72	82	-
7.	हरियाणा	758	303	20
8.	हिमाचल प्रदेश	588	11922	200
9.	जम्मू एवं कश्मीर	230	4300	141
10.	कर्नाटक	2065	9630	6
11.	केरल	783	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	3067	36159	250
13.	महाराष्ट्र	2718	14205	-
14.	मणिपुर	30	1935	24
15.	मेघालय	42	4967	25
16.	मिजोरम	36	220	25
17.	नागालैंड	34	702	25
18.	उड़ीसा	741	30807	200
19.	पंजाब	903	1302	-
20.	राजस्थान	1500	20716	100
21.	सिक्किम (डब्ल्यू बी)	20	-	8
22.	तमिलनाडु	1433	2743	89
23.	त्रिपुरा	48	395	25
24.	उत्तर प्रदेश	1801	26666	1819
25.	पश्चिम बंगाल	726	17661	136
26.	दिल्ली	126	-	-
	जोड़	22228	275839	3763

कनहार पुल का निर्माण

682. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि से कनहार पुल (सोनभद्र जिला) के निर्माण के लिए कितनी धनराशि की मांग की गयी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संदर्भ में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[*हिन्दी*]

सेना में भर्ती

683. श्री अशोक प्रधान : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेना में युवाओं की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्यवार युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए चलाये गये विशेष अभियानों का क्या ब्यौरा है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यवार उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर भर्ती अभियान चालू किये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (घ) सेना में पात्र युवाओं की भर्ती के लिए देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर भर्ती अभियान चलाए जाते है। (विवरण संलग्न है) युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए आकर्षित किए जाने के वास्ते उन्हें इस संबंध में निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए राज्य प्रशासन के सहयोग से बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है। कुछ राज्य सरकारें सेना में भर्ती के लिए संभावित उम्मीदवारों को तैयार करने के लिए पूर्व-कोचिंग कक्षाएं चला रही हैं। कतिपय पिछड़े अल्पविकसित तथा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए शैक्षिक स्तर में कुछ छूट दी गई है। उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में जिन स्थानों से युवाओं की सेना में भर्ती होने की संभावना है, उन स्थानों में जाकर वहां पर भर्ती दौरे करके तथा भर्ती रैलियां आयोजित करके सेना में भर्ती की जा रही है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान सेना में युवाओं को भर्ती करने के लिए चलाए गए अभियानों का राज्यवार ब्यौरा।

क्रम सं॰	क्षेत्रीय भर्ती कार्यालय/राज्य	वर्ष	स्थान	से	तक
1	2	3	4	5	6
1.	अम्बाला	1994-95	-	-	-
	(हरियाणा)	1995-96	नारनौल	01 जून 95	03 जून 95
			हिसार	14 दिस. 95	18 दिस. 95
		1996-97	रिवाड़ी	03 सित. 96	04 सित. 96
2.	अजमेर	1994-95	जयपुर	06 नवंबर 94	07 नवंबर 94
	(राजस्थान)	1995-96	कोटा	01 नवंबर 95	07 नवंबर 95
			झुंझनू	27 मार्च 96	31 मार्च 96
		1996-97	-	-	-
3.	बेंगलूर	1994-95	बम्बोलिन	20 अक्तू. 95	22 अक्तू. 95
	(कर्नाटक)		मादगांव एवं फेडा (गोवा)		
		1995-96	चित्रदुर्ग	11 दिस. 95	16 दिस. 95
		1996-97	कारवाड़	28 अक्तू. 96	31 अक्तू. 96
4.	कलकत्ता	1994-95	-	-	-
	(पश्चिम बंगाल)	1995-96	भवानीपटना	अक्तू. 95	-

1	2	3	4	5	6
		1996-97	टाकी रोड (24 परगना)	05 जून 96	08 जून 96
			फुलबानी	20 अगस्त 96	24 अगस्त 96
5.	जबलपुर	1994-95	-	-	-
	(मध्य प्रदेश)	1995-96	ग्वालियर	01 फर. 95	04 फर. 95
			महू	01 फर. 96	04 फर. 96
		1996-97	भोपाल	29 जन. 97	01 फर. 97
6.	दानापुर	1994-95			
	(बिहार)	1995-96	शून्य		
		1996-97			
7.	जालंधर	1994-95	-	-	-
	(पंजाब)	1995-96	रामबन	29 जून 95	01 जुलाई 95
			राजौरी	31 जुलाई 95	02 अगस्त 95
			गुरेज	11 अगस्त 95	12 अगस्त 95
			लेह-कारगिल	21 अगस्त 95	26 अगस्त 95
			कुलगांव	14 सितंबर 95	17 सितंबर 95
			कुपवाड़ा	11अक्तूबर 95	13 अक्तूबर 95
			डोडा	11 अक्तूबर 95	14 अक्तूबर 95
			दारूग मुल्ला	12 अक्तूबर 95	14 अक्तूबर 95
			ठरी	26 अक्तूबर 95	28 अक्तूबर 95
			पुंछ	06 नवंबर 95	11 नवंबर 95
			तंगधार	09 नवंबर 95	11 नवंबर 95
			पुल्वाना	01 दिस. 95	03 दिस. 95
			फिरोजपुर	09 सित. 95	11 सितंबर 95
		1996-97	पट्टी	नवंबर 96	
			गुरदासपुर	जनवरी 97	
			फरीदकोट	जुलाई 96	
			भटिंडा	सितंबर 96	
			फिरोजपुर	नवंबर 96	
			रूपनगर	जून 96 माह के प्रथम सप्ताह	
			रूपनगर	जुलाई 96 माह के आखिरी सप्ताह	
			रूपनगर	अगस्त 96 के प्रथम सप्ताह	
			रूपनगर	अक्तूबर 96 माह के आखिरी सप्ताह	
			रूपनगर	नवंबर 96 माह के अन्तिम सप्ताह	

1	2	3	4	5	6
			रूपनगर	दिसंबर 96 माह के प्रथम सप्ताह	
			रूपनगर	फरवरी 97 माह के प्रथम सप्ताह	
			जालंधर	सितंबर 96	
			कपूरथला	दिसंबर 96	
			होशियारपुर	मार्च 97	
			राजौरी	अगस्त 96 के प्रथम सप्ताह	
			डोडा/किश्तवार	नवबंर 96 के द्वितीय सप्ताह	
			पुंछ	नवंबर 96 के प्रथम सप्ताह	
			गुलमर्ग	11 से 13 जुलाई 96	
			गुरेज	31 जुलाई से 4 अगस्त 96	
			लेह	16-22 अगस्त 96	
			तंगधार	04-09 सितंबर 96	
			उरी	03-16 अक्तूबर 96	
8.	मद्रास	1994-95	अंडमान एवं	03 अक्तू. 94	12 अक्तू. 94
	(तमिलनाडु)		निकोबार द्वीप समूह		
		1995-96	-	-	-
		1996-97	मद्रास	11 फरवरी 97	14 फरवरी 97
			अंडमान एवं	21 मार्च 97	28 मार्च 97
			निकोबार द्वीप समूह		
9.	लखनऊ	1994-95	चमोली	09 मई 94	14 मई 94
	(उत्तर प्रदेश)		इलाहाबाद	15 सितंबर 94	20 सितंबर 94
			फतेहगढ़	15 फरवरी 95	20 फरवरी 95
		1995-96	टिहरी गढ़वाल	22 मई 95	23 मई 95
			गौहर	05 मई 95	12 मई 95
			मुजफ्फरनगर	21 नवंबर 95	26 नवंबर 95
			इटावा	22 जनवरी 96	24 जनवरी 96
		1996-97	आजमगढ़	28 दिसंबर 96	03 जनवरी 97
			मैनपुरी		
10.	कुंराघाट	1994-95			
	(उ०प्र०)	1995-96	कोई नहीं		
		1996-97			
11.	पुणे	1994-95	औरंगाबाद	16 मई 94	18 मई 94
	(महाराष्ट्र)	1995-96	-	-	-
		1996-97	महकर (सुल्दाना)	10-15 जून 96	

1	2	3	4	5	6
			कन्नड़ (औरंगाबाद)	17-22 जून 96	
			डेगलूर (नांदेड)	01-06 जुलाई 96	
			नियांगा (लातूर)	08-13 जुलाई 96	
			खुल्ताबाद (औरंगाबाद)	15-20 जुलाई 96	
			बीड	12-17 अगस्त 96	
			बुल्ढाणा	19-24 अगस्त 96	
			हिंगोली (परभानी)	02-07 सितंबर 96	
			नांदेड	09-14 सितंबर 96	
			पाडेगांव	16-21 जून 96	
			अलीबाग	28-20 जून 96	
			दहान (थाने)	01-06 जुलाई 96	
			नासिक	20-24 अगस्त 96	
			थाने	02-07 सितंबर 96	
			पल्टन (सतारा)	17-18 जून 96	
			दहीवाडी (सतारा)	20-22 जून 96	
			जाथ (सांगली)	08-09 जुलाई 96	
			कावाथमेमहांकल (सांगली)	11-12 जुलाई 96	
			खेद (रत्नगिरी)	09-10 अगस्त 96	
			पाटन (सतारा)	12-14 अगस्त 96	
			अतयाडी (सांगली)	09-10 सितंबर 96	
			मिराज (सांगली)	11-13 सितंबर 96	
			नागबिण्ड (चन्द्रपुर)	16-18 मई 96	
			अचलपुर (अमरावती)	10-14 जून 96	
			पुसाद (यावतमल)	15-19 जुलाई 96	
			गदचिरोली	19-22 अगस्त 96	
			ब्रह्मपुरी (चन्द्रपुर)	23-24 अगस्त 96	
			यावतमल	09-12 सिंतबर 96	
			वर्धा	13-14 सितंबर 96	
			हिम्मतनगर (साबरकंठ)	11 जून 96	
			नालसाद	08-11 जुलाई 96	
			भड़ूच	12-14 अगस्त 96	
			शामलाजी (साबरकंठ)	09-11 सितंबर 96	
			राजकोट	13-15 जून 96	

1	2	3	4	5	6
			वेरावल (जूनागढ़)	09-12 जुलाई 96 -	
			रपड़/लखपत (भुज)	07-10 अगस्त 96	
			थारनागधारा (सुरेन्द्रनगर)	10-13 सितंबर 96	
			भोर (पुणे)	11-13 जून 96	
			उस्मानाबाद	09-12 जुलाई 96	
			श्रीरामपुर (अहमदनगर)	12-14 अगस्त 96	
			पंडशारपुर (सोलापुर)	10-13 सितंबर 96	
			कारवाड़	08-31 अक्तूबर 96	
			शिनागरा (मंगलोर)	10-12 अक्तूबर 96	
12.	शिलांग (असम)	1994-95	-	-	
		1995-96	शिलांग	06 मई 95	
		1996-97	चंदेल	04 -08 अक्तूबर 96	
			तुरा	05-08 फरवरी 97	
13.	आई आर ओ दिल्ली कैंट (दिल्ली)	शून्य	शून्य	शून्य	
14.	बेंगलूर (कर्नाटक)	1997-98	लक्षदीप	19 अप्रैल - 26 अप्रैल 97	
15.	सिख रेजिमेंट केन्द्र रामगढ़ (बिहार)	1997-98	कपूरथला	12 मई 97 - 25 मई 97	
16.	डोगरा रेजिमेंट केन्द्र फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)	1997-98	शिमला	जून 97	
			डलहौजी	जुलाई 97	
17.	गढ़वाल राइफल रेजिमेंट केन्द्र लैंसडाउन (उत्तर प्रदेश)	1997-98	श्रीनगर	अक्तूबर 97	
18.	डोगरा रेजिमेंट केन्द्र फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)	1997-98	हिमाचल प्रदेश पंजाब व जम्मू-कश्मीर	15 अक्तूबर 97 - 03 नवंबर 97	
19.	सिख लाइट इंफैंट्री रेजिमेंट केन्द्र फतेहगढ़ (उत्तर प्रदेश)	1997-98	लुधियाना	17 नवंबर 97 - 22 नवंबर 97	

उन स्थानों का राज्यवार ब्यौरा जहां चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान भर्ती अभियान आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है :

1.	उत्तर प्रदेश	अकोला	दिसंबर 97
2.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	फरवरी 98
3.	राजस्थान	सादुलपुर	नवंबर/दिसंबर 97
4.	पंजाब	लुधियाना	नवंबर 97
5.	लक्षद्वीप		नवंबर 97
6.	अंडमान एवं निकोबार		जनवरी 98

[अनुवाद]

इंटरनेट सुविधा

684. श्री वी॰ एम॰ सुधीरन :

श्री रमेश चेन्नितला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से नगर "इंटरनेट" से जुड़े हैं;

(ख) क्या केरल के "कोट्टायम" नगर को इंटरनेट से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को केरल के अलेप्पी को स्थानीय इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) निम्नलिखित शहरों को स्थानीय डायलिंग आधार पर इंटरनेट से जोड़ा गया है :- दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, पुणे, अहमदाबाद, बंगलौर, जयपुर, देहरादून, त्रिवेन्द्रम, ग्वालियर, गुवाहाटी, हैदराबाद, चंडीगढ़, पटना, लखनऊ, कानपुर, गोवा, एर्नाकुलम, औरंगाबाद और इंदौर।

(ख) जी हां।

(ग) कोट्टायम में इंटरनेट नोड प्रदान करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) इंटरनेट नोड्स प्रदान करने के लिए दूरसंचार आयोग ने 51 स्वीकृत स्थानों में से एक एलप्पी को शामिल कर लिया है, ताकि इंटरनेट को स्थानीय (लोकल) डायलिंग एक्सेस प्रदान की जा सके।

[हिन्दी]

देश में शेरों की संख्या

685. श्री सुशील चन्द : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में शेरों की संख्या में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो इस समय जीवित सफेद शेरों की संख्या तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने शेर मृत पाए गए तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या गुजरात से भिंड-मुरैना क्षेत्रों में लाए गए शेरों के पुनर्वास के संबंध में कोई प्रगति की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें कितना क्षेत्र शामिल है तथा इन क्षेत्रों की जनसंख्या कितनी है और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु क्या वैकल्पिक उपाय किए जाएंगे?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, नहीं।

(ख) शेर, गुजरात में सौराष्ट्र के गिर वनों में ही पाए जाते हैं। मई, 1995 में की गई गणना के अनुसार, इनकी संख्या 304 थी। मई, 1990 में की गई पिछली गणना में शेरों की संख्या 284 थी। जंगल में सफेद शेरों के होने की कोई सूचना नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मृत पाए गए शेरों की राज्यवार संख्या निम्नलिखित है :

मृत्यु के कारण

वर्ष	प्राकृतिक	जानबूझकर	दुर्घटनावश	कुल
1994-95	4	1	3	8
1995-96	12	3	4	19
1996-97	12	9	5	26
	28	13	12	53

(घ) और (ङ) मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में पालपुर-कुनो अभ्यारण्य में वास स्थल-विकास, शेर के लिए शिकार की व्यवस्था में बढ़ोतरी करने के लिए प्राथमिक गतिविधियां शुरू की गई हैं ताकि इसे शेरों की पुनः बहाली के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। अभ्यारण्य कुल 1153.41 वर्ग कि॰मी॰ क्षेत्र में फैला हुआ है। कुल 1374 परिवारों का पुनर्वास किया जाना है। प्रत्येक परिवार को 2 हैक्टेयर विकसित भूमि और घर की जगह के लिए 502 वर्ग मीटर भूमि दी जानी है। भवन सामग्री, नकद प्रोत्साहन, सामुदायिक सुविधाएं, लकड़ी के गट्ठे और ईंधन रिजर्व, चारा और चारा पौध रोपण आदि भी प्रति परिवार एक लाख रुपए की अधिकतम लागत के अंदर मुहैया की जानी है।

[अनुवाद]

औषधिय गुण वाले जड़ी-बूटियों पर प्रतिबंध

686. श्री राम नाईक :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 सितंबर, 1997 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "गवर्नमेंट बैन ऑन हर्ब्स में हिट आयुर्वेदिक डाक्टर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या आयुर्वेदिक औषध उत्पादक संघ "आयुर्वेदिक ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन" ने उक्त आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार को पत्र लिखा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अनुरोध का अध्ययन करने और उसे लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : *(क) और* (ख) जी, हां। निर्यात नीति के तहत 53 किस्म के पादपों, पादप-हिस्सों तथा वनों से प्राप्त व्युत्पत्तियों का निर्यात प्रतिबंधित है। तथापि, यदि ये पादप कृषि संबंधी संसाधन से प्राप्त किए गए हों, तो इनका निर्यात किया जा सकता है।

(ग) और (घ) "द आयुर्वेदिक ड्रग्ज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा, निर्यात प्रतिबंध की सूची में रखे गए, वनों से प्राप्त 18 किस्म के पादपों, से तैयार किए गए फार्म्युलेशन्स के निर्यात की अनुमति हेतु अनुरोध किया जाता रहा है।

(ङ) उक्त मामले को हल करने के लिए, इस मंत्रालय द्वारा एक अंतर्विभागीय समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्यातकों को 28.8.1997 से 90 दिनों की अवधि के लिए उक्त पादप प्रजातियों का निर्यात करने की अनुमति दे दी गई है, ताकि वे अपने फार्म्युलेशन्स के मौजूदा स्टाक का निपटान कर सकें। इसके अतिरिक्त, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण में, सभी संबंधितों के साथ परामर्श करके, उक्त 53 पादपों की स्थिति की एक और समीक्षा करने तथा मामले के संबंध में विशिष्ट सिफारिशें करने हेतु कहा है।

[*हिन्दी*]

राजस्थान में साक्षरता अभियान

687. **प्रो॰ रासा सिंह रावत** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में 'लोक जुम्बिश' और संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गयी है;

(ख) राज्य में साक्षरता योजनाओं की मुख्य उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का पूरे राज्य में इन योजनाओं को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का राजस्थान जैसे बड़े और शिक्षा के मामले में पिछड़े राज्यों को उदारतापूर्वक विशेष सहायता देने का प्रस्ताव है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) लोक जुम्बिश तथा पूर्ण साक्षरता अभियान योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई राशि निम्नवत् है:-

लोक जुम्बिश :

चरण-1 (1992-94) :	14.09 करोड़ रुपए
चरण-2 (1994-98) :	95.65 करोड़ रुपए

संपूर्ण साक्षरता अभियान

आठवीं योजनावधि के दौरान :	38.13 करोड़ रुपये

(ख) और (ग) लोक जुम्बिश परियोजना में राजस्थान राज्य के अब तक 58 ब्लाकों को शामिल किया गया है। 3289 गांवों में वातावरण निर्माण संबंधी कार्यकलाप आरंभ किए गए तथा 2293 गांवों में स्कूल मैपिंग का कार्य पूरा किया गया है। 265 नए स्कूल खोले गए जबकि 309 प्राथमिक स्कूलों को स्तरोन्नत किया गया। लोक जुम्बिश परियोजना द्वारा अनौपचारिक शिक्षा का एक नवाचारी तथा सफल कार्यक्रम 1600 केन्द्रों में आरंभ किया गया। दूसरे चरण के अंत तक, यह परियोजना 75 ब्लाकों को शामिल कर लेगी।

साक्षरता अभियान योजना के अंतर्गत, राजस्थान राज्य को शामिल किया गया है। 31 जिलों में से, 16 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान कार्यान्वित किए जा रहे हैं तथा 13 जिलों में यह अभियान उत्तर साक्षरता अभियान के स्तर पर है तथा 2 जिलों में यह परियोजना सतत् शिक्षा स्तर पर पहुंच गई है। अभी तक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सभी योजनाओं के अंतर्गत राजस्थान राज्य के अनुमानत: 27.50 लाख व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया है।

(घ) और (ङ) लोक जुम्बिश परियोजना का वित्तपोषण पद्धति 3:2:1 की होगी जिसमें स्वीडीश इंटरनेशनल डेवलेपमेंट अथारिटी (सीडा), भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार का भाग क्रमश: 3:2:1 होगा।

पूर्ण/उत्तर साक्षरता अभियान योजना के लिए वित्तपोषण केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमश: सामान्य जिलों के लिए 2:1 के अनुपात तथा जनजातीय उप-योजना जिलों के लिए 4:1 के अनुपात से वहन किया जाएगा।

[अनुवाद]

शासी निकाय का गठन किया जाना

688. **श्री विजय गोयल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के कितने कालेज में कालेज शासी निकायों का पूरी तरह से गठन कर लिया गया है;

(ख) किन-किन कालेजों में कालेज शासी निकाय का पूरी तरह से गठन नहीं किया गया है;

(ग) इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इनका गठन कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों में नये आई॰ टी॰ डी॰ सी॰ कार्यालय

689. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय पर्यटन विकास निगम कार्यालयों की देश-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विदेश स्थित इसके कुछ कार्यालयों को बंद कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार 2000 ई॰ तक 3.25 मिलियन विदेशी पर्यटकों के लक्ष्य को पूरा करने के लिये विदेशों में नये भारतीय पर्यटन विकास निगम (आई॰ टी॰ डी॰ सी॰) कार्यालय खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम का किसी दूसरे देश में कहीं भी कोई कार्यालय नहीं है।

(ख) और (ग) नये बाजारों की संभावना का पता लगाने और उपयोग करने के उद्देश्य से, जेनेवा, बहरीन, बैंकाक और कुआला लामपुर स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालय बंद कर दिए गए हैं और उन्हें क्रमश: मास्को (रूस), तेल अबीव (इस्राइल), जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) और सियोल (दक्षिण कोरिया) में पुन: स्थापित किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) फिलहाल विदेश में कोई कार्यालय स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव भारत पर्यटन विकास निगम के विचाराधीन नहीं हैं।

टेलीफोन डायरेक्ट्रियां जारी करना

690. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पिछले दो वर्षों से टेलीफोन डायरेक्ट्रियां जारी नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में अन्य महानगरों/शहरों में भी पिछले कई वर्षों से टेलीफोन डाइरेक्ट्रियां जारी नहीं की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा टेलीफोन डाइरेक्ट्रियों और शुद्धि-पत्र समय पर जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली की टेलीफोन डायरेक्टरी के छापने में विलंब ठेकेदार की समस्याओं की वजह से था।

(ग) और (घ) जी हां, कुछ महानगरों/अन्य शहरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की छपौई में विलंब ठेकेदार की समस्याओं की वजह से है।

(ङ) जहां कहीं भी किसी शहर विशेष में टेलीफोन डायरेक्टरी की छपाई में विलंब होता है, तो विभागीय तौर पर इसकी छपाई के कदम उठाए जाते हैं। जब कभी भी किसी क्षेत्र विशेष के टेलीफोन नम्बरों में परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना उपभोक्ताओं को परिवर्तित नम्बरों की सूची छाप करके दी जाती है। परिवर्तित नम्बरों के बारे में समाचार-पत्रों के माध्यम से भी प्रचार किया जाता है।

पारिस्थितिकी पुनरुद्धार कार्यक्रम

691. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना के दौरान देश में शुरू किए गए केन्द्र द्वारा प्रायोजित पारिस्थितिकी कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कितनी सफलता प्राप्त की गई है और केन्द्र द्वारा इन कार्यक्रमों को राज्यवार लागू करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) आठवीं योजना के दौरान आरंभ की गई केन्द्रीय प्रायोजित पारिस्थितिकीय बहाली योजनाओं/कार्यक्रमों सहित उनके कार्यान्वयन के लिए रिलीज की गई धनराशि और प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र॰ सं॰	योजना का नाम	संक्षिप्त उद्देश्य	कवर किए गए राज्य	आठवीं योजना के दौरान उपलब्धियां वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6
1.	गंगा कार्य योजना चरण-1	नदी जल के प्रदूषण का उपशमन	उत्तर प्रदेश	6737.00	267 स्वीकृत स्कीमों में से 66 योजनाओं को पूरा किया गया और 11 योजनाएं चालू हैं।
			बिहार	1351.00	
			पश्चिम बंगाल	5931.00	
2.	गंगा कार्य योजना चरण-2	-वही-	दिल्ली	669.00	172 व्यापक परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और एस टी पी आई एंड डीएल सी एस, सीआरई, आर एफ डी, की योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
			हरियाणा	7483.00	
			बिहार	162.00	
			उत्तर प्रदेश	3986.00	
			पश्चिम बंगाल	465.00	
3.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	-वही-	आंध्र प्रदेश	381.00	व्यापक परियोजना रिपोर्ट का 136 नम्बर अनुमोदित और एस टी पी आई एंड डी एल सी एस सी आर ई आर एफ डी की योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
			बिहार	146.00	
			कर्नाटक	205.00	
			उड़ीसा	15.00	
			पंजाब	1081.00	
			तमिलनाडु	195.00	
			गुजरात	477.00	
			महाराष्ट्र	158.00	
			मध्य प्रदेश	337.00	
			राजस्थान	18.00	
4.	आधुनिक वन दावानल नियंत्रण उपाय	अग्नि से वन को बचाना	आंध्र प्रदेश	8.42	वित्तीय रिलीजों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित
			बिहार	6.07	
			गुजरात	32.13	
			हिमाचल प्रदेश	39.72	
			कर्नाटक	37.92	
			केरल	63.47	
			मध्य प्रदेश	134.35	
			महाराष्ट्र	21.10	
			उड़ीसा	49.62	
			तमिलनाडु	17.72	
			उत्तर प्रदेश	26.01	

1	2	3	4	5	6
5.	भोगाधिकार में हिस्से दारी के आधार पर अवक्रमित वन के पुन-रुद्धार में अनुसूचित जाति और ग्रामीण निर्धनों का सहयोग।	अवक्रमित वनों के घनीकरण में अनुसूचित जाति और ग्रामीण निर्धनों को सम्मिलित करना।	आंध्र प्रदेश	33.96	400 है॰ क्षेत्र समाविष्ट 1200 है॰ में
			बिहार	83.07	96-97 कार्य आरं
			गुजरात	42.39	910 है॰ क्षेत्र कवर किया गया
			मध्य प्रदेश	218.63	4505 है॰ क्षेत्र को आंशिक रूप से समाविष्ट
			महाराष्ट्र	140.83	1965 है॰ क्षेत्र कवर किया गया
			उड़ीसा	112.45	कार्य 96-97 में आरंभ हुआ।
			राजस्थान	53.92	700 है॰ क्षेत्र कवर किया गया।
			पश्चिम बंगाल	140.00	अभी आरंभ नहीं किया गया।
			कर्नाटक	36.29	525 है॰ क्षेत्र कवर किया गया।
6.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास करना।	आंध्र प्रदेश	288.398	19 राष्ट्रीय उद्यानों/ वन्यजीव अभ्यारण्यों को कवर किया गया।
			अरुणाचल प्रदेश	138.092	9 रा. उद्यानों/ वन्य जीव अभयारण्यों को कवर किया गया।
			असम	105.37	3 रा. उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्यों को कवर किया गया।
			बिहार	88.255	8 रा. उद्यान/वन्यजीव अभयारण्यों को कवर किया गया।
			गोवा	56.907	4 -वही-
			गुजरात	177.722	22 -वही-
			हरियाणा	58.73	3 -वही-
			हिमाचल प्रदेश	348.639	30 -वही-
			जम्मू व कश्मीर	68.399	8 -वही-
			कर्नाटक	671.975	20 -वही-
			केरल	247.841	13 -वही-
			मध्य प्रदेश	544.283	24 -वही-
			महाराष्ट्र	297.503	18 रा. उ./वन्यजीव को कवर किया गया।
			मणिपुर	102.65	2 -वही-
			मेघालय	75.28	3 -वही-
			मिजोरम	78.39	4 -वही-
			नागालैंड	12.945	2 -वही-
			उड़ीसा	248.93	6 -वही-
			पंजाब	54.397	6 -वही-
			राजस्थान	235.968	11 -वही-
			सिक्किम	156.236	5 -वही-
			तमिलनाडु	149.64	16 -वही-

1	2	3	4	5	6	
			त्रिपुरा	82.334	3	-वही-
			उत्तर प्रदेश	318.29	20	-वही-
			पं० बंगाल	234.861	6	-वही-
			अंडमान व निकोबार दीपसमूह	3.00	1	-वही-
			दमन व दीव	4.60	1	-वही-
7.	संरक्षण क्षेत्रों के आसपास पारिविकास	राष्ट्रीय उद्यानों की सीमा पर बसर कर रहे समुदायों के लिए वैकल्पिक जीविका मुहैया कराना।	आंध्र प्रदेश	125.755	9	-वही-
			अरुणाचल प्रदेश	52.001	6	-वही-
			असम	43.25	6	-वही-
			बिहार	102.826	6	-वही-
			गुजरात	56.493	9	-वही-
			हरियाणा	12.60	1	-वही-
			हिमाचल प्रदेश	100.364	22	-वही-
			जम्मू व कश्मीर	18.05	5	-वही-
			कर्नाटक	180.865	10	-वही-
			केरल	186.628	13	-वही-
			मध्य प्रदेश	268.957	6	-वही-
			महाराष्ट्र	54.498		
			मणिपुर	9.45	2	-वही-
			मेघालय	17.875	2	-वही-
			मिजोरम	14.799	3	-वही-
			नागालैंड	12.75	1	-वही-
			उड़ीसा	100.40	3	-वही-
			पंजाब	14.798	5	-वही-
			राजस्थान	166.43	2	-वही-
			सिक्किम	82.212	4	-वही-
			तमिलनाडु	16.78	2	-वही-
			त्रिपुरा	10.06	1	-वही-
			उत्तर प्रदेश	88.32	2	-वही-
			पं० बंगाल	243.844	6	-वही-
8.	बाघ परियोजना	बाघों की व्यवहार्यता आबादी सुनिश्चित करना	आंध्र प्रदेश	115.956	भौतिक उपलब्धियों को निर्धारित नहीं किया जा सकता, तथापि उनको यथार्थ में प्राप्त किया गया।	
			अरुणाचल प्रदेश	155.486		
			असम	213.626		
			बिहार	311.811		
			कर्नाटक	202.973		

1	2	3	4	5	6
			केरल	173.21	
			मध्य प्रदेश	639.337	
			महाराष्ट्र	244.33	
			मिजोरम	21.81	
			उड़ीसा	240.088	
			राजस्थान	541.454	
			तमिलनाडु	152.89	
			उत्तर प्रदेश	444.067	
			पं॰ बंगाल	434.828	
9.	हाथी परियोजना	हाथियों की दीर्घकालीन जीविता सुनिश्चित करना।	आंध्र प्रदेश	101.18	वित्तीय रिलीजों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
			अरुणाचल प्रदेश	81.31	
			असम	76.15	
			बिहार	51.50	
			कर्नाटक	364.54	
			केरल	200.56	
			मेघालय	350.34	
			नागालैंड	13.18	
			उड़ीसा	84.70	
			तमिलनाडु	73.42	
			उत्तर प्रदेश	231.34	
			पं॰ बंगाल	260.16	
10.	पारिस्थितिकीय कार्य दल	कतिपय अधिक निम्नकोटि तथा कमजोर क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय पुन:स्थापन संबंधी कार्य आरंभ करना।	उत्तर प्रदेश	655.26	3436 है॰ क्षेत्र समाविष्ट
			राजस्थान	777.78	2763 -वही-
			जम्मू व कश्मीर	252.08	1023 -वही-
11.	औषधीय गुणों वाले पादपों सहित गैर-इमारती उत्पाद	औषधीय गुणों वाले पादपों सहित गैर-इमारती लकड़ी	आंध्र प्रदेश	297.89	5638 -वही-
			अरुणाचल प्रदेश	102.29	2000 -वही-
			असम	53.08	710 -वही-
			बिहार	188.00	4500 -वही-
			गोवा	34.21	766 -वही-
			गुजरात	556.93	7469 -वही-
			हरियाणा	291.85	3633 -वही-
			हिमाचल प्रदेश	411.89	7580 -वही-
			जम्मू व कश्मीर	363.26	5830 -वही-
			कर्नाटक	137.23	2691 -वही-

1	2	3	4	5	6
			केरल	40.16	581 -वही-
			मध्य प्रदेश	268.45	6441 -वही-
			महाराष्ट्र	140.44	2420 -वही-
			मणिपुर	194.61	6207 -वही-
			मेघालय	278.14	5974 -वही-
			मिजोरम	122.29	3290 -वही-
			नागालैंड	43.89	1175 -वही-
			उड़ीसा	654.88	14770 -वही-
			पंजाब	343.00	6050 -वही-
			राजस्थान	253.29	3800 -वही-
			सिक्किम	404.25	4680 -वही-
			तमिलनाडु	120.03	2698 -वही-
			त्रिपुरा	56.09	1005 -वही-
			उत्तर प्रदेश	1.53	
			पं॰ बंगाल	301.16	7075 -वही-
12.	क्षेत्र जनित ईंधन लकड़ी और चारा योजना	ईंधन लकड़ी की कमी के लिए पहचान किए गए जिलों में ईंधन लकड़ी और चारे की आपूर्ति बढ़ाना।	आंध्र प्रदेश	313.08	10122 -वही-
			अरुणाचल प्रदेश	54.54	780 -वही-
			असम	565.48	4404 -वही-
			बिहार	694.50	19705 -वही-
			गुजरात	617.25	11136 -वही-
			गोवा	29.34	726 -वही-
			हरियाणा	1320.24	17243.784 -वही-
			हिमाचल प्रदेश	627.94	11178 -वही-
			जम्मू व कश्मीर	127.04	1621 -वही-
			कर्नाटक	940.00	16371 -वही-
			केरल	223.30	3309 -वही-
			मध्य प्रदेश	1257.49	55650 -वही-
			महाराष्ट्र	220.25	4009 -वही-
			मणिपुर	520.88	12985 -वही-
			मेघालय	292.56	980.26 -वही-
			मिजोरम	1634.75	15359.75 -वही-
			नागालैंड	25.00	25.15 -वही-
			उड़ीसा	793.32	3796.32 -वही-
			पंजाब	869.30	1369.3 -वही-
			राजस्थान	1019.13	3592.13 -वही-

1	2	3	4	5	6
			सिक्किम	297.62	1842.62 -वही-
			तमिलनाडु	476.48	526.81 -वही-
			त्रिपुरा	146.26	124.26 -वही-
			उत्तर प्रदेश	1000.53	1300.23 -वही-
			पं० बंगाल	662.10	1166.54 -वही-
13.	बीज विकास योजना	अच्छी किस्म के बीजों के लिए ढांचागत सुविधाओं का विकास करना	आंध्र प्रदेश	22.05	जारी किए गए वित्त के रूप में लक्ष्य निर्धारित किए गए।
			अरुणाचल प्रदेश	47.04	
			असम	32.73	
			बिहार	15.970	
			गोवा	7.00	
			गुजरात	62.28	
			हरियाणा	149.825	
			हिमाचल प्रदेश	30.60	
			जम्मू व कश्मीर	118.88	
			कर्नाटक	8.93	
			केरल	49.29	
			मध्य प्रदेश	18.975	
			मणिपुर	34.45	
			मेघालय	6.080	
			मिजोरम	27.00	
			नागालैंड	5.00	
			उड़ीसा	3.50	
			पंजाब	28.93	
			सिक्किम	34.705	
			तमिलनाडु	10.42	
			उत्तर प्रदेश	32.05	
			पं० बंगाल	35.632	
14.	एरियल सीडिंग	कठिन तथा दुर्गम क्षेत्रों में पुनर्वनस्पतिकरण	आंध्र प्रदेश	66.58	5000 -वही-
			कर्नाटक	12.00	
			तमिलनाडु	156.82	28500 -वही-
			पं० बंगाल	4.00	
			मध्य प्रदेश	10.00	3820 -वही-
15.	एकीकृत वन रोपण तथा पारि-विकास परियोजना स्कीम	वनरोपण तथा पारि-विकास में तेजी लाना	आंध्र प्रदेश	057.56	9633 -वही-
			अरुणाचल प्रदेश	352.65	3050 -वही-
			असम	158.10	3700 -वही-

1	2	3	4	5	6
			बिहार	109.35	673 -वही-
			गोवा	69.73	445 -वही-
			गुजरात	266.09	3670 -वही-
			हरियाणा	673.34	5717 -वही-
			हिमाचल प्रदेश	947.74	11388 -वही-
			जम्मू व कश्मीर	1519.83	15527 -वही-
			कर्नाटक	1155.77	17472 -वही-
			केरल	331.77	1671 -वही-
			मध्य प्रदेश	2212.77	39635 -वही-
			महाराष्ट्र	138.07	800 -वही-
			मणिपुर	919.40	8140 -वही-
			मेघालय	633.33	8677 -वही-
			मिजोरम	584.72	6000 -वही-
			नागालैंड	222.45	2675 -वही-
			उड़ीसा	242.10	3666 -वही-
			पंजाब	429.28	4340 -वही-
			राजस्थान	2635.95	355.90 -वही-
			सिक्किम	1216.01	17542 -वही-
			तमिलनाडु	142.51	1157 -वही-
			त्रिपुरा	273.79	4913 -वही-
			उत्तर प्रदेश	1959.14	14755 -वही-
			पं॰ बंगाल	1265.36	172.22 -वही-
16.	आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए लाभोन्मुख स्कीम	बाघ परियोजना, रा. उद्यान तथा अभयारण्य संबंधी योजनाओं के पुर्नस्थापन के अंतर्गत प्रभावित आदिवासियों और अन्य परिवारों का पुर्नवास	अरुणाचल प्रदेश	1.36	विभिन्न राज्यों में 423 परिवारों के पुर्नस्थापन के लिए निधियां जारी की गईं। इस पुर्नस्थापन कार्य में से 188 परिवारों के लिए पुर्नस्थापन कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष परिवारों के लिए कार्य प्रगति पर है।
			कर्नाटक	39.68	
			मिजोरम	53.66	
			नागालैंड	15.00	
			पं॰ बंगाल	23.04	
			मध्य प्रदेश	107.23	
17.	विश्व बैंक सहायता औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी)	सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्रों, प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।	आंध्र प्रदेश	132.00	3 सामान्य बहिस्राव शोधन संयंत्र
			दिल्ली	2300.00	15 -वही-
			गुजरात	192.00	6 -वही-
			हिमाचल प्रदेश	8.60	4 -वही-
			हरियाणा	11.89	2 -वही-
			कर्नाटक	59.86	2 -वही-
			महाराष्ट्र	198.93	9 -वही-

1	2	3	4	5	6
			मध्य प्रदेश	77.75	3 -वही-
			पंजाब	20.00	4 -वही-
			राजस्थान	50.00	2 -वही-
			तमिलनाडु	848.78	26 -वही-
			उत्तर प्रदेश	95.75	2 -वही-
18.	मेंनग्रोव्ज का संरक्षण	मेंनग्रोव्ज कोरल रीपस का संरक्षण और प्रबंधन	पं॰ बंगाल	148.79	1 एम/सी आर समाविष्ट
			कर्नाटक	62.74	1 -वही-
			आंध्र प्रदेश	18.00	1 -वही-
			अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	43.57	2 -वही-
			गोवा	29.55	1 -वही-
			तमिलनाडु	28.81	3 एम/सीआर समाविष्ट
			महाराष्ट्र	1.81	1 एम/सीआर समाविष्ट
			उड़ीसा	7.03	-वही-
			केरल	8.50	-वही-
			गुजरात	11.83	-वही-
			लक्षद्वीप	31.50	-वही-
19.	जीवमंडल रिजर्व	जीवमंडल रिजर्व के लिए प्रबंधन कार्यवाही योजना कार्यान्वित करना	केरल	181.22	1 बी आर समाविष्ट
			कर्नाटक	111.113	1 -वही-
			तमिलनाडु	144.38	2 -वही-
			पश्चिम बंगाल	173.85	-वही-
			मेघालय	34.588	-वही-
			अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	82.38	-वही-
			उत्तर प्रदेश	192.96	-वही-
			असम	60.45	-वही-
			उड़ीसा	1.11	-वही-
20.	पर्यावरण वाहिनी	जनता की सक्रिय भागीदारी द्वारा पर्यावरण संबंधी जागरूकता पैदा करना।	आंध्र प्रदेश	3.00	7 जिलों में पीबी गठित किए गए
			अरुणाचल प्रदेश	8.00	4 -वही-
			असम	1.62	4 -वही-
			बिहार	1.75	4 -वही-
			गुजरात	1.96	3 -वही-
			गोवा	1.95	2 -वही-
			हरियाणा	1.15	2 -वही-
			हिमाचल प्रदेश	4.48	8 -वही-

1	2	3	4	5	6	
			जम्मू व कश्मीर	0.70	1	-वही-
			कर्नाटक	3.45	6	-वही-
			केरल	5.67	5	-वही-
			मध्य प्रदेश	25.71	45	-वही-
			महाराष्ट्र	3.58	7	-वही-
			मणिपुर	0.57	1	-वही-
			मेघालय	0.57	1	-वही-
			मिजोरम	1.05	1	-वही-
			नागालैंड	0.47	2	-वही-
			उड़ीसा	1.72	3	-वही-
			पंजाब	3.56	4	-वही-
			राजस्थान	4.47	6	-वही-
			सिक्किम	0.23	2	-वही-
			तमिलनाडु	2.90	7	-वही-
			त्रिपुरा	0.38	1	-वही-
			उत्तर प्रदेश	13.29	14	-वही-
			अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.23	1	-वही-
			चंडीगढ़	0.23	1	-वही-
			दिल्ली	0.23	1	-वही-
			पांडिचेरी	0.23	1	-वही-
21.	नमभूमि का संरक्षण	नमभूमि का संरक्षण और पुनर्द्धार	उड़ीसा	47.13	1	नमभूमि समाविष्ट
			पंजाब	64.69	3	-वही-
			जम्मू व कश्मीर	72.21	3	-वही-
			हिमाचल प्रदेश	25.75	3	-वही-
			बिहार	62.72	1	-वही-
			मणिपुर	136.25	1	-वही-
			गुजरात	3.00	1	-वही-
			असम	8.40	1	-वही-

* अवक्रमित पारि-प्रणाली के पुन:स्थापन संबंधी कार्य करने के लिए दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों के पारिस्थितिकीय कार्य दलों को तैनात किया जाता है। वर्तमान में ऐसे कार्यदल उ०प्र० में देहरादून और पिथौरागढ़ में तथा राजस्थान में बीकानेर और जम्मू व कश्मीर में सांभा में तैनात हैं।

एनपीएस/डब्ल्यूएलएस - राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य

सीईटीपीएस - सामान्य बहीस्राव और शोधन संयंत्र

एम/सीआर - मैनग्रोव्ज/कोरलरीफ्स

पीवी - पर्यावरण वाहिनी

बीआर - जीवमंडल रिजर्व

एसटीपी - जल-मल शोधन संयंत्र

आई व डी - इंटरसेप्सन एंड डायवर्सन

एलसीएस - न्यून लागत में सफाई

सीआरई - शवदाह गृह

आरएफडी - रीवर फ्रंट डेवलपमेंट

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार

692. श्री एस॰ डी॰ एन॰ आर॰ वाडियार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए आठवीं योजना में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का नौवीं योजना के दौरान देश में विशेष रूप से कर्नाटक में कुछ वर्तमान मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना के दौरान विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण परियोजनाओं की राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) कर्नाटक सरकार ने नौवीं योजना (1997-2002) में निम्नलिखित पांच मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव किया है :

क्रम सं॰	योजना का नाम	प्रस्तावित नौवीं योजना परिव्यय (करोड़ रुपये)
1.	अंजनपुरा पुनर्निर्माण	10.00
2.	तारका संवर्धन	32.00
3.	होदिरयानशाला संवर्धन	11.71
4.	पुराने नदी चैनलों का नवीकरण	10.00

विवरण

आठवीं योजना में चल रही विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं के ब्यौरे

(करोड़ रुपये/ हजार हैक्टेयर)

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	योजना जिसमें शुरू हुई	नवीनतम अनुमानित लागत	1994-95 अनुमोदित के अंत तक व्यय (प्रत्याशित)	परिव्यय 1995-96
1	2	3	4	5	6
क.	आठवीं योजना की चल रही योजनाएं				
	आंध्र प्रदेश				
1.	तुंगभद्रा एच एल सी चरण-II	III	193.00	140.29	27.00
2.	गोदावरी बैराज	IV	158.04	151.54	10.00
3.	निजामसागर तक सुधार	V	34.26	19.90	3.50
	असम				
4.	जजलाइगांव आधुनिकीकरण	VII	5.00	-	-
5.	कलियाबोर आधु॰	VII	15.00	-	-
6.	रूपाही आधु॰	VII	10.00	-	-
7.	बोरदीकेराइ आधु॰	VII	20.00	-	-
	बिहार				
8.	बंटेस्वस्थान पंप फेज-II	V	24.23	4.59	-
9.	गंडक फेज-II	VII	445.23	62.43	-
10.	पूर्वी कोसी फेज-II	VII	123.86	53.95	-
11.	सोन आधुनिकीकरण	VII	310.93	41.81	-
12.	डकरनाला पंप फेज-II	VII	11.43	5.44	-
	गुजरात				
13.	मच्छु-II आधुनिकीकरण	VI	39.30	40.01	0.90
14.	खड़ीकट आधु॰	VI	8.81	8.13	0.50
15.	फतेहवाड़ी आधु॰	VI	40.46	38.33	3.00
16.	दांतीवाड़ा आधु॰	VI	45.70	51.04	3.00
17.	धादर (एस) आधु॰	VI	24.05	24.02	2.50
18.	शेत्रुंजी (पी) आधु॰	VI	40.65	35.68	6.00
19.	लवणता प्रवेश की रोकथाम	VI	172.12	126.46	18.00
20.	उकाइ काकरपाड़ा आधु॰	VI	75.23	62.71	3.50
21.	मच्छु-I नहर आधु॰	VII	11.12	12.63	2.00
22.	मच्छु-I सुदृढ़ीकरण	VII	1.70	1.60	0.00
23.	मिट्टी का पुनरुद्धार	VII	2.58	4.02	2.45
24.	कालिंदरी आधु॰	VII	3.41	1.25	0.20
	हरियाणा				
25.	नया ताजे वाला बैराज	V	73.50	19.95	-
26.	100 स्प्रिंकलर सेटों की संस्थापना करके संरक्षण उपाय	VI	5.23	4.22	-
27.	पुराने संवर्द्धन नलकूपों का नये संवर्द्धन नहरों के अंतसपर्क करना	VII	5.00	0.77	-
28.	पुरानी मौजूदा नहरों का सुधार, मरम्मत और पुन: आरेखण	VII	84.49	26.14	8.13

1	2	3	4	5	6
29.	मौजूदा चैनलों का आधु॰ फेज-I और फेज-II	VII	179.90	230.26	-
30.	सतही और भूजल का संयुक्त उपयोग और संवर्द्धन नलकूपों का उपयोग	VII		उपलब्ध नहीं	
	हिमाचल प्रदेश				
31.	भावर साहिब लिफ्ट फेज-II	VII	10.50	6.40	1.90
	जम्मू और कश्मीर				
32.	मार्तंड नगर का आधुनिकीकरण	VII	10.25	3.71	-
33.	जागीर नहर का आधुनिकीकरण	VII	6.43	4.06	-
34.	रणवीर नहर का आधुनिकीकरण	VII	65.50	15.86	5.10
35.	प्रताप नहर का आधुनिकीकरण	VII	6.09	2.45	0.55
36.	कथुआ नहर का आधु॰	VII	8.47	2.49	0.45
	कर्नाटक				
37.	वरूना (कृष्णाराजासागर नहर)	VII	126.55	85.76	-
38.	घाटप्रभा चरण-III	V	738.15	223.22	44.00
39.	कृष्णराजा सागर नहर का आधुनिकीकरण (वार्षिक योजना 78-80)		98.34	73.15	32.00
40.	बीआरपी नहर का आधु॰	VII	115.00	0.98	-
41.	तुंगभद्रा नहर का आधु॰	VII	253.00	0.70	-
	मध्य प्रदेश				
42.	सिन्ध फेज-II	VI	607.67	61.05	-
43.	हरसी का आधुनिकीकरण	VII	24.80	8.02	-
44.	सिन्ध-रिमोवा सपंर्क	VII	21.71	5.43	-
45.	चम्बल लिफ्ट	VII	23.96	3.58	-
	महाराष्ट्र				
46.	भटगर बांध का सुदृढ़ीकरण	V	5.78	5.71	0.05
47.	राधानगरी बांध का सुदृढ़ीकरण	VI	9.57	6.34	0.10
48.	कृष्णा नहर का विस्तार	VI	9.45	2.80	0.10
49.	एकरूक बांध का सुदृढीकरण	VI	1.26	1.29	-
50.	खोदासी पर गेटेड वीयर	VI	4.30	3.88	0.10
51.	संगोला शाखा नहर	VI	44.00	10.64	2.00
	उड़ीसा				
52.	हीराकुंड बांध का सुदृढ़ीकरण	VI	25.39	4.17	-
	पंजाब				
53.	यूबीडीसी ट्रेक्ट में क्षेत्रों के लिए स्थायी सिंचाई का विस्तार	III	11.94	8.99	0.05
54.	अधिशेष रावी व्यास जल का वार्षिक योजना 78-80 उपयोग चैनलों का रिमाडलिंग		19.05	18.50	0.70
55.	शाहनहर नहर का विस्तार और सुधार (कांडी नहर सहित)	VI	23.42	11.79	2.50
56.	चैनलों को पक्का करना फेज-I	VI	190.92	198.86	-
57.	नहरों की संचार प्रणाली	VII	9.25	0.52	4.75
58.	फ्री बोर्ड मुहैया कराने के लिए बी एम एल को बढ़ाते हुए पक्का करना	VII	8.27	0.21	1.30
	राजस्थान				
–	न्यू ओखला बैराज	V	2.27	0.20	-
59.	गंग नहर का आधु॰	VI	250.84	29.72	5.50
60.	जयसमंद का आधु॰	VI	15.00	5.98	2.00
61.	गमवीरी का आधु॰	VI	16.71	8.10	1.00
62.	मेजा का आधु॰	VI	7.32	7.36	0.63
63.	मोरेल का आधु॰	VI	145.76	2.64	-
64.	माशी का आधु॰	VII	2.50	1.57	-
65.	गुधा का आधु॰	VII	10.50	2.15	-
66.	अल्लिया का आधु॰	VII	2.77	1.66	-
67.	परवान का आधु॰	VII	2.61	1.23	-
68.	पारवती का आधु॰	VII	12.06	-	-
69.	जसवंत सागर का आधु॰	VII		उपलब्ध नहीं	
70.	बानकली का आधु॰	VII		उपलब्ध नहीं	
71.	जवाई का आधु॰	VII		उपलब्ध नहीं	
72.	छप्परवाड़ा का आधु॰	VII	उपलब्ध नहीं	0.73	–
73.	कैलाश सागर का आधु॰	VII		उपलब्ध नहीं	
74.	जुगर का आधु॰	VII		उपलब्ध नहीं	
75.	जयसमन्द (अलवर)	VII		उपलब्ध नहीं	

1	2	3	4	5	6
76.	राजसमन्द का आधु०	VII	उपलब्ध नहीं		
77.	पारवती (धौलपुर) का आधु०	VII	उपलब्ध नहीं		
78.	गोलवा का आधु०	VII	5.73	1.18	-
	तमिलनाडु				
79.	कोडागानर पुननिर्माण	V	18.90	17.35	-
80.	पीएपी आयकट विस्तार वार्षिक योजना 78-80		30.23	30.97	0.01
81.	पेरियार वेगाई सुधार फेज-II	VI	127.66	125.42	-
82.	पेरियार बांध का सुदृढ़ीकरण	VI	13.17	11.92	0.75
	उत्तर प्रदेश				
83.	केन नहर का रिमाडलिंग	IV	5.53	4.67	-
84.	नारायणपुर पंप नहर की क्षमता बढ़ाना	V	62.96	57.46	5.10
–	नया ताजेवाला बैराज	V	25.00	-	-
85.	जमानिया पंप नहर की क्षमता बढ़ाना	V	42.82	40.10	-
86.	मेजाबांध को ऊंचा करना	V	52.18	44.28	9.50
87.	क्वानी पंप नहर का नवीकरण	V	21.02	17.42	-
88.	टोस पंप नहर का नवीकरण	V	35.19	29.27	5.00
89.	घग्घर नहर का आधु०	V	36.96	25.47	5.25
90.	चैनलों को पक्का करना	VI	48.78	7.39	-
91.	आगरा नहर का आधु०	VI	36.89	13.60	0.50
92.	ऊपरी गंगा आधुनिक स्लाइस I और II	VII	1219.89	557.66	55.00
	पश्चिम बंगाल				
93.	मयूराक्षी का आधु०	VI	60.00	4.56	
94.	दामोदर घाटी निगम का आधुनिकीकरण	VI	100.00	3.39	-
95.	बंधु सिंचाई प्रणाली का विस्तार	VII	3.95	3.71	-
	कुल		7058.00	3011.87	276.57
ख.	आठवीं योजना की नई योजनाएं				
	आंध्र प्रदेश				
1.	श्री राम सागर के फोरशोर से फ्लड फ्लोकेनाल		959.00	0.23	-
2.	गन्नावरम एक्वोडक्ट (नया)		15.50	7.16	8.00
	उड़ीसा				
3.	रूसीकुल्ला फेज-II का आधु०		55.00	0.15	0.20
4.	जयमंगल का आधु०		0.63	0.02	-
5.	सलिया का आधु०		2.82	0.16	0.10
6.	उत्सेह का आधु०		6.44	0.05	-
7.	बुधाबुधियानी का आधु०		4.53	0.32	0.10
8.	सैपाल का आधु०		0.75	0.11	-
9.	खडरवई का आधु०		0.26	0.01	-
10.	नेसा का आधु०		0.40	0.05	-
11.	ओखला सहायक नदी का आधु०		0.21	0.03	-
12.	चुर्कीनाला का आधु०		0.35	0.15	-
13.	सालन्दी नहर का आधु०		11.87	1.75	-
14.	हीराकुंड वितरण प्रणाली का आधु०		81.82	4.85	-
15.	धनेह का आधु०		4.39	-	-
16.	हीरादरबाटी का आधु०		1.35	-	-
17.	बधुआ चरण-2 का आधु०		उ०न०	-	-
18.	डेल्टा विकास योजना का आधु०		600.75	-	2.00
	पंजाब				
19.	चैनलों को पक्का करना फेज-2		134.00	68.76	31.00
20.	जालंधर शाखा के 203760 आरडी एवं विस्ट दोआब नहर के 79700 आरडी पर बाह्य रास्ता		5.00	2.97	1.00
21.	नहर प्रणाली में नहर नियामक संरचनाओं का पुनर्वास और सुधार (द्वार एवं गियरिंग)		28.50	14.89	7.00
22.	बीकानेर की न्यू कंबाइंड चैनल		18.49	-	-
23.	मन्जर शकर सुधार		1.13	-	-
	पश्चिम बंगाल				
24.	मयूराक्षी की विशेष मरम्मत		10.00	1.50	-
	कुल ख		1933.19	103.16	49.40
	कुल जोड़		8991.19	3115.03	325.97

उ०न० = उपलब्ध नहीं।

[हिन्दी]

ग्रामीण उपग्रह टेलीफोन

693. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण उपग्रह टेलीफोन की स्थापना का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किया गया है तथा इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात के बलसाड जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ङ) देश में, उपग्रह आधारित ग्रामीण टेलीफोन सेवा का प्रारंभ अभी नहीं हुआ है। तथापि तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर, अगले वर्ष में, किसी समय इस सेवा को प्रारंभ करने की योजना है।

[अनुवाद]

पेंशन भोगियों को बकाया राशि का भुगतान

694. **श्री जंगबहादुर सिंह पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेना मुख्यालय में कार्य करने वाले सिविलियन कर्मचारियों को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों संबंधी भुगतान कर दिया गया है परन्तु 01 जनवरी, 1996 या उसके पश्चात सेवा निवृत्त हुए पेंशन भोगियों को कोई बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पेंशन भोगियों को बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या 1 जनवरी, 1996 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के मामले में अभी तक पेंशन और भविष्य निधि, कम्प्यूटेशन, छुट्टी नकदीकरण आदि जैसे अन्य भुगतानों में अभी तक भी संशोधन नहीं किया गया है; और

(घ) पेंशन में संशोधन कब तक कर दिया जायेगा और कम्प्यूटेशन छुट्टी नकदीकरण तथा उपदान इत्यादि की बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) सशस्त्र सेना मुख्यालयों में सेवारत सिविलियन कर्मचारियों को परिशोधित वेतनमान में अनन्तिम भुगतान कर दिए गए हैं जिनमें बकाया राशि भी शामिल है। 1.1.1996 और उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कुछेक पेंशन भोगियों को भुगतान कर दिए गए हैं जिन्होंने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं।

(ख) पेंशनभोगियों को बकाया राशि का भुगतान उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर ही किया जा सकता है। इसलिए इस कार्य को पूरा करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पेंशन के परिशोधन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि यह पेंशनभोगियों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर निर्भर करती है।

नए पाठ्यक्रमों को अनुमति

695. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में किसी और नए पाठ्यक्रम को शामिल करने के बारे में अनुमति न देने का नीतिपरक निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का निर्णय उसके अखिल भारतीय प्रबंधन अध्ययन बोर्ड और उसकी कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

[हिन्दी]

यात्री निवास का निर्माण

696. **श्री महेश कुमार एम० कनोडिया** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में यात्री निवास का निर्माण करने के लिए राज्य की ओर से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) राज्य में इस समय किन-किन स्थानों पर यात्री निवास बने हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) पर्यटन विभाग को डाकोर, गुजरात में यात्री निवास का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) पर्यटन विभाग भिन्न-भिन्न राज्यों को सहायता हेतु कोई धन निर्धारित या आबंटित नहीं करता है। फिर भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर, प्रत्येक मामले के दिशा-निर्देशों एवं गुणों के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1997-98 के दौरान गुजरात राज्य के लिए परियोजनाओं हेतु 148 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी।

(ग) डाकोर में यात्री निवास की स्वीकृति वर्ष 1985-86 के दौरान दी गई थी।

खराब पड़े सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

697. डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सिक्कों से चलने वाले सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र अधिकांशतया खराब रहते हैं;

(ख) क्या यात्रियों तथा अन्य व्यक्तियों को रेलवे स्टेशनों, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनलों तथा अन्य बड़े टर्मिनलों पर इन टेलीफोनों के खराब रहने के कारण अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है तथा यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सामान्यता सिक्के से चलने वाले सार्वजनिक टेलीफोन संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ख) रेलवे स्टेशनों, अंतर-राज्य बस टर्मिनलों अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों जैसे हवाई अड्डे, अस्पताल/शैक्षिक संस्थाओं आदि में लगाए गए सार्वजनिक टेलीफोनों की फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है ताकि वे ठीक-ठाक काम करते रहें। इसके अलावा, उक्त स्थानों पर यात्रियों तथा प्रयोक्ताओं को अतिरिक्त सुविधा देने हेतु आपरेटर संचालित अनेक टेलीफोन बूथ भी खोले गए हैं।

(ग) सिक्के से चलने वाले सार्वजनिक फोनों के समुचित कार्यकरण हेतु, टेलीफोन एक्सचेंजों से उनकी नियमित जांच की जाती है। जैसे ही कभी कोई दोष पाया जाता है तो उसे तत्काल ठीक कर दिया जाता है।

[*अनुवाद*]

भारत और रूस के बीच सैन्य संबंधी तकनीकी सहयोग

698. श्री प्रमोद महाजन :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री के॰ सी॰ कोंडय्या :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके रूस की यात्रा के दौरान सैन्य तकनीकी सहयोग संबंधी एक संयुक्त कार्यदल के गठन करने के संबंध में दोनों देशों द्वारा निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त कार्य दल के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या संयुक्त कार्य दल की अब तक कोई बैठक हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त बैठक में हुए विचार-विमर्श का क्या ब्यौरा है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (घ) भारत और रूस के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग के संबंध में संयुक्त कार्य दल दिसंबर, 1994 में गठित किया गया था न कि रक्षा मंत्री की 6-10 अक्तूबर, 1997 की रूस-यात्रा के दौरान। इस कार्य दल में भारतीय पक्ष की ओर से रक्षा सचिव सह-अध्यक्ष हैं और इसमें रक्षा, रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और तीनों सेना मुख्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। संयुक्त कार्य-दल की अब तक तीन बैठकें भारत तथा रूस दोनों में आयोजित की गई हैं। संयुक्त दल की बैठकों के दौरान दोनों पक्षों के आपसी हित के अन्य मामलों के अतिरिक्त दोनों देशों के बीच दीर्घकालीन सैन्य-तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा की जाती है।

संपूर्ण साक्षरता अभियान

699. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत शामिल किये गये जिलों के राज्य-वार नाम क्या-क्या हैं; और

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान प्रत्येक जिले के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी थी तथा नौवीं योजना के लिए योजना परिव्यय क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। इस योजना के लिए नौवीं योजना परिव्यय में 450.00 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं।

विवरण

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संपूर्ण साक्षरता अभियानों के अंतर्गत सम्मिलित किए गए जिले

क्रम सं॰	राज्य/जिला	संस्वीकृत की गई राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	महबूब नगर फेज-II	238.00
2.	मेदक	201.00
3.	वारांगल	256.66
4.	रंगारेड्डी	73.00
5.	विजयानगरम	225.00
6.	पूर्वी गोदावरी	320.00
7.	अदिलाबाद	274.00
8.	प्रकाशम	205.00

1	2	3
9.	कृष्णा	195.00
10.	अनंथापुर	190.00
11.	गुंटूर	195.00
	असम	
12.	जोरहाट	65.00
13.	तिनसुकिया	72.00
14.	सिवसागर	45.66
15.	कोकराझार	120.95
16.	सोनितपुर	141.45
17.	कामरूप	113.89
18.	कछार	98.77
19.	करीमगंज	91.10
20.	हेलाकांडी	44.32
21.	धुबरी	141.00
22.	डिब्रुगढ़	79.15
23.	नालबाडी	(तदर्थ) 10.00
24.	उ० कछार हिल्स	13.92
25.	गोलपाडा	100.45
26.	गोलाघाट	51.00
27.	लखीमपुर	(तदर्थ) 25.00
28.	बारपेटा	(तदर्थ) 25.00
29.	नौगांव	(तदर्थ) 20.00
	बिहार	
30.	माधेपुरा फेस-II	75.00
31.	सहरसा	130.00
32.	मधुबनी फेस-II	303.00
33.	सिवान	64.75
34.	भोजपुर	100.00
35.	दुमका	190.29
36.	जमुई	108.87
37.	खगाडिया	85.00
38.	मुंगेर	113.00
39.	औरंगाबाद	107.25
40.	धनबाद	171.96
41.	बेगुसराय	162.40
42.	सुपौल	161.58
43.	रांची	161.00
44.	दरभंगा	306.00
45.	पलामू	(तदर्थ) 90.00
46.	नालंदा	241.00
47.	जेहानाबाद	126.69
48.	बक्सर	90.87
49.	साहिबगंज	108.75
50.	गोड्डा	75.25
51.	कटिहार	206.43
52.	सारन	257.97
53.	बंका	136.50
54.	हजारीबाग	318.19
55.	कैमूर	54.75
56.	गिरिडिह	73.60
57.	पूर्वी सिंहभूम फेस-1	(तदर्थ) 64.00
58.	अरारिया	53.00
59.	वैशाली	(तदर्थ) 25.00
60.	रोहतास	70.10
	दमन और दीव	
61.	दमन	01.40
	दादरा और नगर हवेली	
62.	दादरा और नगर हवेली	17.00
	दिल्ली	
63.	छः गंदी बस्ती वाले क्षेत्रों में रा. रा. शै. परियोजनाएं	55.43
64.	न० दि० म्यु० का क्षेत्र परियोजना	6.53
65.	दिल्ली प्रशासन	348.00
	गोवा	
66.	गोवा टी० एल० सी०	40.00
	गुजरात	
67.	खेड़ा	104.55
68.	अहमदाबाद	140.75

1	2	3
69.	डांग	12.60
70.	भुज कच्छ	73.16
71.	जुनागढ़	50.00
72.	सुरेन्द्रनगर	50.00
73.	साबरकांता	55.00
74.	सूरत	100.00
75.	भड़ौच	48.30
76.	बडोदरा	118.80
77.	अमरेली	40.81
78.	जामनगर	70.35
79.	मेहसाना	85.13
80.	पंचमहल	144.75
81.	राजकोट	56.77
82.	बलसाड	50.00
83.	बंसकांता	107.00
	हरियाणा	
84.	यमुनानगर	51.00
85.	भिवानी	40.00
86.	जीन्द	80.00
87.	अम्बाला	40.00
88.	सिरसा	75.00
89.	हिसार	136.05
90.	कुरूक्षेत्र	31.99
91.	सोनीपत	31.68
92.	रेवाड़ी	46.00
93.	महेन्द्रगढ़	59.48
94.	गुडगांव	72.44
95.	फरीदाबाद	111.75
96.	कैथल	26.00
	हिमाचल प्रदेश	
97.	चम्बा	32.00
98.	हमीरपुर	12.00
99.	किन्नौर	8.00
100.	कुल्लू	19.00
101.	मंडी	63.00
102.	शिमला	46.00
103.	सोलन	26.50
104.	ऊना	9.00
105.	कांगड़ा	45.00
106.	बिलासपुर	15.00
107.	लाहौल और स्पीति	4.00
	जम्मू और कश्मीर	
108.	जम्मू	(तदर्थ)100.00
109.	कबुआ	(तदर्थ) 25.00
110.	राजौरी	(तदर्थ) 30.00
111.	उधमपुर	(तदर्थ) 30.00
112.	लेह	(तदर्थ) 10.00
	कर्नाटक	
113.	धारवाड़	246.83
114.	मैसूर	296.00
115.	उत्तर कन्नड़	69.76
116.	बंगलौर ग्रामीण	117.00
117.	चिकमगलूर	76.00
118.	गुलबर्गा	173.00
119.	कोदगू	30.00
120.	कोलर	171.00
121.	चित्रादुर्गा	137.00
122.	बेलारी	180.00
123.	बेलगाम	235.00
124.	हसन	128.00
	मध्य प्रदेश	
125.	रायपुर	329.75
126.	बिलासपुर	352.85
127.	बेतुल	87.25
128.	रायगढ़	184.85
129.	उज्जैन	40.00
130.	छत्तरपुर	156.33
131.	दतिया	43.75

1	2	3
132.	राजनंदगांव	92.51
133.	सतना	112.44
134.	भिंड	85.00
135.	ग्वालियर फेज-1	65.00
136.	देवास	57.65
137.	छिंदवाड़ा	119.00
138.	रेवा	86.25
139.	रायसेन	84.50
140.	झबुआ	121.60
141.	पन्ना	46.00
142.	शाजापुर	64.00
143.	सिधि	95.50
144.	खांडवा	76.83
145.	विदिशा	55.68
146.	टिकमगढ़	92.23
147.	सागर	89.43
148.	राजगढ़	83.98
149.	जबलपुर	178.26
150.	बालाघाट	77.52
151.	मंडला	124.61
152.	सिओनी	55.00
153.	मंदसौर	80.26
154.	होशंगाबाद	67.44
155.	गुना	82.50
156.	खरगौन	105.00
157.	बस्तर	302.73
158.	शाहडोल	208.22
159.	सिहौर	68.05
160.	भोपाल	55.00
161.	शिवपुरी	81.56
162.	दमोह	50.53
163.	मुरैना	82.50
164.	धार	115.40
165.	सरगुजा	179.15
	महाराष्ट्र	
166.	जालना	95.00
167.	नांदेड	183.33
168.	प्रभानी	165.00
169.	सांगली	75.00
170.	उस्मानाबाद	47.00
171.	बीड़	80.00
172.	अमरावती	63.00
173.	ग्रेटर बाम्बे	205.00
174.	कोल्हापुर	81.25
175.	यावतमाल	117.36
176.	नासिक	150.00
177.	रायगढ़	55.00
178.	अहमदनगर	82.14
179.	बुलदाना	58.00
180.	सतारा	65.00
181.	नागपुर	71.00
182.	सोलापुर	150.00
183.	थाने	194.40
184.	चन्द्रापुर	84.10
185.	घड़चिरोली	90.30
186.	धूलें	(तदर्थ) 30.00
187.	अकोला	45.33
188.	भंडारा	58.00
189.	जलगांव	57.07
	मणिपुर	
190.	चूड़ाचांदपुर	(तदर्थ) 10.00
	मेघालय	
191.	ईस्ट गारो हिल्स	32.25
192.	जैंतिया हिल्स	42.40
193.	रि भोई	20.00
194.	पश्चिम गारो हिल्स	(तदर्थ) 33.00
195.	पूर्व गारो हिल्स	(तदर्थ) 51.50
196.	पश्चिम खासी हिल्स	(तदर्थ) 16.50

1	2	3
	उड़ीसा	
197.	बालांगीर	208.00
198.	मलकानगिरी	100.00
199.	नयागढ़	60.45
200.	कोरापूट	128.75
201.	सम्बलपुर	121.30
202.	गजपति	61.88
203.	झारसुगुदा	38.45
204.	बालासौर	126.00
205.	दिऔगढ़	33.28
206.	कटक	71.00
207.	पुरी	(तदर्थ) 50.00
208.	मंयूरभंज	184.00
209.	खुर्दा	10.00
210.	खंदमल्स	(तदर्थ) 49.20
211.	बारगढ़	90.00
	पंजाब	
212.	होशियारपुर	80.45
213.	फरीदकोट	122.50
214.	लुधियाना	85.59
215.	संगरूर	140.00
216.	रूपनगर	68.25
217.	फिरोजपुर	(तदर्थ) 50.00
218.	भटिंडा	(तदर्थ) 25.00
219.	जालंधर	82.50
220.	मंसा	(तदर्थ) 25.00
221.	अमृतसर	(तदर्थ) 5.00
222.	फतेहगढ़ साहिब	(तदर्थ) 30.00
223.	पटियाला	(तदर्थ) 25.00
	राजस्थान	
224.	सिकर	130.00
225.	पाली	113.00
226.	टोंक	97.50
227.	बरन	100.00
228.	अलवा	174.00
229.	राजसमंद	74.00
230.	उदयपुर	229.83
231.	बूंदी	81.92
232.	झुनझुनू	77.99
233.	भिलवाड़ा	134.70
234.	बंसवाड़ा	262.08
235.	चितौडगढ़	178.59
236.	जोधपुर	193.68
237.	बारमेर	375.00
238.	बीकानेर	195.50
239.	सवाई माधोपुर	171.00
240.	नागौर	294.45
241.	जालौर	200.00
242.	सिरोही	111.00
243.	धौलपुर	78.75
244.	झालावार	115.20
245.	दौसा	78.35
246.	जैसलमेर	60.75
247.	श्रीगंगानगर	70.00
248.	हनुमानगढ़	(तदर्थ) 30.00
249.	कोटा	60.00
250.	चुरू	129.00
251.	जयपुर	96.00
	तमिलनाडु	
252.	रामानथापुरम	86.10
253.	कोयम्बटूर	222.00
254.	नागापट्टिनम	130.00
255.	डिंडिगुल अन्ना	150.00
256.	पेरियार	150.00
257.	सेलम	260.00
258.	दक्षिण अरकोट	167.46
259.	तिरूवन्नामलई	160.00
260.	धर्मापुरी	205.00

1	2	3
261.	तिरूचिरापल्ली	280.00
262.	तंजापुर	106.00
263.	चिदम्बरनार	40.00
264.	चेंगलपट्टू	225.31
265.	नीलगिरी	25.00
266.	मद्रास जिला	150.00
267.	विलुपुरम	177.57
	त्रिपुरा	
268.	उ॰ त्रिपुरा	37.50
269.	प॰ त्रिपुरा	80.85
270.	द॰ त्रिपुरा	104.10
	उत्तर प्रदेश	
271.	देहरादून	55.00
272.	अलमोड़ा	100.00
273.	आगरा	175.00
274.	गाजियाबाद	62.82
275.	मुरादाबाद	349.00
276.	बिजनौर	100.00
277.	बरेली	60.00
278.	कानपुर	156.22
279.	फैजाबाद	159.27
280.	माऊ	61.43
281.	आजमगढ़ फेस-1	45.71
282.	जौनपुर फेस-1	25.00
283.	फरूखाबाद	157.50
284.	जालौन	63.37
285.	बहराइच	223.14
286.	ललितपुर	57.42
287.	लखीपुर खीरी	235.24
288.	प्रतापगढ़	125.00
289.	देवरिया	256.70
290.	मिर्जापुर	45.64
291.	सुलतानपुर	136.50
292.	गाजीपुर	154.19
293.	पिथौरागढ़	45.93
294.	टिहरी गढ़वाल	45.21
295.	उत्तर काशी	19.23
296.	हमीरपुर	105.00
297.	बाराबंकी	160.00
298.	राय बरेली	174.00
299.	मथुरा फेस-I	85.65
300.	बस्ती	157.00
301	गोंडा	137.80
302.	हरदोई	212.23
303.	उन्नाव	189.25
304.	शाहजहांपुर	62.00
305.	पीलीभीत	97.99
306.	बदायूं	210.20
307.	बुलन्दशहर	(तदर्थ) 30.00
308.	झांसी	80.49
309.	मैनपुरी	79.00
310.	महाराजगंज	130.92
311.	इटावा	(तदर्थ) 37.50
312.	सिद्धार्थनगर	102.60
313.	रामपुर	125.00
314.	इलाहाबाद	352.00
315.	मुजफ्फरनगर	(तदर्थ) 75.00
316.	सहारनपुर	(तदर्थ) 75.00
317.	मेरठ	(तदर्थ) 25.00
318.	सीतापुर	216.00
319.	पदरौना	70.00
320.	बांदा	148.65
321.	भदोही	(तदर्थ) 40.00
322.	लखनऊ	115.87
323.	अलीगढ़	139.20
324.	बलिया	(तदर्थ) 50.00
325.	सोनभद्र	43.00
326.	पौडी गढ़वाल	(तदर्थ) 20.00

1	2	3
327.	मोहबा	(तदर्थ) 10.00
328.	नैनीताल	(तदर्थ) 18.00
329.	उधम सिंह नगर	(तदर्थ) 43.50
330.	वाराणसी (फेस-1)	(तदर्थ) 50.00
331.	अम्बेडकर नगर	(तदर्थ) 15.00
332.	हरिद्वार	(तदर्थ) 47.80
	पश्चिम बंगाल	
333.	नादिया	250.00
334.	पुरूलिया	206.00
335.	मालदा फेस-1	200.00
336.	जलपाईगुडी	338.20
337.	द० दीनाजपुर	138.15
338.	उ० दीनाजपुर	220.42
339.	दार्जलिंग फेस-1	52.86
	चंडीगढ़	
340.	चंडीगढ़ टी एल सी	30.00

संस्थान की स्थिति

700. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में भूदान पोधमपल्ली में श्री स्वामी रामानंद तीर्थ संस्थान परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) संस्थान में कक्षाएं कब से चलाई जायेंगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण संस्थान ने कार्य करना आरंभ कर दिया है तथा लघुकालिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए अभी वह पुस्तकालय, कक्षाओं, कार्यालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ एक किराए के भवन में स्थित है। वर्ष 1997-98 के दौरान संस्थान ने ग्रामीण शिक्षा पर तीन एक दिवसीय पाठ्यक्रम व सेमिनार आयोजित किए। 30 हथकरघा बुनकरों के लिए छह सप्ताह का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम दिसम्बर, 1997 में आयोजित किया जाना है।

पश्चिम बंगाल और असम में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुलों का क्षतिग्रस्त होना

701. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल और असम में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने कितने पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने पुलों की मरम्मत की जा चुकी है और शेष पुलों की कब तक मरम्मत हो जाएगी; और

(ग) इन पुलों की मरम्मत पर कुल कितनी राशि का व्यय होने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन): (क) क्षतिग्रस्त पुलों की वर्षवार संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	पश्चिम बंगाल	असम
1994-95	कोई नहीं	कोई नहीं
1995-96	कोई नहीं	कोई नहीं
1996-97	1	1

(ख) दोनों पुलों की मरम्मत की जा चुकी है।

(ग) 58.82 लाख रुपये की राशि व्यय की गई थी।

पार्थेनियम की समस्या

702. **जस्टिस गुमान मल लोढ़ा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्थेनियम (कांग्रेस ग्रास) भारत में बहुत तेजी से फैल रही है;

(ख) यदि हां, तो यह किन स्थानों पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है तथा इसका पर्यावरण तथा इसे खाने वाले पशुओं पर क्या बुरा प्रभाव पड़ता है;

(ग) क्या बंगलौर में इस घास की अधिकता है जिससे सांस की बीमारियां फैल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस घास को बढ़ने से रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सर्वप्रथम 1955 के दौरान पुणे में इसे देखा गया था। अब यह वास्तविक रूप से भारत के लगभग सभी राज्यों में फैल गई है। यह बंजरभूमि, सड़क के किनारे, विकासशील आबादी बस्तियों के अनिर्मित क्षेत्रों, नदी के किनारों, बगीचों, वनों और फसल वाले खेतों में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली खरपतवार है। यह एक वार्षिक खरपतवार है जिसे एलर्जिक लक्षण पैदा होते हैं। जैसे डेरमेटाइटिस एलर्जिक राइनिटिया (हेय फीवर) दमा और बोकाइटस। एलकालाइट, जैसे लेकटोन और पार्थेनियम पत्तों और तने में मौजूद होते हैं और उनसे डेरमेटाइटिस होता है। पोल्लिनस से दमा संबंधित और एलर्जिक जटिलताएं उत्पन्न होती हैं।

(घ) इसके तेजी से फैलने पर रोक और इसे समाप्त करने के लिए कई अध्ययन और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। विभिन्न निवारक, मैनुवल, मैकेनिकल, रासायनिक और जैविक नियंत्रण पद्धतियों के अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों का संक्षेपण करने के प्रयास किए गए हैं।

[हिन्दी]

पर्यटन केन्द्रों का विकास

703. **श्रीमती कमल रानी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को पर्यटन केन्द्रों को बढ़ावा देने और उनके विकास के लिये और धन देने हेतु राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए गत तीन वर्षों के दौरान जिन परियोजनाओं को स्वीकृति दी है उनके विवरण इस प्रकार हैं :

वर्ष	रुपये (लाखों में)
1994-95	223.88
1995-96	31.10
1996-97	271.96

(ख) से (घ) पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए 21 परियोजनाओं (के कार्य) को प्राथमिकता दी है जिन (परियोजनाओं) की अनुमानित लागत 412.50 लाख रुपए है।

[अनुवाद]

शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य घराने

704. **डा० अरुण कुमार शर्मा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के "घरानों" की सूची संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये घराने भयंकर गरीबी का सामना कर रहे हैं और तुच्छ कार्यों में लगे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) सरकार देश के शास्त्रीय संगीत और नृत्य "घरानों" को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान नहीं करती या उनकी मान्यता समाप्त नहीं करती।

(ख) किसी घराने की भयंकर गरीबी के संबंध में और तुच्छ कार्यों में लगे किसी वैयक्तिक कलाकार के बारे में कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार अपने विभिन्न अभिकरणों और प्रलेखन, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और प्रदर्शनों, परियोजना अनुदानों, पुरस्कारों एवं सम्मानों आदि जैसी स्कीमों के माध्यम से नृत्य और संगीत के विभिन्न घरानों के कलाकारों को सहायता प्रदान करती है। कभी-कभी सरकार अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहने वाले कलाकारों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

केरल की स्वीकृति हेतु लंबित विद्युत परियोजनाएं

705. **श्री एस० अजय कुमार** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत अनेक विद्युत परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) मंत्रालय के पास पर्यावरणीय निकासी के लिए केरल की चार विद्युत परियोजनाएं लंबित हैं। परियोजना-वार विवरण और इनके लंबित होने के कारण नीचे दिए हैं।

I. मैसर्स बी०एस०ई०एस०लि० द्वारा त्रावणकोर कोचीन कैमिकल लिमिटेड परिसर, उद्योगमंडल में 150 मैगावाट कम्बाइन्ड साइकिल पावर प्रोजेक्ट।	I. अंतिम निर्णय के लिए परियोजना विचाराधीन है।
II. मैसर्स डब्ल्यू०आई० सर्विसिज इस्टेटस लि० द्वारा कांजीकोड पलकाडा, केरल में 109.91 मैगावाट डी जी पावर प्लांट।	II. परियोजना प्राधिकारियों से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
III. केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 163 मैगावाट एदरापल्ली हायड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट।	III. अतिरिक्त सूचना अभी हाल ही में प्राप्त हुई है।
IV. केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कुरियार कुट्टी कारप्पारा हायड्रो प्रोजेक्ट।	IV. केरल राज्य विद्युत बोर्ड से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।

टेलीफोन अदालतें

706. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नयी दिल्ली ने कुछ समय पूर्व टेलीफोन अदालतें शुरू की थीं और अब उस प्रणाली को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा इन अदालतों को पुन: कब से आरंभ किये जाने की संभावना है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार दिल्ली में कितनी टेलीफोन अदालतें आयोजित की गईं; और

(ङ) उनमें निपटाये गये मामलों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) महानगर टेलीफोन निगम लि॰ सन् 1987 से टेलीफोन अदालतों का आयोजन करता रहा है तथा यह कार्य अभी तक बंद नहीं किया गया है। जहां तक भी संभव होता है इन अदालतों का तिमाही आयोजन किया जाता है।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग 'क' के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) महानगर टेलीफोन निगम लि॰ द्वारा गत तीन वर्षों में आयोजित की गई टेलीफोन अदालतों तथा इसमें निपटाए गए मामलों की संख्या निम्नवत् हैं :

वर्ष	आयोजित अदालतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
1994-95	4	4211
1995-96	3	3359
1996-97	4	3111

[*हिन्दी*]

बच्चों के लिये कार्यक्रम बनाना

707. **श्री देवेन्द्र बहादुर राय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का अधीनस्थ कार्यालय सी॰ आई॰ ई॰ टी॰ बच्चों के कार्यक्रम बनाने के लिये निजी निर्माताओं/कंपनियों को ठेके प्रदान करता है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान निजी निर्माताओं को कितने कार्यक्रम सौंपे गये और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान से मिली सूचना के अनुसार इसने वर्ष 1995-96 से बारी के आधार पर बाहरी निर्माताओं/कंपनियों को शैक्षिक दूरदर्शन निर्माण सौंपने की योजना बंद कर दी है। वर्ष 1994-95 के दौरान ई॰ टी॰ वी॰ बच्चों/शिक्षक कार्यक्रमों के लिए गैर-सरकारी निर्माताओं को सौंपे गए कार्यक्रमों की कुल संख्या 6 (छह) थी तथा उन्हें दी गई कुल राशि 14.25 लाख रुपये थी।

[*अनुवाद*]

मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण

708. **श्री मुख्तार अनीस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण के संबंध में आठवीं योजना का कुल परिव्यय कितना था;

(ख) इस योजना अवधि के दौरान हुए कुल व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे राज्य-वार कितने मदरसों को लाभ हुआ;

(घ) क्या आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग नहीं हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या यह योजना नौवीं योजना में भी जारी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की स्कीम के लिए आठवीं योजना के प्रारंभ में अनुमोदित परिव्यय 100.00 लाख रुपये था।

(ख) से (ङ) आठवीं योजना के दौरान प्रदान किया गया कुल अनुदान 383.25 लाख रुपये है जो आबंटन से अधिक था।

(लाख रुपये में)

	राज्य	मदरसों की संख्या	कुल राशि
1.	उत्तर प्रदेश	318	141.23
2.	मध्य प्रदेश	39	16.86
3.	हरियाणा	25	10.24
4.	केरल	42	12.77
5.	त्रिपुरा	127	44.95
6.	पश्चिम बंगाल	92	49.09
7.	असम	49	27.82
8.	तमिलनाडु	1	0.30
9.	राजस्थान (186 मदरसों के लिए कुल बुक-बैंक)		15.33
10.	सिक्किम	1	0.56
11.	दिल्ली	5	1.52
12.	आंध्र प्रदेश	36	10.95
13.	बिहार	146	44.38
14.	चंडीगढ़	1	0.30
15.	महाराष्ट्र	6	1.82
16.	कर्नाटक	9	5.12

(च) और (छ) योजना आयोग ने नौवीं योजना को अंतिम रूप नहीं दिया हैं तथापि वर्ष 1997-98 के लिए स्कीम हेतु 700.00 लाख रुपये के बजट का आबंटन किया गया है।

[हिन्दी]

भारत की स्वतंत्रता की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए धनराशि

709. **श्री चमन लाल गुप्त** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा देश की स्वतंत्रता की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है/उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) इन कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) भारत की स्वतंत्रता की 50वीं सालगिरह मनाने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने-अपने बजट से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। तथापि, 19.8.97 को बलिया में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम/घटना हेतु, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को 5.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई थी। इसी प्रकार 10.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता, संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार को स्वीकृत की गई है।

[अनुवाद]

दक्षिण अफ्रीका में गांधीजी के विचारों को फैलाना

710. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** ; क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के विचारों को सहेजने और फैलाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु हमारे देश द्वारा क्या योगदान दिए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) जी हां।

(ख) भारत और दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी के आदर्शों और दर्शन तथा दक्षिण अफ्रीका स्थित गांधी विरासत स्थलों के परिरक्षण संबंधी अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता के प्रति समर्पित हैं। प्रधान मंत्री ने अक्तूबर 1997 में दक्षिण अफ्रीका की अपनी यात्रा के दौरान दक्षिण अफ्रीका स्थित गांधी विरासत स्थलों के परिरक्षण के लिए भारत सरकार की ओर से 100,000 अमरीकी डालर की प्रारंभिक सहायता राशि प्रदान करने का वचन दिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के पथ-प्रदर्शक क्रियाकलापों पर शोध करने के लिए दो अवार्डों की भी उद्घोषणा की। भारत सरकार दक्षिण अफ्रीका के डरबन-वेस्टविले विश्वविद्यालय में एक गांधी अध्ययन पीठ भी प्रायोजित करेगी।

ब्रिटिश रॉयल नेवी का युद्धपोत एच॰एम॰एस॰ वेस्टमिनस्टर

711. **श्री टी॰ गोपाल कृष्ण** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश रॉयल नेवी का युद्धपोत एच॰ एम॰ एस॰ वेस्टमिनस्टर जो महारानी एलिजाबेथ की यात्रा के दौरान सौहार्द यात्रा पर भारत लाया गया था, के अधिकारियों ने भारतीय नौसेना अधिकारियों के साथ जातीय व्यवहार किया था; और

(ख) यदि हां, तो ब्रिटिश नौसेना द्वारा ऐसे अनुचित व्यवहार पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) रॉयल नौसेना पोत एच एम एस वेस्टमिनिस्टर की मुम्बई यात्रा के दौरान एक घटना घटी जिसमें दो भारतीय अफसरों, जो बिक्री के लिए प्रस्तावित उपस्कर के परीक्षण के लिए पोत पर चढ़े थे, के साथ शिष्टाचार का बरताव नहीं किया गया जो उनके साथ किया जाना चाहिए था।

(ख) यह मामला पोत प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था जिन्होंने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है। इस मामले को आगे यू॰ के॰ उच्चायुक्त के साथ उठाने के लिए इसे विदेश मंत्रालय के साथ भी उठाया जा रहा है।

[हिन्दी]

छात्रवृति का भुगतान

712. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण और राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा के अंतर्गत बिहार के चुने गए छात्रों को छात्रवृति का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) बिहार सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सिंधु जल संधि

713. **श्री पी॰ एस॰ गढ़वी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कच्छ क्षेत्र जो अक्सर सूखाग्रस्त रहता है, उनकी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जल के बंटवारे हेतु भारत-पाकिस्तान के बीच हुई सिन्धु जल संधि के प्रावधानों को लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 में सिंधु के जल निकास बेसिन से बाहर आने वाले कच्छ क्षेत्र में उपयोग के लिए सिंधु जल के बंटवारे के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तटीय क्षेत्रों में "पोर्ट ट्रस्ट कंट्रोल" की स्थापना

714. श्री सत्यदेव सिंह : क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन जहाजों की सुरक्षा तथा समुद्र को प्रदूषण से बचाने की दृष्टि से तटीय क्षेत्रों में "पोर्ट ट्रस्ट कंट्रोल" स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस "पोर्ट ट्रस्ट कंट्रोल" को किस तारीख तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन): (क) से (ग) शायद माननीय सदस्य पोर्ट स्टेट नियंत्रण का हवाला दे रहे हैं। सरकार नौवहन महानिदेशालय और वाणिज्य समुद्री विभागों के माध्यम से विभिन्न अंतर-राष्ट्रीय कन्वेंशनों की अपेक्षाओं के अनुसार, जिन पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं, भारतीय पत्तनों पर पोर्ट स्टेट कंट्रोल लागू करती रही है। भारतीय पत्तनों पर नया पोर्ट स्टेट कंट्रोल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अभी हाल ही में इस क्षेत्र में घटिया स्तर के जहाजों के प्रचालन को बंद करने के लिए हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों के बीच एक क्षेत्रीय समझौता ज्ञापन बनाने का एक प्रस्ताव सामने आया है।

समान रैंक समान पेंशन की पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट

715. श्री सुरेश प्रभु : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने सभी भूतपूर्व सैनिकों को समान रैंक समान पेंशन देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चिड़ियाघरों में जानवरों को संरक्षण

716. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दर्शकों या चिड़ियाघर के कर्मचारियों की उपेक्षा से या जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के दौरान देश के चिड़ियाघरों में कितने जानवर मारे गए/घायल हुए;

(ख) क्या हाल ही में कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें किसी अन्य चिड़ियाघर से लाते वक्त कोई जानवर मर गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चिड़ियाघर में जानवरों को संरक्षण प्रदान करने हेतु निषेधात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) दर्शकों या चिड़ियाघर कर्मचारियों की उपेक्षा से चिड़ियाघरों में जानवरों के मरने/चोट से पीड़ित होने की छिट-पुट घटनाएं समय-समय पर सरकार के ध्यान में आती रहती हैं। हाल ही मैसूर चिड़ियाघर में एक बाघ के अपने बाड़े से बाहर आने और जू कीपर को क्षत-विक्षत करने का एक मामला सूचित किया गया था। जू कीपर की जान बचाने के लिए बाघ को गोली मारनी पड़ी।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली में एक सांभर और एक काला मृग की अपने भोजन के साथ-साथ पोलीथीन थैलियों को खा जाने के कारण मौत हो गई थी।

एक चिड़ियाघर से दूसरे चिड़ियाघर में ढुलाई के दौरान धक्का-मुक्की के कारण जानवरों की मृत्यु की घटनाओं की सूचना कभी-कभार होती है।

तथापि, चिड़ियाघर कर्मियों/दर्शकों की उपेक्षा के कारण और एक चिड़ियाघर से दूसरे चिड़ियाघर में उनकी ढुलाई के दौरान जानवरों की मौत की घटनाएं मर्त्यता दर की तुलना में बीमारी और चोट के कारण कम है।

(ख) और (ग) 1996-97 के दौरान एक लाल कलंगी सारस की उस समय मृत्यु हुई जब उसे जापान के यूनो प्राणि उद्यान से कानपुर प्राणी उद्यान उ०प्र० भारत में लाया जा रहा था।

(घ) चिड़ियाघरों में जानवरों की सुरक्षा के लिए निवारक उपायों को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :

1. कीपरों को जानवरों की सुरक्षा निगरानी में प्रशिक्षण दिया जाता है।

2. दर्शक जानवरों को न छेड़ सकें इसके लिए उन्हें शिक्षा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

3. एक चिड़ियाघर से दूसरे चिड़ियाघर में ढुलाई के दौरान जानवरों के साथ केवल अनुभवी और कुशल स्टाफ को ही भेजा जाता है।

4. जानवरों को एक चिड़ियाघर से दूसरे में ढोए जाते समय उन्हें उचित आकार के पिंजरों में रखा जाता है। हवाई यात्रा से ढुलाई के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय वायुयान परिवहन संघ विनियमों का अनुपालन किया जा रहा है।

5. जानवरों से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1991 में यथा संशोधित) में उपबंध किया गया है।

हीराकुंड बांध के विस्थापितों को मुआवजा

717. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**

श्री सुकदेव पासवान :

श्री ए॰ सी॰ जोस :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुंड बांध का निर्माण कार्य पूरा होने के चालीस वर्ष बाद भी वहां के विस्थापितों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन बांध विस्थापितों की संख्या कितनी है जिन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है;

(ग) विस्थापितों को मुआवजा राशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मुआवजा संबंधी मामलों को जल्द से जल्द निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) हीराकुंड बांध के विस्थापितों को भूमि अधिग्रहण के लिए समस्त मुआवजा दे दिया गया है।

(ख) विस्थापितों द्वारा अतिरिक्त मुआवजा मांगने पर उड़ीसा सरकार ने पहले भुगतान किए गए मुआवजा के अतिरिक्त 10,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से एक्स-ग्रेसिया मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया है। 8744 विस्थापितों में से 3540 विस्थापितों को अभी एक्स-ग्रेसिया मुआवजा दिया जाना है।

(ग) ये विस्थापित संबलपुर, बोलंगीर तथा मध्य प्रदेश के पड़ोसी जिलों के विभिन्न भागों में रहते हैं, इसका कारण यह है कि एक्स-ग्रेसिया का भुगतान करने में धीमी प्रगति हुई है।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार प्रभावित व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए समाचार पत्रों तथा संचार माध्यमों से घोषणा करके व्यापक प्रचार कर रही है ताकि प्रभावित व्यक्ति अपने दावों को दिनांक 31.1.1998 तक दायर कर सकें।

[*हिन्दी*]

सिंचाई के लिये उत्तर प्रदेश को सहायता

718. **डा॰ बलिराम :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिये दी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें से उपयोग की गयी और उपयोग नहीं की गयी धनराशि का अलग-अलग वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपयोग नहीं की गई धनराशि, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है जो विशेष समस्या के मानदंड के अंतर्गत निर्धारित राशि को छोड़कर किसी विशेष परियोजना/कार्यक्रम से जुड़ी नहीं होती है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में बृहद और मध्यम सिंचाई के लिए अनुमोदित परिव्यय और वास्तविक व्यय का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र॰ सं॰	मद	बृहद एवं मध्यम	लघु
1.	वार्षिक योजना 1994-95		
	(क) अनुमोदित परिव्यय	380.76	39.59
	(ख) वास्तविक व्यय	300.80	66.30
2.	वार्षिक योजना 1995-96		
	(क) अनुमोदित परिव्यय	372.01	57.58
	(ख) वास्तविक व्यय	373.00	87.77
3.	वार्षिक योजना 1996-97		
	(क) अनुमोदित परिव्यय	470.01	109.22
	(ख) प्रत्याशित व्यय	403.92	187.07

* सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय में केवल संस्थागत वित्त शामिल नहीं है।

[*अनुवाद*]

विदेशी व्यापार में "इंडियन शिपिंग लाइंस" के शेयर

719. **श्री अजमीरा चन्दूलाल :**

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विदेशी व्यापार में "इंडियन शिपिंग लाइंस" का शेयर कितना था; और

(ख) भविष्य में विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विदेशी व्यापार में भारतीय शिपिंग लाइनों का हिस्सा इस प्रकार है :

वर्ष	भारतीय लाइनों द्वारा ढोया गया टन भार (मिलियन टन)	भारतीय लाइनों का प्रतिशत हिस्सा
1994-95	42.02	28.70
1995-96	46.00	27.80
1996-97 (अनन्तिम)	50.79	32.31

(ख) नौवहन एक अंतर-राष्ट्रीय कारोबार है और भारतीय नौवहन लाइनें भारतीय विदेशी व्यापार की ढुलाई के लिए विदेशी नौवहन लाइनों के साथ-साथ प्रचालन करती हैं इस उदारीकृत वातावरण में भारतीय नौवहन कंपनियां अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार अपने जलयानों को परस्पर व्यापार में लगाने के लिए स्वतंत्र हैं और वे भारतीय कार्गो लाने ले जाने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि भारतीय लाइनें अपने हिस्से के लिए भारतीय टनभार पर निर्भर रहें। फिर भी, सरकार जहाजों के अधिग्रहण के सरलीकरण, उनकी बिक्री तथा उनके रेहन के जरिए भारतीय टनभार में बढ़ोतरी के लिए प्रयास कर रही है।

[*हिन्दी*]

हिमाचल प्रदेश में सिंचाई साधन और ट्यूबवैल

720. श्री के॰ डी॰ सुल्तान पुरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में ट्यूबवैल लगाने और सिंचाई साधनों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया तथा ट्यूबवैल और सिंचाई साधनों की संख्या क्या है; और

(ख) इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार को कितनी धनराशि आबंटित की गयी है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश में सिंचाई चैनलों के निर्माण तथा ट्यूबवैल लगाने के लिए आबंटित निधियों तथा वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	स्कीम	आबंटित निधि (लाख रुपए में)	वास्तविक उपलब्धि
1995-96	(क) ट्यूबवैल	189.73	21
	(ख) सिंचाई चैनल	77.10	1608 हैक्टेयर
1996-97	(क) ट्यूबवैल	425.65	25
	(ख) सिंचाई चैनल	160.07	2584 हैक्टेयर

[*अनुवाद*]

उड़ीसा में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

721. श्री मुरलीधर जेना : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में आज तक जिले-वार कितने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं; और

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान कितने मैनुअल एक्सचेजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेजों में बदले जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 31.10.97 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में 741 इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। इसके जिले-वार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) शून्य, चूंकि उड़ीसा में अब कोई मैनुअल एक्सचेंज नहीं हैं।

विवरण

31.10.1997 की स्थिति के अनुसार कार्यरत इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या

(जिले वार राजस्व)

क्र॰सं॰	राजस्व जिला	इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	बालासोर	31
2.	भद्रक	21
3.	मयूरभंज	36
4.	गंजाम	72
5.	गाजापट्टी	17
6.	फूलबानी	21
7.	बौद्ध	10
8.	खुर्दा	46
9.	नयागढ़	16
10.	पुरी	27
11.	बोलानगीर	22
12.	सोनपुर	9
13.	कालाहांडी	16
14.	नौपाड़ा	8
15.	कटक	40
16.	जगतसिंहपुर	31
17.	केन्द्रपाडा	20
18.	जाजपुर	31
19.	कंझार	31
20.	अंगल	29
21.	धेंकानल	30
22.	कोरापुट	25
23.	मलकागिरी	7
24.	नौवरंगपुर	12
25.	रायगढ़	21
26.	संबलपुर	26
27.	झरसुजुडा	12

1	2	3
28.	बारगढ़	32
29.	देवगढ़	3
30.	सुन्दरगढ़	39
	जोड़	741

सिंचाई परियोजनाओं के लिए ओ॰ ई॰ सी॰ एफ॰ से सहायता

722. **डा॰ कृपासिंधु भोई** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जापान के ओ॰ ई॰ सी॰ एफ॰ फंड से कुल कितनी सहायता प्राप्त की गई है;

(ख) क्या ये परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या यह सहायता उड़ीसा में अतिरिक्त सिंचाई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराई जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) उड़ीसा में ओवरसीज आर्थिक सहयोग निधियां जापान की सहायता से दो सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं इन चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	सहायता की राशि	समझौते की तारीख	पूरा करने की तिथि	30.8.97 लक्ष्य की निधियों के परियोजना उपयोग में प्रगति
1.	अपर कोलाब सिंचाई परियोजना	येन 3769 (121.1 करोड़ रुपये)	एम 15.12.88	20.7.98	येन 2393.5एम
2.	अपर इन्द्रवती सिंचाई परियोजना	येन 3744 (120.38 करोड़ रुपये)	एम 15.12.88	20.1.99	येन 2741.1एम

(घ) और (ङ) ओ ई सी एफ ऋण पैकेज 1997-98 के तहत रैंगाली सिंचाई के 30 कि॰मी॰ से 71.313 कि॰मी॰ की पहुँच तक बाया तट नहर के लिए 7760 मिलियन येन (227 करोड़ रुपये) के लिए ऋण वार्ता को हाल में अंतिम रूप दिया गया है।

[*हिन्दी*]

उत्तर प्रदेश में लम्बित परियोजनाएं

723. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास उत्तर प्रदेश संबंधी जो सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं, उन का ब्यौरा क्या उनकी अनुमानत: लागत कितनी है तथा इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकार कितनी तत्परता से केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है।

विवरण

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की लंबित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	लाभ हजार हेक्टेयर में	प्राप्ति की तारीख	द्वारा स्वीकृति की तारीख			
					सलाहकार समिति	पर्यावरण और वन मंत्रालय	योजना आयोग	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बेवार फीडर	33.73	9.80	9.9.88	28.4.92	अभी तक स्वीकृत नहीं	अभी तक स्वीकृत नहीं	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	मेजा बांध को ऊँचा उठाना	65.00	17.88	31.3.92	26.3.93	-वही-	-वही-	-
3.	बाणसागर नहर	190.27	150.13	16.6.89	27.1.94	-वही-	-वही-	राज्य वित्त विभाग से स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।
4.	राजघाट नहर	126.43	138.00	27.9.88	नवम्बर 93	-वही-	-वही-	-वही-
5.	मोदाहा बांध	125.16	17.70	21.3.90	9.9.97	-वही-	-वही-	-वही-
6.	बुन्देलखंड को पक्का करना	57.37	23.78	6.5.92	24.6.94	-वही-	-वही-	-वही-
7.	चित्तौड़गढ़ जलाशय	36.70	11.83	28.10.93	4.2.97	-वही-	वही-	-वही-
8.	जारौली पंप नहर	47.92	48.22	8.11.93	9.9.97	-	-वही-	-वही-
9.	कन्हर सिंचाई	240.00	33.12	21.2.94	बिहार और मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय विवाद के हल न होने तथा केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना न होने के कारण अभी तक स्वीकृत नहीं की गई।	-वही-	-वही-	-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

724. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य-वार निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है तथा इनकी निर्माण लागत कितनी है; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव पर प्रति कि०मी० व्यय का ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अनुरक्षण व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्र० सं०	राज्य का नाम	व्यय प्रति कि०मी० (लाख रुपये)
1.	हरियाणा	3.081
2.	राजस्थान	2.909
3.	पश्चिम बंगाल	1.337
4.	बिहार	4.507
5.	आंध्र प्रदेश	2.27

विवरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	निविदा के आधार पर परियोजना की लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3
1.	हरियाणा में गुडगांव (कि०मी० 36.63) से राजस्थान में कोटपुतली (कि०मी० 162.5) तक रा० रा०-8 का सुधार करना (हरियाणा और राजस्थान मार्गों के लिए एक ही ठेका है।) (126 कि० मी० के लिए मौजूदा 2 लेन को 4 लेन का बनाना)	307.14
2.	पं० बंगाल में रानीगंज (कि०मी० 474) से पानागढ़ (कि०मी० 516) तक रा० रा० -2 का सुधार करना (42 कि० मी० के लिए मौजूदा 2-लेन को 4-लेन का बनाना)	186.25
3.	बिहार में बरवा अड्डा (कि०मी० 398.75) से बराकर (कि०मी० 441.44) तक रा० रा० -2 का सुधार करना (42 कि०मी० के लिए मौजूदा 2-लेन को 4-लेन का बनाना)	150.67
4.	आंध्र प्रदेश में नंदीगाम (कि०मी० 217.0) से विजयवाड़ा (कि०मी० 265.0) तक रा० रा० -9	

1	2	3
	का सुधार करना (35 कि॰मी॰ के लिए मौजूदा 2-लेन का सुदृढ़ीकरण करना, 13 कि॰मी॰ के लिए मौजूदा 2-लेन को चार लेन का बनाना)	67.90
5.	आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा (कि॰मी॰ 3.4) से एलुरू (कि॰मी॰ 75.0) तक रा॰ रा॰ –5 का सुधार करना (47 कि॰मी॰ के लिए मौजूदा 2-लेन का सुदृढ़ीकरण करना, 9.6 कि॰मी॰ के लिए मौजूदा 2-लेन को चार लेन का बनाना और 18 कि॰मी॰ में 2-लेन का नया निर्माण करना।	171.60

मुम्बई-पुणे एक्सप्रेस-वे को मंजूरी

725. **श्री बृज भूषण तिवारी :**

श्री मधुकर सरपोतदार :

कुंवर सर्वराज सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मुम्बई-पुणे एक्सप्रेस-वे योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को मंजूर किये जाने से पर्यावरण विनियमनों का उल्लंघन होता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस हाइवे की घाट मार्ग को भी मंजूरी दी है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पास किए गए यथा संशोधित प्रस्ताव में नए एक्सप्रेस-वे को अदोशी से वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग एन एच–4 के घाट सेक्शन से जोड़ने का विचार है। राष्ट्रीय राजमार्ग-4 के घाट सेक्शन को बिना किसी अतिरिक्त भूमि अर्जन के चार से छः लेन तक चौड़ा किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) राज्य सरकार ने घाट सेक्शन को छोड़ते हुए परियोजना प्रस्ताव में संशोधन कर दिया है तथा इस समय मंत्रालय के पास घाट सेक्शन से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

असंतोषजनक दूरसंचार सेवा

726. **श्री रनजीव बिसवाल :**

श्री के॰ पी॰ सिंह देव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा विशेषकर जगतसिंहपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोषजनक तथा अपर्याप्त दूरसंचार सेवा की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में दूरसंचार नेटवर्क के आधुनिकीकरण और विस्तार हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या उक्त लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(छ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार तथा आधुनिकीकरण हेतु क्या कार्यक्रम तैयार किए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) सामान्यतया उड़ीसा में विशेषत: इसके जगतसिंहपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) अधिकांश मामलों में लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के मामले में लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

(ङ) विनिर्माताओं से उपस्कर की आपूर्ति में विलंब होगा।

(च) उपुर्यक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु बनाए गए कुछेक मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार है :

(i) मांग पर टेलीफोन प्रदान करना।

(ii) 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक सभी ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करना।

(iii) शेष सभी एक्सचेंजों में एस टी डी सुविधा प्रदान करना।

(iv) मियाद समाप्त तथा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से पुराने पड़ जाने वाले स्विचों के स्थान पर डिजिटल स्विच लगाना।

(v) एस एस ए मुख्यालयों में ट्रंक सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण करना।

(vi) स्थानीय नेटवर्क में स्थानीय लूप में बेतार, आप्टिकल फाइबर प्रौद्योगिकी जैसी नई प्रौद्योगिकियों को शुरू करना।

(vii) ग्रामीण टेलीफोन प्रदान करने के काम में बेहतर एवं विश्वसनीय प्रौद्योगिकीय शुरू करना।

(viii) सभी एक्सचेंजों में विश्वसनीय संचारण माध्यम प्रदान करना।

(ix) सभी प्रभागों में कम्प्यूटरीकृत बिल प्रणाली तथा लेखा पद्धति।

(x) दोष मरम्मत सेवाओं का आधुनिकीकरण।

(xi) सभी एस एस ए में डायरेक्टरी पूछ-ताछ सेवा का कम्प्यूटरीकरण।

(xii) संवेदनशील क्षेत्रों, जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों और औद्योगिक विकास केन्द्रों में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता देना।

विवरण

8वीं पंचवर्षीय योजना (92-97) के दौरान लक्ष्य/उपलब्धियां

		लक्ष्य	उपलब्धि
1.	स्विचन क्षमता	1,26,365	14,93,11
2.	सीधी एक्सचेंज लाइनें	1,02,550	1,18,518
3.	ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन	18,300	13,007
4.	एस टी डी वाले स्थान	478	498

[*हिन्दी*]

बोफोर्स निर्मित हथियारों की खरीद पर से प्रतिबंध हटाना

727. **श्री नवल किशोर राय :**

श्री नीतीश कुमार :

कुमारी उमा भारती :

श्री आनंद रत्न मौर्य :

श्री अमर पाल सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ए॰ बी॰ बोफोर्स नामक स्वीडन की एक कंपनी द्वारा निर्मित हथियारों की खरीद पर से प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में सरकार उक्त कंपनी से खरीद पर लगे प्रतिबंध के बारे में पुन: विचार करने पर किन कारणों से बाध्य हुई है;

(घ) क्या सरकार ने गत कुछ वर्षों के दौरान उक्त कंपनी से हथियारों के पुर्जों का भी आयात किया है; और

(ङ) यदि हां, तो पुर्जों के आयात पर वर्ष-वार कितनी धनराशि का व्यय किया गया?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। मैसर्स बोफोर्स पर प्रतिबंध अभी जारी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा

728. **श्री कचरू भाऊ राउत** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आबंटित कुल राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त राशि में से खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग विभिन्न राज्यों के लिए सहायता हेतु कोई राशि अलग से ना ही रखता और ना ही आबंटित करता है। तथापि, दिशानिर्देशों के अनुसार, उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों और प्रत्येक मामले के गुणदोषों के आधार पर राशि दी जाती है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं के लिए पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत और अवमुक्त की गई वर्षवार राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	स्वीकृत राशि (लाखों रुपये में)	अवमुक्त की गई राशि
1992-93	201.30	94.09
1993-94	309.11	132.10
1994-95	273.46	119.23
1995-96	63.75	17.89
1996-97	187.69	84.00

परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन के आधार पर राशि अवमुक्त की जाती है।

[*अनुवाद*]

भारतीय वायु सेना में पायलटों की कमी

729. **श्री सुरेश कलमाड़ी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना में खासकर कॉम्बेट विंग में पायलटों की कमी है और इस विंग में अत्यधिक पद रिक्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसी प्रकार की कमी अनुरक्षण दल तथा इंजीनियरों की भी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस परिस्थिति से निबटने तथा यह सुनिश्चित करने कि किसी संभावित लड़ाई के दौरान भारतीय वायु सेना की युद्ध संबंधी तैयारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) तकनीकी शाखाओं में जो कमी है वह स्थापना के लगभग 10% है।

(ग) अल्पकालिक सेवा कमीशन उड़ान तथा तकनीकी शाखाओं में संचालित किया जा रहा है ताकि कमी पूरी की जा सके। भारतीय वायुसेना में अफसर संवर्ग में युवाओं को आकर्षिक करने के लिए सतत् प्रचार और भर्ती अभियान जारी हैं।

साक्षरता अभियान

730. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री मदन पाटिल :

श्री आर० साम्बासिवा राव :

श्री ए० सम्पत :

श्री मणीभाई रामजी भाई चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साक्षरता अभियान को बढ़ावा देने हेतु 'ईच वन (स्टुडेंट) टीच फाइव' नामक एक प्रस्ताव की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्रियान्वयन हेतु क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना को विश्वविद्यालय के छात्रों पर भी लागू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

महानगरों में प्रदूषण

731. **श्री मधुकर सरपोतदार :**

श्री सुरेश प्रभु :

श्री गंगा चरण राजपूत :

श्री अंनत गंगाराम गीते :

श्री जयसिंह चौहान :

श्री देवेन्द्र बहादुर राय :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनेक शहरों में प्रदूषण स्तर मापने के लिए कोई निगरानी प्रणालियां स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्यावरणीय प्रदूषण, विशेष रूप से महानगरों और मुख्य औद्योगिक नगरों में खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकारों के परामर्श से एक 'कार्ययोजना' तैयार करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरन कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 92 शहरों/नगरों में 290 मानीटरन केन्द्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से मुख्य वायु प्रदूषकों के स्तरों का मानीटरन कर रहा है। मानीटरन केन्द्र प्रत्येक शहर के तीन विभिन्न क्षेत्रों, अर्थात, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित हैं और परिवेशी वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रोजन डाइआक्साइड और निलम्बित कणिकीय पदार्थ के जमाव के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, देश के विभिन्न भागों में 480 जल गुणवत्ता मानीटरन केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ग) वायु और जल गुणवत्ता मानीटरन आकड़ों से यह संकेत मिलता है कि देश के महानगरों के कुछ क्षेत्रों और प्रमुख नगरों में प्रदूषण स्तर कभी-कभी संकटपूर्ण स्थिति में पहुंच जाते हैं।

जल प्रदूषण की समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए शहरों और नगरों में जल आपूर्ति और नगरीय ठोस अपशिष्ट के जमाव और प्रबंध की स्थिति के लिए सर्वेक्षण भी किए गए हैं संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के द्वारा जल गुणवत्ता मानीटरन कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(घ) से (च) देश में जिन 24 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का पता लगाया गया है उनमें से 16 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के लिए कार्य-योजनाएं तैयार की गई हैं और इन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार द्वारा देश में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए एक व्यापक नीति विवरण तैयार किया है जिसमें विकास आयोजना के पर्यावरणीय और आर्थिक पहलुओं के एकीकरण का प्रस्ताव है और प्रदूषण कम करने के निरोधक पहलुओं तथा औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए तकनीकी निवेशों के संवर्धन पर जोर दिया गया है।

- उद्योगों के लिए स्थान के चयन एवं उनके संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

- प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए ही भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से उद्योगों को स्थानान्तरित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण/मानीटरन उपकरणों के लिए सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क में छूट दी जाती है।

- लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने की एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। जहां साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र की लागत का 50% आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है।

- लघु एवं मध्यम उद्योगों में प्रदूषण की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूह में अपशिष्ट न्यूनीकरण मंडलों की स्थापना के बारे में एक परियोजना शुरू की गई है।

- पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

- पैट्रोल और डीजल वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए 1.4.1996 को और अधिक कठोर उत्सर्जन मानक लागू किए गए थे और 1.4.2000 से इन मानकों को और कठोर बनाया जाना है। इससे अधिक साफ वाहन आएंगे, जिनमें उत्सर्जन कम करने की उन्नत प्रौद्योगिकी होगी।

- केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को यह परामर्श दिया है कि वे सड़क पर चल रहे वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों को लागू करें तथा वाहनों के रख-रखाव, वाहन प्रदूषण से स्वास्थ्य पर प्रभावों, जैसे विभिन्न पहलुओं के बारे में आम लोगों में जागरूकता पैदा करें।

- जून, 1994 से दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई के चार महानगरों में कम सीसा युक्त पैट्रोल का प्रयोग शुरू किया गया है। तदनन्तर उपरोक्त चार शहरों में 1.4.1995 से सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग शुरू किया गया था।

- सरकार चरणबद्ध तरीके से सीसा रहित पेट्रोल और केटोलिटिक कन्वर्टर युक्त वाहन शुरू करने तथा अधिक साफ डीजल वाहनों के लिए कम सल्फरयुक्त डीजल शुरू करने के लिए एक प्रमुख कार्य योजना कार्यान्वित कर रही है। पेट्रोल और डीजल के लिए ईंधन गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण बोर्डों के द्वारा नियमित मानीटरन किया जा रहा है और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले दोषी उद्योगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

कॉनर्सेट पैकेट स्विचिंग सिस्टम

732. **श्री सनत मेहता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश संचार निगम लिमिटेड में कॉनर्सेट पैकेट स्विचिंग सिस्टम के आपूर्तिकर्ता का क्या नाम है;

(ख) क्या इस प्रणाली के लिए विश्वस्तर पर निविदाएं आमंत्रित की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो उनकी निबन्धन व शर्तें क्या थीं; और

(घ) किन कंपनियों ने उक्त प्रणाली के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) विदेश संचार निगम लि॰ कॉनर्सेट पैकेट स्विचिंग सिस्टम के आपूर्तिकर्ता का नाम ब्रिटिश दूरसंचार है।

(ख) जी, नहीं। कॉनर्सेट पैकेट स्विचिंग सिस्टम हेतु उपस्कर ब्रिटिश दूरसंचार लि॰, यू॰के॰ की एक प्रोप्राइटरी मद है। चूंकि, ब्रिटिश दूरसंचार लि॰ इस प्रणाली का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है, अत: कॉनर्सेट पैकेट स्विचिंग सिस्टम के लिए विश्व स्तर पर निविदाएं आमंत्रित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कोई नहीं, चूंकि कॉनर्सेट पैकेट स्विचिंग (सी पी एस) बी टी लि॰ यू॰ के॰ की एक प्रोप्राइटरी मद है, अत: इस प्रणाली के लिए अन्य कंपनियों को अपनी इच्छा जाहिर करने का प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आबंटन में कमी

733. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कई केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले आबंटनों में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास उनके निर्णय की समीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय वायु सेना के लिए 'एडवांस जेट ट्रेनर' विमानों की खरीद

734. **श्री सी॰ नरसिम्हन** :

श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा 'एडवांस जेट ट्रेनर' विमानों की खरीद की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे विमान उपलब्ध न होने के कारण भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस तरह के उन्नत जेट विमानों की अभी तक खरीद न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) 'एडवांस जेट ट्रेनर्स' विमानों की खरीद से संबंधित वर्तमान स्थिति क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। इस समय भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलटों के तृतीय चरण का प्रशिक्षण मिग-21 वायुयान पर आयोजित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) उन्नत जेट प्रशिक्षक वायुयान की खरीद के लिए चुने हुए विक्रेताओं के साथ वाणिज्यिक वार्ताएं की जा रही हैं। इस संबंध में कुछ अन्य विकल्प भी विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

आयुध कारखानें स्थापित करना

735. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1985 में छोटा नागपुर (बिहार) के अतिरिक्त उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में आयुध कारखाने स्थापित करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार के कोडरमा उपमंडल प्रशासन ने प्रस्तावित आयुध कारखाना स्थापित करने के लिए अक्तूबर 1985 में भूमि अधिग्रहण करने के पश्चात् सरकार के पास नक्शा भेजा था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (घ) 1985 में प्रोपेलेंट बनाने के लिए नई आयुध निर्माणी स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन था जिसके लिए बिहार राज्य के हजारीबाग जिले में कोडरमा उपमंडल के एक क्षेत्र को विकल्प के तौर पर प्रस्तावित किया गया था। विस्तृत जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया था कि प्रोपेलेंट बनाने के लिए कोई भी नई निर्माणी स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह आवश्यकता मौजूदा आयुध निर्माणियों और सिविल क्षेत्र से पूरी की जा सकती है। तदनुसार नई निर्माणी स्थापित करने के प्रस्ताव को पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया था।

[अनुवाद]

बारामूला में बाईपास सड़क

736. **श्री गुलाम रसूल कार :** क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बारामूला जिले के तुलीबल, सोपोरे में एक बाईपास सड़क के निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को इसकी स्वीकृति दी गयी थी; और

(ग) इस संदर्भ में अब तक किए गए कार्य का क्या ब्यौरा है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) इसे 4.1.1990 को संस्वीकृति दी गई थी।

(ग) यह कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। भूमि-अधिग्रहण कार्य की प्रगति 67 प्रतिशत है। कार्य की समग्र प्रगति लगभग 15 प्रतिशत है।

घटिया नौवहन सेवाओं को बंद करना

737. **श्री अनंत गुढ़े :**

श्री संदीपान थोरात :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पोर्ट स्टेट कंट्रोल (पीएससी) को प्रभावित ढंग से लागू करने और घटिया नौवहन सेवाओं को बंद करने तथा प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए नए सिरे से कदम उठाए हैं/पहल की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रमुख पत्तनों में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के लिए तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) से (ग) जी हां। पोर्ट स्टेट कंट्रोल निरीक्षणों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए नौवहन महानिदेशालय में एक अलग प्रकोष्ट बनाया गया है और निरीक्षणों के लक्ष्य बढ़ाए गए हैं। परिणामस्वरूप, महापत्तनों और लघु पत्तनों पर किए गए निरीक्षणों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। चालू वर्ष के दौरान (सितंबर 97 तक) 300 जलयानों के लक्ष्य के मुकाबले में 214 जलयानों का निरीक्षण पहले ही किया जा चुका है जबकि वर्ष 1996 के दौरान केवल 178 जलयानों का निरीक्षण किया गया था। जहां कहीं भी कमियां पाई जाती हैं, जलयानों को रोका जाता है और कमियों को सुधारने के बाद ही उन्हें यात्रा की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

कानपुर में आयुध डिपो का आधुनिकीकरण

738. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानपुर, उत्तर प्रदेश के आयुध डिपो के आधुनिकीकरण का कार्य राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम और मेकन को दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त आयुध डिपो के आधुनिकीकरण का कार्य अब तक कितना पूरा किया गया है, और उस पर कितना व्यय हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं। सरकार ने कुल 42 लाख रुपये की लागत पर केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर के आधुनिकीकरण के लिए केवल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य मैसर्स राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड तथा मैसर्स मैटलुर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसलटेंट (आई) लिमिटेड को सौंपा था। उक्त दोनों फर्मों ने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) चूंकि डिपो के आधुनिकीकरण का कार्य अभी शुरू किया जाना है, अत: इस संबंध में अभी तक कोई अन्य व्यय नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

रूसी सरकार के साथ मिलकर मिग-एट का उत्पादन

739. **श्री एन० के० प्रेमचन्द्रन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रूसी सरकार के साथ संयुक्त रूप से 'मिग-एट' का उत्पादन करने और उसे बाजार में लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुए समझौते, यदि कोई हुआ है तो, का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) इस समय कोई औपचारिक प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उपस्करों की कमी

740. **श्री सुखराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में उपग्रह प्रणाली के किसी एक्सचेंज की स्थापना नहीं की गई है और राज्य में एक्सचेंज के उपकरणों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कमी को कम से कम समय में पूरा करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों सहित उपग्रह प्रणाली पर आधारित उन्नीस एक्सचेंज संस्थापित किए जा चुके हैं जिनका ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। तथापि, हिमाचल प्रदेश में कुछ अन्य जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी उपग्रह मीडिया पर एक्सचेंजों की स्थापना की जानी हैं जिनका ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) संलग्न विवरण-II में सूचीबद्ध एक्सचेंजों को जोड़ने के लिए अपेक्षित आवश्यक उपस्करों का प्रबंध किया जा रहा है।

विवरण-I

हिमाचल प्रदेश में उपग्रह प्रणाली पर संस्थापित एक्सचेंजों की सूची

1.	अनी	11.	जुब्बल
2.	निचार	12.	जंम्होली
3.	सांगला	13.	चोपाल
4.	मूरंग	14.	यांगथांग
5.	पूह	15.	तोबू
6.	काजा	16.	बरोत
7.	बारमर	17.	हुमली
8.	उदयपुर	18.	जिस्पा
9.	किल्लार	19.	दोद्राक्वार
10.	कोटखाई		

विवरण-II

हिमाचल प्रदेश में वे जनजातीय क्षेत्रों की सूची जहां उपग्रह मीडिया पर एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

1.	नामगिया	6.	सिस्सू
2.	चागो	7.	शंशा
3.	तोस्सार	8.	गरोला
4.	सगनम	9.	काटागांव
5.	नेखा	10.	दुर्गम्री

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

741. **डा० राम लखन सिंह :**
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री सोहनवीर सिंह :
डा० राम विलास वेदान्ती :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लंबाई क्या है;

(ख) चार लेनों तथा दो लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के दो लेन वाले, चार लेन वाले बनाने, एक्सप्रेस राजमार्गों और नए राजमार्गों के निर्माण के लिए चल रही परियोजनाओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार नाम क्या हैं;

(घ) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी धन राशि आबंटित की गई;

(ङ) इस पर वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान आज तक हुआ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितना व्यय किया गया;

(च) इन राजमार्गों पर कार्य कब तक पूरा होगा;

(छ) लंबित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन राष्ट्रीय राजमार्गों की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंटकरामन): (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) एक विवरण-II संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने से संबंधित चल रही परियोजनाओं की संख्या इस प्रकार है :

एक-लेन को दो-लेन में चौड़ा करना - 33

दो-लेन को चार-लेन में चौड़ा करना - 30

वार्षिक योजना 1997-98 के दौरान राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं की संख्या इस प्रकार है :

2 लेन - 497

4 लेन - 86

6 लेन - 5

(घ) एक विवरण-III संलग्न है।

(ङ) 1996-97 के लिए निर्दिष्ट समस्त निधियों का उपयोग किया जा चुका है। 1997-98 के लिए अभी कार्य चल रहे हैं।

(च) 2 लेन/4 लेन वाली परियोजनाओं की पूर्ति का संभावित समय मार्च, 1998 से सितम्बर, 1998 के बीच है जो निधियों की उपलब्धता के अध्ययीन है।

(छ) परियोजनाओं को प्रस्तुत करना एक सतत् प्रक्रिया है और निधियों की उपलब्धता के अध्ययीन उनको चरणबद्ध तरीके से स्वीकृति दी जाती है।

(ज) सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के भीतर यातायात-योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

विवरण-I

विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	रा॰रा॰ संख्या (राज्यों से होकर गुजरने वाली)	कुल लंबाई (कि॰मी॰)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	4,5,7,9,16,18 एवं 43	2888
2.	अरुणाचल प्रदेश	52 एवं 52ए	330
3.	असम	31, 31बी, 31सी, 36, 37, 37ए, 38 39, 44, 51, 52, 52ए, 53 एवं 54	2296
4.	बिहार	2,6, 19, 23, 28, 28ए, 30, 31 32, 33 एवं 57	2547
5.	चंडीगढ़	21	24
6.	दिल्ली	1, 2, 8, 10 एवं 24	72
7.	गोवा	4ए, 17 एवं 17ए	229
8.	गुजरात	8, 8ए, 8बी, 8सी, 14, 15 एवं एनई-1	1631
9.	हरियाणा	1, 2, 8, 10 एवं 22	698
10.	हिमाचल प्रदेश	1ए, 20, 21 एंव 22	854
11.	जम्मू एवं कश्मीर	1ए एवं 1 बी	648
12.	कर्नाटक	4, 4ए, 7, 9, 13, 17 एवं 48	1996
13.	केरल	17, 47, 47ए, एवं 49	840
14.	मध्य प्रदेश	3, 6, 7, 12, 16, 25, 26, 27 एवं 43	2946
15.	महाराष्ट्र	3, 4, 4बी, 6, 7,8,9, 13, 17 एवं 50	2918
16.	मणिपुर	39 एवं 53	431
17.	मेघालय	40, 44 एवं 51	472
18.	मिजोरम	54, 54ए एवं 54बी	551
19.	नागालैंड	36 एवं 39	113
20.	उड़ीसा	5, 5ए, 6, 23, 42 एवं 43	1649
21.	पांडिचेरी	45ए	23
22.	पंजाब	1, 1ए, 10, 15, 20, 21 एवं 22	892
23.	राजस्थान	3, 8, 11, 11ए, 12, 14 एवं 15	2931
24.	सिक्किम	31ए	62
25.	तमिलनाडु	4,5,7, 7ए, 45, 45ए, 46, 47 एवं 49	1896
26.	त्रिपुरा	44	200
27.	उत्तर प्रदेश	2, 3, 7, 11, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एवं 56	2733
28.	प॰ बंगाल	2, 6, 31, 31ए, 31सी, 32, 34, 35, 41 एवं 55	1638
		जोड़	34,608

विवरण-II

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की राज्यवार कुल लंबाई और 2-लेन एवं 4-लेन के ब्यौरे

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	कुल लम्बाई (कि॰मी॰)	4-लेन (कि॰मी॰)	2-लेन (कि॰मी॰)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2888	28	2500
2.	अरुणाचल प्रदेश	330	-	20
3.	असम	2296	-	1714
4.	बिहार	2547	15	1860
5.	चंडीगढ़	24	8	16
6.	दिल्ली	72	72	-
7.	गोवा	229	-	107
8.	गुजरात	1631	196	1342
9.	हरियाणा	698	77	621
10.	हिमाचल प्रदेश	854	-	353
11.	जम्मू एवं कश्मीर	648	-	496
12.	कर्नाटक	1996	30	1625
13.	केरल	940	-	432
14.	मध्य प्रदेश	2946	-	2396
15.	महाराष्ट्र	2918	21	2578
16.	मणिपुर	431	-	122
17.	मेघालय	472	-	272
18.	मिजोरम	551	-	5
19.	नागालैंड	113	-	113
20.	उड़ीसा	1649	3	1244
21.	पांडिचेरी	23	-	23
22.	पंजाब	892	131	745
23.	राजस्थान	2931	19	1975
24.	सिक्किम	62	-	7
25.	तमिलनाडु	1896	34	1795
26.	त्रिपुरा	200	-	29
27.	उत्तर प्रदेश	2733	30	2598
28.	पश्चिम बंगाल	1638	7	1369
	जोड़	34608	671	26330

विवरण-III

(लाख रुपये)

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1996-97 (*) विकास	1996-97 अनुरक्षण एवं मरम्मत	1997-98 (*) विकास	1997-98 अनुरक्षण एवं मरम्मत (9/97 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	3029.24	3535.34	3500.00	3053.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	1212.00	1006.87	2500.00	1985.55
4.	बिहार	1500.00	2193.95	2050.00	2659.77
5.	चंडीगढ़	24.00	45.00	30.00	49.00
6.	दिल्ली	400.00	207.00	800.00	124.20
7.	गोवा	700.00	325.36	900.00	216.20
8.	गुजरात	2933.00	2731.50	3500.00	2382.94
9.	हरियाणा	10950.00	885.24	11400.00	772.34
10.	हिमाचल प्रदेश	1200.00	1516.80	1700.00	1219.32
11.	जम्मू एवं कश्मीर	100.00	103.37	150.00	72.40
12.	कर्नाटक	3220.00	2457.80	3700.00	2260.90
13.	केरल	5700.00	1073.27	6900.00	1416.11
14.	मध्य प्रदेश	1020.00	3176.72	6000.00	1592.78
15.	महाराष्ट्र	1920.00	3277.04	6800.00	3395.68
16.	मणिपुर	360.00	276.00	700.00	227.03
17.	मेघालय	900.00	553.70	1500.00	554.54
18.	नागालैंड	10.00	14.00	25.00	20.11
19.	उड़ीसा	5685.00	1918.73	8500.00	1872.00
20.	पांडिचेरी	50.00	35.88	70.00	16.96
21.	पंजाब	5700.00	1182.13	7700.00	1096.75
22.	राजस्थान	3050.00	2669.08	4400.00	2381.71
23.	तमिलनाडु	1905.00	2413.14	2500.00	1285.37
24.	उत्तर प्रदेश	7200.00	3377.40	12119.00	3469.19
25.	पश्चिम बंगाल	3608.00	2081.68	8200.00	1860.94
26.	जोगीघोपा पुल	2790.00	0.00	1244.00	0.00
27.	मेघालय	3209.00	0.00	10385.00	0.00
28.	बी आर डी बी	6300.00	0.00	7031.00	0.00
29.	एन एच ए आई	7179.00	70.00	20000.00	375.00
30.	अन्य संस्थान	0.00	0.00	0.00	13.00

* (स्थायी पुल शुल्क निधि को छोड़कर)

मेंहदी बाग का एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास किया जाना

742. **श्री इलियास आजमी** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक मेहंदी बाग को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने मेंहदी बाग पर्यटक स्थल परियोजना पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) से (ग) वर्ष के दौरान राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करके पर्यटन विभाग ने वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं में, मेहंदी बाग पर कोई परियोजना शामिल नहीं की है।

नर्मदा घाटी में भूकंप

743. **श्री दादा बाबूराव परांजपे** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में 22 मई, 1997 को और उसके बाद विनाशकारी भूकंप आया था;

(ख) बांधों की क्षमता और लागत का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप बांधों को कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या भूगर्भीय वैज्ञानिकों और मौसम विज्ञानियों के अनुसार उक्त भूकंप का कारण बर्गी बांध है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ) मध्य प्रदेश में जबलपुर के समीप 22 मई, 1997 को रेक्टर स्केल पर 6.0 की तीव्रता से भूकंप आया। इसके बाद कई दिनों तक छोटे-छोटे भूकंप आते रहे। मध्य प्रदेश में मालदा एवं जबलपुर जिलों में स्थित 258 मिलियन क्यूबिक मीटर कुल भंडारण क्षमता वाले 43 बांधों को क्षति पहुंची। सामान्यत: पूर्वी बांध में दरारें, भूमि का धंसना (सेटलमेंट) शिलाखंड के निचले सिरे में बंधा (डिस्टरबेंस व बोल्डर वे) जलमार्ग के कार्य एवं नहर की संरचनाओं के चिनाई कार्य में बाधा आई थी। क्षतिग्रस्त बांधों में सुधार करने के लिए सुधारात्मक उपायों की अनुमानित लागत 304.46 लाख है। विश्व भर में ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जहां बड़े जलाशयों में पानी एकत्र करने से भूकम्पीय घटनाएं हुई हैं, तथापि जलाशयों से भूकम्पीयता होने के कारण भूकंप आने के लिए उत्तरदायी अत्यधिक परिमाण तथा भोगोलिक तत्वों का आंकलन करने के लिए कोई युक्तिसंगत तरीका अभी विकसित नहीं किया है। चूंकि बार्गी बांध के निर्माण से पूर्व विगत में नर्मदा घाटी में विनाशकारी भूकंप की घटनाएं हुई थीं, हाल के भूकंप के लिए ऐसे विशिष्ट कारण नहीं हैं जिनके लिए बार्गी बांध को जिम्मेदार ठहराया जा सके।

[*अनुवाद*]

नौसेना अकादमी एजीमाला

744. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1997 की स्थिति के अनुसार केरल के कन्नोर स्थित एजीमाला स्थान पर नौसेना अकादमी परियोजना का कितना कार्य पूरा हो गया है तथा इस हेतु कितनी धनराशि का आबंटन किया गया था;

(ख) क्या समय/लागत सूची के अनुसार कार्य में प्रगति हो रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (ग) मौजूदा इमारतों की मरम्मत/परिवर्धन/परिवर्तन आदि से संबंधित सिविल कार्य आरंभ हो चुके हैं। बिजली, पानी, सड़क और तलकर्षण (ड्रेजिंग) जो कि केरल राज्य सरकार द्वारा मुहैया कराए जाते है, का कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में हैं इस परियोजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 में 300 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है। वास्तुविद एवं एम ई एस के बीच चरण-2 संविदा की प्रोसेसिंग के कारण, जिसे अब अंतिम रूप दे दिया गया है, निर्धारित समय में कुछ विलंब हुआ है। अकादमी के 2001 के अंत तक शुरू कर दिए जाने हेतु तैयार हो जाने की संभावना है।

धनराशि का दुरुपयोग

745. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई परियोजना आदि की निविदा प्रदान करने में बिहार शरीफ दूरसंचार जिले में धनराशि के दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[*हिन्दी*]

युवा नीति

746. **श्री गंगा चरण राजपूत** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवा नीति का मसौदा सरकार को प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या उक्त घोषणा से पहले सरकार का युवा संसद सदस्यों की राय जानने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन) : (क) से (ग) नयी राष्ट्रीय युवा नीति का एक मसौदा युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा तैयार किया गया है जिसे सभी राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों के सभी उप कुलपतियों, सभी राजनीतिक दलों एवं उनकी युवा शाखाओं, युवाओं के लिए कार्यरत सभी प्रमुख गैर-सरकारी संगठनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा युवा सांसदों सहित सभी संसद सदस्यों के विचार आमंत्रित करने के लिए परिचालित किया जा चुका है। विभाग को विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जिनके आधार पर नयी राष्ट्रीय युवा नीति को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप देने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

[*अनुवाद*]

ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार

747. **श्री संदीपान थोरात** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार के कार्यनिष्पादन की हाल ही में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजना के लिये निर्धारित लक्ष्यों की तुलना करते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार के लिए उपस्करों की आपूर्ति में विलंब हुआ और कई मामलों में उन्हें घटिया पाया गया;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार किया है; और

(ङ) वर्ष 1997-98 के दौरान ग्रामीण दूरसंचार के लिए अंतिम रूप दी गई कार्ययोजना और नौवीं पंचवर्षीय योजना में सामान्य रूप से और विशेषकर महाराष्ट्र के लिये चरणबद्ध रूप से लागू होने वाली कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) विभाग द्वारा ग्रामीण दूरसंचार के निष्पादन की आवधिक समीक्षा की जाती है। ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज लाइन तथा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के संबंध में लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिया गया है। विभिन्न विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा न्यायालय में दायर किये गये कई मुकदमों के कारण, 95-96 में टेलीफोन एक्सचेंज उपस्करों की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। दूरसंचार विभाग ने गुणवत्ता आश्वासन (क्यू ए) संगठन द्वारा मानदंडों के अनुरूप आपूर्ति उपस्करों की जांच की जाती है।

(घ) और (ङ) विभाग द्वारा एक विक्रेता आकलन (वेंडर रेटिंग) प्रणाली की शुरूआत की गई है जिसमें दिये गये उपस्कर के मूल्य के अलावा उसकी गुणवत्ता एवं आपूर्ति निष्पादन को ध्यान में रखा जाता है। आपूर्ति उपस्करों के गुणवत्ता आश्वासन परीक्षण को और सख्त बनाने के लिए भी कदम उठाए गये हैं। ग्रामीण दूरसंचार के लिए 1997-98 के दौरान तैयार की गई योजना में छोटे/मध्यम आकार के एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने की योजना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में 7.5 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें (डी इ एल) प्रदान की जा सकें। इसमें देश के गांवों में 83,000 सार्वजनिक टेलीफोन शामिल हैं। जहां तक महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल का सवाल है, वहां 3000 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) सहित लगभग 90,000 डी ई एल प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। 9वीं योजना के ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विवरण-I

वर्ष	लक्ष्य (सकल लाइनें)	उपलब्धि (सकल लाइनें)
1994-95	7.5 लाख	11.86 लाख
1995-96	10.5 लाख	9.076 लाख
1996-97	10.54 लाख	12.02 लाख

विवरण-II

वी पी टी कार्यक्रम का लक्ष्य एवं उपलब्धियां

सर्किल	लक्ष्य 94-95	94-95 के दौरान उपलब्धियां	लक्ष्य 95-96	95-96 के दौरान उपलब्धियां	लक्ष्य 96-97	96-97 के दौरान उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान निकोबार	0	55	200	36	200	75
आंध्र प्रदेश	3000	2014	4000	2601	3000	2619
असम	2000	2010	2000	2015	2000	1665
बिहार	3164	2595	11800	1246	6000	3526
गुजरात	3000	3041	2000	636	4000	1505
हरियाणा	1212	1335	800	510	1700	1204
हिमाचल प्रदेश	1000	720	1500	1005	1000	1034
जम्मू व कश्मीर	400	421	1000	297	600	730
कर्नाटक	4000	5074	3700	3178	3000	4120
केरल	18	18	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	5706	7869	10400	2026	7350	7355
महाराष्ट्र	6000	5125	5000	3600	5000	4727
नार्थ-ईस्ट	500	512	1800	406	1000	644
उड़ीसा	3000	3531	8500	3961	5000	3483
पंजाब	500	605	2300	338	4750	3506
राजस्थान	4000	4011	5800	2122	6500	5051

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	1500	1573	3000	1681	3200	2608
उ०प्र०(पूर्व)	8000	5200	23000	3007	9000	5702
उ०प्र०(पश्चिम)			11000	685	6300	4000
पश्चिम बंगाल	3000	1950	7200	2691	5000	2860
दिल्ली	0	0	0	0	0	0
कलकत्ता	0	0	0	56	400	365
	50000	47659	105000	31497	75000	56719

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस

748. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को पूरे विश्व में 592 मिलियन पर्यटकों से अधिक पर्यटकों ने यात्रा की;

(ख) क्या सिंगापुर ने 7 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित किया था जबकि भारत की भागीदारी 2.2 मिलियन की रही जो विश्व पर्यटन उद्योग का केवल 70.48% ही था;

(ग) क्या पर्यटन उद्योग में भारत के प्रतिशत के कम होने का मुख्य कारण समुचित बुनियादी सुविधाओं और टूर मार्किटिंग का अभाव है; और

(घ) यदि नहीं, तो कम प्रतिशतता के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) और (ख) विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार वर्ष 1996 के दौरान पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन की कुल संख्या 592 मिलियन थी। सिंगापुर में 6.6 मिलियन पर्यटक आए जिनके रुकने/ठहराने की अवधि का औसत 3 दिन रहा जब कि भारत में लगभग 2.3 मिलियन पर्यटक आए जिनके ठहरने की अवधि का औसत 30 दिन रहा। इस तरह मात्रा/संख्या की दृष्टि से विश्व भर में पर्यटकों के आवागमन में भारत का अंश/भाग 0.4% है।

(ग) और (घ) जी, हां। विश्वभर में पर्यटकों के आवागमन में भारत की भागीदारी के कम होने का मुख्य कारण देश में अवसंरचना के सामान्य स्तर का अपर्याप्त होना तथा अवसंरचना संवर्धन हेतु संसाधनों का अपर्याप्त होना है।

[हिन्दी]

डाक और तार कर्मचारियों के लिए आवास

749. श्री राम टहल चौधरी :

श्रीमती शीला गौतम :

श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण किए जाने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, राज्यवार वास्तव में कितने आवासों का निर्माण किया गया है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने आवासों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने डाक और तार विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध नहीं कराये हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या आवास निर्माण के लिए उत्तरदायी अधिकारी इस कार्य में रूचि नहीं ले रहे हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(छ) क्या डाक और तार विभाग के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को संपदा निदेशालय तथा डाक और तार पूल से भी आवास उपलब्ध हो जाता है जबकि आम कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है; और

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस दोहरी नीति को समाप्त करने का है तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में क्वार्टरों के निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य इस प्रकार हैं :

1994-95	-	456
1995-96	-	535
1996-97	-	500

(ख) ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसे मकानों की संख्या 950 है जिनका नौवीं योजना के दौरान निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(घ) जी हां।

(ङ) मकानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा पर्याप्त रूचि ली जा रही है।

(च) जी नहीं। उपर्युक्त (ङ) के अनुसार

(छ) जी नहीं। लेकिन जिन स्थानों पर अधिकारियों के लिए अधिकृत आवास डाक पूल में उपलब्ध नहीं है वहां आवास संपदा निदेशालय की ओर से मुहैया कराया जाता है।

(ज) उपर्युक्त (छ) के अनुसार मान्य नहीं।

अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण चरणवार ढंग से किया जाता है बशर्ते कि फंड उपलब्ध रहे।

दूरसंचार विभाग

(क) से (ज) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

भाग (ख) इस अवधि के दौरान जो मकान बनाए गए उनकी राज्यवार वास्तविक संख्या

	सर्किल का नाम	वर्ष		
		1994-95	1995-96	1996-97
1.	आंध्र प्रदेश	85	-	-
2.	असम	6	-	18
3.	बिहार	36	1	2
4.	दिल्ली	1	-	-
5.	गुजरात	18	25	20
6.	हरियाणा	13	-	28
7.	हिमाचल प्रदेश	79	51	7
8.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-
9.	कर्नाटक	30	3	-
10.	केरल	3	3	-
11.	मध्य प्रदेश	1	7	28
12.	महाराष्ट्र	37	19	-
13.	उत्तर-पूर्व	2	1	-
14.	उड़ीसा	30	-	-
15.	पंजाब	-	-	6
16.	राजस्थान	14	11	-
17.	तमिलनाडु	7	1	-
18.	उत्तर प्रदेश	4	22	8
19.	पश्चिम बंगाल	24	33	22
		390	177	139

[अनुवाद]

कोचीन में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसिपमेंट टर्मिनल स्थापित किया जाना

750. श्री पी॰ सी॰ थामस : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन के नजदीक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसिपमेंट टर्मिनल स्थापित करने के व्यवहार्यता के संबंध में अध्ययन करने के लिए नियुक्त एक विदेशी, सलाहकार, फ्रेडरिक हैरिस ने सकारात्मक रिपोर्ट दी है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे टर्मिनल स्थापित करने का है;

(ग) क्या कोचीन में ऐसे टर्मिनल विकसित करने से कोलंबो और सिंगापुर के साथ प्रतिस्पर्धा में भारत को अच्छा व्यापार मिलने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) और (ख) एक डच परामर्शदाता मै॰ फ्रेडरिक आर हैरिस ने 1991 में कोचीन पत्तन न्यास को सौंपी अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि वल्लारपदम, कोचीन में एक कन्टेनर ट्रांसिपमेंट टर्मिनल स्थापित किया जाए। यह रिपोर्ट अद्यतन की जा रही है।

(ग) प्राथमिक रिपोर्ट में कारोबार की अच्छी संभावना बताई गई है।

(घ) मै॰ फ्रेडरिक आर हैरिस की 1991 की रिपोर्ट को अद्यतन किए जाने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी।

उग्रवादियों का रक्षा बलों में संपर्क

751. श्री सुकदेव पासवान :

श्री शिवानंद एच॰ कौजलगी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क निवारक इकाई ने हाल ही में सैन्य प्रतिष्ठानों और कश्मीर घाटी में सामरिक महत्व वाले ठिकानों पर भारतीय सैनिकों की तैनाती से संबंधित अत्यंत गोपनीय सैन्य दस्तावेजों सहित एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अत्यंत गोपनीय दस्तावेज प्राप्त करने के लिये रक्षा बल के कार्मिकों के साथ उग्रवादियों के संपर्कों का पता लगाने के लिये कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या निकले हैं; और

(ङ) ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (ङ) शाह मोहल्ला श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) के निवासी अली मोहम्मद के पुत्र तथा पाकिस्तान में प्रशिक्षित जम्मू और कश्मीर के उग्रवादी मो॰ सैयद लियाकत अली को सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने 25.9.1997 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा था, जब वह जम्मू कश्मीर में उग्रवाद विरोधी संक्रियाओं से संबंधित कुछ वर्गीकृत रक्षा

दस्तावेजों को चोरी-छिपे दुबई ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसे गिरफ्तार किया गया और शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अंतर्गत उसके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।

उसके पश्चात् मामले की जांच करने पर पता चला कि 116 प्रादेशिक सेना बटालियन (पी०ए०आर०ए०) से टी ए-42079 पी मेजर तनसीर आलम भी उसमें शामिल थे जिन्होंने जासूसी कार्यकलापों मे अपनी भागीदारी को स्वीकार कर लिया है। उन्हें 5 अक्तूबर 1997 से हिरासत में ले लिया गया है उनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[*हिन्दी*]

राष्ट्रीय स्मारकों पर अतिक्रमण

752. **श्री इलियास आज़मी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि अबुलफजल, फैजी और उनकी बहन लाडली बेगम के मकबरे जो कि हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है, से संबंधित चार बीघा जमीन का अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक श्री भानु प्रताप सिंह ने इस भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है और इसके बाद उन्होंने यहां सिद्धार्थ एन्कलेव के निर्माण के लिए मैसर्स फ्रेंड बिल्डर्स से भारी राशि ली है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्री भानु प्रताप सिंह ने इन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों को गिरा दिया है;

(घ) क्या सरकार इस घोटाले की कोई उच्च स्तरीय जांच करवायेगी और इसमें जिम्मेवार लोगों को दंडित करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[*अनुवाद*]

टैंकरोधी मिसाइलों का परीक्षण

753. **श्री माधव राव सिंधिया** :

श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुधवार, 9 सितंबर, 1997 को "नाग" नामक टैंकरोधी मिसाइल का परीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई; और

(ग) भारत उच्च मारक क्षमता वाले मिसाइलों के विकास में विकसित देशों के कितना समतुल्य है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) और (ख) हाल ही में सितंबर, 1997 के दौरान हुई उड़ान परीक्षण श्रृंखला में इस मिसाइल की ऊपर से मार करने की क्षमता का सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया।

(ग) इस प्रकार के उच्च क्षमता वाले मिसाइलों में भारत विकसित देशों के समतुल्य है।

[*हिन्दी*]

औद्योगिक अपशिष्टों से नदी में प्रदूषण

754. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** :

श्री नीतीश कुमार :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 सितम्बर, 1997 को "द इकोनोमिक टाइम्स" में "सेन्टर टू बिल्ट स्टिक ऑन रीवर पाल्युटर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या औद्योगिक अपशिष्टों के कारण देश में नदियों का जल तथा अन्य जल स्रोत प्रदूषित हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो उन नदियों तथा जल स्रोतों और उनके जल प्रदूषित करने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन उद्योगों को तीन माह के भीतर अपेक्षित अपशिष्ट शोधन प्रणाली स्थापित करने अथवा इन उद्योगों को बंद करने के लिए कहा है;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन उद्योगों द्वारा औद्योगिक अपशिष्टों का उपचार करने के लिए कब तक प्रबंध किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़): (क) जी, हां।

(ख) से (च) 18 राज्यों/केन्द्र शासित राज्यों में बड़े एवं मध्यम कुल 2901 उद्योगों का अभिनिर्धारण किया गया है जिनसे जल निकायों में प्रदूषण हो रहा है इनमें नदियां शामिल हैं। इन उद्योगों की राज्यवार संक्षिप्त स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 (1) (ख) के अन्तर्गत दोषी उद्योगों को अपने बहिस्राव उपचार के लिए तीन माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश देने के और ऐसा न करने पर दोषी उद्योगों को बन्द करने का नोटिस जारी करने के लिए कहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी और निर्देशों के अनुपालन के लिए औद्योगिक यूनिटों के समय बढ़ाने के प्रस्तावों की जांच करने के लिए चार क्षेत्रीय समितियां गठित की हैं।

विवरण

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में दोषी उद्योगों की स्थिति का समग्र सारांश

क्रम सं॰	राज्य	उद्योगों की संख्या कुल	बन्द	बहि:स्राव उपचार संयंत्र स्थिति पर्याप्त	अपर्याप्त
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	79	8	20	51
2.	असम	15	0	8	7
3.	बिहार	48	0	36	12
4.	गोवा	1	0	1	0
5.	गुजरात	31	0	14	17
6.	हरियाणा	49	0	29	20
7.	हिमाचल प्रदेश	5	0	5	0
8.	कर्नाटक	20	0	13	7
9.	केरल	37	0	33	4
10.	मध्य प्रदेश	36	0	34	2
11.	महाराष्ट्र	39	0	33	6
12.	उड़ीसा	24	1	15	8
13.	पंजाब	24	1	15	8
14.	राजस्थान	12	0	12	0
15.	तमिलनाडु	1961	0	305	1656
16.	संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी	4	0	1	3
17.	उत्तर-प्रदेश	471	25	234	212
18.	पश्चिम बंगाल	45	0	43	2
	कुल	2901	34	841	2026

[*अनुवाद*]

राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास

755. **श्री छीतुभाई गामीत :**

कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री लिंगाराज वल्याल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उद्यानों और अभ्यारण्यों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं;

(ग) क्या गुजरात में राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) देश में राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है :

(1) राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास

(2) बाघ रिजर्व सहित संरक्षित क्षेत्रों के आस-पास पारि-विकास

(3) बाघ परियोजना

(4) हाथी परियोजना

सहायता का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के प्राकृतिक-वास का विकास, संरचनात्मक विकास, संरक्षण संबंधी उपायों, संचार व्यवस्था में सुधार, शिक्षा और जागरूकता, अनुसंधान और सर्वेक्षण आदि पर केन्द्रित होता है।

(ग) और (घ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य को "राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास" और "संरक्षित क्षेत्रों और उसके आस-पास पारि-विकास" की योजनाओं के तहत मुहैया की गई राशि निम्नवत है:

वर्ष	*मुहैया की गई राशि* (लाख रुपए में)
1994-95	31.70
1995-96	39.43
1996-97	63.778

विवरण

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या	अभ्यारण्यों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	20
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	11
3.	असम	3	8
4.	बिहार	2	20
5.	गोवा	1	4
6.	गुजरात	4	21

1	2	3	4
7.	हरियाणा	1	9
8.	हिमाचल प्रदेश	2	32
9.	जम्मू व कश्मीर	4	16
10.	कर्नाटक	5	20
11.	केरल	3	12
12.	मध्य प्रदेश	11	32
13.	महाराष्ट्र	5	24
14.	मणिपुर	2	1
15.	मेघालय	2	3
16.	मिजोरम	2	3
17.	नागालैंड	1	3
18.	उड़ीसा	2	17
19.	पंजाब	-	6
20.	राजस्थान	4	22
21.	सिक्किम	1	4
22.	तमिलनाडु	5	13
23.	त्रिपुरा		4
24.	उत्तर प्रदेश	7	28
25.	पश्चिम बंगाल	5	16
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6	94
2.	चंडीगढ		1
3.	दमन और दीव	-	1
4.	दिल्ली	-	1
5.	लक्षद्वीप	-	1
	जोड़	84	447

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा हड़ताल

756. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक एक महीने से अधिक समय से हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई समझौता हुआ है तो उसकी शर्तें क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ (डी यू टी ए) के आह्वान पर दिल्ली विश्वविद्यालय और इसके अधिकतर कालेजों के अध्यापक करीब एक महीने से हड़ताल पर थे। मुख्य शिकायत विधि संकाय के एक प्रोफेसर द्वारा विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्रवेश के संबंध में कुलपति के विरुद्ध लगाए गए कुछ आरोपों के परिणामस्वरूप उन्हें निलम्बित करने के संबंध में थी। विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान होने के कारण संबंधित प्रोफेसर को पुन: बहाल कर दिया गया तथा हड़ताल समाप्त कर दी गई। परन्तु इस उद्देश्य के लिए कोई करार नहीं किया गया था।

ऊपरी इंदरावती सिंचाई परियोजना

757. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा उड़ीसा के सूखाग्रस्त कालाहांडी जिले के लिए ऊपरी इंदरावती सिंचाई परियोजना कब अनुमोदित की गई थी;

(ख) उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित करते समय इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी थी;

(घ) इस परियोजना से कितने आदिवासी परिवार प्रभावित हुए हैं और कितने अब तक पुनर्वासित किए गए हैं; और

(ङ) प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा दिलवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ज्ञीश राम ओला): (क) और (ख) अपर इन्द्रावती बहुउद्देशीय परियोजना योजना आयोग द्वारा 3 मई, 1978 को 208.14 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अनुमोदित की गई थी।

(ख) 9/97 तक अपर इन्द्रावती परियोजना की वास्तविक और वित्तीय प्रगति इस प्रकार है :

बांध और मुख्य कार्य

	कार्य की मदें		प्रगति
1.	इन्द्रावती, पोदागादा और कापूर बांध	-	अधिकांशत: पूर्ण
2.	मुरान बांध	-	85 प्रतिशत पूर्ण
3.	डाइकें	-	पूर्ण
4.	हाती बराज और मुख्य नियामक	-	पूर्ण

	नहरें	मिटटी कार्य	सीमेंट एवं चिनाई	पक्का करना
1.	बायां नहर प्रणाली	68%	55%	54%
2.	दायां नहर प्रणाली	99.9%	99%	-
3.	लिफ्ट नहर प्रणाली	-	अभी शुरू नहीं की गई है।	

	वित्तीय	करोड़ रुपये में
1.	अद्यतन अनुमानित लागत	1588.06
2.	3/97 तक व्यय	842.98

(घ) और (ङ) परियोजना से 2293 आदिवासी परिवार प्रभावित हुए थे और सभी परिवारों को पुन: बसा दिया गया है।

हुगली नदी में नौसंचालन संबंधी सुरक्षोपाय

758. **श्री सिद्दया कोटा** : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हुगली नदी को तल कर्षण करके इसमें नौसंचालन संबंधी सुरक्षोपायों को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पत्तन का बचाव करने के लिए इस परियोजना को कब तक शुरू करने की संभावना है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) से (ग) कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा भारतीय निकर्षण निगम और अपने ड्रेजरों के जरिए हुगली नदी का नियमित अनुरक्षण निकर्षण किया जा रहा है। चैनल को स्थिर रखने और गहराई में सुधार करने के लिए निकर्षण के अतिरिक्त पत्तन ने नदी संरक्षण कार्य भी किए हैं/करने की योजना बनाई है।

श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाना

759. **श्री हरिन पाठक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन पी पी सी संघों द्वारा निगम में भ्रष्टाचार के कारण श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु अगस्त, 1997 में प्रदर्शन किया गया था;

(ख) क्या सरकार को कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने तथा इसमें शामिल अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने हेतु एक ज्ञापन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) ज्ञापन में निहित एन पी सी सी यूनियन की मांगों पर उपर्युक्त कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

[*हिन्दी*]

महाराष्ट्र में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना

760. **श्री दत्ता मेघे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इनकी स्थापना की जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) वर्ष 1997-98 के दौरान महाराष्ट्र में नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय विद्यालय उन स्थानों पर खोले जाते हैं जहां केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों/रक्षा कर्मचारियों का बाहुल्य होता है और प्रायोजक विभाग/अधिकरण केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार जमीन, अस्थाई आवास सहित भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं।

[*अनुवाद*]

अनुदान जारी करना

761. **श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अंतर्गत प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्कूलों की स्थापना करने के साथ-साथ राज्य के अपर प्राइमरी स्कूलों के विस्तार के लिए धन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 1997 तक इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) राज्य के निम्न महिला साक्षरता वाले जिलों में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। चूंकि यह एक नई योजना है, अत: वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार चालू वर्ष में कार्यान्वयन हेतु इस योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। 1770 उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षण अध्ययन उपस्करों के लिए एक अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा प्रस्ताव पर अग्रिम कार्रवाई के लिए राज्य सरकार एक राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के आयोजन हेतु बार-बार अनुरोध कर रही है।

उपरोक्त लिखित कारणों से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार को कोई निधि जारी नहीं की गई है।

[*हिन्दी*]

भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन

762. **श्री रमेन्द्र कुमार** :

श्री मदन पाटिल :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वनों के पुन: स्थापन, संरक्षण और प्रबंधन तथा साथ ही एक समान कानून की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ विभिन्न राज्य संशोधनों को समेकित करने हेतु भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करने के लिए एक विस्तृत कार्यवाही प्रारंभ की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

क्रिकेट में सट्टेबाजी

763. **श्री विजय पटेल :**

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खिलाड़ियों की मिलीभगत से क्रिकेट में कथित सट्टेबाजी की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो जांच का स्वरूप कैसा होगा;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान देश में विदेशी टीमों के खिलाफ क्रिकेट खेलने से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य

764. **श्री हंसराज अहीर** : क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) से निजामाबाद-माचेरियाल-सिटोन-भोपाल से बरास्ता आंध्र प्रदेश पलपट्टनम बीजापुर-जगदलपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य और प्रानहिता नदी पर पुल के निर्माण कार्य को शामिल करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव 1998-99 के वार्षिक बजट में शामिल किया जायेगा; और

(ग) क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल की आवश्यकता को देखते हुए सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) और (ग) वार्षिक योजना 1998-99 को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और ब्यौरे दे पाना अभी संभव नहीं है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता स्मारक का निर्माण

765. ***श्रीमती शारदा टाडीपारथी*** : *क्या* **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की आजादी की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष में स्वतंत्रता स्मारक के निर्माण का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्मारक की अनुमानित लागत क्या होगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के आयोजन की राष्ट्रीय समिति एक स्वतंत्रता-स्मारक के निर्माण के विचार को स्वीकृति प्रदान कर चुकी है और उसने इच्छा व्यक्त की है कि संकल्पना-नोट का पुन: मसौदा तैयार करने के लिए इतिहासकारों का एक दल गठित किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी, ऐतिहासिक तथा वास्तुकला संबंधी और दूसरे ब्यौरों की जांच-पड़ताल के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा चुका है। मामले पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए कथित विशेषज्ञ समिति की दो बार बैठक हो चुकी है। सरकार को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर अभी निर्णय करना है।

उर्वरक संयंत्रों द्वारा प्रदूषण

766. **श्री के॰ पी॰ सिंह देव** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जल और वायु प्रदूषण फैलाने वाले उर्वरक संयंत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो उन उर्वरक संयंत्रों के खिलाफ क्या कार्यवाही शुरू की गई है; और

(ग) जल तथा वायु प्रदूषण रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) जी, हां। प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्राथमिकता की दृष्टि से कार्रवाई करने हेतु देश के जिन कुल 110 उर्वरक संयंत्रों का पता लगाया गया है उनमें से 96 ने अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं प्रदान कर दी हैं, 8 बंद हैं और शेष 6 दोषी हैं। 6 दोषी इकाइयों में से 4 इकाइयों के खिलाफ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और शेष 2 इकाइयों से संबंधित मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

इको/पर्यावरण क्लब

767. **श्री उत्तम सिंह पंवार :**

श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरणीय शिक्षा के लिए प्रशिक्षण स्थापित किए गए इको/पर्यावरण क्लबों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्य किस हद तक पूरे कर लिए गए हैं;

(ग) देश में 'पर्यावरण वाहिनी' के लिए किन जिलों का चयन किया गया; और

(घ) पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के निर्धारण के लिए मानदंड, यदि कोई हों, क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान गठित पारि-क्लबों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) पारि-क्लबों ने उपलब्धियों के लिए कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं। तथापि, ये पारि-क्लब विभिन्न पर्यावरणीय विषयों पर विद्यालयों के बच्चों को शिक्षा देने में सफल रहे हैं।

(ग) अब तक देश में पर्यावरण वाहिनियों के गठन के लिए 195 जिलों का चयन किया गया है। पर्यावरण वाहिनियों का राज्यवार विवरण-II संलग्न है।

(घ) उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना पर्यावरणीय विज्ञान के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण संबंधी कार्यों के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं में की जाती है।

विवरण-I

पर्यावरण शिक्षा का प्रशिक्षण के लिए विभिन्न राज्यों में गठित पारि-क्लबों की सूची

क्र॰सं॰	राज्य	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	222	86	185
2.	असम	26	31	26
3.	अरुणाचल प्रदेश	50	-	-
4.	बिहार	40	-	179
5.	गोवा	18	82	100
6.	हरियाणा	186	33	-
7.	जम्मू व कश्मीर	28	-	-
8.	कर्नाटक	31	50	73
9.	महाराष्ट्र	133	-	210
10.	मध्य प्रदेश	139	186	94
11.	मणिपुर	-	-	100
12.	उड़ीसा	148	-	175
13.	पंजाब	51	-	-
14.	राजस्थान	-	27	25
15.	तमिलनाडु	-	54	79
16.	उत्तर प्रदेश	204	80	257
17.	पश्चिम बंगाल	89	483	50
18.	दिल्ली	-	79	-
	कुल	1365	1191	1553

विवरण-II

पर्यावरण वाहिनियों के गठन के लिए चुने गए जिलों की राज्यवार सूची

आंध्र प्रदेश

1. विशाखापत्तनम
2. कुरनूल
3. खम्माम
4. कृष्णा
5. करीम नगर
6. पू॰ गोदावरी - मु॰ काकीनाडा
7. प॰ गोदावरी - मु॰ इलूरू
8. महबूबनगर
9. मेडक
10. रंगारेड्डी
11. नालगोंडा

अरुणाचल प्रदेश

1. पू॰ सियांग
2. तीरप
3. दिबांग घाटी - मु॰ अनिनी
4. पू॰ कामंग - मु॰ सेप्पा
5. लोहित - मु॰ तेजू
6. निचला सुबंसिरी - मु॰ जीरो
7. तावांग

8. तीरप - मु० खोंसा
9. ऊपर सुबंसिरी - मु० डपोरिगो
10. प० कामनेंग - मु० बोमडिला
11. प० सियंग - मु० अलांग
12. पपुम्परे - मु० ईटानगर

असम

1. डिब्रूगढ़
2. सिब सागर
3. कार्बी आंग्लांग
4. सिल्चर

बिहार

1. धनबाद
2. रांची
3. सिंहभूम
4. हजारीबाग
5. रोहतास
6. गोड्डा
7. प० चम्पारन

गोवा

1. द० गोवा - मु० मारगाओ
2. उ० गोवा - मु० पणजी

गुजरात

1. अहमदाबाद
2. वलसाड़
3. बड़ोदरा
4. डांग्स
5. भरौच
6. सुराग
7. जूनागढ़

हरियाणा

1. रोहतक
2. हिसार

हिमाचल प्रदेश

1. कुल्लू
2. कांगडा
3. सिरमौर
4. ऊना
5. हमीरपुर
6. चम्बा
7. मंडी
8. बिलासपुर

जम्मू-कश्मीर

1. जम्मू
2. बारामूला
3. लेह
4. अनन्तनाग
5. पुलवामाभाग
6. श्रीनगर
7. बडगाम
8. कुपवारा
9. कारगिल
10. उद्यमपुर
11. डोडा
12. खतुआ
13. राजौरी
14. पुंछ

कर्नाटक

1. दक्षिण कन्नड़
2. मैसूर
3. बंगलौर ग्रामीण
4. शिमोगा
5. गुलबर्ग
6. बीदर
7. बेलगाम

केरल

1. इडुकी
2. पालघाट
3. एर्नाकुलम
4. कोझिकोड
5. वायनाड

6. मालापुरम

मध्य प्रदेश

1. बस्तर - मु० जगदलपुर
2. बालघाट
3. भिंड
4. बिलासपुर
5. छिन्दवाड़ा
6. दमोह
7. दुर्ग
8. मंदसौर
9. जबलपुर
10. रायसेन
11. होशंगाबाद
12. सतना
13. सिहौर
14. शहडोल
15. बेतुल
16. भोपाल
17. छतरपुर
18. दतिया
19. देवास
20. धार
21. पू० निमार - मु० खंडवा
22. गुना
23. ग्वालियर
24. इन्दौर
25. झाबुआ
26. मंडला
27. मोरेना
28. नरसिंहपुर
29. पन्ना
30. रायगढ़
31. रायपुर
32. राजनंदगांव
33. रतलाम
34. रेवा
35. सागर
36. सिओनी
37. शाहजापुर
38. शिवपुरी
39. सिधी
40. सरगुजा - मु० अम्बीकपुर
41. टीकमगढ़
42. उज्जैन
43. विदिशा
44. प० निमार - मु० खारगौन

महाराष्ट्र

1. भंडारा
2. नागपुर
3. पुणे
4. थाणे
5. चन्द्रपुर
6. रायगढ़
7. सिंधुगढ़
8. रतनागिरि
9. बाम्बे शहर
10. जलगांव
11. नासिक
12. औरंगाबाद
13. अहमदनगर
14. कोल्हापुर
15. सतारा
16. शोलापुर
17. संघोली

मणिपुर

1. उखरूल

मेघालय

1. पू० खासी पहाड़ियां - मु० शिलांग

मिजोरम

1. आइज़ोल

	नागालैंड
1	कोहिमा
2.	मोकोकचुंग
	उड़ीसा
1.	कालाहांडी - मु० भवानीपतना
2.	बोलांगीर
3.	ढेकनाल
	पंजाब
1.	संगरूर
2.	लुधियाना
3.	रोपड़
4.	फिरोजपुर
	राजस्थान
1.	डूंगरपुर
2.	पाली
3.	उदयपुर
4.	अलवर
5.	कोटा
6.	चित्तौडगढ़
	सिक्किम
1.	उ० सिक्किम
2.	द० सिक्किम
3.	प० सिक्किम
	तमिलनाडु
1.	मद्रास
2.	मदुरई
3.	नीलगिरि
4.	उ० आरकोट
5.	तिरूनेलवेली कोटाबोमान
6.	डिंडीगुल
7.	तंजौर
8.	त्रिची
9.	वल्लालर
10.	सलेम
11.	विल्लापुरम रामासामी पद्यातचियर
	त्रिपुरा
1.	उ० त्रिपुरा - मु० उदयपुर
	उत्तर प्रदेश
1.	आगरा
2.	इलाहाबाद
3.	कानपुर
4.	सुल्तानपुर
5.	सोनभद्रा - मु० रोबर्टसगंज
6.	देहरादून
7.	चमोली
8.	नैनीताल
9.	गाजियाबाद
10.	देओरिया
11.	मुरादाबाद
12.	सहारनपुर
13.	मेरठ
14.	मुजफ्फरनगर
	संघ राज्य क्षेत्र
	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह
1.	अंडमान द्वीप
	चंडीगढ़
1.	चंडीगढ़
	दादर व नगर हवेली
1.	दादर व नगर हवेली
	दिल्ली
1.	दिल्ली
	लक्षद्वीप
1.	लक्षद्वीप
	पांडिचेरी
1.	पांडिचेरी

टेलीफोन सुविधाओं में सुधार

768. प्रो० पी० जे० कुरियन :

श्री नरेन्द्र बुडानिया :

श्री जयसिंह चौहान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं की अपर्याप्तता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इन स्थानों पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्यकरण में सुधार लाने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो उन दिशा निर्देशों का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं की अपर्याप्तता की जानकारी है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रत्येक गांव में कम से कम एक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन संस्थापित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। 1997-98 के दौरान 83000 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सहित 7.5 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

(घ) से (च) ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थापित सार्वजनिक टेलीफोनों की दैनिक आधार पर जांच करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। दूरसंचार सर्किलों में शीर्ष प्रबंधन द्वारा निगरानी का कार्य किया जाता है। इसके परिणामों का दूरसंचार विभाग मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है। सभी सर्किलों द्वारा इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।

खतरनाक रूप से कोयले का खनन

769. **श्री राजीव प्रताप रूडी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 सितम्बर, 1997 को "द इकनामिक टाइम्स" में "इंव वैली माइनिंग कोल और डेथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या महानदी कोयला क्षेत्रों में खनन कार्यों से 1380 किलोमीटर क्षेत्र में वायु प्रदूषण हुआ है जिससे श्रमिकों तथा अन्य कर्मचारियों को श्वास संबंधी बीमारियां हुई हैं;

(ग) क्या पर्यावरणीय ह्रास तथा प्रदूषण से जीवन-काल में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार द्वारा श्रमिकों की कार्य दशाओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता

770. **श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ देशों द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों संबंधी प्रौद्योगिकी प्रदान करने से इंकार करने पर रक्षा-प्रणालियों में देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाओं को तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों में जिन नई नीतियों को देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए तैयार/अंतिम रूप दिया जा रहा है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा-अनुसंधान विकास विभाग की विशिष्ट उपलब्धियों और रक्षा संबंधी नई-नई मांगों के अनुरूप विश्वव्यापी प्रगति को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु सौंपी गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए वर्ष 1995 में दस वर्षीय मिशन शुरू किया गया है ताकि वार्षिक रक्षा अर्जनों में स्वदेशी अंश को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया जा सके। रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए चालू कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जा रही है और कुछ नई परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

गत तीन वर्षों में डी आर डी ओ ने आयुध तथा कवच क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन" थलसेना द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है तथा यह उत्पादन चरण में दाखिल हो गया है। टी-72 (एम-1) अजेय टैंक के कवच तथा दिन व रात युद्ध क्षमता का उन्नयन किया गया है। थल-से-थल पर 150 कि॰मी॰ दूरी तक मार करने वाली मिसाईल "पृथ्वी" का विकास हो गया है तथा उत्पादन आरंभ हो चुका है। हल्के वजन वाली 5.56 मि॰ मी॰ इन्सास राईफल, हल्की मशीन गन तथा इनकी गोलियां उत्पादन में हैं। चालक रहित विमान "लक्ष्य" उत्पादन में है। थल सेना और वायुसेना के लिए कम ऊंचाई पर देखने वाला "इन्द्रा पी सी" राडार तथा इलैक्ट्रानिक वारफेयर प्रणालियां विकसित हो चुकी है तथा उत्पादन में है।

डी आर डी ओ द्वारा विकसित उपलिखित प्रणालियां उत्पादन मूल्य में रुपये 4,000 करोड़ का योगदान देंगी। लम्बी दूरी की थल से थल पर मार करने वाली मिसाइल के लिए अग्नि पुन: प्रवेश प्रणाली का सफलता पूर्वक प्रदर्शन किया गया है।

उन्नत देशों द्वारा लगाए गए प्रौद्योगिकी निर्यात पर प्रतिबंधों की

चुनौतियों का सामना करने के लिए क्रांतिक प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए कार्यक्रम चालू किए गए हैं। गैलियम आरसेनाईड प्रौद्योगिकी केन्द्र (गैटक) की स्थापना की गई है और कुछ निष्क्रिय/सक्रिय पुर्जों का निर्माण किया गया है। सिलिकान फाउन्ड्री की स्थापना हुई है और मिसाइल के लिए माइक्रो प्रोसेसर बनाने की क्षमता विकसित हो गई है।

भारतीय टेलीफोन उद्योग से विनिवेश

771. **श्री एन॰ एन॰ कृष्णादास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय टेलीफोन उद्योग से विनिवेश करने हेतु विनिवेश आयोग द्वारा किए प्रस्तावों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी नहीं।

आई टी आई लि॰ से संबंधित विनिवेश आयोग की सिफारिश पर इस समय आई टी आई लि॰ के प्रबंधन के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् दूरसंचार विभाग में विचार-विमर्श चल रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय परियोजना निगम लि॰ को हानि

772. **श्री मदन पाटिल** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों से राष्ट्रीय परियोजना निगम लि॰ को बहुत बड़ी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय परियोजना निगम को बंद करने का केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार की इस हानि को दूर करने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में अभी क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी हां।

(ख) एन पी सी सी लिमि॰ को वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 में क्रमश: 26.61 करोड़ रुपये, 34.45 करोड़ रुपये और 39.41 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां।

(च) पुनरुद्धार योजना सरकार के विचाराधीन है। इस पुनरुद्धार योजना में सरकारी ऋण को इक्विटी में बदलकर पूंजी के ढांचे में परिवर्तन करना, सरकारी ऋण पर ब्याज तथा काऊंटर गारंटी फीस माफ करना, नई निधियां देना, अधिशेष जनशक्ति को कम करना, काऊंटर गारंटी सीमा बढ़ाना आदि जैसे कुछ उपायों का प्रस्ताव किया गया है।

टेलीफोनों का खराब रहना

773. **श्री सत महाजन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में जुलाई से सितंबर, 1997 की तिमाही के दौरान (15 अक्तूबर, 1997 तक) टेलीफोनों के ठीक से काम न करने/कार्य न करने के संबंध में कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) इन शिकायतों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) शिकायतों को दूर करने के लिए औसतन कितना समय लिया जाता है;

(घ) क्या शिकायतों को दूर करने में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समय लिया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) खराब टेलीफोन उपकरण को बदलने में औसतन कितना समय लगता है;

(छ) क्या खराब टेलीफोन उपकरणों को बदलने की शिकायतें कई महीनों से लंबित पड़ी हुई हैं; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और खराब टेलीफोन उपकरणों को तुरंत बदलने के संबंध में क्या उपाए किए जाने पर विचार किया जा रहा है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) एम टी एन एल, दिल्ली में प्राप्त हुई शिकायतों की क्षेत्रवार संख्या का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) इस समय 73.90% शिकायतों का निपटान निर्धारित मानकों अर्थात् 48 घंटों के भीतर, 25.70% शिकायतों का निपटान 3 से 7 दिनों के भीतर कर दिया गया हैं तथा केबल के टूट-फूट/केबलों के चोरी हो जाने इत्यादि के कारण शेष खराबियों को ठीक करने संबंधी शिकायतों के निपटान में विलंब हो जाता है।

(घ) और (ङ) जी हां। निम्नलिखित कारणों से खराबियों को ठीक करने में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग समय लगता है :

(i) टेलीफोन कनेक्शन का घनत्व

(ii) क्षेत्र यदि वाणिज्यिक/आवासीय हो

(iii) क्षेत्र विशेष के टेलीफोन एक्सचेंज स्विचन उपस्करों की किस्म।

(च) अधिकांश खराब टेलीफोन उपकरणों को 24 घंटों के भीतर बदल दिया जाता है तथापि, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कुछ मामलों में विलंब हो जाता है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) उपर्युक्त भाग (छ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह लागू नहीं होता।

विवरण

क्षेत्र	जुलाई, 97	अगस्त, 97	सितंबर, 97	अक्तूबर, 97
केन्द्रीय	37274	36457	30694	12190
पूर्वी	67872	67737	69176	25518
यमुनापार	67784	69721	64986	29301
उत्तरी	66563	63572	58144	25656
दक्षिणी-1	43389	48365	46317	17968
दक्षिणी-2	63400	60082	54382	21490
पश्चिमी-1	71312	76967	63080	29118
पश्चिमी-2	64143	70941	62296	24026
जोड़	401737	493842	449075	185267

तार घर

774. **श्री के॰ सी॰ कोडय्या** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेलारी शहर में कितने तार घर हैं;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि बेलारी शहर के लोगों को 24 घंटे तार और एस टी डी की सुविधायें उपलब्ध नहीं है; और

(ग) सरकार द्वारा शीघ्र तार वितरण किए जाने तथा 24 घंटे एस टी डी सुविधा प्रदान किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) एक तार घर बेलारी शहर में कार्यरत है।

(ख) और (ग) जी हां। तार घर बेलारी में तारों, एस टी डी कॉलों, ट्रंक कालों और फैक्स सेवाओं की बुकिंग और वितरण (डिलीवरी) की सुविधाएं 0700-2200 बजे के बीच के समय में उपलब्ध हैं। वर्तमान परियात भार तार-घर के कार्य समय की बढ़ोतरी को न्यायोचित सिद्ध नहीं करता। तथापि, शहर में एस टी डी कॉलों के प्रयोजनार्थ अधिकृत निजी प्रचालक उपलब्ध हैं।

तीस्ता बांध परियोजना

775. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीस्ता जलधारा मुख्य नहर के निर्माण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के संबंध में देरी से निर्णय लिए जाने के कारण परियोजना लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) पश्चिम बंगाल में तीस्ता बांध परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं के कारण परियोजना में देरी हुई।

(ख) इस समय तीस्ता बराज (फेज-1) का चरण-1 का उपचरण-1 क्रियान्वित किया जा रहा है। मार्च, 1997 को परियोजना के विभिन्न घटकों के निर्माण की वर्तमान अवस्था नीचे दी गई है :

तीस्ता, महानंदा और डॉक नगर बराज नामक तीन बराज, तीस्ता महानन्दा लिंक नहर और महानंदा मुख्य नहर पूरी हो गई है। अन्य तीन मुख्य नहरों और वितरण प्रणाली की प्रगति नीचे दी गई है :

1.	डॉक नगर मुख्य नहर	-	66%
2.	नागर टेंगान मुख्य नहर	-	0%
3.	तीस्ता जल ढाका मुख्य नहर	-	55%
4.	वितरण प्रणाली	-	25%

(ग) योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजनाओं के लिए 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुमोदित की है। इसके अलावा, वर्ष 1996-97 के दौरान परियोजना के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 5.0 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की गई थी और इस वर्ष 15 करोड़ रुपये की एक किश्त जारी की गई है।

तथापि, सिंचाई राज्य का विषय है। परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा इसे दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

[*हिन्दी*]

रक्षा परियोजनाओं पर व्यय

776. **श्री डी॰ पी॰ यादव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997 के दौरान आज तक अनेक रक्षा परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि व्यय की गई; और

(ख) वर्ष 1997 के दौरान सफलतापूर्वक शुरू की गई रक्षा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) नई और चल रही रक्षा परियोजनाओं सहित वित्त वर्ष 1997-98 के लिए 32000 करोड़ रुपये का रक्षा बजट है।

(ख) रक्षा परियोजनाओं के विशिष्ट ब्योरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

तलवार समिति

777. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :**

प्रो॰ रासा सिंह रावत :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग विभागेत्तर एजेंटों को सरकारी कर्मचारी समझता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनके वेतन संबंधी ढांचे और कार्य शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों/एजेंटों से संबंधित सेवा शर्तों, परिलब्धियों और सुविधाओं की जांच करने के लिए गठित न्यायमूर्ति तलवार समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ङ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या पांचवें वेतन आयोग ने इस संबंध में कोई सिफारिश की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31.3.97 की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की संख्या 3,08,307 थी। वेतन ढांचे तथा कार्य परिस्थितियों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) जी हां।

(ङ) समिति की सिफारिशों का सारांश भी सलंग्न है।

(च) कुछ सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं तथा अन्य सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(छ) जी नहीं। तथापि, यह पता चला है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए गठित तलवार समिति ने अपनी सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों के लिए गठित पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तैयार की हैं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

डाक विभाग में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के भत्ते एवं कार्य शर्तें

अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की परिलब्धियों को भत्ता कहा जाता है। उन्हें श्रेणीवार निम्नलिखित भत्ते दिए जाते हैं :

श्रेणी	भत्ते	
	न्यूनतम	अधिकतम
	रु॰	रु॰
अतिरिक्त विभाग उप पोस्टमास्टर एवं अतिरिक्त विभागीय, सार्टर	385	620
अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर	275	535
अतिरिक्त विभागीय डाक टिकट विक्रेता	270	420
अन्य सभी अतिरिक्त विभागीय एजेंट		
2 घंटे कार्यभार से कम के लिए	240 (नियत)	
2 घंटे और उससे ऊपर कार्यभार के लिए	270	420

उपर्युक्त भत्तों में 3.25 गुना वृद्धि करने पर सहमति हुई है।

ऊपर निर्दिष्ट भत्तों के अतिरिक्त, अतिरिक्त विभागीय एजेंट निम्नलिखित अतिरिक्त भत्ते प्राप्त करने के भी पात्र हैं :

i. उन दरों पर मंहगाई भत्ता जिन दरों पर यह केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय है।

ii. अंतरिम राहत - न्यूनतम 150/- रुपये प्रतिमाह और अधिकतम 174/- रुपये प्रतिमाह

iii. अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को वितरण एवं वाहन भत्ता, जहां लागू है : 75/- रुपये प्रतिमाह

iv. अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टरों और शाखा पोस्टमास्टरों को आफिस मैंटेनेंस भत्ता 25/- रुपये प्रतिमाह

v. अतिरिक्त विभाग उपपोस्टमास्टरों और शाखा पोस्टमास्टरों को नियत स्टेशनरी प्रभार 5/- रुपये प्रतिमाह

vi. वितरण कार्य करने वाले अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट और अतिरिक्त विभागीय डाक वाहक को नियत स्टेशनरी प्रभार 2/- रुपये प्रति माह

vii. साइकिल रखरखाव भत्ता, जहां लागू हो 30/- रुपये प्रतिमाह

viii. अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की वास्तविक परिलब्धियों के आधार पर उन्हे अनुग्रह बोनस देय है।

ix. पी सी ओ/तार कार्य करने के लिए अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों का पारिश्रमिक 20/- रुपये प्रतिमाह।

जावक ट्रंक कालों के लिए संदेशवाहक शुल्क के रूप में प्रति काल 0.40 पैसे और आवक कॉलों के लिए प्रति कॉल 0. 50 पैसे। दूरभाष पर प्रेषित आवक और जावक तारों के लिए 0.40 पैसे।

x. **उत्तराखंड डिवीजन भत्ता :**

उत्तराखंड डिवीजन के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने में 40 रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है बशर्ते कि उन्होंने उस वर्ष के मार्च से अतिरिक्त विभागीय एजेंट के बतौर लगातार कार्य किया हो।

xi. **सामूहिक बीमा योजना :**

अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 1.4.1992 से सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत भी लाया गया है। यह योजना 1.4.1992 से पूर्व सेवारत अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए वैकल्पिक तथा 1.4.1992 को या उसके बाद नियुक्त अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये प्रतिमाह का भुगतान करने पर 10,000/- रुपये का जोखिम कवर किया जाता है। उनमें से 3.50 रुपये बीमा कवर के लिए तथा 6.50 रुपये बचत संघटक के लिए होता है यदि कोई अतिरिक्त विभागीय एजेंट सेवानिवृत्त होता है या अपनी नौकरी छोड़ देता है तो उसे ब्याज सहित संचित बचत संघटक का भुगतान किया जाता है। मृत्यु होने की स्थिति में नामित व्यक्ति को 10000/- रुपये तथा संचित बचत संघटक का भुगतान किया जाता है।

xii. **अनुग्रह उपदान :**

6000/- रुपये अनुग्रह उपदान के भुगतान के लिए आवश्यक न्यूनतम अनिवार्य सेवा दस वर्ष है।

xiii. **महिला समृद्धि योजना, 1993 के संबंध में अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टरों और शाखा पोस्टमास्टरों को प्रोत्साहन राशि**

जहां तीन या तीन से अधिक खाते चालू हैं, वहां तीसरा खाता खोलने के महीने से 10/- रुपये प्रतिमाह। इसके अतिरिक्त अनुवर्ती खातों के लिए आवर्ती आधार पर 0.50 रुपये प्रति खाता बशर्ते कि यह अधिकतम 300/- रुपये प्रतिमाह हो। तीन खाते खोलने पर 10/- रुपये प्रतिमाह की प्रोत्साहन राशि अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के लिए नियत 300/- रुपये प्रतिमाह की अधिकतम सीमा के भीतर है।

कार्य शर्तें :

अतिरिक्त विभागीय एजेंट इस विभाग के लिए दिन में केवल थोड़े से समय के लिए कार्य करते हैं जो दो से पांच घंटे के बीच होता है। उन्हें कार्यभार के आधार पर निर्धारित श्रेणीबद्ध आधार पर समेकित भत्ते का भुगतान किया जाता है। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की मूल सेवा शर्तों में से एक शर्त यह है कि वे डाक विभाग के लिए जो कार्य करते हैं उस कार्य को छोड़कर उनके पास स्वतंत्र जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन अवश्य हों।

डाक अतिरिक्त विभागीय प्रणाली पर न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों का सारांश

वेतनमान :

अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों/अतिरिक्त विभागीय उप-पोस्टमास्टरों के अलावा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम 3 घंटे 45 मिनट से लेकर 7.5 घंटे तक के लिए वेतनमानों की सिफारिश की गई है। अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों और अतिरिक्त विभागीय उप-पोस्टमास्टरों के मामले में निर्धारित किया गया न्यूनतम वेतनमान क्रमश: 3 और 5 घंटे के लिए है। आधे घंटे या अधिक के कार्यभार के लिए एकमुश्त वेतन तय किया गया है। एकमुश्त वेतन को सभी प्रयोजनों के लिए 'वेतन' माना जाएगा। जिन वेतनमानों की सिफारिश की गई है वे अनुबंध-1 में दिए गए हैं। संयुक्त ड्यूटी वेतनमान डाक का वितरण तथा दुलाई कार्य कर रहे शाखा पोस्टमास्टरों/अतिरिक्त विभागीय उप-पोस्टमास्टरों और डाक की दुलाई करने वाले अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों के लिए भी संस्तुत किए गए हैं।

निश्चित कैरियर प्रगति :

चूंकि समिति ने यह सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को अतिरिक्त विभागीय प्रणाली के भीतर ही कैरियर को आगे बढ़ाने की संभावनायें तलाशनी चाहिएं, अत: समिति ने यह भी सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सभी श्रेणियों के लिए वित्तीय उन्नयन किया जाए।

सेवा की अधिकता को महत्व :

समिति ने यह सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को विभिन्न सेवा-अवधियों के लिए प्रस्तावित वेतनमानों में निम्नलिखित वेतनवृद्धियां दी जानी चाहिएं :

1 से 5 वर्ष	-	शून्य
6 से 10 वर्ष	-	1 वेतनवृद्धि
11 से 15 वर्ष	-	2 वेतन वृद्धियां
16 से 20 वर्ष	-	3 वेतन वृद्धियां
21 से 25 वर्ष	-	4 वेतन वृद्धियां

विखंडित ड्यूटी :

समिति ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त विगाभीय कर्मचारियों को एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी के बीच का अंतर एक घंटे से अधिक होने की स्थिति में उन्हें 100 रुपये विखंडित ड्यूटी भत्ता दिया जाए।

अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को ड्यूटी समय के बाद अथवा 5 घंटे से अधिक रोकने की स्थिति में प्रतिपूर्ति

(i) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को 5 घंटे से अधिक समय तक रोकने के लिए प्रतिपूर्ति।

समिति ने सिफारिश की है कि यदि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की 5 घंटे से अधिक अवधि तक ड्यूटी पर लगाया जाता है तो उसकी उन्हें विधिवत् रूप से प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए और उसका भुगतान किया जाना चाहिए बशर्ते यह 7.5 घंटे से अधिक नहीं।

(ii) बाहरी एजेंसियों से डाक के विनिमय हेतु अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की ड्यूटी के समय के बाद रोकने के लिए प्रतिभूर्ति।

समिति ने सिफारिश की है कि रोकने की प्रतिपूर्ति में वृद्धि की जानी चाहिए।

समिति ने यह भी सिफारिश की है कि पूर्णकालिक कर्मचारियों की भाँति अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को जब कभी उनके कार्य के समय के बाद ड्यूटी पर लगाया जाए और अवकाश/साप्ताहिक अवकाश वाले दिनों में ड्यूटी पर बुलाया जाए तो इसके लिए इन्हें उपयुक्त प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।

अन्य भत्ते :

समिति ने सिफारिश की है कि ए, बी-1, बी-2 सी श्रेणी के शहरों में और अवर्गीकृत स्थानों पर कार्यरत अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते और नगर प्रतिपूर्ति भत्ते उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर प्रदान किए जाने चाहिएं जो पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होते हैं बशर्ते कि उनकी परिस्थितियां भी समान हों।

प्रतिपूर्ति भत्ते :

समिति ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को विभिन्न प्रकार के प्रतिपूर्ति भत्ते प्रदान किए जाने चाहिए जो पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होते हैं बशर्ते कि उनकी परिस्थितियां समान हों।

यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता :

समिति ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का भुगतान इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए जो पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं बशर्ते कि यह न्यूनतम समूह 'घ' कर्मचारी के लिए स्वीकार्य यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते जितना हो समिति ने आगे सिफारिश की है कि स्थानांतरण होने पर अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को वे सभी स्थानांतरण लाभ प्रदान किए जाने चाहिए जो नियमित विभागीय कर्मचारी के लिए निर्धारित किए हों।

चिकित्सा सुविधाएं :

अवसंरचना की सीमाबद्धताओं को मद्देनजर रखते हुए समिति ने सिफारिश की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को चिकित्सा भत्ते के बतौर उचित रूप से निर्धारित एकमुश्त रकम प्रतिमाह प्रदान की जानी चाहिए। तथापि, अंतरंग चिकित्सा अर्थात् अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवाने के मामले में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों और उनके परिवार के सदस्यों को पूर्ण लाभ प्रदान किए जाएं। शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्यरत अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को वही चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं जो पूर्णकालिक विभागीय कर्मचारियों को प्रदान की जाती हैं।

बोनस :

समिति ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को पूर्णकालिक विभागीय कर्मचारियों के समान समझा जाना चाहिए और तदनुसार उन्हें बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए।

मृतक अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के आश्रितों को वित्तीय सहायता:

समिति ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के आश्रितों को वही वित्तीय राहत और सहायता की राशि प्रदान की जानी चाहिए जो पूर्णकालिक विभागीय कर्मचारियों के मामलों में स्वीकार्य होती है।

सामाजिक सुरक्षा

समिति ने सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को पेंशन, उपदान तथा सामान्य भविष्य निधि प्रदान की जानी चाहिए। न्यूनतम पेंशन 610 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है।

पेंशन संबंधी अन्य मामले :

समिति ने पेंशन संबंधी अन्य सभी मामलों में सिफारिशें की हैं।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति :

(i) पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समिति ने पूर्णकालिक कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य सिद्धांतों के अनुसार अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए 'गोल्डन हैंडशेक स्कीम' की सिफारिश की है।

(ii) समिति ने यह भी सिफारिश की है कि ऐसे अतिरिक्त विभागीय एजेंटों, जिन्होंने 3 वर्ष से कम सेवा की है, की सेवाओं को एक निश्चित एकमुश्त रकम, जो सेवा के प्रति वर्ष के लिए संस्तुत ग्रेडों में 6 माह के वेतन और भत्तों से कम नहीं होनी चाहिए, देकर समाप्त किया जा सकता है।

(iii) यह भी सिफारिश की गई है कि उन सभी अतिरिक्त विभागीय एजेंटों जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, को इस शर्त के अधीन सेवानिवृत्त कर दिया जाए कि उन्हें इस समिति द्वारा यथा-संस्तुत सभी पेंशन लाभों का भुगतान कर दिया जाए।

भर्ती की पद्धति और आचरण नियमावली

शैक्षिक योग्यताएं :

यह सिफारिश की गई है कि अतिरिक्त विभागीय सब पोस्टमास्टर और अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं 10+2 के स्तर तक बढ़ा दी जानी चाहिए। अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट और ई॰ डी॰ एस॰ वी॰ की शैक्षिक योग्यताएं मैट्रिक तक बढ़ा दी जाएं। उच्चतर शैक्षिक योग्यताओं के लिए कोई वरीयता नहीं दी जानी चाहिए।

भर्ती की पद्धति :

यह सिफारिश की गई है कि एक अतिरिक्त विभागीय एजेंट के बतौर रोजगार के मामले में न केवल उन्हीं उम्मीदवारों को अवसर दिया जाना चाहिए जिनके नाम रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए हैं बल्कि अन्य माध्यमों से भी यह अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सेवा निवृत्त की आयु :

यह सिफारिश की गई है कि सेवानिवृत्त की अधिकतम आयु 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी जाए।

नियुक्ति के समय आयु :

यह सिफारिश की गई है कि इस पद्धति में प्रवेश की अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े जाति के उम्मीदवारों तथा भूतपूर्व सैनिकों को 5 वर्ष तक की सामान्य छूट दी जाए।

संपत्ति के स्वामित्व की शर्त :

यह सिफारिश की गई है कि अचल संपत्ति के स्वामित्व की शर्त को हटा देना चाहिए तथा इसके बजाए निष्ठा-बांड की राशि बी॰ पी॰ एम॰ के लिए बढ़ाकर 10,000/- रुपये तथा अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की अन्य श्रेणियों के लिए 5,000/- रुपये कर दी जाए।

डाकघर किराया भत्ता :

समिति ने सिफारिश की है कि कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर डाकघर के लिए स्थल की व्यवस्था करने हेतु ई॰ डी॰ बी॰ पी॰ एम॰/ई॰ डी॰ एस॰ पी॰ एम॰ की अनिवार्यता जारी रहनी चाहिए। यदि उक्त परिसर कार्य-क्षेत्र में स्थित न हो, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह स्थल केवल डाकघर प्रयोजन के लिए ही नियत है, जिसका पहुंच-मार्ग स्वतंत्र है तथा इसके आवास के क्वार्टरों में प्रवेश करने के लिए आम जनता के लिए रास्ता नहीं है। समिति ने 25/- रुपये के रखरखाव भत्ते के बजाए ग्रामीण क्षेत्रों में 100/- रुपये प्रतिमाह डाकघर किराया भत्ता की सिफारिश की है। तथापि, शहरी क्षेत्रों में यह भत्ता 200/- रुपये होना चाहिए।

योग्यता के आधार पर चयन :

समिति ने यह सिफारिश की है कि कुछ श्रेणियों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित आरक्षण कोटा के अध्यधीन, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का चयन पूर्णत: योग्यता के आधार पर होना चाहिए।

भर्ती प्राधिकारी :

समिति ने यह सिफारिश की है कि सभी श्रेणी के अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के भर्ती प्राधिकारी डिवीजनल अधीक्षक होने चाहिएं।

छुट्टी :

समिति ने अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए निम्नलिखित किस्म की छुट्टियों की सिफारिश की है :

(i) अर्जित छुट्टी : सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर मास के लिए 1 दिन की अर्जित छुट्टी।

(ii) अर्द्ध-वेतन अवकाश : एक वर्ष में 8 दिन का अर्द्ध वेतन अवकाश।

(iii) परिवर्तित अवकाश : चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत की जाने वाली देय अर्द्ध वेतन अवकाश की राशि की आधी छुट्टी।

(iv) बिना वेतन छुटटी : एक सीमा तक 180 दिन की छुटटी को कम करके एक वर्ष मे 60 दिन कर दिया गया है।

(v) आकस्मिक अवकाश : वर्ष में 5 दिन का आकस्मिक अवकाश।

(vi) प्रसूति अवकाश : यह सिफारिश की गई है कि महिला अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को उतना ही प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाए जितना कि केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार भारत सरकार की पूर्णकालिक महिला कर्मचारियों को दी जाती हैं।

छुट्टी के बदले में नकद भुगतान :

समिति ने यह सिफारिश की है कि पूर्णकालिक विभागीय कर्मचारियों की भांति अतिरिक्त विभागीय एजेंटों पर वही सिद्धांत लागू होंगे।

पुट-ऑफ ड्यूटी :

समिति ने सिफारिश की है कि पुट-ऑफ ड्यूटी भत्ते को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाए।

समिति ने सिफारिश की है कि 1964 के अतिरिक्त विभागीय नियमों को कानूनी बनाना चाहिए।

जनता को उपलब्ध की जाने वाली सुविधाएं

समिति ने यह सिफारिश की है कि बी॰ पी॰ एम॰ द्वारा बचत बैंक में से 500 रुपये निकालने की सीमा को बढ़ाकर 1000/- रुपये कर दिया जाए। 1000/- रुपये की इस सीमा को क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल/ मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा पुन: बढ़ाकर 2000/- रुपये किया जा सकता है।

पुन: सुव्यवस्थित करना :

समिति ने यह सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को और पद सृजित नहीं किए जाने चाहिए तथा कम से कम आगामी 10 वर्षों के लिए अतिरिक्त विभागीय श्रेणी के अंतर्गत कोई डाकघर नहीं खोलना चाहिए।

यह सिफारिश की गई है कि पदों को भरने का कार्य पूर्णतया बंद कर देना चाहिए। सभी रिक्त पदों को समाप्त कर देना चाहिए तथा ड्यूटी को संयोजित करके कार्य को व्यवस्थित करना चाहिए। प्रचालनात्मक अपेक्षाओं तथा सेवा की अत्यावश्यकता की स्थिति में पद को पुन: नियुक्ति के द्वारा भरा जा सकता है।

यह संभव है कि प्रणाली की पुन: व्यवस्थित करने में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का स्थानांतरण करना सम्मिलित हो सकता है। समिति ने यह सिफारिश की है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को लेखा कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में अथवा अधिकतम उप डिवीजन में स्थानांतरित किया जा सकता है।

निष्कर्ष टिप्पणी :

1.1.1996 की स्थिति के अनुसार वित्तीय कठिनाइयां :

निश्चित भत्ते की वर्तमान प्रणाली में अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को दिए जा रहे भत्तों का निवल वार्षिक व्यय 394.58 करोड़ रुपये है। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर निश्चित भत्तों की राशि बढ़कर 475.63/- रुपये हो जाएगी। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान देने पर वार्षिक व्यय 578.54/- करोड़ रुपये होगा। अत: वेतन और भत्ते की वजह से वार्षिक व्यय में 183.96 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। पेंशनभोगी व्यक्तियों को लाभ, छुट्टी, विखंडित (स्पिलिट) ड्यूटी भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ते तथा कार्यालय किराया भत्ते के कारण प्रतिवर्ष 72.33 करोड़ की अतिरिक्त देयता होगी। वेतन तथा अन्य प्रकार के लाभ की वजह से व्यय में 256.29 करोड़ रुपए की निवल बढ़ोतरी होगी। तथापि, चिकित्सा सुविधाओं, यात्रा रियायत छुट्टी, बोनस, स्थानांतरण तथा अन्य प्रतिपूर्ति भत्तों के कारण व्यय में हुई बढ़ोतरी को लेखे में नहीं लिया गया है।

वेतनमान

1. अतिरिक्त विभागीय मेल वाहक/अतिरिक्त विभागीय पैकर/ अतिरिक्त विभागीय रनर, अतिरिक्त विभागीय संदेशवाहक तथा समूह 'घ' के बतौर काम करने वाले अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की अन्य सभी श्रेणियों का वेतनमान।

(i)	1220-20-1600 रु०	3 घंटा 45 मिनट 19 वर्ष
(ii)	1545-25-2020 रु०	4 घंटा 45 मिनट
(iii)	1870-30-2440 रु०	5 घंटा 45 मिनट
(iv)	2195-35-2860 रु०	6 घंटा 45 मिनट
(v)	2440-40-3200 रु०	7.5 घंटा

आधे घंटे या उससे अधिक के अतिरिक्त कार्यभार के लिए 162/- रुपयों का एकमुश्त वेतन दिया जाए।

2. ई० डी० डी० ए०/ई० डी० एस० बी० का वेतनमान

(i)	1375-25-2125 रु०	3 घंटा 45 मिनट 30 वर्ष
(ii)	1740-30-2640 रु०	4 घंटा 45 मिनट
(iii)	2105-35-3155 रु०	5 घंटा 45 मिनट
(iv)	2470-40-3670 रु०	6 घंटा 45 मिनट
(v)	2750-50-4250 रु०	7.5 घंटा

आधे घंटे या उससे अधिक के अतिरिक्त कार्यभार के लिए 183/- रुपयों का एकमुश्त वेतन दिया जाए।

3. ई० डी० बी० पी० एम० का वेतनमान

(i)	1280-35-1980 रु०	3 घंटा 20 वर्ष
(ii)	1600-40-2400 रु०	3 घंटा 45 मिनट
(iii)	2025-50-3025 रु०	4 घंटा 45 मिनट
(iv)	2450-60-3650 रु०	5 घंटा 45 मिनट
(v)	2875-70-4275 रु०	6 घंटा 45 मिनट
(vi)	3200-80-4800 रु०	7.5 घंटा

सभी शाखा पोस्टमास्टरों के लिए तीन घंटों की उपस्थिति के लिए न्यूनतम वेतनमान है। लेकिन, जिन शाखा पोस्टमास्टरों का कार्यभार 3 घंटों के अतिरिक्त है, वे लोग 3 घंटे 45 मिनटों के उच्चतर वेतनमान को प्राप्त करने के पात्र होंगे। आधे घंटे या उससे अधिक के अतिरिक्त कार्यभार के लिए 212/- रुपये का एकमुश्त वेतन दिया जाए। इस एकमुश्त वेतन को तब भी दिया जाए जब कि कार्यभार 3 घंटों से 3.5 घंटों तक बढ़ जाए।

अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टर का वेतनमान

(i.)	2125-50-3125 रु०	5 घंटा 20 वर्ष
(ii)	2550-60-3750 रु०	6 घंटा
(iii)	2975-75-4475 रु०	7 घंटा
(iv)	3200-85-4900 रु०	7.5 घंटा

आधे घंटे या उससे अधिक के अतिरिक्त कार्यभार के लिए 212/- रुपयों का एकमुश्त वेतन दिया जाये।

संयुक्त ड्यूटियां

ई० डी० बी० पी० एम० - सह-ई० डी० डी० ए० सह-ई० डी० एम० सी०

वितरण कार्य या डाक की बुलाई का कार्य करने वाले शाखा पोस्टमास्टरों को वितरण भत्ता देने के बजाय, अलग वेतनमान देना आवश्यक है। प्रस्तावित वेतनमान हैं :

			प्रति आधे घंटे पर एकमुश्त वेतन
(i)	1550-35-2145 रु०	3 घंटा 45 मिनट (17 वर्ष)	206/-रु०
(ii)	1920-45-2685 रु०	4 घंटा 45 मिनट	202/-रु०
(iii)	2285-55-3220 रु०	5 घंटा 45 मिनट	198/-रु०
(iv)	2650-65-3755 रु०	6 घंटा 45 मिनट	196/-रु०
(v)	2925-75-4200 रु०	7.5 घंटे	195/-रु०

ई॰ डी॰ डी॰ ए॰ - सह - ई॰ डी॰ एम॰ सी॰

(i) 1300-20-1860 रु॰ 3 घंटा 45 मिनट 28 वर्ष

(ii) 1645-25-2345 रु॰ 4 घंटा 45 मिनट

(iii) 1990-30-2830 रु॰ 5 घंटा 45 मिनट

(iv) 2335-35-3315 रु॰ 6 घंटा 45 मिनट

(v) 2600-40-3720 रु॰ 7.5 घंटा

आधे घंटे या उससे अधिक के कार्यभार के लिए 173/- रुपयों का एकमुश्त वेतन दिया जाए।

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं

778. **श्री बीर सिंह महतो** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्व बैंक की सहायता से चल रही सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या परियोजनाओं के निष्पादन में असाधारण विलंब हुआ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति नीचे दी गयी है :

क्र॰सं॰	परियोजना का नाम	राज्य	समझौते की तारीख तथा ऋण समापन तिथि	सहायता की राशि	31.8.97 को उपयोग
1	2	3	4	5	6
1.	पंजाब सिंचाई और जल निकास परियोजना	पंजाब	09.02.1990 31.03.1998	161.67 मि॰ अमरीकी डालर	128.67 मि॰ अमरीकी डालर
2.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	हरियाणा	06.04.1994 31.12.2000	262.14 मि॰ अमरीकी डालर	69.12 मि॰ अमरीकी डालर
3.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	तमिलनाडु	29.04.1995 31.03.2002	252.30 मि॰ अमरीकी डालर	14.03 मि॰ अमरीकी डालर
4.	उड़ीसा जल समेकन परियोजना	उड़ीसा	19.12.1995 30.09.2002	270.57 मि॰ अमरीकी डालर	45.21 मि॰ अमरीकी डालर
5.	आंध्र प्रदेश 3 सिंचाई परियोजना	आंध्र प्रदेश	03.06.1997 31.01.2003	150.00 मि॰ अमरीकी डालर	00.00 मि॰ अमरीकी डालर
6.	बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्वास परियोजना	बहुराज्य	10.06.1991 30.09.1998	148.884 मि॰ अमरीकी डालर	37.75 मि॰ अमरीकी डालर
7.	जल विज्ञान परियोजना	बहुराज्य	09.06.1995 31.03.2002	124.82 मि॰ अमरीकी डालर	6.07 मि॰ अमरीकी डालर

(ख) और (ग) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब नहीं हुआ है। तथापि कार्य की धीमी प्रगति के कारण बांध सुरक्षा आश्वासन एवं पुनर्वास परियोजना (बहुराज्य) को पूरा करने का कार्यक्रम एक वर्ष बढ़ा दिया गया है।

रक्षा संबंधी व्यय में श्रम शक्ति लागत

779. **लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाशमणि त्रिपाठी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान द्वारा 'एशियन स्ट्रटजिक रिव्यू' में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान भविष्य में होने वाले युद्ध के लिए अपने-आपको तैयार करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान श्रमशक्ति लागत कितनी है और 1990 के आरंभ में रक्षा संबंधी व्यय में कितनी थी?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) सरकार को उक्त रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) वर्ष 1991 से कार्मिक शक्ति पर आई लागत इस प्रकार है:

वर्ष	(करोड़ रुपये में) रक्षा व्यय में वेतन व भत्ते
1989-90	4918.00
1990-91	5094.34
1997-98 (बजट प्राक्कलन)*	11227.85

* पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने से होने वाले प्रभावों को पूरा करने के लिए अलग से एकमुश्त दी गई 36.20 करोड़ रुपये की राशि इसमें शामिल नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर की जाने वाली गतिविधियां

780. **श्री के॰ परसुरामन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान सर्दियां शुरू होने से पहले जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कोई गड़बड़ी करेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा हमारी सीमा पर पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले आक्रमणपूर्ण रवैये से निपटने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) और (ख) पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा के इर्द-गिर्द दुस्साहस किए जाने की किसी तात्कालिक योजना के बारे में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं हैं सीमा के साथ-साथ सभी जगह सतत् निगरानी रखी जाती है। हमारी सेनाएं सीमा पार से उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है।

युद्ध टैंक 'अर्जुन'

781. **डा॰ वाई॰ एस॰ राजशेखर रेड्डी** :

श्री रूप चन्द पाल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थल सेना को देश के प्रमुख युद्ध टैंक अर्जुन में बहुत सारी कमियों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में किन्हीं विकल्पों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) व्याप्त प्रयोक्ता परीक्षणों में उत्कृष्ट परिणामों के उपरांत आधुनिकतम एम बी टी अर्जुन को सेना द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और अब यह उत्पादन चरण में है। परीक्षणों के दौरान सेना ने कुछ संशोधन सुझाए थे जिनको उत्पादन चरण के दौरान शामिल किया जाएगा।

ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा प्रदूषण

782. **श्री हाराधन राय** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल में पैदा की गई जटिल पर्यावरणीय समस्या की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जी, हां। पश्चिम बंगाल के पूर्वी कोयला क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएं पैदा हुई हैं। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। यह सारा मामला 1985 की रिट याचिका संख्या 3727 (सी) के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय को भेज दिया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों की स्थापना

783. **श्री ए॰ सी॰ जोस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध नए विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें कब तक खोलने जाने की संभावना है; और

(घ) केरल में इस समय ऐसे कितने विद्यालय कहां-कहां स्थित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने चालू शैक्षिक सत्र के दौरान व्यानाड जिले के कालवेटा में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संस्वीकृति प्रदान की है। नवोदय विद्यालय समिति की व्यानाड और त्रिवेंद्रम जिलों में दो नवोदय विद्यालय खोलने की योजना है।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मिली सूचना के अनुसार केरल में स्थित बोर्ड से संबद्ध स्कूलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र॰संख्या	स्कूलों के नाम तथा उनके स्थान
1	2
1.	केन्द्रीय विद्यालय, नम्बर-1 नेवल बेस, कोचीन
2.	केन्द्रीय विद्यालय, नम्बर-2 नेवल बेस, कोचीन

1	2
3.	केन्द्रीय विद्यालय, कोझीकोड, पश्चिम पठार
4.	केन्द्रीय विद्यालय, पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन
5.	केन्द्रीय विद्यालय, नम्बर-1 सी.पी.सी.आर.आई. कसारगोड कुडलू
6.	केन्द्रीय विद्यालय, आई. एन. एस. डरोनाचार्य, कोचीन
7.	केन्द्रीय विद्यालय, सी. आर. पी. एफ. पल्लीपुरम, त्रिवेन्द्रम
8.	केन्द्रीय विद्यालय, उपरी पठार मलकापुरम
9.	केन्द्रीय विद्यालय, नम्बर -2 विद्या नगर कसारगोड
10.	केन्द्रीय विद्यालय, अरनाकुलम
11.	केन्द्रीय विद्यालय, पट्टम, त्रिवेन्द्रम
12.	केन्द्रीय विद्यालय, पनगोड तिरूमल्ला, त्रिवेन्द्रम
13.	केन्द्रीय विद्यालय, न्यूजप्रिंट नगर कोट्टायम
14.	केन्द्रीय विद्यालय, कन्नानूड़
15.	केन्द्रीय विद्यालय, नम्बर -1 हिमअंबीका नगर, पालघाट
16.	केन्द्रीय विद्यालय, एन. ए. डी. अल्लेई, जिला - अरनाकुलम
17.	केन्द्रीय विद्यालय, नम्बर -2, कोजीकोड
18.	केन्द्रीय विद्यालय, पुरानत्तूकारा
19.	केन्द्रीय विद्यालय, ओट्टापलम, पालघाट
20.	केन्द्रीय विद्यालय, पायानूर, कन्नूर
21.	केन्द्रीय विद्यालय, केलट्रान नगर, जिला कन्नूर
22.	केंन्द्रीय विद्यालय, कोट्टायम रबर बोर्ड
23.	आर्य केन्द्रीय विद्यालय, पेट्टम त्रिवेन्द्रम
24.	वी॰ एस॰ एस॰ सी॰ केन्द्रीय विद्यालय, त्रिवेन्द्रम
25.	चिम्मया विद्यालय, त्रिपुनीथुरा
26.	सेंट मैरी आवसीय पब्लिक स्कूल, पालीकारा, त्रिरूवल्ला
27.	चिम्मया विद्यालय, पल्लाउर, डाकघर, पालघाट जिला
28.	श्री सत्यसाई विद्यापीठ, श्री सेलम कतालूर डाकघर, कालीकट जिला
29.	भारती विद्या भवन, एलमक्कारा, कोचीन
30.	दी डेल्टा स्टडी स्कूल, कोचीन
31.	मेरियन स्कूल, कलाथपीड, कोट्टायम
32.	एन॰ एस॰ एस॰ पब्लिक स्कूल, पेरूथन्नी, त्रिवेन्द्रम
33.	एन॰ एस॰एस॰ उच्च माध्यमिक स्कूल, त्रिपुनीपुरा डाकघर, एरनाकुलम जिला
34.	एम॰ ई॰ एस॰ राजा आवासीय स्कूल, राजा नगर, डाकघर कलीकट
35.	उद्दुसुलाईन माध्यमिक स्कूल, प्रेमबालम, केन्नौड़
36.	एस॰ डी॰ वी॰ अंग्रेजी माध्यम माध्यमिक स्कूल, अल्लेपे
37.	चिनमया विद्यालय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, एरनाकुलम
38.	टांच पब्लिक स्कूल, वितिल्ला कोचीन
39.	शिवागीरी श्री नारायण वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, श्री निवासपुरम, वरकाला
40.	भारतीय विद्या भवन गीरी नगर, कोचीन
41.	व्यास विद्या पीठम, कल्लेकाड, पालघाट
42.	कोचीन रिफाईनरी स्कूल, डाकघर अम्बाला, मुकल, एरनाकुलम जिला
43.	भारतीय विद्यालय भवन विद्या मंदिर, डाकघर एरावीमंगलम, त्रिचुर
44.	चिनमया विद्यालय, केन्नानोड़
45.	साता मार्या एकेडमी, वल्लाचिरा डाकघर, पल्लीसेरी, त्रिचुर
46.	दी हाई रेंज स्कूल, मुट्टुपटी, मनुर जिला इडुकी
47.	जामिया हसमिया पब्लिक स्कूल, एस॰ वझाकुलम, अलवेइ
48.	माथा स्कूल, थामपोली, अल्लेपे नार्थ डाकघर
49.	अंसार अंग्रेजी स्कूल, डाकघर करीक्काड, त्रिचुर जिला
50.	सैनिक स्कूल, कझाकुट्टडोम, त्रिवेन्द्रम जिला
51.	महात्मा गांधी पब्लिक स्कूल, अम्बाडीमाला त्रिरूवनकुलम
52.	होली ट्रिनिटी स्कूल, कोझीकोड पश्चिम पालघाट
53.	अल-आमीन पब्लिक स्कूल, एडापल्ली, कोचीन
54.	चिरमया विद्यालय, कलाथी, त्रिचुर
55.	के॰ एस॰ एम॰ इंजिनियरिंग स्कूल, डाकघर पेरूमवाड्डप्पा, मालापुरम
56.	एस॰ एस॰ विद्या मंदिर माध्यमिक स्कूल, तलप केन्नारूल-2
57.	सेंट एंथोनी पब्लिक स्कूल, अनाक्काल डाकघर, कोट्टायाम जिला
58.	सी॰ के॰ एम॰ एन॰ एस॰ एस॰ स्कूल, चलाकुड्डी
59.	साबरगीड़ी अंग्रेजी स्कूल, अंचल डाकघर, पिल्लौन जिला
60.	बापू जी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, पार्ली डाकघर, पालघाट
61.	दयापुरम आवासीय स्कूल, डाकघर आरश्ई स्कूल, कालीकट
62.	नेवल पब्लिक स्कूल, कोचीन
63.	ग्रेस सेन्ट्रल स्कूल, छेला कारा
64.	एस॰ एन॰ विद्या भवन, छेन्ट्रापिन्नी, त्रिचुर जिला
65.	मार थोमा अंग्रेजी माध्यम स्कूल, कोझेरीचेरी
66.	कस्तूरबा पब्लिक स्कूल, छिवक्कल डाकघर, केन्नानोड़

1	2
67.	सादिया अंग्रेजी माध्यम आवासीय स्कूल, कालेंड, कासवगोड
68.	सेवा सदन केन्द्रीय स्कूल, डाकघर गांधी सेवा सदन, पालघाट जिला
69.	चेरपालचेरी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, चेरपालचेरी, पालघाट
70.	एस॰ बी॰ ओ॰ ए॰ पब्लिक स्कूल, चित्तूर, एर्नाकुलम, पालघाट
71.	बी॰ एम॰ एम॰ अंग्रेजी माध्यम स्कूल, कोट्टायम
72.	महात्मा गांधी मेमोरियल माडल स्कूल, वरकाला
73.	श्री नारायण पब्लिक स्कूल, वरकाला विला, डाकघर कोल्लाम
74.	आर्मी स्कूल, केयर, द्वारा - डी॰ एस॰ सी॰ केन्द्र कन्नानोड़
75.	आई॰ एस॰ एस॰ अंग्रेजी माध्यम स्कूल, प्रिंटामन्ना डाकघर, पुन्नीकर्सी
76.	विद्योदया स्कूल, दी वक्काल, वी॰ के॰ कालोनी, डाकघर कोची
77.	पी॰ ई॰ एस॰ विद्यालय, पट्टानुर, एड्या कन्नुर डीटी
78.	शिवागिरि विद्या निकेतन, वाल्मिके हिल्स, अल्वेइ
79.	एयरपोर्ट स्कूल, डाकघर मेलांगट्स कोन्डोल्टी, मालपुरम डीटी
80.	सेंट पीटर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, काडायीरूपु, एर्नाकुलम
81.	श्री नारायण केन्द्रीय स्कूल, अल्लेप्पेई जिला
82.	हिल टॉप पब्लिक स्कूल, पुथियारा, कोझीकोड
83.	मर्काजुल उलूम अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मल्लापुरम जिला
84.	एम॰ ई॰ एस॰ अंग्रेजी माध्यम स्कूल, पट्टाम्बी डाकघर, पालाक्काड
85.	सेंट जोसफ अंग्रेजी स्कूल, मुडाकयाम
86.	चिरमया विद्यालय, विद्यानगर कासारागोड
87.	भवन आदर्श विद्यालय, अरनाकुलम जिला कोचीन
88.	भारतीय विद्या भवन, वजूटाकौड, त्रिवेन्द्रम
89.	चिरमया विद्यालय, मनकौड, त्रिवेन्द्रम
90.	अमेरिका विद्यालयम्, कोड्डूगंलूर, ट्रिस्सीवापेरूर
91.	विद्या प्रकाश पब्लिक स्कूल, वाटाकेरा
92.	ग्रीट एकाडेमी कल्लूर, कोचीन
93.	माथोमा पब्लिक स्कूल, थेंगोली, कोची-21
94.	पंकछावीट्टिल सर सेवेटियन पब्लिक स्कूल, चेरथाला
95.	सेंट थामस स्कूल, मन्नानथाले, थिरूवनंथपुरम
96.	जामिया सलाफिया अंग्रेजी स्कूल, सलापी ग्रम्माम, डाकघर पुलीक्काल
97.	भारतीय विद्या भवन, कन्नाडोर केन्द्र

1	2
98.	चिरमया विद्यालय, कान्हान्गड़ कासरगोड जिला
99.	सेंट जॉन स्कूल, डाकघर पथानमथीट्ठा
100.	चिरमया विद्यालय, पझावीडु डाकघर, अल्लाप्पुझा
101.	एम॰ ई॰ एस॰ केन्द्रीय स्कूल, टिरूर, मालापुरम
102.	भवन विद्या मंदिर, कुन्नारा डाकघर, एरूड जिला
103.	विद्याधीराज विद्या भवन, अंगमाली, अर्नाकुलम
104.	होली इंडिया फाउन्डेशन स्कूल, एन॰ पाराबूर, अर्नाकुलम
105.	चिनमया विद्यालय, टट्टामंगलम, पालघाट
106.	एम॰ ई॰ एस॰ (बावा) आवासी स्कूल, कुक्कीपेन गोड, टेल्लीचेरी
107.	डब्ल्यू॰ एम॰ ओ॰ अंग्रेजी अकादमी आश्फैनेज अंग्रेजी स्कूल डाकघर मिप्तिल, व्यानाड
108.	आई॰ एस॰ डी॰ अंग्रेजी स्कूल पप्यानूर जिला कन्नूर
109.	दारूल उलूम अंग्रेजी स्कूल कब्यर, पालघाट
110.	अमीन पिल्लै राकतैर स्मारक केन्द्रीय विद्यालय, चितारा कोतारकाड़ा, कोल्लम
111.	दारूल उलूम अंग्रेजी माध्यम स्कूल, चंगारनकुलम मालापुरम
112.	चिनमया विद्यालय ताली पारांबा डाकघर कन्नूर
113.	फारूक अंग्रेजी माध्यम स्कूल परप्पुर, कोट्टायम
114.	दी च्वायस स्कूल नदमा ईस्ट त्रिपुनितुरा
115.	दी वारपिन स्कूल नार्थ गैट वैकोम
116.	स्प्रिंग वैली स्कूल, कालीकट, आर॰ ई॰ सी॰ पी॰ ओ॰
117.	चंदन पारांविल सैयद मो॰ हाजी स्मारक केन्द्रीय विद्यालय डाकघर एडासरी तैलीकुलम त्रिचुर
118.	सिंटाडेल आवासीय अंग्रेजी स्कूल इट्राचुवाडे डाकघर रैनी
119.	अल-अजहर अंग्रेजी माध्यम स्कूल डाकघर मनाकांडी, त्रिचूर
120.	मेधावा शिक्षा केन्द्र हरीपाड अलप्पी जिला
121.	देवासम अंग्रेजी माध्यम स्कूल गुरूवपूर त्रिचूर
122.	श्री निकेतन केन्द्रीय विद्यालय कामकोड डाकघर क्यूलोन
123.	क्रीसेंट पब्लिक स्कूल तोट्टमुद्दम अलवेयी
124.	डा॰ एन के मोहम्म्द स्मारक एम ई एस केन्द्रीय विद्यालय डाकघर वलेनचेरी
125.	नवानीरमन पब्लिक स्कूल एम. वी. एस. डी. डाकघर कोची
126.	विश्वज्योती पब्लिक स्कूल पी. बी. नं॰-33 अंजामाली
127.	विमलगिरी अंग्रेजी माध्यम स्कूल डाकघर कोटामंगलम
128.	पी. ई. ई. वी. ई. ई. एस. पब्लिक स्कूल नीलंबूर

1	2
129.	भारतीय विद्या भवन डाकघर नादरंवा, त्रिसूर
130.	आई जी एम पब्लिक स्कूल सेंट वेनाडिक्ट रोड, कोचीन
131.	श्री वल्लूवानंद विद्या भवन पेरीतालमन्ना
132.	एजहिमाला अंग्रेजी स्कूल एट्रीकुलम रमनताली जिला कन्नूर
133.	गुड होप अंग्रेजी माध्यम स्कूल नीलांवूर डाकघर मल्लापुरम
134.	एम ई एस पब्लिक स्कूल वेमवल्लूर कोंडागल्लूर
135.	निर्मला माता केन्द्रीय विद्यालय ईस्ट फोर्ट डाकघर त्रिसूर
136.	सरस्वती विद्यालय तिरूवंनतपुरम
137.	मार ग्रेगोरियास आवासीय पब्लिक स्कूल पल्लिकाड डाकघर, कट्टारकाडा
138.	सेंट मेरी केन्द्रीय विद्यालय डाकघर पाक्काबंगाडी, रैनी
139.	प्रोग्रेसिव अंग्रेजी स्कूल वाडी हुडा जिला कन्नूर
140.	पायूजी केन्द्रीय विद्यालय डाकघर कोट्टायम
141.	लेवर इंडिया पब्लिक स्कूल, जिला कोट्टायमा
142.	आदर्श विद्या भवन उत्तरी पारवूर
143.	कैवियन स्कूल एडावेक्की, कोचीन
144.	डेवी अकादमी डाकघर कालाक्की जिला त्रिसूर
145.	अमृता विद्यालयम पेरांवावूर जिला अर्नाकुलम
146.	गुड शेफार्ड अंग्रेजी माध्यम स्कूल, तेंगाना, जिला कोट्टायम
147.	चिनमया विद्यालय कोलेनगोड जिला वलक्काड
148.	श्री बुद्ध केन्द्रीय विद्यालय इडा कुलांनागरी कुरूनागापली
149.	अल मनार पब्लिक स्कूल एराट्टूपेट्टा
150.	सेंट कुरिपाकोस पब्लिक स्कूल जिला कोट्टायम
151.	रिवेट डी॰ इंटरनेशनल स्कूल रूबी हिल्स कुलातुयुम्मा
152.	ज्योती निवास पब्लिक स्कूल यू॰ सी॰ कोलेज डाकघर अलवेरी
153.	ऊल फारूक अंग्रेजी माध्यम स्कूल कालीकट
154.	कोडौंवा पब्लिक स्कूल पुतूरा डाकघर तिरूवनंतपुरम
155.	आई. ई. एस. पब्लिक स्कूल डाकघर चितिलापल्ली त्रिचूर
156.	सहोदरन स्मारक अंग्रेजी माध्यम स्कूल अवालूकुलु डाकघर अलेप्पी
157.	सरस्वती विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल अलमक्कारा, कोची
158.	सिरियन जैकोबिटे पब्लिक स्कूल तिरूवल्ला
159.	चेरूपुष्प वेतानी स्कूल जिला अलपुक्का
160.	सेंट थामस स्कूल जिला अर्नाकुलम
161.	राजगिरी पब्लिक स्कूल राजगिरी डाकघर कलमालेरी
162.	असीसी विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल काकीनाड, कोचीन
163.	भवानी वरूणा विद्यालय नपोल, त्रिकाकारा, कोचीन
164.	कन्या आवासीय स्कूल चिनगवनम, कोट्टायम
165.	कोट्यम अंग्रेजी माध्यम स्कूल डाकघर बिलाचूर जिला पलक्काड
166.	विवेकानंद स्मारक पब्लिक स्कूल जिला वलारामपुर त्रिवेन्द्रम
167.	मेरिया मांटेसरी स्कूल जिला अलेप्पी
168.	मेट पब्लिक स्कूल जिला अर्नाकुलम
169.	सेंट जॉन स्कूल अंचल, जिला कोल्लम
170.	विश्व दीप्ति पब्लिक स्कूल डाकघर अदमाली, जिला इडुकी
171.	सलाकी अंग्रेजी माध्यम स्कूल कन्नूकारा, कन्नूर
172.	सेंट मैरी आवासीय केन्द्रीय विद्यालय, तिरूवनंतपुरम
173.	वादी रहमान अंग्रेजी माध्यम स्कूल, कोडियातूर मोक्कम
174.	सेंट मैरी आवासीय केन्द्रीय विद्यालय पूनतुप्पू, अलेप्पी
175.	तपोवन पब्लिक स्कूल डाकघर मनकाला जिला पतनामथीटा
176.	डी॰ पाल पब्लिक स्कूल कलपेटा
177.	सर सैयद अंग्रेजी स्कूल डाकघर पावरत्ती जिला त्रिचूर
178.	वेलमाउंट अंग्रेजी माध्यम स्कूल नट्टाकोम, जिला कोट्टायम
179.	श्री नारायण पब्लिक स्कूल यूतोट्टा जिला अर्नाकुलम
180.	सेंट मैरी आवासीय स्कूल कवनाडु डाकघर कोल्लम
181.	कोचीन पब्लिक स्कूल गिकाकारा, कोची
182.	एलन फील्डमन पब्लिक स्कूल काझाकुट्टम त्रिवेन्द्रम
183.	माडर्न अंग्रेजी माध्यम स्कूल तालीपारांबा जिला कन्नूर
184.	एम॰ आई॰ सी॰ अंग्रेजी स्कूल डाकघर अगलाड च्वाकाड त्रिचूर
185.	एम॰ आई॰ सी॰ अंग्रेजी माध्यम स्कूल चेरूकारा, जिला मल्लापुरम
186.	जवाहर लाल अंग्रेजी माध्यम स्कूल एडावा
187.	मार डिपोनिसियत स्कूल पटनम थिटा जिला
188.	ओनियान थाला इयापेन स्मारक पब्लिक स्कूल एरावीपेरूर
189.	इंदिरा जनार्धनन विद्या मंदिर भरतोरवट्टम जिला अलापुक्का
190.	भारतीय विद्या भवन कल्लै रोड कालीकट
191.	जवाहर नवोदय विद्यालय, पालायार्ड जिला कालीकट
192.	जवाहर नवोदय विद्यालय, चेनडयाड टेलीचेरी तालुक जिल कन्नानोर
193.	जवाहर नवोदय विद्यालय, वाडावतोर, जिला कोट्टायम

1	2
194.	जवाहर नवोदय विद्यालय, पैनावू, इडुकी
195.	जवाहर नवोदय विद्यालय, डाकघर माथानूर त्रिचूर
196.	जवाहर नवोदय विद्यालय, ओराकम किझामोरी, मल्लापुरम
197.	जवाहर नवोदय विद्यालय, नेनामंगलम, अर्नाकुलम
198.	जवाहर नवोदय विद्यालय, डाकघर पेरिया जिला कसारगोड
199.	जवाहर नवोदय विद्यालय, कोट्टारकाड़ा जिला कोल्लम
200.	जवाहर नवोदय विद्यालय, मन्नाडिसाले पोर्ट, पटनमथिटा
201.	जवाहर नवोदय विद्यालय, मुलामपुजडा, जिला पालघाट
202.	जवाहर नवोदय विद्यालय, चेन्नीपला, अलपुक्का

[*हिन्दी*]

रोजगार के नए अवसरों का सृजन

784. श्री मनोज कुमार सिन्हा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार के लिए अवसरों के सृजन हेतु नई आर्थिक नीति के अनुसार कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग ने अपनी एस॰ टी॰ डी॰/आई॰ एस॰ डी॰/ पी॰ सी॰ ओ॰ संबंधी नीति में सुधार किया है ताकि शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो एस॰ टी॰ डी॰ और पी॰ सी॰ ओ॰ के लिए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र शिक्षित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

नई दूरसंचार नीति के अनुसार दूरसंचार क्षेत्र को निजी प्रचालकों के लिए खोला जा रहा है। सेल्यूलर तथा बुनियादी सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी से रोजगार के बहुत से अवसर सृजित होने की संभावना है।

(i) दूरसंचार विभाग में विस्तार होने के कारण कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी के संवर्ग में अनेक पदों का सृजन किया गया है तथा इन पदों को खुले बाजार से भरा जा रहा है।

(ii) शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को एस॰ टी॰ डी॰/आई॰ एस॰ डी॰/पी॰ सी॰ ओ॰ प्रदान करने के लिए 1993 में बनाई गई नीति अभी भी जारी है।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए उत्तर के अनुसार।

(ग) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 24.7.93 के पत्र सं॰ 31-13/91-पीएचबी (प्रति विवरण के रूप में संलग्न) के तहत एस॰ टी॰ डी॰ पे-फोनों के आबंटन की उदार नीति बनाई गई है।

(घ) एस॰ टी॰ डी॰/पी॰ सी॰ ओ॰ के लिए शिक्षित व्यक्तियों की पात्रता इस प्रकार है :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए - 8वीं अथवा मिडिल पास तथा अधिक।

(ii) शहरी क्षेत्रों के लिए - कम से कम मैट्रिक अथवा हाई स्कूल उत्तीर्ण

विवरण

भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

415, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं॰ 31-13/91-पीएचबी दिनांक : 24 जुलाई, 1993

सेवा में,

सभी मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार/टेलीफोंस

मुख्य महाप्रबंध, म॰टे॰नि॰लि॰ नई दिल्ली/मुम्बई

मुख्य महाप्रबंधक, टेलीफोंस

विषय : एस॰ टी॰ डी॰/ पी॰ सी॰ ओ॰ संबंधी नीति की पुनरीक्षा।

माननीय संचार मंत्री के आदेश पर शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, हमारे कार्यालय ज्ञापन सं॰ 31-13/91 पीएचबी, दिनांक 14.8.1992 में सूचीकृत एस टी डी पे-फोनों के आबंटन की उदारीकृत नीति की पुनरीक्षा की गई है। निम्नलिखित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू करने हेतु जारी किए जाते हैं :

I. सामान्य

1. पात्रता

केवल शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति ही, एस टी डी पी सी ओं के आबंटन हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। उन्हें अपने निवास के क्षेत्राधिकार वाले स्थानीय सांसद/विधायक/तहसीलदार या उससे ऊपर के राजस्व-अधिकारी/रोजगार अधिकारी/जिला परिषद् के अध्यक्ष या सदस्य/पंचायत या ग्राम प्रधान या रोटरी क्लब/लॉयंस क्लब आदि सरीख मान्यता प्राप्त सामाजिक संगठन के सचिव से बेरोजगार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदकों की अपेक्षित शैक्षिक योग्यता इस प्रकार से रहेगी :

1. ग्रामीण क्षेत्र : आठवीं/माध्यमिक विद्यालय पास व ऊपर

2. शहरी क्षेत्र : कम से कम मैट्रीकुलेट या उच्च स्कूल व ऊपर।

एस टी डी/पी सी ओ चलाने के लिए, निर्धारित प्रपत्र में बेरोजगार प्रमाण-पत्र के साथ, दूरसंचार विभाग, की शर्तें पूरी करते हुए, आवेदन करना होता है।

2. वास्तविक आवेदक का चयन :

नीचे बताए गए गठन वाली समिति, वास्तविक आवेदक की जांच

व प्रमाणन के बाद, एस टी डी/पी सी ओ के आबंटनार्थ चयन करेगी। संभावित धोखा-धड़ी टालने के लिए, प्रेषण प्राधिकारियों को बेरोजगार प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति, जिसके साथ उसे प्रमाणीकृत करने का अनुरोध-पत्र लगा हो, पंजीकृत डाक से भिजवाई जाए। समिति, निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को वरीयता देते हुए, उपलब्ध पी॰ सी॰ ओ में से आबंटन करेगी :

(क) नेत्रहीन व्यक्तियों सहित विकलांग।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्याशी।

(ग) भूतपूर्व सैनिक/युद्ध में शहीद हुए लोगों की विधवाएं।

(घ) दूरसंचार विभाग के सेवा-निवृत्त कर्मी या उनके आश्रितजन।

(ङ) स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितजन।

(च) धर्मार्थ संस्थाएं/अस्पताल

एस टी डी/पी सी ओ आबंटन तथा नए पी सी ओ के स्थल निर्धारण का पूरा प्राधिकार समिति के पास रहेगा।

समिति का गठन

नए 'एस टी डी पे-फोंस' के आबंटनार्थ समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :

(i) एस एस ए का प्रमुख अध्यक्ष

(ii) विभाग के वित्त एवं लेखा स्कंध का कोई लेखा/मुख्य लेखाधिकारी आदि जो एस एस ए प्रमुख के अधीन काम करता हो। सदस्य

(iii) मंत्रालय द्वारा, दो वर्ष के कार्यकाल के लिए तीन गैर-सरकारी सदस्यों को नामित किया जाएगा।

3. आबंटन प्रक्रिया

एस टी डी/पी सी ओ के आबंटन हेतु, पात्र प्रत्याशियों के आवेदनों की जांच व चयन-कार्य के परिमाण के अनुसार, समिति हर माह कम से कम एक बार बैठक बुलाएगी।

4. एस टी डी/पी सी ओ आबंटितियों को ऋण सुविधा

एस एस ए - प्रमुख एस टी डी/पी सी ओ आबंटितियों को सूचीकृत बैंकों से ऋणादि लेने के लिए प्रमाण-पत्र जारी करेगा। एस एस ए प्रमुख, उन्हें इस संबंध में सभी प्रकार का सहयोग भी देगा।

5. प्रावधान की सीमा

पी सी ओ/एस टी डी व स्थानीय एक्सचेंज लाइनों की 5% क्षमता तक के आबंटनार्थ आरक्षित रहेगी।

6. एक्सचेंज की किस्म, जिसके साथ एस टी डी पी सी ओ जुड़ा रहेगा।

एस टी डी/पी सी ओ सामान्यत: इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज से जुड़ा रहेगा। जहां इलैक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों से सेवाएं प्रदान की जाती हों, वहां कोई नया 128 पोर्ट सी-डॉट इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज या 16 किलोहर्ट्ज होम मीटरिंग क्षमता युक्त किसी उच्च क्षमता का इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज खोलकर सभी एस टी डी पे-फोंस उससे जोड़े जा सकते हैं। इन एस टी डी/पी सी ओ के साथ चलने वाले सभी कॉल-लागर्स पैरेटेंड इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से 16 किलोहर्ट्ज साइकल पल्स पर लगाए जाएं।

7. सामान्य शर्तें

(i) एक आवेदक को केवल एक ही एस टी डी पे-फोन प्रदान करना चाहिए। तथापि, मौजूदा बल्क फ्रैंचाइजी, मौजूदा करार की शर्तों के अनुसार प्रचालन कार्य करते रहेंगे।

(ii) सभी एस टी डी पे-फोन्स इस प्रकार संस्थापित किए जाने चाहिए कि वे सार्वजनिक सड़क/लेन के सामने रहें, ताकि जनता के लिए मुक्त अभिगम्यता हो।

(iii) इस प्रकार के सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्य घंटे कम से कम प्रात: 6.00 बजे से सायं 10.00 बजे तक होने चाहिए।

(iv) आबंटिती द्वारा प्रयोग किए गए टर्मिनल उपस्कर इंटरफेस द्वारा अनुमोदित होने चाहिए और इन्हें स्थानीय रूप से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड अथवा अन्य विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित सिंपल कॉल लागर्स/चार्ज इंडिकेटर्स जो विभाग द्वारा इंटरफेस अनुमोदित है, का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्टॉप वाच के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी (अनुमोदित चार्ज इंडिकेटर्स की सूची अलग से परिचालित की जा रही है)।

(v) एस टी डी/पी सी ओ का आबंटिती एक माह की अवधि के दौरान की गई कुल कॉलों के लिए 10,000 कॉल यूनिटों तक 20 पैसा प्रति कॉल 10,000 से 20,000 के बीच कॉलों पर 15 पैसा प्रति कॉल और 20,000 से अधिक कॉलों पर 10 पैसा प्रति कॉल कमीशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा।

सुरक्षित जमा राशि की वसूली और एस टी डी/पी सी ओ के आबंटितियों के बिलों की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

प्रति एस टी डी/पी सी ओ आबंटिती, दो खाते (एकाउंट) या एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में अथवा किसी डाक-घर बचत बैंक में खोले जाएंगे। पहला खाता दूरसंचार विभाग के नाम पर खोला जाएगा जिसमें आबंटिती रोजाना पूरे दिन की समस्त एकत्रित राशि जमा करेगा, जिसमें एक माह की अवधि के अन्दर की गई कुल कॉलों में से 10,000 कॉल यूनिटों तक 20 पैसा प्रति कॉल, 10,000 से 20,000 तक कॉल यूनिटों पर 15 पैसे प्रति कॉल और 20,000 से अधिक कॉल यूनिटों पर 10 पैसा प्रति कॉल कमीशन के रूप में रख लेगा। ए॰ ओ॰ (लेखा अधिकारी) बैंक/डाक घर के साथ सामंजस्य स्थापित करके लेखों की उपयुक्त जमा की निगरानी करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन एस टी डी/पी सी ओ से संबंधित बिल आबंटिती के नाम पर

हो और यह भारत संघ के राष्ट्रपति को वचनबद्ध होंगे। आबंटिती सुरक्षित जमा के रूप में इस खाते में 5 पैसे प्रति कॉल यूनिट जमा करेगा और यह राशि तब तक जमा करता रहेगा, जब तक यह राशि शहरी एस टी डी पी सी ओ के संबंध में 5,000 रुपए और ग्रामीण एस टी डी पी सी ओ के संबंध में 670/- रुपए हो जाए या एक महीने का औसत राजस्व, इनमें से जो भी अधिक हो। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि निकट बैंक अथवा डाक घर की सुविधा उपलब्ध न हो, तो उक्त जमा राशियां साप्ताहिक रूप से जमा कराई जा सकती हैं। क्षेत्र के टेलीफोन इंस्पैक्टर और जे टी ओ राशि शीघ्र जमा करने के लिए पी सी ओ आबंटितियों की पास बुक की आवधिक जांच तथा निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में चूककर्ता, यदि कोई हो, तो को उन्हें उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए ताकि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। निरीक्षण के दौरान फील्ड स्टाफ की भूलों के लिए सख्त दंड दिया जाएगा।

(vi) प्रतिभूति जमा एक किस्त में नकद अथवा बैंक गारंटी के रूप में भी जमा की जा सकती है।

(vii) एस टी डी/पी सी ओ आबंटियों द्वारा देश के सभी महत्वपूर्ण केन्द्रों और 200 कि०मी० दूरी के भीतर आने वाले सभी केन्द्रों की पल्स दरें प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए।

(viii) आवेदकों द्वारा एस टी डी/पी सी ओ आबंटन के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भेजना होता है।

(ix) जब आवेदक को एस टी डी/पी सी ओ आबंटित कर दिया जाता है तो उसे निर्धारित प्रारूप में दूरसंचार प्राधिकारी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

(x) सभी एस टी डी/पी सी ओ पर आवक कॉल सुविधा प्रदान की जाएगी।

(xi) स्थानीय क्षेत्रों के भीतर ही एस टी डी/पी सी ओ के स्थानान्तरण की अनुमति है और सीधी एक्सचेंज लाइनों के लिए लागू सामान्य स्थानान्तरण प्रभार प्रभारित किया जायेगा।

(xii) आवधिक रूप से आकस्मिक जांच यह देखने के लिए की जानी चाहिए कि आबंटी दूरसंचार विभाग द्वारा दिये गये मार्गनिर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं से प्रभार वसूल कर रहा है अथवा नहीं।

(xiii) ग्रामीण तथा सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए आवेदन करने के लिए मार्गनिर्देश टेलीफोन डाइरेक्टरी के वाणिज्यिक सूचना पृष्ठों पर प्रकाशित किये जाने चाहिए।

(xiv) जब पर्याप्त संख्या में आवेदनकर्ता सामने नहीं आते हैं तो स्थानीय समाचार-पत्रों में आवधिक रूप से विज्ञापन दिया जा सकता है।

II. ग्रामीण

ग्रामीण एस टी डी/पी सी ओ के प्रचालन के संबंध में सामान्य शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण करना होगा। इसके प्रयोजनार्थ ग्रामीण एस टी डी/पी सी ओ को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार एक कार्यरत एक्सचेंज प्रणाली में कुल 512 लाइनों तथा उससे कम की क्षमता होती है :

1. ग्रामीण एस टी डी/पी सी ओ के मामले में प्रति पी सी ओ प्रति माह न्यूनतम गारंटी राजस्व 100/- रुपये निर्धारित किया गया है।

2. ग्रामीण एस टी डी/पी सी ओ के आबंटी द्वारा छः माह के गारंटीशुदा राजस्व के आधार पर अथवा मासिक औसत राजस्व, इसमें से जो भी अधिक हो, प्रतिभूति जमा की 600/- रुपये राशि जमा करनी होगी। इस औसत राजस्व की गणना पिछले छः माह के राजस्व के आधार पर की जाती है।

3. एस टी डी/पी सी ओ प्रभारों की वसूली के लिए साप्ताहिक बिल बनाने की प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा।

III. नॉन-रूरल (शहरी)

उपर्युक्त उल्लिखित सामान्य शर्तों के अलावा नॉन रूरल (शहरी) क्षेत्रों में एस टी डी/पी सी ओ योजना के संबंध में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा :

1. लगभग प्रत्येक 100 आवासीय/व्यापार परिसरों के लिए कम-से-कम एक एस टी डी/पी सी ओ उपलब्ध कराया जाए।

2. पी सी ओ के आबंटन के लिए स्थान-स्थिति का चयन करते समय गौण-स्विचन क्षेत्र के प्रमुख नगर पालिका, सरकारी संस्थानों इत्यादि जैसी स्थानीय निकायों से पी सी ओ बूथ के लिए सुविधाजनक स्थानों के आबंटन के संबंध में परामर्श करेंगे। पी सी ओ बूथों का चयन करते समय नीचे दिये गये महत्वपूर्ण स्थानों को निरपवाद रूप से कवर किया जाना चाहिए :

- वाणिज्यिक आवास समितियां
- पुनर्वास कालोनियां
- सरकारी कालोनियां
- रक्षा कार्मिक के फेमिली क्वार्टर
- छात्रों के छात्रावास
- बस स्टेशन
- टूरिस्ट केन्द्र
- हवाई अड्डे
- तीर्थ स्थान
- रेलवे स्टेशन

धर्मार्थ संस्थान

- अस्पताल

- शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक पुस्तकालय

4. नॉन-रूरल (शहरी) एस टी डी/पी सी ओ के मामले में विभाग को प्रति पी सी ओ प्रति माह की दर से न्यूनतम गारंटीशुदा राजस्व 1600/- रुपए जमा करने के लिए निर्धारित किया गया है।

5. प्रतिभूति जमा की राशि 5,000/- रुपए होगी अथवा यह औसत मासिक राजस्व की राशि के बराबर होगी, इसमें से जो भी अधिक हो। औसत मासिक राजस्व की गणना पिछले छ: माह के राजस्व के आधार पर की जाएगी।

6. एस टी डी/पी सी ओ प्रभारों की वसूली के लिए पखवाड़ा में बिल बनाने की प्रक्रिया की अनुपालन करना होगा। यदि प्रभार बहुत अधिक है, तो स्थानीय दूरसंचार प्राधिकारी द्वारा सप्ताह में बिल बनाने की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए।

ह०/-

(के० वी० कृष्णामूर्ति)

सहायक महानिदेशक (पीएचबी)

[*अनुवाद*]

केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी

785. श्री शरत पटनायक : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन रिक्तियों को भरने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) उड़ीसा के 30 केन्द्रीय विद्यालयों में स्वीकृत 860 नियमित शिक्षण पदों में से 831 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। सेवानिवृत्ति, पदोन्नतियां, स्थानांतरण और नए पदों को बनाने इत्यादि के कारण हुई रिक्तियां हैं और इन्हें भरना एक सतत् प्रक्रिया है।

राजस्थान में सैनिक भर्ती केन्द्रों की स्थापना

786. कर्नल सोनाराम चौधरी :

श्री नरेन्द्र बुडानिया :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सेना में योग्य युवाओं की भर्ती के लिए राजस्थान में क्रमश: बाड़मेर या जैसलमेर और चूरू जिलों में भर्ती केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेना में भर्ती की दृष्टि से जोधपुर स्थित शाखा भर्ती कार्यालय बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों को भली भांति कवर करता है। इसी प्रकार, झुनझुनू स्थित शाखा भर्ती कार्यालय चुरू जिले को कवर करता है।

[*हिन्दी*]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 और 31 का रखरखाव

787. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 और 31 को मजूबत बनाने और उनके रखरखाव को निजी कंपनियों को सौंपने के विषय में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिडिंवनाम जी० वेंकटरामन): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन कनेक्शन

788. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे क्षेत्रों में भी आवेदनकर्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जहां टेलीफोन एक्सचेंजों के पास टेलीफोन कनेक्शन देने की पर्याप्त क्षमता विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन एक्सचेंजों के नामों सहित ऐसे आवेदनकर्ताओं की संख्या कितनी है और सरकार द्वारा तत्काल टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[*अनुवाद*]

शिकायतें

789. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान आज तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय और दिल्ली क्षेत्र के समूह 'क' के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन में से प्रत्येक मामले में कार्रवाई की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गंगोत्री की सफाई

790. **कुमारी उमा भारती :**

श्रीमती केतकी देवी सिंह :

श्री पंकज चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्वतारोहण संस्थान और इटली के एक पर्वतारोहण संस्थान ने गंगोत्री की सफाई के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य पर अनुमानत: कितनी राशि व्यय किए जाने की संभावना है और उक्त कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) सरकार को भारतीय पर्वतारोहण संस्थान नामक किसी संस्थान की कोई जानकारी नहीं है तथा सरकार को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि इस संस्थान एवं इटली के किसी पर्वतारोहण संगठन के बीच कोई संधि हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दुपहिए वाहनों के सहयात्रियों के लिए हेलमेट

791. **श्रीमती केतकी देवी सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में दुपहिया वाहनों पर पीछे बैठे सवारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। तथापि, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में किसी भी श्रेणी अथवा किस्म की मोटर साइकिल चलाते समय/उस पर सवारी करते समय भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप कोई सुरक्षा उपस्कर धारण करेगा। इसके अतिरिक्त, ऐसा कोई व्यक्ति जो सिक्ख है और पगड़ी धारण किए है, को अधिनियम के उक्त उपबंध से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को ऐसे अपवादों के लिए व्यवस्था करने की शक्ति दी गई है जिन्हें वह उचित समझे।

पत्तनों पर नौसंचालन संबंधी सुविधाओं का आधुनिकीकरण

792. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तनों पर वर्तमान नौसंचालन संबंधी सुविधाओं के आधुनिकीकरण की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

दिल्ली में जल संकट

793. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में गंभीर जल संकट उत्पन्न होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) जी नहीं। 12.5.1994 को यमुना को सतही प्रवाह के आबंटन के संबंध में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद राजधानी को आगामी भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना करने की संभावना नहीं है।

(ग) (i) ऊपरी यमुना बोर्ड अप्रैल, 1995 से समझौता ज्ञापन के समग्र ढांचे के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले राज्यों के बीच यमुना नदी के उपलब्ध प्रवाहों के आबंटन को विनियमित कर रहा है। यदि किसी वर्ष यमुना में जल की उपलब्धता आकलित मात्रा से कम होती है तो पहले दिल्ली के पेय जल आबंटनों को पूरा किया जाता है और शेष हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीच उनके आबंटनों के अनुपात में वितरित किया जाता है।

(ii) दिल्ली में अधिक कच्चा जल प्राप्त करने की दृष्टि से हरियाणा सरकार के जरिए क्रियान्वयन के लिए मुनाक से दिल्ली तक समानान्तर चैनल के निर्माण की एक स्कीम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अन्तिम रूप दिया गया है।

(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिक पेय जल उत्पादन करने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जल उपचार संयंत्रों, नलकूपों और रैनीकूपों का निर्यात कर रही है।

(iv) टिहरी बांध, रेनुका बांध और किशाऊ बांध परियोजनाओं से दिल्ली के लिए जल आपूर्ति बढ़ाने की योजना है।

महाराष्ट्र के दहानु में पत्तन

794. **श्री रूप चन्द पाल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 अक्तूबर, 1997 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में 'पोर्ट एट दहानु विल रूइन न फ्रेगाइल इको-सिस्टम' के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र में वधावन, दहानु तालुका में प्रस्तावित पत्तन के बारे में मेसर्स अम्मा लाइंस लि॰ द्वारा मई, 1996 में तथा पी॰ एंड ओ॰ पत्तनों द्वारा मई, 1997 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को मामला भेजा गया था। तथापि, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोई विस्तृत प्रस्ताव इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) परियोजना प्रस्तावकों से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार के माध्यम से दहानु तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण को आवेदन करें जो दहानु तालुका से संबंधित सभी पर्यावरण मुद्दों का समाधान करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत गठित किया गया था। राज्य सरकार को यह सलाह भी दी गई है कि दहानु तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण तथा इस मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव की विस्तृत जांच के लिए लंबित प्रस्तावित स्थल पर निर्माण के रूप में कोई प्रारंभिक कार्रवाई अथवा अन्यथा कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

[*हिन्दी*]

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

795. **श्री रामशक्ल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन संगठनों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने हेतु कोई एजेंसी गठित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[*अनुवाद*]

शैक्षिक संस्थानों में रिक्त पद

796. **श्री सत्यपाल जैन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में अनेक सरकारी शैक्षिक संस्थानों में अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारियों के कुल मंजूर पदों की संख्या कितनी है;

(ख) उन संस्थानों में कितने पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में स्वीकृत शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 3235 और 723 है। दिनांक 31.10.1997 की स्थिति के अनुसार, इनमें से 186 शिक्षण और 42 शिक्षणेतर पद पिछले 2 से 12 महीने से रिक्त पड़े हैं।

(ग) उन्होंने आगे सूचित किया है कि रिक्त पदों में से अनेक पद न्यायालय में मामलों की वजह से नहीं भरे जा सके। अन्य रिक्तियों को भरने की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

[*हिन्दी*]

जिम कारबेट नेशनल पार्क में वन्यजीव

797. **श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'** : क्या **पर्यावरण एवं वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिम कारबेट नेशनल पार्क में वन्य जीवों के अनुचित रखरखाव के कारण बाघ और भालू जैसे कुछ वन्यजीव पार्क से भाग जाते हैं तथा नरभक्षी हो जाते है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के वर्षों के दौरान उत्तरांचल में ऐसे जीवों द्वारा कितने व्यक्तियों/पशुओं पर आक्रमण किया गया; और

(ग) इस परेशानी को रोकने/इसकी पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[*अनुवाद*]

तदर्थ कार्य प्रभारित कर्मचारी

798. **श्री के॰ वी॰ सुरेन्द्रनाथ** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न अंचलों/मंडलों में तदर्थ कार्य प्रभारित कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या वे नियमित वेतनमान के हकदार हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या वे वार्षिक वेतन वृद्धि तथा अन्य सेवा लाभ के हकदार हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या ऐसे कर्मचारियों की तदर्थ सेवा की गणना उनके नियमित होने के समय से की जाती है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी हां। उन्हें तदर्थ खलासी कहा जाता है।

(ख) कार्य प्रभारित प्रतिष्ठानों में उन्हें निम्नतम ग्रेड में वेतनमान के न्यूनतम पर भुगतान किया जाता है।

(ग) "भारत सरकार की नैमित्तिक श्रमिक स्कीम 1993" (अस्थायी पद प्रदान करना और नियमित करना) के तहत अस्थायी पद प्राप्त करने के बाद ही वे वेतनवृद्धि और अन्य सेवा लाभों के पात्र होते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त स्कीम के अनुसार तदर्थ खलासी द्वारा अस्थायी पद के तहत की गई 50% सेवा को उनके नियमितीकरण के बाद सेवानिवृत्ति लाभ के प्रयोजन से गिना जाता है। इसके अलावा, नियमितीकरण के लिए तदर्थ खलासी को तदर्थ खलासी के रूप में उनके द्वारा की गई नियमित सेवा तक आयु छूट की अनुमति भी दी जाती है।

[*हिन्दी*]

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए दोहरी किराया नीति

799. श्री आनन्दरत्न मौर्य : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पर्यटन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए शुरू की गई दोहरी किराया नीति को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक उक्त प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जैना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[*अनुवाद*]

टेलीफोन दरों में कमी करना

800. श्री जी॰ एल॰ कनौजिया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 नवंबर, 1997 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित "यू॰ एस॰ फोर्स इंडिया टू लोअर फोन रेट्स" शीर्षक की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां। हिन्दुस्तान टाइम्स में 10 नवंबर, 1997 को "यू एस मे फोर्स इंडिया टू ओवर फोन रेट्स" नामक शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ख) इस मामले के संक्षिप्त रूप में तथ्य इस प्रकार है :

भारत के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर, विदेश संचार निगम लि॰ तथा संयुक्त राज्य अमरीका के कैरियरों के बीच हुए करार के अनुसार, 31.3.1997 तक भारत और अमरीका के बीच अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन परियात की भुगतान दर 0.79 डालर प्रति दस मिनट थी।

फेडरेल कम्यूनिकेशन्ज कमीशन, यू एस ए ने दिनांक 7.8.1997 के अपने आदेश के तहत अमरीकी कैरियरों के लिए यह अनिवार्य किया था कि वे 1 जनवरी, 1990 से भुगतान दर संबंधी कतिपय मार्ग निर्देशों का अनुपालन करेंगे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अमरीका-भारत के बीच भुगतान दर कम करके इसे 2002 तक 23 सेंट प्रति मिनट तक रखने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, अमरीकी कैरियर, फेडरेल कम्यूनिकेशन्ज कमीशन के आदेश के अनुसार विदेश संचार निगम लि॰ से भुगतान दर कम करने की मांग कर रहे हैं।

(ग) विदेश संचार निगम लि॰ ने अन्य कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय कैरियरों के साथ मिलकर उक्त आदेश के विरुद्ध अमरीकी अदालतों में अपील दायर की है। अपील स्वीकार कर ली गई है।

राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करना

801. श्री के॰ कंडासामी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य-वार कितनी धनराशि व्यय किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) से (ग) प्रस्ताव प्रारम्भिक अवस्था में है और ब्यौरे दे पाना अभी संभव नहीं है।

बेतार संचार चैनलों का प्रयोग

802. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बेतार संचार चैनलों का प्रयोग करने वाले दूर संचार विभाग, दूरदर्शन, आकाशवाणी और रेडियो स्पेक्ट्रम के अन्य सार्वजनिक उपभोक्ताओं से भुगतान लेने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त मंत्रालय सेल्यूलर आपरेटरों के समान सरकारी उपभोक्ताओं से भी शुल्क लेने के पक्ष में है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में और रेडियो चैनलों के प्रयोग संबंधी दरों के बारे में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करने के लिए सेल्यूलर प्रचालकों के समान केन्द्र के सरकारी विभागों से शुल्क लेने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पोलारवरम परियोजना

803. डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के संसद सदस्यों के सर्व-दलीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान मंत्री से भेंट कर उन्हें पोलारवरम परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रतिनिधि मंडल ने यह टिप्पणी की है कि पोलारवरम परियोजना से पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा विशाखापत्तनम और विजयनगरम जिले के कुछ भागों के लोगों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) इस समय राज्य सरकार द्वारा परियोजना का निर्माण किया जाना है जिसके लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में 25.00 करोड़ रुपए दिया गया है।

भू-जल का उपयोग

804. श्री केशव महंत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भू-जल के उपयोग को विनियमित करने हेतु केन्द्र सरकार के मसौदा विधेयक पर विचार-विमर्श करने हेतु राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों का एक सम्मेलन अगस्त, 1997 में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान अधिकांश राज्यों के जल-स्तर में अत्यधिक कमी आयी है; और

(घ) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार जल के भूस्तर में कितनी कमी दर्ज की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घकालीन प्रेक्षण (ऑबजर्वेशन्स) ने विभिन्न राज्यों में भूजल स्तर में वृद्धि और गिरावट की दोनों स्थिति दर्शाई है।

(घ) पिछले पांच वर्षों (1992-93 से 1996-97) की सूचना के अनुसार भूजल स्तर में गिरावट की स्थिति का विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	विभिन्न भागों में 4 मीटर से अधिक की गिरावट वाले जिले	विभिन्न भागों में 2 से 4 मीटर की गिरावट वाले जिले
1	2	3
आंध्र प्रदेश	शून्य	श्रीकाकुलम, विजयनगरम्, विशाखापट्टनम्, पश्चिम गोदावरी
असम	बोनगाईगांव, काचर, धारंग, देवाजी, दुबरी, गोलपाड़ा, गोलाघाट, हैलाकान्डी, जोरहाट, कामरूप, कार्बी, अंगलांग, करीमगंज, मोरेगांव, नलबाड़ी, सोनीतपुर, तिनसुखिया, सिवसागर	नौगांव

1	2	3
बिहार	हजारीबाग, नवादा	दरभंगा, दुमका, जहानाबाद, पटना, भागलपुर, खगड़िया, पलामू, रोहतास, समस्तीपुर
गुजरात	बनासकांठा, अमरेली, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, खेड़ा, कच्छ, मेहसाणा, राजकोट, साबरकांठा, बड़ौदा, सुरेन्द्रनगर,	अहमदाबाद, वलसाड
हरियाणा	जिन्द, रोहतक, यमुनानगर	भिवानी, गुड़गांव, रेवाड़ी
केरल	कोट्टायम, त्रिचूर, इरनाकुलम, त्रिवेन्द्रम, मालप्पुरम, इदुक्की, पालघाट, कासरगोद	कालीकट, वाएनाड, अलेप्पी
मध्य प्रदेश	छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, धार, मंदसौर, होशंगाबाद, देवास, पन्ना, विदिशा, रायगढ़, रतलाम, सागर	दमोह, गुना, जबलपुर, दुर्ग, बालाघाट, मंडला, रायपुर, राजनन्दगांव, रीवा, सतना, सिद्धी, इन्दौर, सिहोर, रायसेन, टीकमगढ़, साहजापुर, सिरपुरी
महाराष्ट्र	औरंगाबाद, जलगांव, उस्मानाबाद	अकोला, अमरावती, बुलधाना, नागपुर, सांगली, बम्बई, दादर नगर हवेली
उड़ीसा	बोलनगीर, धेनकेनाल, मयूरभंज, कालाहान्डी सुन्दरगढ़ पूरी, सम्बलपुर	बालासोर, कटक, पुलबनी, क्योंझर
पंजाब	शून्य	होशियापुर, लुधियाना, रोपड़, कपूरथला
राजस्थान	झुनझुनू, पाली, सिरोही, उदयपुर	बाड़मेर
तमिलनाडु	रामनाथपुरम, कामराजर, सलेम, कोयम्बटूर	चेंगलपेट, एम जी आर, वी आर, पदयाची
उत्तर प्रदेश	फतेहपुर, रामपुर	आजमगढ़, देहरादून, मेरठ

केरल में बाल कल्याण केन्द्र

805. श्री टी० गोविन्दन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजना अवधि के दौरान केरल में कितने बाल कल्याण केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या इन केन्द्रों के लिए राज्यों को कोई विदेशी सहायता उपलब्ध करायी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) ऐसी कोई केन्द्रीय अथवा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नहीं है, जिसके अंतर्गत बाल कल्याण केन्द्र खोले जा सकें। तथापि, बच्चों के कल्याण और विकास के लिए आठवीं योजना अवधि के अंत तक 120 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं, 656 शिशुगृह तथा 181 बालवाड़ी केन्द्र चलाये जा रहे थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[*हिन्दी*]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों के वेतनमान

806. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान के प्राध्यापकों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और अन्य स्नातकोत्तर संस्थानों के प्रध्यापकों के समकक्ष वेतनमान दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस विसंगति के क्या कारण है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, चाहे वह किसी भी संकाय से संबंधित हों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित वेतनमानों के अनुसार ही वेतन का भुगतान किया जाता है।

राजीव गांधी साक्षरता मिशन परियोजना

807. श्री सुशील चन्द्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी साक्षरता मिशन परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को प्रौढ़ शिक्षा हेतु कितना अनुदान आबंटित किया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को साक्षर किया और प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने पर औसत कितनी लागत आई;

(ग) राज्य में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कौन-सी विधि अपनाई गई है;

(घ) क्या राज्य में चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रमों के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, राजीव गांधी साक्षरता मिशन को अनुदान प्रदान नहीं करता। जिला साक्षरता समितियां जो जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पंजीकृत सोसाइटी है, की 15 से 35 आयु वर्ग के बच्चों की निरक्षरता दूर करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा सीधे ही निधियां प्रदान की जाती हैं। मध्य प्रदेश राज्य को वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा साक्षरता के लिए जिला साक्षरता समितियों को प्रदान किए गए अनुदान का विवरण निम्नवत् है :

वर्ष	जारी किया गया अनुदान
1994-95	25,11,99,019 रुपए
1995-96	6,37,00,000 रुपए
1996-97	3,81,84,000 रुपए

(ख) जून, 1997 तक 34,43,450 व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया। संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर बनाने की औसत लागत प्रति वर्ष 65 रुपए से 100 रुपए प्रति शिक्षार्थी तथा उत्तर साक्षरता अभियान के लिए औसत लागत 40 रुपए से 55 रुपए प्रति शिक्षार्थी निश्चित की गई है।

(ग) साक्षरता अभियानों का कार्यान्वयन जिला साक्षरता समितियों के माध्यम से किया जाता है। ये समितियां सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत्, स्वायत्त तथा स्वायत्त निकाय के रूप में पंजीकृत हैं। इन समितियों की छत्रछाया में बहुत से व्यक्ति तथा संगठन मिलकर कार्य करते हैं। इन समितियों की अध्यक्षता जिला कलेक्टर/अध्यक्ष करता है। इस कार्यक्रम की आयोजना तथा कार्यान्वयन में समाज के सभी वर्गों को विशेष प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। साक्षरता अभियानों का दृष्टिकोण क्षेत्र-विशिष्ट, समयबद्ध, स्वयंसेवी आधारित तथा परिणामोन्मुखी होता है। इस अभियान को स्वयंसेवी किसी किस्म की अपेक्षा अथवा पुरस्कार एवं प्रोत्साहन के बिना ही चला रहे हैं।

(घ) और (ङ) प्रत्येक जिले की साक्षरता परियोजना, बाह्य एजेंसियों के माध्यम से समवर्ती तथा अन्तिम मूल्यांकन पर आधारित होती हैं। ये बाह्य एजेंसियां अधिकांशत: प्रतिष्ठित सामाजिक शोध संस्थान, विश्वविद्यालय विभाग होते हैं। साक्षरता परियोजना का अन्तिम मूल्यांकन तभी आरंभ किया जाता है जब तक अधिकतर शिक्षार्थी तीनों साक्षरता प्रवेशिकाएं पूरी नहीं कर लेते। राज्य के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता अभियानों का मूल्यांकन बाह्य एजेंसियों द्वारा किया गया तथा बाह्य एजेन्सियों की उपलब्धियां निम्नवत् है :

जिले का नाम	बुनियादी शिक्षा मानदंड प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की प्रतिशतता
1. रतलाम	86.46%
2. इन्दौर	78.90%
3. नरसिम्हापुर	41.00%
4. बिलासपुर	74.00%
5. रायपुर	82.00%
6. दुर्ग	72.18%

[अनुवाद]

चेन्नई और कलकत्ता दूरसंचार सर्किल

808. श्री ए॰ जी॰ एस॰ रामबाबू : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चेन्नई और कलकत्ता दूरसंचार सर्कल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम॰ टी॰ एन॰ एल॰) को अंतरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में किसी अतिरिक्त क्षेत्र को महानगर टेलीफोन निगम लि॰ को सौंपने का प्रश्न दूरसंचार क्षेत्र के पुनर्गठन/निगमीकरण से सम्बद्ध मुद्दों से जुड़ा है तथा इसके साथ-साथ विस्तृत जांच और विभिन्न संबंधित एजेंसियों से परामर्श करना भी अपेक्षित है।

बम्बई के निकट समुद्र में मालवाहक जहाज का डूबना

809. श्री एल॰ रमना : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बम्बई पत्तन के निकट समुद्र में कई मालवाहक जहाज रहस्यमय ढंग से डूब गये;

(ख) यदि हां, तो गत डेढ़ वर्षों के दौरान कितने जहाज डूबे; और

(ग) क्या इतनी ज्यादा दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) से (ग) पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान आठ कार्गो जलयान डूबे/जमीन में धंसे जिनमें 3 मुम्बई पत्तन की सीमाओं में डूबे/धंसे, जिनके बारे में मुम्बई पत्तन न्यास प्रारंभिक जांच कर रहा है। मुम्बई पत्तन की सीमा से बाहर डूबे 5 जलयानों में से 3 मामलों में नौवहन महानिदेशक, मुम्बई ने प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है जो यह दर्शाती है कि ये दुर्घटनाएं ढांचा छिद्र से जल घुसने, जलयानों की खराब स्थिति और प्रतिकूल मौसम के फलस्वरूप ढांचागत असफलता के कारण हुई। अन्य दो मामलों में निदेशालय को प्रारंभिक जांच अभी पूरी करनी है।

डाक सप्ताह

810. श्री राम नाईक : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने 9 अक्तूबर, 1997 से डाक सप्ताह मनाया था;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उस दिन से डाकियों ने मुम्बई में "नियमानुसार कार्य" नीति अपनाई है जिससे डाक मदों के वितरण में विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो डाकियों की शिकायतें क्या हैं उनके कारण उन्हें नियमानुसार कार्य का सहारा लेना पड़ा; और

(घ) सरकार ने उनकी शिकायतें दूर करने और विवाद को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी नहीं। "नियमानुसार कार्य" के संबंध में महाराष्ट्र सर्किल को रीजनल या सर्किल स्तर पर किसी यूनियन/स्टाफ एसोसिएशन की ओर से कोई नोटिस या सूचना नहीं मिली। मुम्बई में, उत्तर-पश्चिम डाक डिवीजन के कुछ भागों को छोड़कर, जहां दीवाली का सीजन होने के कारण डाक अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुई थी और थोड़ी-बहुत डाक इकट्ठी हो गई थी, डाक का वितरण सामान्य था।

तथापि उत्तर-पश्चिम डिवीजन के पोस्टमैनों ने वितरण कर्मचारियों की कमी के संबंध में अपनी शिकायतें व्यक्त कीं।

(घ) सरकार ने हाल ही में मुम्बई डाक रीजन के लिए पोस्टमैन के 125 तथा सार्टिंग पोस्टमैन के 12 पदों की मंजूरी दे दी है। इसमें से पोस्टमैन के 43 पद तथा सार्टिंग पोस्टमैन के 4 पद उत्तर-पश्चिम डाक डिवीजन को आबंटित कर दिए गए हैं।

ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आमंत्रित निविदाएं

811. श्री विजय गोयल : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जुलाई, 1997 को ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया से 6500 क्यूबिक मीटर हॉपर कैपेसिटी ट्रेलर्स सैक्शन ड्रेनेज के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थीं;

(ख) क्या विश्व की कोई अन्य कंपनी भी निविदा दे सकती है;

(ग) क्या चीन की शिपबिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी को निविदा भरने के पत्र उपलब्ध नहीं कराए गए थे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) और (ख) जी हां। चूंकि यह एक विश्व-व्यापी निविदा थी अत: विश्व की कोई भी कंपनी जो निविदा आमंत्रण नोटिस में प्रकाशित पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करती है, निविदा भरने में भाग ले सकती है।

(ग) और (घ) जी हां। चीन की शिपबिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई पेशकश निविदा आमंत्रण नोटिस में विनिर्दिष्ट शर्तों के संदर्भ में उचित नहीं पाई गई थी।

गोदावरी न्यायाधिकरण पंचाट

812. श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी न्यायाधिकरण पंचाट के अनुसार आंध्र प्रदेश गोदावरी जल का 1479 टी एम सी फीट जल का उपयोग कर सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अपने आबंटित हिस्से के आधे से भी कुछ कम जल का उपयोग कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या पोलावारम तथा इचमपल्ली की प्रस्तावित परियोजनाएं ऊंची लागत, सामाजिक, पर्यावरणीय तथा अन्तर्राज्यीय समस्याओं के कारण रुकी पड़ी हैं;

(घ) क्या योजना के अनुसार तेलंगाना के 20 लाख हेक्टेयर तथा आंध्र प्रदेश में 5 लाख हेक्टयेर की सिंचाई के लिए 528 टी एम सी फीट गोदावरी जल लेने का प्रावधान है तथा इसके अलावा

रायलसीमा के लिए 40 टी एम सी फीट जल तथा "ट्विन सिटीज" के लिए पेयजल की आपूर्ति हेतु 10 टी एम सी फीट जल का प्रावधान था; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक इन परियोजनाओं पर कार्य शुरू होगा?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) गोदावरी जल विवाद अधिकरण पंचाट में राज्यों के बीच हुए विभिन्न अंतर्राज्यीय समझौतों के आधार पर विभिन्न उप बेसिनों में विशिष्ट स्थानों/परियोजनाओं तक केवल सह बेसिन राज्यों के लिए जल के आबंटन का उल्लेख किया गया है।

(ख) गोदावरी बेसिन में आंध्र प्रदेश द्वारा श्री राम सागर में 145.35 टी एम सी जल एवं गोदावरी डेल्टा परियोजनाओं में 266.30 टी एम सी जल का उपयोग किया जा रहा है।

(ग) पोलावरम एवं इचमपल्ली परियोजनाओं को पर्यावरणीय समस्या एवं अंतर्राज्यीय पहलुओं के कारण योजना आयोग द्वारा निदेश स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है।

(घ) पोलावरम बहु-उद्देशीय परियोजना में गोदावरी डेल्टा की 266.30 टी एम सी जल की आवश्यकता पूरा करने के अलावा आंध्र प्रदेश के गोदावरी पूर्व, गोदावरी पश्चिम, विशाखापटनम एवं कृष्णा जिले के कृष्यकमान क्षेत्र के 3.13 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के लिए 578.87 टी एम सी जल के उपयोग, कृष्णा डेल्टा की ओर 84.7 टी एम सी के व्यपवर्तन, विशाखापटनम को 23.44 टी एम सी जल की आपूर्ति, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा के लिए 6.5 टी एम सी तथा समलकोट नहर विस्तार के लिए 8.27 टी एम सी जल के आबंटन की परिकल्पना की गयी है।

गोदावरी नदी पर इचमपल्ली परियोजना आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश का एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें इचमपल्ली नहर के जरिए आंध्र प्रदेश में 1.31 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए 88.28 टी एम सी की जलाशय क्षमता है।

(ङ) आंध्र प्रदेश की नौवीं योजना के दस्तावेज के अनुसार नौवीं योजना के दौरान इन दोनों परियोजनाओं (पोलावरम एवं इचमपल्ली) का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावना है।

सामुदायिक सिंचाई परियोजनाएं

813. श्री नवीन पटनायक : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या नौवीं योजना में ऐसी परियोजनाओं के केन्द्र द्वारा वित्त पोषित किए जाने की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में पूरी की जाने वाली प्रस्तावित सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) इस समय जल संसाधन मंत्रालय का सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लघु और सीमांत किसानों तथा उनके समूहों को भू जल (बोरवेल और नलकूप) के दोहन के जरिए सिंचाई प्रदान करने के वास्ते पहली फरवरी, 1997 से एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के तहत गंगा कल्याण योजना नामक एक उप-स्कीम शुरू की है।

(ख) उड़ीसा को वर्ष 1996-97 के दौरान गंगा कल्याण योजना के तहत 6.03 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। गंगा कल्याण योजना स्कीम अब वर्ष 1997-98 से स्वतंत्र स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वर्ष 1997-98 के लिए 200 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से अब तक 6.33 करोड़ रुपये उड़ीसा को जारी किए गये हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के सदंर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

814. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 14 और जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिये विश्व बैंक से 600 करोड़ रुपये की सहायता से एक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इनमें शामिल जिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस राशि का उपयोग किन-किन मुख्य योजनाओं पर किया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश के 14 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार के वास्ते निधियां प्रदान करने की इच्छा जाहिर की है। कार्यक्रम के तहत शामिल किए जाने वाले जिलें हैं - महबूब नगर, मेडक, अदीलाबाद, निजामाबाद, श्री-काकुलम, नालगोंडा, प्रकाशम, अनंतपुर, खम्मम, कुड्डापाह, चित्तूर, विशाखापटनम, गुंटूर, रंगारेड्डी। वास्तविक सहायता जिला योजनाओं के अंतिम रूप दिए जाने तथा उनके अनुमोदन पर निर्भर करेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र कार्यक्रम घटकों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) सूक्ष्म आयोजना, समुदाय संघटन

(ख) नए स्कूल खोलना

(ग) स्कूल भवनों, शिक्षण कक्षों, शौचालयों, पेयजल सुविधाओं का निर्माण।

(घ) वैकल्पिक शिक्षा ग्रहण व्यवस्था की स्थापना

(ङ) औपचारिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में गुणवत्ता सुधार जिसमें शिक्षकों का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक नवीकरण, शिक्षकों को शैक्षिक सहायता के लिए उप जिला ढांचों की स्थापना शामिल है।

(च) क्षमता निर्माण तथा संस्थानिक विकास

(छ) अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रबंध सूचना प्रणाली आदि का विकास।

[*हिन्दी*]

हरियाणा में सैन्य भर्ती केन्द्र

815. डा॰ अरविन्द शर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा और इसके आसपास के क्षेत्रों से भारतीय सेना में सबसे अधिक संख्या में सैनिकों की भर्ती की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान भर्ती केन्द्रों के अतिरिक्त नये भर्ती केन्द्र स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो नये भर्ती केन्द्र कब तक और कितनी संख्या में खोले जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) हरियाणा तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में स्थित मौजूदा शाखा भर्ती कार्यालय उस क्षेत्र की भर्ती संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त हैं।

[*अनुवाद*]

विद्यालयों में प्रवेश के बारे में न्यायालय का निर्णय

816. श्री राम सागर : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली के एक न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि पूर्व प्राथमिक (प्री-प्राइमरी) और प्रथम कक्षा के स्तर पर प्रवेश के समय विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा शिशु और उनके माता-पिता का साक्षात्कार लिया जाना अवैध और अनुचित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विधान तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अजित अग्रवाल बनाम मांगेराम गर्ग तथा अन्यों के मामले में सिविल न्यायालय, तीस हजारी दिल्ली ने निर्णय दिया है कि प्राथमिक पूर्व स्तर और कक्षा एक में प्रवेश के लिए किसी बच्चे और माता-पिता का साक्षात्कार लेना अवैध तथा अनुचित है और सरकार से कहा है कि वह प्रवेश संबंधी कानून बनाए।

उन्होंने आगे कहा कि गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेशों को विनियमित करने के लिए दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम तथा नियम, 1973 में पर्याप्त उपबंध हैं।

[*हिन्दी*]

माइक्रोवेव टॉवर

817. डा॰ लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार सुविधाओं को कारगर बनाने के लिए मध्य प्रदेश के बहुत से जिलों में माइक्रोवेव स्थापित किए जा रहे हैं तथा क्या इस प्रणाली के माध्यम से संचार सेवायें प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो मदंसौर जिले में वे कौन-कौन से स्थान हैं जहां ऐसे टावर स्थापित किये गये है तथा कार्य कर रहे हैं;

(ग) वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां ऐसे टावरों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है; और

(घ) शेष टावरों के निर्माण के कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) 1. मंदसौर 2. नीमच 3. दिपाली पामन्डी 4. सीमामऊ 5. श्यामगढ़ 6. मनासा

(ग) और (घ) उक्त (ख) में उल्लिखित मंदसौर जिले के सभी छः स्थानों पर टावरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों में जहां ऐसे टावरों का निर्माण किया जा रहा है या तो कार्य पूरा हो गया है अथवा पूरा होने की स्थिति में है ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

स्टेशन का नाम	टावर की ऊंचाई	स्थापना	निर्माण
सुवासरा	60 मीटर	पूरा हो गया	मार्च, 98 तक
गरीथ	80 मीटर	मार्च 98 तक	जून 98 तक
रामपुरा	80 मीटर	पूरा हो गया है	मार्च 98 तक
सखनिया महाराज	40 मीटर	जनवरी 98 तक	मार्च 98 तक
दिकेन	40 मीटर	जनवरी 98 तक	मार्च 98 तक
रतनगढ़	40 मीटर	पूरा हो गया है	पूरा हो गया है
जवाड़	40 मीटर	पूरा हो गया है	पूरा हो गया है

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेंज

818. श्री अमर रायप्रधान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना और चालू वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान पश्चिम बंगाल में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार के पास उक्त अवधि के दौरान राज्य में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण करने और उनका विस्तार करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के सभी पंचायतों और पुलिस स्टेशनों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी है अथवा उसका ये सुविधाऐं उपलब्ध कराए जाने का विचार है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दिनांक 31.3.97 की बारह पुराने किस्म (इलैक्ट्रो-मेकेनिकल) के एक्सचेंज थे। इनमें से अभी तक पांच एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों से बदला जा चुका है।

(घ) जी हां।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(च) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है।

(छ) और (ज) पश्चिम बंगाल के कुल 3793 ग्राम पंचायतों में से 3535 ग्राम पंचायतों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है। शेष 258 ग्राम पंचायतों को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन सुविधा प्रदान की जाने की योजना है।

ब्रिटिश टेलीकॉम के सहयोग से दूरसंचार परियोजनाएं स्थापित करना

819. श्री एस॰ डी॰ एन॰ आर॰ वाडियार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ब्रिटिश टेलीकॉम के सहयोग से कुछेक दूरसंचार परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

पृथक् डाक लेखा कार्यालय

820. डा॰ अरूण कुमार शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित संयुक्त लेखा कार्यालय को विभाजित कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक अलग डाक लेखा कार्यालय की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यालय की मौजूदा स्थिति क्या है और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहां पर स्थित है;

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्यालय को स्थानांतरित न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे अंतिम रूप से कब तक स्थानांतरित कर दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कोचिंग संबंधी योजनाओं पर व्यय

821. श्री मुख्तार अनीस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के छात्रों के लिये कोचिंग संबंधी योजनाओं पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कितना व्यय किया गया;

(ख) इन योजनाओं को चलाने वाले विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं;

(ग) कोचिंग प्रदान किये गये विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय-वार और परीक्षा वार संख्या क्या है; और

(घ) वर्ष 1997-98 के लिये इन योजनाओं के लिये कितना धन आबंटित किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) आठवीं योजनावधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अल्पसंख्यक समुदाय और अन्य कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए कोचिंग योजना पर 1,90,83,405/-

रुपए का व्यय किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी सूचित किया है कि वर्ष 1997-98 के दौरान योजना के लिए 100.00 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

कोचिंग योजनाएं 22 विश्वविद्यालयों तथा 31 कालेजों में कार्यान्वित की जा रही है। 28 कालेजों में यह योजना आरंभ की जा चुकी है। विश्वविद्यालयों और कालेजों व उन छात्रों की संख्या जिन्हें कोचिंग दी गई है विवरण में संलग्न है।

विवरण

अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग कक्षाओं की योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों की सूची

क्र०सं०	विश्वविद्यालय का नाम	उन छात्रों की संख्या जिन्हें कोचिंग दी गई है
1	2	3
1.	डा० बी० आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा (उ०प्र०)	322
2.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उ०प्र०)	1713
3.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (उ०प्र०)	1246
4.	बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर, कर्नाटक	228
5.	बरकातुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश	110
6.	कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट, केरल	699
7.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म०प्र०)	1940
8.	गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी, असम	413
9.	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)	4067
10.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	792
11.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू, जम्मू और कश्मीर	400
12.	काकातिया विश्वविद्यालय, वारंगल (आंध्र प्रदेश)	124
13.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर (ज० और क०)	-
14.	एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार	297
15.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, (उ०प्र०)	466
16.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर, (महाराष्ट्र)	-
17.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, (आ०प्र०)	102
18.	पटना विश्वविद्यालय, पटना, (बिहार)	-
19.	दक्षिणी-गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत, गुजरात	154
20.	एम० डी० विश्वविद्यालय, रोहतक, (हरियाणा)	100
21.	बम्बई विश्वविद्यालय, मुंबई, (महाराष्ट्र)	-
22.	चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ (उ०प्र०)	-

क्र०सं०	कालेज का नाम	उन छात्रों की संख्या जिन्हें कोचिंग दी गई है
1	2	3
1.	अंजुमन-ए-इस्लाम नेहरू कला, विज्ञान और वाणिज्य कालेज, घांटीकेरी, हुबली	285
2.	एपीएन डिग्री कालेज, बस्ती (उ०प्र०)	168
3.	आचार्य नरेन्द्र देव किसान पी० जी० कालेज गोंडा (उ०प्र०)	35
4.	बीएनकेबी (आई जी) डिग्री कालेज, अकबरपुर, फैजाबाद (उ०प्र०)	827
5.	डी०ए०वी० कालेज, महात्मा हंस राज रोड, जालंधर पंजाब	34
6.	डिग्री कालेज पट्टी, प्रतापगढ़ (उ०प्र०)	862
7.	डा० अम्बेडकर कालेज कला एवं वाणिज्य गुलबर्ग, कर्नाटक	106
8.	फारूक कालेज, कालीकट, केरल	1756
9.	राजकीय कालेज, मलेरकोटला, पंजाब	171
10.	राजकीय बालिका कालेज (पीजी) रामपुर (उ०प्र०)	101
11.	राजकीय कालेज, केसरागोड जिला केसरागोड, केरल	455
12.	गांधी फैज़ान (पीजी) कालेज शाहजहांपुर, (उ०प्र०)	68
13.	हामिदिया बालिका डिग्री कालेज सुल्तान बाबा, नूरूल्लाह रोड, इलाहाबाद, (उ०प्र०)	635
14.	इकबाल कालेज, पेरिंगमला, त्रिवेन्द्रम, केरल	1741
15.	जमाल मोहम्मद कालेज, त्रिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु	249
16.	करामत हुसैन मुस्लिम बालिका डिग्री कालेज फैजाबाद रोड, डाकघर मोहननगर, लखनऊ (उ०प्र०)	20
17.	कर्नाटक कला, विज्ञान और वाणिज्य कालेज, बिदर, कर्नाटक	360
18.	कांडी राज कालेज, मुर्शिदाबाद (प० बंगाल)	67
19.	एमईएस काल्लाडी कालेज, मन्नारघाट, पालघाट, केरल	525
20.	मिल्लाट कालेज, लोहरिया सराय, दरभंगा, बिहार	185
21.	एमईएस मानपद कालेज, मल्लापुरम, केरल	190
22.	एमईएस पोन्नानी कालेज, पोन्नानी, केरल	64
23.	मौलाना आज़ाद कालेज, 8, रफी अहमद किदवई मार्ग, कलकत्ता	418
24.	एमईएस असाम्बी कालेज डाकघर वेम्बाल्लूर, कोडंगाल्लूर, त्रिचूर, केरल	1168

1	2	3
25.	एम एम एच कालेज, गाजियाबाद (उ०प्र०)	210
26.	पोकेर साहिब मेमोरियल आरफान कालेज तिरूरंगाडी, केरल	165
27.	सेंट मैरी कालेज, सुल्तान बाटेरियम वायनाद, जिला, कालीकट, केरल	231
28.	एसईसीएबी एसोसियेशन अबदुर रायज़ग़ा ईनामदार कालेज, कला विज्ञान और वाणिज्य महिला कालेज बीजापुर, कर्नाटक	32
29.	एस डी कालेज, होशियारपुर, पंजाब	1254
30.	ज़ाकिर हुसैन कालेज, नई दिल्ली	80
31.	सर सैय्यद कालेज तालीपाराम्बा कान्नूर जिला, केरल	1944

केबिलों की कमी

822. **श्री एन० के० प्रेम चन्द्रन :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री वी० एम० सुधीरन :

श्री अनंत कुमार :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि केरल और कर्नाटक में केबिलों, तापल वस्तुओं और दूसरे यंत्रों की अत्यधिक कमी के कारण टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार कार्य रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार क्या ब्यौरा है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है;

(घ) क्या विस्तारित "सेटेलाइट मनीआर्डर सिस्टम" और पाइंट टू पाइंट एक स्पीड सेन्टर को शुरू करने का प्रस्ताव है जिसके द्वारा केरल के कोल्लम जिले में स्थित किसी भी डाकखाने से संपर्क किया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या ब्यौरा है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी नहीं। सरकार को केबिलों, तापल वस्तुओं इत्यादि की किसी प्रकार की कमी की जानकारी नहीं है। केरल और कर्नाटक में एक्सचेंजों का विस्तार कार्य कार्यक्रम अनुसार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कोल्लम जिले में कोल्लम एच ओ और कोट्टारक्कारा एच ओ में विस्तारित सेटेलाइट मनीआर्डर सिस्टम को शुरू करने का प्रस्ताव है। केरल में कोल्लाम जिले के किसी भी डाकघर में "पाइंट टू पाइंट स्पीड पोस्ट सुविधा" शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है।

टी-72 एम टैंकों की बैरलों का फटना

823. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**

श्री शिवानन्द एच० कौजलगी :

श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोलाबारी अभ्यास के दौरान टी-72 एम टैंकों के बैरल कई बार फटे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बैरल फटने के कारणों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) टैंकों के बैरलों में कमियों को दूर करने के लिए और उनके आपूर्तिकर्ताओं के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले 12 वर्षों के दौरान टी-72 टैंकों के गन बैरलों के फटने की 33 घटनाएं हुई।

(ग) से (ङ) इन असफलताओं की जांच करने तथा सुधारात्मक उपाय किये जाने का सुझाव देने के लिए गुणता आश्वासन महानिदेशालय के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। विस्तृत जांच के आधार पर समिति ने निर्माता एजेंसी को कुछ तकनीकी सुझाव दिये हैं। इस समस्या की व्यापक जांच करने तथा संभावित हल का सुझाव देने के लिए रूसी विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया है।

सरकार को पर्यटन से अर्जित राजस्व

824. **श्री वी० एल० शंकर :**

श्री डी० पी० यादव :

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान आज तक पर्यटन से कितना राजस्व अर्जित हुआ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न पर्यटन कार्यक्रमों/योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा तैयार नीति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत वर्ष की संगत अवधि की तुलना में वर्ष 30.9.97 तक कितने पर्यटकों ने भारत का भ्रमण किया ?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जैना) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 और 1997-98 (अक्तूबर, 1997 तक) के दौरान व्यय कर के माध्यम से क्रमश: 293.23 करोड़ और 138.95 करोड़ रुपए कर राजस्व के रूप में अर्जित किए गए ।

(ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान पर्यटन विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग का कुल योजनागत परिव्यय क्रमशः 90.00 करोड़ रुपए और 104.85 करोड़ रुपए है।

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की नीति में - पर्यटन उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रोत्साहन-पर्यटन की आर्थिक महत्ता के प्रति जागरूकता लाना और अवसरंचना विकास तथा विपणन उन्नयन के लिए राज्यों को सहायता आदि शामिल है।

(घ) वर्ष 1996 और 1997 के दौरान भारत आए विदेशी पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है :

1997 (सितम्बर तक)	1643067
1996 (सितम्बर तक)	1569804

[*हिन्दी*]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के खिलाफ शिकायतें

825. डा० बलिराम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों, अनुसंधान विद्यार्थियों और प्राध्यापाकों से बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति के खिलाफ कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) क्या उन शिकायतों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है; और

(घ) इन शिकायतों का निपटान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सरकार को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के खिलाफ कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इनकी जांच की जा रही है।

[*अनुवाद*]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन

826. श्री भक्त चरण दास :

श्री कचरू भाऊ राउत :

श्री संदीपान थोरात :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, विद्यालय शिक्षा को पर्यावरण उन्मुख बनाने संबंधी योजना और विज्ञान शिक्षा में सुधार लाने हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कितने विद्यालयों को राज्यवार तथा ग्रामीण-शहरी स्थिति वार शामिल किया गया है तथा इससे कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं हेतु कितनी धन राशि आबंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत संलग्न किए गए विवरण के अनुसार स्कूलों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों प्रदान की गई हैं। राज्य सरकारों ने विशेष तौर पर इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले वास्तविक छात्रों तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रवार शामिल किए जाने वाले स्कूलों की संख्या की सूचना नहीं दी है। स्कूल शिक्षा की पर्यावरण प्रबोधन योजना के अंतर्गत इन विशिष्ट परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां प्रदान की गई हैं। अधिकांश स्कूलों में ये कार्यकलाप लागू हैं।

वर्ष 1997-98 के बजट अनुमान के अंतर्गत उक्त योजनाओं के लिए निधियों का आबंटन निम्नवत् हैं :

(करोड़ रुपए)

स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता तथा अध्ययन	20.00
शैक्षिक प्रौद्योगिकी	15.00
स्कूल शिक्षा के जरिए पर्यावरण प्रबोधन (गैर सरकारी संगठन क्षेत्र)	02.00
स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार	20.00

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शामिल किए गए स्कूलों की संख्या			स्वीकृत की गई परियोजनाएं
		क्लास योजना	शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना	स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार	पर्यावरण प्रबोधन
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	30	36381	2664	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	900	-	1
3.	असम	9	11567	2257	1
4.	बिहार	-	-	-	1
5.	गोआ	58	-	62	1
6.	गुजरात	35	21553	-	1
7.	हरियाणा	70	578	2765	2
8.	हिमाचल प्रदेश	181	1007	1182	2

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू और कश्मीर	10	1628	1779	2
10.	कर्नाटक	247	14263	16310	1
11.	केरल	82	-	1861	2
12.	मध्य प्रदेश	300	-	3561	2
13.	महाराष्ट्र	193	25000	14620	3
14.	मणिपुर	16	821	-	1
15.	मेघालय	31	2703	650	1
16.	मिजोरम	7	72	211	1
17.	नागालैंड	6	671	2564	1
18.	उड़ीसा	-	28940	3670	1
19.	पंजाब	37	2483	6625	2
20.	राजस्थान	135	10315	3554	-
21.	सिक्किम	11	141	12	1
22.	तमिलनाडु	57	-	-	-
23.	त्रिपुरा	36	29	1140	1
24.	उत्तर प्रदेश	210	-	1968	1
25.	पश्चिम बंगाल	50	-	-	1
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15	55	-	1
27.	चंडीगढ़ प्रशासन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	-	-	-	1
28.	दिल्ली	150	3500	488	-
29.	दादर और नगर हवेली	3	43	-	1
30.	दमन और दीव	3	-	42	2
31.	लक्षद्वीप	-	-	26	2
32.	पांडिचेरी	-	-	8	1

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

827. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश द्वारा केन्द्र सरकार के पास भेजी गई प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन महीनों के दौरान उनमें से कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई; और

(ख) स्वीकृति हेतु कितनी परियोजनाएं लंबित हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) 143.32 करोड़ रुपये की अद्यतन अनुमानित लागत की एक वृहद सिंचाई परियोजना अर्थात् शाह नहर सिंचाई परियोजना हिमाचल प्रदेश द्वारा अगस्त, 1995 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। परियोजना को फरवरी, 1997 में योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया।

गत तीन महीनों में योजना आयोग द्वारा किसी भी परियोजना को निवेश स्वीकृति नहीं दी गई है।

(ख) एक मध्यम सिंचाई परियोजना अर्थात् सिधाता सिंचाई परियोजना स्वीकृति के लिए लंबित है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों/कालिजों का विकास

828. **श्री मुरलीधर जेना :**

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों/कालेजों का विश्वविद्यालयवार/कालेजवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) जिन विश्वविद्यालयों/कालेजों को उनके द्वारा की गई मांग के अनुसार अनुदान स्वीकृत कर दिया गया उन पर राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लोअर सुकटेल सिंचाई परियोजना

829. **डा० कृपासिंधु भोई :**

श्री शरत पटनायक :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लोअर सुकटेल सिंचाई परियोजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या 1997-98 के दौरान इसे कार्यान्वित किये जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सन् 2000 तक पश्चिम उड़ीसा में पूरे किये जाने वाले अन्य माध्यमों तथा प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नौवी योजना (1997-2002) के दौरान क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित पश्चिमी उड़ीसा की अन्य वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले
क.	**वृहद**	
1.	आई बी फेज-1	सुंदरगढ़
2.	ओंग बांध	बारगढ़
3.	लोअर सुबतल	बोलांगीर
4.	लोअर इंदिरा	नोवरंगपुर
5.	एनल उत्तेई	कालाहांडी
ख.	**मध्यम**	
1.	रीत	कालाहांडी

अनिवार्य शिक्षा विधेयक

830. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :**

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनिवार्य शिक्षा के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संदर्भ में गठित विशेषज्ञ समिति ने पहले से ही अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) क्या इस संदर्भ में राज्य सरकारों और विशेषज्ञों के सभी प्रतिनिधियों के विचारों पर विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो यह विधेयक कब तक प्रस्तुत किया जायेगा;

(ङ) प्रस्तावित विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(च) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने हाल ही के निर्णय में सरकार को एक ऐसा कानून प्रस्तुत करने की मांग की है जिसके द्वारा देश के चल रहे व्यावसायीकरण पर प्रतिबंध लगाया जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के प्रस्ताव की विधायी, वित्तीय, शैक्षिक और प्रशासनिक विषयक जांच करने के लिए श्री मुही राम सैकिया, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (शिक्षा) की अध्यक्षता में स्थापित राज्य शिक्षा मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट के आधार पर (संवैधानिक) 83वां संशोधन) विधेयक, 1997 राज्य सभा में 28 जुलाई, 1997 को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। राज्य सभा में प्रस्तुत किए गए विधेयक की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

(i) राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

(ii) राज्य ऐसे शैक्षिक संस्थानों के संबंध में, नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिनका राज्य द्वारा रखरखाव नहीं किया जाता या जो राज्य निधि में से सहायता प्राप्त नहीं कर रहें हैं।

(iii) सक्षम विधान मंडल संविधान (83वां संशोधन) अधिनियम, 1997 के शुरू होने के एक वर्ष के अन्दर-अन्दर नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए कानून बनाएगा।

(vi) संविधान के अनुच्छेद 45 को छोड़ दिया जाएगा, और

(v) 6 से 14 आयु वर्ष के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना सभी अभिभावकों या संरक्षकों का मौलिक कर्तव्य होगा।

इस समय यह विधेयक मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति के विचारार्थ है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[*हिन्दी*]

उत्तर प्रदेश में डाकघर

831. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया और वे कहां-कहां पर हैं; और

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश में आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावित डाकघरों की संख्या कितनी है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश डाक सर्किल में पिछले तीन वर्षों के दौरान 75 डाकघरों का पूर्णत: आधुनिकीकरण किया गया। इन डाकघरों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश डाक सर्किल में 42 डाकघरों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश डाक सर्किल में आधुनिक बनाए गए डाकघरों की सूची।

1994-95

1. न्यू हैदराबाद डाकघर, लखनऊ
2. नवाबगंज प्रधान डाकघर, कानपुर

3. इलाहाबाद प्रधान डाकघर
4. नोएडा काम्पलैक्स उप डाकघर
5. गोंडा प्रधान डाकघर
6. लखनऊ चौक प्रधान डाकघर

1995-96

1. आगरा प्रधान डाकघर
2. आगरा फोर्ट प्रधान डाकघर
3. मथुरा प्रधान डाकघर
4. बुलन्दशहर प्रधान डाकघर
5. वाराणसी प्रधान डाकघर
6. जौनपुर प्रधान डाकघर
7. कानपुर कैंट प्रधान डाकघर
8. हमीरपुर प्रधान डाकघर
9. बरेली प्रधान डाकघर
10. मुरादाबाद प्रधान डाकघर
11. नैनीताल प्रधान डाकघर
12. तल्लीताल प्रधान डाकघर
13. खीरी प्रधान डाकघर
14. आलमबाग प्रधान डाकघर
15. महानगर प्रधान डाकघर
16. निरालानगर डाकघर
17. लखनऊ जी पी ओ
18. फैजाबाद प्रधान डाकघर
19. देहरादून प्रधान डाकघर
20. हरिद्वार उप डाकघर
21. मुजफ्फरनगर सिटी डाकघर
22. मेरठ के टी वाई उप डाकघर
23. प्रतापगढ़ प्रधान डाकघर
24. देवरिया प्रधान डाकघर
25. कुमराघाट प्रधान डाकघर
26. मऊ प्रधान डाकघर
27. बलरामपुर प्रधान डाकघर

1996-97

1. इलाहाबाद कुटचेरी प्रधान डाकघर
2. सीडीए (पी) उप डाकघर, इलाहाबाद
3. मिर्जापुर प्रधान डाकघर
4. गाजीपुर प्रधान डाकघर
5. शक्तिनगर उप डाकघर
6. बंगालीटोला उप डाकघर
7. वाराणसी कैंट प्रधान डाकघर
8. रायबरेली प्रधान डाकघर
9. अकबरपुर प्रधान डाकघर
10. सुल्तानपुर प्रधान डाकघर
11. बाराबंकी प्रधान डाकघर
12. सीतापुर प्रधान डाकघर
13. मेरठ सिटी प्रधान डाकघर
14. मुजफ्फरनगर प्रधान डाकघर
15. ऋषिकेश उप डाकघर
16. खतौली उप डाकघर
17. इटावा प्रधान डाकघर
18. ऐटा प्रधान डाकघर
19. ललितपुर प्रधान डाकघर
20. उरई प्रधान डाकघर
21. बांदा प्रधान डाकघर
22. उन्नाव प्रधान डाकघर
23. महोबा उप डाकघर
24. बिंदकी उप डाकघर
25. सरईमिरान उप डाकघर
26. पुरवा उप डाकघर
27. अकबरपुर उप डाकघर
28. छिबारामऊ उप डाकघर
29. साफीपुर उप डाकघर
30. खागा उप डाकघर
31. आर के. नगर उप डाकघर
32. गोरखपुर प्रधान डाकघर
33. आजमगढ़ प्रधान डाकघर
34. बहराइच प्रधान डाकघर
35. बलिया प्रधान डाकघर
36. गोरखपुर आर॰ एस॰ डाकघर
37. रेलवे कालोनी गोरखपुर
38. अमरोहा प्रधान डाकघर
39. रामपुर प्रधान डाकघर
40. हल्द्वानी प्रधान डाकघर
41. दौदौन प्रधान डाकघर
43. शाहजहांपुर प्रधान डाकघर

नवोदय विद्यालय

832. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री बीर सिंह महतो :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्यवार नवोदय विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) देश में राज्यवार कितने नवोदय विद्यालयों की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) मध्य प्रदेश में नवोदय विद्यालयों के रखरखाव पर प्रतिवर्ष कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है;

(घ) उक्त राज्य में नवोदय विद्यालयों के सुचारु कार्यकरण हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा इसे पूर्णतया चालू करने में कितना समय लगेगा;

(ङ) विद्यालय आरंभ होने के प्रथम वर्ष में राज्य के कितने छात्रों को दाखिला मिला; और

(च) इन विद्यालयों में छात्रावास सुविधा की पात्रता के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) इस समय देशभर में कार्यरत नवोदय विद्यालयों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) नवोदय विद्यालय योजना में देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाना परिकल्पित है।

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान मध्य प्रदेश में नवोदय विद्यालयों के रखरखाव के लिए कुल 1476.32 लाख रुपए की रकम खर्च की गई।

(घ) विभिन्न स्तरों पर नवोदय विद्यालय के सामान्य कार्यकरण हेतु निर्धारित राशि निम्नलिखित है :-

(लाख रुपयों में)

विद्यालय कक्षा का स्तर	आवर्ती	अनावर्ती	कुल
VI	15.41	6.74	22.15
VII	24.23	2.78	27.01
VIII	32.94	2.71	37.65
IX	46.58	4.59	51.17
X	53.69	2.93	56.62
XI	62.35	4.77	67.12
XII	68.24	3.19	71.43

क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय केवल कक्षा 6 से आरंभ होते हैं, अत: उनके पूर्णत: चालू होने में सात वर्ष लग जाते हैं।

(ङ) प्रारंभिक वर्ष के जिन छात्रों को दाखिला दिया जाता है उनकी संख्या नवोदय विद्यालय समिति को उपलब्ध कराए गए अस्थायी आवास पर निर्भर होती है। प्राय: किसी विद्यालय में प्रारंभिक वर्ष में अधिकतम 80 छात्र दाखिल किए जाते हैं।

(च) क्योंकि सभी नवोदय विद्यालय पूर्णत: आवासीय संस्थाएं हैं, अत: सभी छात्रों को कक्षा VI में ही छात्रावास सुविधाएं प्रदान कर दी जाती हैं।

विवरण

स्वीकृत ज॰ न॰ विद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा

क्र॰सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत ज॰न॰ विद्यालय
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	22
2.	अरुणाचल प्रदेश	07
3.	बिहार	45
4.	गुजरात	12
5.	हरियाणा	14
6.	हिमाचल प्रदेश	10
7.	केरल	12
8.	महाराष्ट्र	28
9.	पंजाब	11
10.	राजस्थान	28
11.	सिक्किम	03
12.	नागालैंड	04
13.	उत्तर प्रदेश	46
14.	दिल्ली	02
15.	असम	18
16.	उड़ीसा	16
17.	गोवा	02
18.	जम्मू और कश्मीर	14
19.	कर्नाटक	20
20.	मणिपुर	08
21.	मिजोरम	03
22.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	02

1	2	3
23.	दादरा और नगर हवेली	01
24.	दमन और दीव	02
25.	लक्षद्वीप	01
26.	पांडिचेरी	04
27.	मध्य प्रदेश	45
28.	चंडीगढ़	01
29.	मेघालय	06
30.	त्रिपुरा	03
	कुल	390

[अनुवाद]

रक्षा क्षेत्र में अतिक्रमण

833. डा० एम० जगन्नाथ :

डा० रामकृष्ण कुसमारिया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा के एक "चार्टर" विभाग द्वारा बिना किसी आपातकालीन परिस्थितियों के मुम्बई रक्षा क्षेत्र में अतिक्रमण किए जाने के उद्देश्यों का पता लगा लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (ग) 27 सितंबर, 1997 को बम्बई के रास्ते दुबई से दिल्ली की उड़ान पर एक कनेडियाई अनिर्धारित चार्टर विमान (उड़ान सं० 4ए/425/9) अपने निर्धारित रास्ते से विचलित हो गया और उड़ते हुए जामनगर में 30 कि०मी० भीतर घुस आया। तत्काल ही भुंज से हमारा एक अंतरोधी विमान भेजा गया तथा वायुसेना रेडार यूनिट द्वारा विमान को मुम्बई में उतरने के लिए निर्देश दिया गया। विमान में कमांडर ने बताया कि ईधन बचाने के लिए उसने उड़ान के निर्धारित रास्ते से हटकर छोटे रास्ते को पकड़ लिया था। विमान की विस्तृत तलाशी ली गई किन्तु उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया जा सका, इसलिए विमान को आगे जाने के लिए छोड़ दिया गया।

टेलीफोन कनेक्शन

834. श्री वी० वी० राघवन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में त्रिचूर जिले में विभिन्न श्रेणी के एक्सचेंजों के अंतर्गत नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदकों की प्रतीक्षा सूची का एक्सचेंजवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) त्रिचूर जिले संबंधी विभिन्न श्रेणियों की प्रतीक्षा सूची तथा एक्सचेंजवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) त्रिचूर जिले में 1997-98 के दौरान 30,000 टेलीफोन कनेक्शनों की योजना है।

विवरण

30.9.97 की स्थिति के अनुसार त्रिचूर जिले में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत तथा एक्सचेंजवार प्रतीक्षा सूची के ब्यौरे निम्नलिखित हैं

क्र०सं०	एक्सचेंजों का नाम	प्रतीक्षा सूची			
		ओवाईटी	विशेष	सामान्य	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आलगप्पानगर	0	56	1488	1544
2.	आनन्दा	0	7	481	488
3.	आरंगोतुकारा	19	13	457	489
4.	अय्यनतोले	0	0	928	928
5.	सी के डी चालाकुडीयूआई	27	8	2545	2572
6.	सीकेडी चालाकुडीयूआई	0	0	0	0
7.	चाझूर	28	62	587	677
8.	चेलाक्काड़ा	6	5	581	592
9.	चेरपू	0	49	1578	1621
10.	चऊघाट	27	47	2151	2225
11.	करंगानूर	13	8	2878	2883
12.	एलानाड़	2	8	241	243
13.	एगंढलपुर	19	26	1827	1872
14.	एरूमापोट्टी	51	39	912	1882
15.	गुरूवायूर	33	14	1658	1785
16.	इरलूजालाकुड़ा	79	141	3712	3432
17.	कडाप्पूरिन	35	7	658	692
18.	कांडाएसंकादबू	17	75	2187	2279
19.	कन्नारा	50	28	964	1842
20.	कटटकनपाल	11	53	1328	1392
21.	कटटूर	484	161	3282	3847
22.	केचोरल	14	15	712	741
23.	कोडीकारा	27	75	1760	1862

1	2	3	4	5	6
24.	कोडांजी	1	4	264	269
25.	कुराट्टी	140	76	1685	1821
26.	कुन्नकलम	8	8	2738	2738
27.	कुरिचिक्कारा	3	36	382	341
28.	कुज्जूर	23	40	562	625
29.	माला	12	31	1702	1745
30.	मन्नुथी	0	22	1504	1526
31.	मटटोर	0	0	472	472
32.	मेलूर	3	8	419	438
33.	मूरकानाड(आइयूआर)	0	7	626	633
34.	मुलिअनाथकवू	23	66	1418	1499
35.	मुल्लूरकाडा-पंजल	0	0	334	334
36.	मुदूर कोचीन	9	72	2186	2107
37.	उल्लूर	0	35	1199	1234
38.	पाराप्पुर	20	65	690	775
39.	परलिआरिवा	17	1	842	868
40.	पजियानपुर	80	18	466	564
41.	पेरिन्नानिया	250	81	3224	3555
42.	पेरूपिलवू	33	45	862	948
43.	पूषाथूर	5	14	1612	1631
44.	पुन्नापूरकुलम	32	0	1843	1875
45.	श्रीनारायणापुरम	33	8	1864	1185
46.	आईएनसीफूनफुनिया	6	17	618	641
47.	आईआरजीत्रिचूर यूआई	1	2	1945	1948
48.	टीआईसी त्रिचूर यूआईआई	3	7	588	518
49.	तिरूचिलयामाला	18	3	539	568
50.	वडाक्कंचेरीसीएन	14	57	1776	1847
51.	वलाप्याड	0	27	1241	1268
52.	बाल्लकुन्नू	2	38	538	562
53.	बारंद्रापिल्ली	16	27	497	548
54.	वेरंगल्लूर	319	78	2343	2732
55.	वेल्लिकुलंगारा	23	37	886	946
56.	वेलूर कोचीन	17	28	742	787
57.	बेकिंटगू	0	0	587	587
58.	वेटटलप्याड़ा	4	1	219	224
		2049	1888	69788	73645

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा

835. श्री आई॰ डी॰ स्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्षों से अधिक समय से पहले 600 करोड़ रुपये की लागत से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 30,000 गांवों में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना से संबंधित जारी निविदा अब तक मंजूर नहीं हो पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) निविदा को कब तक स्वीकृत करने की संभावना है जिससे ग्रामवासियों को टेलीफोन सुविधाएं मिलने में सुविधा हो;

(घ) क्या देश के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई तारीख निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) पूर्वी उत्तर प्रदेश में ए डी बी ऋण के तहत ग्रामीण टेलीफोन प्रदान करने के लिए निविदा का मूल्यांकन किया जा रहा है। निविदा मूल्यांकन का काम निकट भविष्य में पूरा हो जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) नौवीं योजना के अंत तक देश के सभी गांवों में टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने की योजना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् में प्रशिक्षित श्रमशक्ति की शिकायतें

836. श्री एन॰ डेनिस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने प्रशिक्षित श्रमशक्ति की शिकायतों तथा समस्याओं की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की स्थापना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अधीन देश में तकनीकी शिक्षा की उपयुक्त आयोजना और समन्वित विकास को ध्यान में रखकर की गई है। परिषद् तकनीकी संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान करती है और उनकी नियमित मानीटरिंग करती है ताकि न्यूनतम मानदंड और स्तर बनाए रखा जा सके। यदि कोई प्रशिक्षित जन शक्ति की शिकायतें और समस्याएं होती हैं तो वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् में नहीं होती अपितु उनका संबंध संबंधित संस्था से होता है।

जम्मू और कश्मीर से सेना की वापसी

837. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर, बारामुला तथा जम्मू और कश्मीर के कुछ अन्य शहरों से सेना की वापसी का कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एकीकृत मुख्यालयों में हुए विचार-विमर्श के आधार पर अनंतनाग, बारामुला तथा श्रीनगर में कानून एवं व्यवस्था के प्रबंधन का दायित्व सिविलियन बलों को सौंप दिया गया है। तथापि, सेना नजदीक ही तैनात रहेगी और पक्की आसूचना के आधार पर इन शहरों में प्रति-विद्रोही कार्रवाइयां करेगी, यदि स्थिति की ऐसी मांग हो तो। यह निर्णय राज्य की स्थिति में हुए सुधार को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया है।

[हिन्दी]

जंतर-मंतर के आसपास का क्षेत्र

838. श्री बृज भूषण तिवारी :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

कुंवर सर्वराज सिंह :

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सदियों पुराना जंतर-मंतर जो अनेक पर्यटकों को आकर्षित करता है के आसपास का क्षेत्र दिल्ली का सबसे अधिक गंदा स्थान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थायी झुग्गी निवासियों को वहां से हटाने और क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) और (ख) संरक्षित स्मारक जंतर-मंतर के परिसर को ठीक ढंग से रखा गया है और स्मारक का समुचित रखरखाव किया गया है। संरक्षित स्मारक के दक्षिण और पश्चिम की ओर लगी हुई भूमि नई दिल्ली नगर पालिका के नियंत्रण में है और इसे प्रदर्शनों, सार्वजनिक बैठकों इत्यादि के लिए प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस क्षेत्र से झुग्गी वालों को हटाने के लिए इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय के साथ लिखा-पढ़ी की है।

यू॰ जी॰ सी॰ अनुदान का उपयोग

839. श्री अशोक प्रधान : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक विश्वविद्यालय-वार उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सहायतानुदान की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन विश्वविद्यालयों द्वारा इस अनुदान राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन विश्वविद्यालयों के पास अप्रयुक्त पड़ी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में मंदिरों का संरक्षण

840. श्री रमजीब बिसवाल : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने पर्यटकों के लिए मंदिरों के आसपास के क्षेत्र को सुन्दर और आकर्षक बनाने के लिए मंदिरों के संरक्षण हेतु कोई योजना केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जैना) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार द्वारा, स्मारकों के नवीनीकरण का स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु मंदिरों के सौंदर्यीकरण/नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत हो गए हैं।

राशि (रुपए लाखों में)

1993-94	स्वीकृत/अवमुक्त	
भगवान जगन्नाथ मंदिर का प्रदीप्तिकरण	10.00	10.00
1996-97		
केन्द्रपाड़ा के भगवान बलदेवजी मंदिर का नवीनीकरण	7.50	3.00
लक्ष्मी वराह मंदिर का नवीनीकरण	7.00	2.25
पालिया में बिरांची नारायण मंदिर का विकास	15.80	4.50
उड़ीसा सरकार द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं प्रस्तुत की गई हैं जो चालू वित्त वर्ष हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए सूचीबद्ध की गई हैं।		
1997-98		
डेराबिस में जगन्नाथ मंदिर का नवीनीकरण	25.00	-
जयपुर जिले के चंडीखोल में महाभियानक मंदिर का नवीनीकरण	25.00	-

केन्द्रपाड़ा में बलदेव जी मंदिर का नवीनीकरण	25.00	-
बेलार नौगांव में ग्रामेश्वर महादेव मंदिर का नवीनीकरण	5.00	-
खिचिंग, मयूर भंज के खिचिंग मंदिर का नवीनीकरण	5.00	-
पट्टामुदई के चंद्रमौली मंदिर का नवीनीकरण	15.00	-

[*हिन्दी*]

शिक्षा पद्धति के संबंध में समितियों की सिफारिशें

841. श्री नवल किशोर राय :

डा॰ महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोठारी आयोग (1964) सिदैया समिति (1990) और आचार्य राममूर्ति समिति (1977) देश की शिक्षा पद्धति में सुधार लाने के बारे में मार्गोपाय सुझाने के लिए गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समितियों ने अपनी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो ये रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी;

(घ) क्या इन समितियों की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और अब तक क्रियान्वित कर दी गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा किन-किन सुझावों को सिद्धांतत: मान लिया गया है लेकिन अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) आजादी के बाद से देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार के उपायों का सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां और आयोग गठित किए गए। उनमें से एक था 1964 में प्रो॰ डी॰ एस॰ कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 जून, 1966 को प्रस्तुत की तथा यह रिपोर्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का आधार बनी। तथापि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में समाविष्ट सामान्य नीति निर्धारणों को कार्यान्वयन की विस्तृत रणनीति में कार्यान्वित नहीं किया गया तथा उनके लिए विशेष रूप से जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई और वित्तीय तथा संगठनात्मक सहायता नहीं उपलब्ध करायी गयी। परिणाम स्वरूप पहुंच, गुणवत्ता, मात्रा, उपयोगिता तथा वित्तीय परिव्यय की समस्याएं वर्ष दर वर्ष बढ़ती गईं। इसलिए मौजूदा शिक्षा नीति में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। प्राप्त सुझावों के आधार पर एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा इसकी कार्य योजना तैयार की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा की गई जिसने अपनी रिपोर्ट 26 दिसंबर, 1990 को प्रस्तुत की। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की श्री एन॰ जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति द्वारा समीक्षा की गई जिसने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी, 1992 को प्रस्तुत की।

इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा इसकी कार्य योजना को 1992 में संशोधित किया गया। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विस्तृत कार्य योजना है जिसमें कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह अन्य बातों के साथ-साथ समानता पर बल देते हुए प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को प्राथमिकता देती है। आज इसके कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने तथा शिक्षा के लिए संसाधन बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है ताकि पूरे देश में शिक्षा के सभी स्तरों पर पहुंच, पढ़ाई में बने रहने तथा गुणवत्ता में बेहतर सहलग्नता हो।

सिंचाई क्षमता

842. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कुल कितनी सिंचाई क्षमता सृजित की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के लिए नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आगामी वर्षों में सिंचाई क्षमता में कितनी अनुमानित वृद्धि होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) महाराष्ट्र राज्य में गत दो वर्षों अर्थात् 1995-96 और 1996-97 के दौरान वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई स्कीमों के जरिए लगभग 176.80 हजार हैक्टेयर (अनन्तिम) कुल सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने का लक्ष्य है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनकी नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में शामिल वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(लाख रुपए में)

क्र॰ सं॰	क्षेत्र/स्कीम (1997-2002)	नौवीं योजना परिव्यय
क.	वृहद सिंचाई परियोजनाएं (महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम को छोड़कर)	
1.	निर्माण की उन्नत अवस्था में वृहद परियोजनाएं	76952.00
2.	निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में वृहद परियोजनाएं	73635.00
3.	साझी स्कीमें	37497.00
	कुल वृहद परियोजनाएं	188084.00
ख.	मध्यम परियोजनाएं	
1.	पूर्ण मध्यम परियोजनाओं के लिए शेष भुगतान	2546.00
2.	निर्माण की उन्नत अवस्था में मध्यम परियोजनाएं	9968.00
3.	निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में मध्यम परियोजनाएं	70750.00
4.	आठवीं योजना (1992-97) की नई स्कीमें	42449.00
	कुल मध्यम परियोजनाएं	125713,00

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में वृहद और मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के जरिए सिंचाई क्षमता के सृजन का वास्तविक लक्ष्य 2283 हजार हेक्टेयर है।

[अनुवाद]

वनों की कटाई संबंधी सिंचाई परियोजनाएं

843. श्री भीमरावविष्णुजी बडाडे :

श्री सुरेश आर० जादव :

श्री अनंत कुमार :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्यों विशेषत: महाराष्ट्र सरकार से वनों की कटाई संबंधी कुछ प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन सिंचाई परियोजना कार्यों की स्वीकृति में विलंब के कारण इन राज्यों में समग्र विकास कार्यक्रम प्रभावित हुए है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार से सिंचाई परियोजना कार्य को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के क्षेत्राधिकार से बाहर रखने का अनुरोध किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के पास लंबित सिंचाई परियोजनाओं के राज्यवार नामों से संबंधित सूचना संकलित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (ङ) प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लेने में विलंब आमतौर पर राज्य सरकारों द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण के लिए बराबर वनेतर भूमि उपलब्ध कराने सहित विभिन्न मुद्दों पर पूरी सूचना उपलब्ध न किए जाने के कारण होता है। जैसे ही प्रस्ताव के संबंध में सभी जरूरी ब्यौरे प्राप्त हो जाते हैं, अंतिम निर्णय लेने के लिए उनकी शीघ्र जांच की जाती है।

(च) और (छ) सिंचाई परियोजना कार्यों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की परिधि से बाहर रखने के लिए माननीय संसद सदस्य श्री सुरेश आर० जादव से हाल ही में एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस मामले की मंत्रालय द्वारा जांच की गई और यह पाया गया कि इस प्रकार की रियायत के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करना अपेक्षित होगा। चूंकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का कार्यान्वयन माननीय उच्चतम न्यायालय के विचारार्थ वर्तमान मामलों में से एक मामला है, अत: मामले में अंतिम निर्णय लिए जाने तक इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदूषण

844. श्री सुरेश कलमाडी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के वातावरण में फैले कुल प्रदूषण का लगभग 16 प्रतिशत राजधानी स्थित तीन ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फैलाया जा रहा है;

(ख) क्या घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों सहित संपूर्ण दिल्ली में फैले लघु उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं और विषैले औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों के मिट्टी में मिल जाने से उनका भूमिगत जल पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में उत्पन्न वायु प्रदूषण भार का लगभग 29 प्रतिशत उद्योगों के कारण होता है और इसमें से 16 प्रतिशत का योगदान तीन ताप बिजली संयंत्रों का है। अशोधित औद्योगिक बहिस्राव मिट्टी में घुलकर भूमिगत जल को प्रदूषित कर सकते हैं। दिल्ली में स्थित विद्युत संयंत्रों और उद्योगों द्वारा उत्पन्न वायु और जल प्रदूषण की समस्याओं की रोकथाम और उनके नियंत्रण के लिए जो कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत दिल्ली स्थित 3 ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए विस्तृत कार्य-योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

- लाभकारी कोयला उपलब्ध होने तक बढ़िया किस्म के कोयले के इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है।
- ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा लाभकारी कोयले के इस्तेमाल के बारे में एक अधिसूचना 19 सितम्बर, 1997 को जारी कर दी गई है जो कि 1 जून, 2001 से प्रभावी होगी।
- प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को असमनुरूप क्षेत्र से अनुकूल क्षेत्रों में स्थानान्तरित करना।
- औद्योगिक भूमि पर 90 करोड़ रुपए की लागत से 15 साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों का निर्माण और उन्हें चालू करना। उपरोक्त लागत राशि में से 50 करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकार

तथा दिल्ली सरकार द्वारा पहले ही आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली स्थित पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं

845. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पर्यटकों, अन्य नागरिकों तथा संस्थानों द्वारा दिल्ली स्थित पर्यटन स्थलों पर अन्य स्थानों पर अस्वच्छता तथा निम्न स्तरीय सुविधाओं के संबंध में शिकायतें की गई हैं क्योंकि इन पर्यटन स्थलों पर दिल्ली नगर निगम द्वारा इसकी मांगों के अनुरूप प्राप्त समुचित वित्तीय सहायता नहीं होने के कारण समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ऐसे मामलों पर कतिपय सिफारिशें की हैं तथा अपनी चिन्ता जतायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई समयबद्ध उपचारात्मक कार्य योजना क्रियान्वित करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसे कब तक तैयार कर लिया जायेगा?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) पर्यटन विभाग द्वारा ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (च) जी, हां। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्थानीय निकायों को यह निदेश दिया है कि वे दिल्ली में स्वच्छता की स्थिति में सुधार करें ताकि कूड़े/करकट को एकत्रित करना, ढोना और निपटान करना और 50 बिस्तरों एवं इससे अधिक के सभी हस्पतालों/नर्सिंग होम्स में भस्मकारी यंत्रों का निर्माण/ संस्थापन करना, संतोषजनक रूप से सुनिश्चित किया जा सके। तथापि, विशेषरूप से पर्यटक स्थलों के लिए कोई विशिष्ट निदेश नहीं दिए गए हैं।

(ङ) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा स्थानीय निकायों के माध्यम से, शहर को स्वच्छ रखने, जैसे कूड़े को एकत्रित करना, नालियों की सफाई करने, हस्पतालों में ही हस्पताल के कचरे को भस्म करने, नए कूड़ादानों आदि का निर्माण करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

(छ) स्थानीय निकायों द्वारा दिन-प्रतिदिन के आधार पर सभी सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किये गये भुगतान की दूरसंचार विभाग द्वारा जांच

846. श्री सनत मेहता : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मई, 1997 में 'दि इंडियन एक्सप्रेस' में 'डाट प्राब्स बी॰ एस॰ एन॰ एल॰ पेयमेंट टू इरिडियम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें रिपोर्ट की गई मामलों के क्या तथ्य हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मामले की विस्तृत रूप से जांच पड़ताल करने के लिए इसे सतर्कता सेल को सौंप दिया गया है। निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

पटाखों से प्रदूषण

847. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिवर्ष पटाखों के जलाए जाने के कारण वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए बड़े शहरों में पटाखों के जलाए जाने पर रोक लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) पटाखे/ आतिशबाजी जलाने के कारण शोर का स्तर बहुत बढ़ जाता है और वायु प्रदूषण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

(ख) और (ग) मुख्य शहरों के संबंधित प्राधिकारियों को भेजे गए निर्देशों में यह सुझाव दिया गया है कि वे 4 मीटर की दूरी पर 100 डेसिबल से अधिक शोर उत्पन्न करने वाले पटाखों के प्रयोग पर पाबंदी लगायें। पटाखों के कारण उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के लिए प्रस्तावित उपायों में निम्नलिखित विचारार्थ शामिल हैं :

1. 10 बजे रात से सुबह 6 बजे के बीच पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाना;
2. केवल सार्वजनिक त्यौहारों के दौरान और निर्दिष्ट क्षेत्रों में पटाखे जलाने की अनुमति दी जाती है; और
3. जुड़े पटाखों के निर्माण और उन्हें जलाने पर प्रतिबंध लगाना।

इथलीन आक्साइड-पर्यावरण के लिये खतरा

848. श्री सुरेश प्रभु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा पदार्थों और साधनों के विसंक्रमण में

मुख्य रूप से इथलीन आक्साइड का उपयोग किया जाता है जो कि पर्यावरण के लिये गंभीर खतरा है और क्या इथलीन के साथ विसंक्रमण करने में इथलीन आक्साइड विसंक्रमण संयंत्रों में कार्यरत कामगारों को भी इससे खतरा रहता है;

(ख) यदि हां, तो क्या विसंक्रमण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद वायु में इथलीन आक्साइड और काउंटर गैस की नियुक्ति को रोकने तथा इथलीन आक्साइड संयंत्रों में नियुक्ति के खतरे के विरुद्ध कामगारों की रक्षा के लिये इस समय भारत में कोई सांविधिक अथवा कोई अन्य प्रावधान है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस समस्या से निपटने के लिये क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) इथलीन आक्साइड का प्रयोग करके विसंक्रमण प्रक्रिया बंद परिपथ में होती है और इस तरह इस गैस के निर्मोचन को नियंत्रित किया जाता है। इथलीन आक्साइड एक विषाक्त गैस होती है और इसके संपर्क से आँखों में तथा त्वचा पर जलन होती है। नेशनल इन्स्टीट्यूट फार अकुपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, सं॰ रा॰ अमरीका द्वारा वायु में इथलीन आक्साइड की 5 पी पी एम सहायता स्तर की रिपोर्ट दी गई है। इथलीन आक्साइड का काफी मात्रा में प्रयोग किए जाने पर इसे विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।

[*हिन्दी*]

कार्यक्रमों का मूल्यांकन

849. **श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं कक्षा तक के निर्धन छात्रों को नि:शुल्क वर्दी और दोपहर का भोजन करने जैसे कार्यक्रमों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा बिहार में उक्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) बिहार में इन कार्यक्रमों को किस-किस जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(घ) इन कार्यक्रमों के लिए राज्यों को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम जिसे सामान्यत: मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है, का आरंभ 15 अगस्त, 1995 को किया गया था। इस योजना के विस्तार वर्ष 1997-98 से सभी जिला/ब्लाकों जिसमें बिहार के शहरी क्षेत्र के बच्चे भी शामिल हैं, के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं (1 से 5) में पढ़ रहे बच्चों को शामिल किया गया है।

चूंकि इस कार्यक्रम का विस्तार केवल चालू वर्ष में ही देश के सभी भागों तथा शहरी क्षेत्रों में किया गया है, अत: एक औपचारिक समीक्षा का आयोजन अभी तक संभव नहीं हो सका है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धन छात्रों को नि:शुल्क यूनिफार्म प्रदान नहीं की जाती है।

(घ) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्यान्न निगम को निधियां जारी की जाती हैं जो राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन संस्थाओं को नि:शुल्क खाद्यान्न (गेंहू/चावल) सप्लाई करता है।

नि:शुल्क यूनिफार्म की सप्लाई जैसी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है क्योंकि ऐसी योजनाओं का प्रावधान राज्य सरकारों के अपने बजट में से किया जाता है।

[*अनुवाद*]

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर की खरीद

850. **श्री जंग बहादुर सिंह पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने स्वीकृत प्रक्रिया का पालन किए बिना कंप्यूटर मेन्टेनेंस कारपोरेशन से करोड़ों रुपये के कम्प्यूटर की खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत प्रक्रिया का उल्लंघन करने का क्या कारण है;

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(ङ) मंत्रालय तथा इसके अधीनस्थ विभागों में कंप्यूटर तथा अन्य वस्तुओं की खरीद के संबंध में स्वीकृत प्रक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) कम्प्यूटरों की खरीद तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कंप्यूटरीकरण कार्यवाई प्रभाग में लगाए गए कुछ आरोपों की जांच की जा रही है।

[*हिन्दी*]

कानपुर, उत्तर प्रदेश में आयुध कारखाना द्वारा निर्मित हथियार

851. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर आयुध कारखाने द्वारा निर्मित हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राथमिकता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इन हथियारों की बिक्री से सरकार को कितनी आय होती है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) भारतीय आयुध निर्माणियां प्रमुखतया हमारी अपनी सशस्त्र सेनाओं, अर्ध-सैन्य बलों

आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए रक्षा सामान के निर्माण में लगी हुई हैं। तथापि, अपने कारोबार में वृद्धि करके उत्पादकता में बढ़ोतरी करने को ध्यान में रखते हुए आयुध निर्माणियां देश के सिविल बाजार में बिक्री करने और निर्यात करने के लिए मदों का निर्माण करने के वास्ते अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल कर रही हैं।

(ख) कानपुर स्थित आयुध निर्माणियों में लघु शस्त्र निर्माणी ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1.01 लाख रुपए के शस्त्रों और हिस्से-पुर्जों का निर्यात किया है।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार के मामले

852. डा॰ मुरली मनोहर जोशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के सतर्कता विभाग ने वर्ष 1995-96 के दौरान भ्रष्टाचार, बेईमानी और सिविल कर्मचारियों की आय से अधिक संपत्तियों के कितने मामलों की जांच की;

(ख) उक्त मामलों में ग्रेडवार कितने अधिकारी सम्मिलित हैं;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान भ्रष्टाचार और बेईमानी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सतर्कता विभाग संदिग्ध बेईमान कर्मचारियों के विरुद्ध स्वत: ही कार्रवाई शुरू करता है;

(ङ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने अपने अधीन सतर्कता अनुभागों की कार्यशक्तियों की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) 1995-96 में मंत्रालय के सतर्कता विभाग ने 1233 मामलों की जांच पड़ताल की थी।

(ख) इन मामलों में लिप्त अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है:

सरकारी अधिकारी	-	365
गैर-सरकारी अधिकारी	-	684

(ग) 1995-96 में 1884 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और जांच करने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी।

(घ) जी हां। संदेह उत्पन्न करने वाली सूचना उपलब्ध होने पर ऐसा किया जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क तथा पत्तन क्षेत्रों में बॉट (बी ओ टी) परियोजनाएं

853. श्री संतोष मोहन देव :

श्री जी॰ ए॰ चरण रेड्डी :

श्रीमती लक्ष्मी पनवाका :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री मदन पाटिल :

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

श्री ए॰ जी॰ एस॰ रामबाबू :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिल्ड-आपरेट-ट्रांसफर परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सड़क तथा पत्तन क्षेत्रों में लगे उद्यमियों को ऋण/सहायता देने का है तथा क्या विदेशी और स्वदेशी दोनों प्रकार के निजी उद्यमियों को ऐसी परियोजनाएं देने के बारे में भी सरकार द्वारा मानदंड बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को बॉट परियोजनाओं की समस्याओं और उनमें शामिल जोखिमों तथा इनके प्रारंभ करने में अधिक समय लगने के कारण निजी क्षेत्र द्वारा निवेश करने में झिझक की जानकारी है;

(घ) क्या सरकार ने बॉट के अंतर्गत राजमार्ग विकास परियोजनाएं शुरू करने वाले विदेशी निवेशकों की घटती-बढ़ती विदेशी उन मुद्रा दरों के प्रति कोई गारंटी न देने का निर्णय लिया है, जिनके परिणामस्वरूप कतिपय निवेशक पीछे हट गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) बॉट परियोजनाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जाने का विचार है; और

(छ) चयनित की जाने वाली चालू बॉट परियोजनाओं की राज्यवार लागत और पूरा होने के समय संबंधी ब्यौरे के साथ-साथ राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में अलग-अलग मामलों के आधार पर सरकार द्वारा परियोजना लागत का 40% तक अंशदान किया जा सकता है।

(ग) उद्योग के परामर्श से निजीकरण नीति तैयार की जा रही है और निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) परियोजनाओं के लिए अनुक्रिया काफी आशानुरूप है।

(घ) अभी तक सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के लिए कोई गारंटी नहीं दी गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) की नीति लचीली और परिवर्तनशील है तथा निजी क्षेत्र और ऋणदाताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विशिष्टता के अनुसार समय-समय पर विचार किया जाता है।

(छ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहले से शुरू हो चुकी बी ओ टी परियोजनाओं की स्थिति

क्र॰सं॰	बी ओ टी परियोजना का नाम	रा॰रा॰ सं॰	राज्य	लम्बाई सं॰	लागत (करोड़ रु॰)	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	थाणे भिवण्डी बाइपास	3 और 4	महाराष्ट्र	24 कि॰मी॰	17	निर्माण पूरा हो गया है।
2.	चालतान आर ओ बी	8	गुजरात	एक आरओबी	10	कार्य प्रगति पर है। मई, 98 में पूरा होने की संभावना है।
3.	उदयपुर बाइपास	8	राजस्थान	11 कि॰मी॰	24	कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 1998 में पूरा होने की संभावना है।
4.	छह पुल	5	आंध्र प्रदेश	सं॰ 6	50	कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 2002 में पूरा होने की संभावना है।
5.	कोयम्बतूर बाइपास	47	तमिलनाडु	33 कि॰मी॰	100	3.10.97 को करार पर हस्ताक्षर किए गए। दिसंबर, 99 तक पूरा होने की संभावना है।
6.	दुर्ग बाइपास	6	मध्य प्रदेश	18 कि॰मी॰	68	5.11.97 को करार पर हस्ताक्षर किए गए 1 जून, 2000 तक पूरा होने की संभावना है।
			(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेशकश की हुई बी ओ टी परियोजनाएं			
7.	हुबली-धारवाड़ बाईपास	4	कर्नाटक	30 कि॰मी॰		परियोजना आरंभिक विभिन्न स्तरों पर है और अभी से उनकी लागत तथा पूरा करने की समय तालिका नहीं बताई जा सकती।
8.	दूसरा नर्मदा पुल	8	गुजरात	1 पुल		-तथैव-
9.	नर्धाना आर ओ बी	6	महाराष्ट्र	एक आरओबी		-तथैव-
10.	नेलोर बाइपास	5	आंध्र प्रदेश	18 कि॰मी॰		-तथैव-
11.	पतलगंगा पुल	17	महाराष्ट्र	1 पुल		-तथैव-
12.	जयपुर-किशनगढ़	8	राजस्थान			-तथैव-
13.	हसूर-कृष्णागिरी	7	कर्नाटक	93 कि॰मी॰		-तथैव-
14.	चिगलपेट-विलुपुरम	45	तमिलनाडु	100 कि॰मी॰		-तथैव-
15.	अमरावती बाइपास	6	महाराष्ट्र	40 कि॰मी॰		-तथैव-
16.	आर ओ बी के 6 नम्बर	8	राजस्थान			-तथैव-
17.	दूसरा विवेकानंद पुल	2	पश्चिम बंगाल	1 पुल		-तथैव-
18.	अकोला बाईपास	6	महाराष्ट्र			-तथैव-
19.	पनवेल बाईपास	9	महाराष्ट्र	11कि॰मी॰		-तथैव-

निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमोदित परियोजनाओं की सूची

पत्तनों की मौजूदा बर्थों/परिसंपत्तियों को पट्टे पर देना

1. कांडला पत्तन में बर्थ सं॰ 6 को बल्क और ब्रेक बल्क कार्गो हैंडल करने के लिए मै॰ जी पी कारपोरेशन लि॰ बैंकाक को पट्टे पर देना।
2. हल्दिया गोदी परिसर में बर्थों को स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि॰ और टिस्को को पट्टे पर देना।
3. मद्रास पत्तन में जे डी-1 बर्थ को पट्टे पर देना।
4. मद्रास पत्तन में जे डी-5 बर्थ को पट्टे पर देना।

भंडारण सुविधाओं/वेयर हाउसों का सृजन :

5. तूतीकोरिन पत्तन में तरल पेट्रोलियम गैस के भंडारण और प्रेषण के लिए मै॰ एस पी आई सी को भूमि पट्टे पर देना।
6. गैर तरल बल्क कार्गो के लिए भंडारण सुविधाओं के सृजन हेतु मद्रास पत्तन में मै॰ सूरज एग्रो प्राइवेट लि॰ को भूमि पट्टे पर देना।
7. जवाहर लाल नेहरू पत्तन में श्रेणी 'ख' और 'ग' के तरल रसायनों के लिए भंडारण सुविधाओं के सृजन हेतु मै॰ गणेश बेंजोप्लास्ट लि॰ को भूमि पट्टे पर देना।
8. जवाहर लाल नेहरू पत्तन में श्रेणी 'ख' और 'ग' के तरल रसायनों के लिए भंडारण सुविधाओं के सृजन हेतु मै॰ हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लि॰ को भूमि पट्टे पर देना।
9. नई भंडारण सुविधाओं/वेयर हाउसों के सृजन के लिए विभिन्न महापत्तनों में विभिन्न पक्षकारों को भूमि पट्टे पर दी गई है।
10. यांत्रिक कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं की स्थापना आदि के लिए विशाखापत्तनम पत्तन में मै॰ टीना आयल्स एंड केमिकल्स लि॰ मुम्बई को ट्रांजिट शेड पट्टे पर देना।

शुष्क गोदी का सृजन, जहाज मरम्मत सुविधाएं और पोत भंजन

11. मै॰ वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लि॰ द्वारा मुरगांव पत्तन में एक तिरती शुष्क गोदी और जहाज मरम्मत सुविधाओं की स्थापना।
12. मै॰ चोखानी इंटरनेशनल लि॰ द्वारा मद्रास पत्तन में जहाज मरम्मत सुविधा की स्थापना।
13. मुरगांव पत्तन में पोत भंजन यार्ड की स्थापना के लिए मै॰ वेस्टर्न इंडिया मैरीटाइम डिवीजन को भूमि आबंटित की गई।

पत्तनों द्वारा निजी क्षेत्र से उपकरण पट्टे पर लेना

14. जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा पट्टे पर लिए गए कंटेनर उपकरण।
15. बम्बई पत्तन में कंटेनर हैंडलिंग उपकरण।
16. विशाखापत्तनम पत्तन में टगों को भाड़े पर देना।

तेल कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से पूंजीगत निकर्षण

17. नवमंगलूर पत्तन में मै॰ एम आर पी एल द्वारा वित्त पोषित पूंजीगत निकर्षण।

नए बर्थों का सृजन

18. मै॰ एम आर पी एल के तेल शोधक कारखाने के लिए नवमंगलूर पत्तन में कच्चे तेल की हैंडलिंग और पी ओ एल उत्पाद सुविधाओं का सृजन। मै॰ एम आर पी एल ने एस सी आई सी आई के जरिए परियोजना के वित्त पोषण की व्यवस्था की (सूचक लागत 238 करोड़ रुपये)।
19. कांडला में आई ओ सी द्वारा आभाषी जेटी।
20. कांडला में एच पी सी एल द्वारा आभाषी जेटी।
21. गोवा तट से दूर एशिया बल्क टर्मिनल के निर्माण के लिए मै॰ रिलायन्स को अनुमोदन।
22. कांडला में इफ्को के माध्यम से तरल जेटी।
23. नवमंगलूर पत्तन में एच पी सी एल के माध्यम से तरल पैट्रोलियम गैस सुविधा का सृजन।
24. मुरगांव तट से दूर अप तटीय स्टेकयार्ड और बर्थ का निर्माण।
25. तूतीकोरिन में मै॰ एस पी आई सी इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के लिए आबद्ध जेटी।
26. नवमंगलूर में नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के लिए आबद्ध जेटी।
27. जवाहर लाल नेहरू पत्तन में कन्टेनर टर्मिनल।
28. मुरगांव पत्तन में बर्थ 5ए/6ए का निर्माण।
29. मै॰ टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा मुम्बई पत्तन में तेल जेटी का निर्माण।
30. मै॰ एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा कांडला पत्तन में एस बी एम और आबद्ध पी ओ एल जेट्टियों का निर्माण।

[*हिन्दी*]

भूकंप के कारण नर्मदा घाटी में पर्यटक स्थलों को क्षति

854. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 मई, 1997 को मध्य प्रदेश के नदी घाटी क्षेत्र में एक विनाशकारी भूकंप आया था;

(ख) यदि हां, तो प्रभावित पर्यटन स्थलों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) इन पर्यटन स्थलों को किस प्रकार की क्षति पहुंची;

(घ) क्या किसी विभागीय अधिकारी अथवा मंडल आयुक्त द्वारा तत्स्थानिक अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जैना) : (क) जी, हां।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अधिकतर जबलपुर और भेडाघाट पर्यटक स्थल प्रभावित हुए थे।

(ग) भेडाघाट भूकंप द्वारा आंशिक रूप से प्रभावित हुआ था जिसके परिणामस्वरूप नर्मदा नदी के दोनों तरफ भूमि में कटाव हुआ और धुआंधार में जल प्रपात के पास कुछ चट्टानें भी अव्यवस्थित हुईं।

(घ) और (ङ) जिला प्रशासन द्वारा वहां जाकर अध्ययन किया गया और नदी के दोनों तरफ कटाव (एनुनडेसन) को रोकने के लिए एक पुश्ता दीवार बनाने का प्रस्ताव है।

[*अनुवाद*]

टेलीफोन परियोजना का विस्तार

855. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के लिए प्रस्तावित दूरसंचार सुविधाओं के संबंध में विकास परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या 1997-98 के दौरान केरल की कन्नानोर, वायनाड या कालीकट जिलों की किसी चालू टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त जिलों में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने या चालू एक्सचेंजों का विस्तार करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) केरल दूरसंचार सर्किल के लिए वर्ष 1997-98 के विकास कार्यक्रम में 3.281 लाख लाइनों तक की स्विचन क्षमता के संवर्धन, 2.62 लाख निवल सीधी एक्सचेंज लाइनों के संवर्धन, कालीकट में 10000 लाइनों की नई प्रौद्योगिकी टैक्स की स्थापना एवं त्रिवेन्द्रम, कोट्टायम, कालीकट व कन्नानूर स्थित गौण स्विचन क्षेत्रों के मुख्यालयों में कम्प्यूटरीकृत ट्रंक मैनुअल एक्सचेंज चालू करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) जी, हां

(ग) केरल के कन्नानूर, वायानाड तथा कालीकट जिलों में वर्ष 97-98 के दौरान जिन एक्सचेंजों का विस्तार किए जाने की योजना बनायी गयी है, उनका ब्यौरा सलंग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्राप्त हुए अभ्यावेदन के प्रत्युत्तर में, कन्नानूर, वायानाड तथा कालीकट जिलों में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच की गई है तथा वर्ष 97-98 के दौरान 6 एक्सचेंज और 98-99 के दौरान 3 एक्सचेंज स्थापित करने की योजना बनाई गई है तथा 4 प्रस्ताव तकनीकी तथा आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

एक्सचेंज का नाम	97-98 के दौरान प्रस्तावित संबंधित क्षमता
1	2
कन्नानूर जिला	
अलाकोद	400
बीपीएम - बालीया पटटम यूआईई	1500
चप्परापदावू	296
चूम्पेरी	840
चेककुण्णु	1000
चेरुपुन्जा	704
चेरुवंचेरी	184
चित्तारी पारंमा	296
इररीकुर	1000
इररोकुटी	296
कदाचिरा	1400
कदीरोड	904
केलाकोम	1800
किल्मंथारा	580
कोटीयूर	184
मलूर	184
मेम्बरेम	400
मनक्काडावू	664
मददटननूर	1000
मेदयील	294
मुंडेरी	840
मधुविल	184
पन्नूर	2000
प्रयानगढी	1000
पेयानूर	1000
पेरावर	1000
पेरीगन्थूर	2440
पेरुंदावु	184

1	2
पेरुवामबा	184
पुल्लिगाम	384
रमनथाली	616
तलिपारम्बा	2000
थरथेली	184
थिलंकेरी	184
थुवाकून्नू	1280
तिरुम्बोनी	184
यूसलीकल	720
वल्लकाई	840
कुल	28350
वायानाड जिला	
अम्बालव्याल	184
चीराल	184
करतीकुल्लम	184
केनीचित्रा	904
कोरोम	184
मेननथोढी	500
मीनन्नगढी	400
मेपाडी	184
नूलपुझा	184
पल्लीकुन्नू	184
पुनम्मरले	600
पुलपाली बैट्री	1000
सूलतान एंड बैट्री	1272
थिल्लापोया	912
थारियाड	816
वधुवंचाल	184
वरदोर	184
वेल्लामुंडा	744
वयथिरी	840
कुल	9644

1	2
कालीकट जिला	
बदागरा	1768
बल्लूसेरी	2400
बेपोर	984
भूमि क्थूकल	654
सीएलटी वेलायिल यू III	2000
चक्कीतापारा	580
चेथागंरालम आईईसी	456
चेम्पनोड	184
चेरुप्पा	816
चोम्वाला	1000
इडेचरी	1392
इलायूर	1000
फेरोक	1000
कदलूडी	612
कपाड़	400
कट्टीपारा	184
कोटेंचरी	1000
कोछूवेली	1000
कुमपारा	184
कुराचुण्ड्रू	184
कुदछालिडा	184
कुण्णमंगलय	1000
मब्बूर	1000
मेपायूर	400
मुकेरी	1400
मोक्कम	816
नरीकुडी	184
पलायनादा	184
परक्कनदवू	800
पुडुपेडी	184
पुल्लुरामपुरा	184
थोट्टीपल्लम	832
बिलनगढ	184
कुल	25200

विवरण-II

अभ्यावेदन पर आधारित नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

(क) एक्सचेंज जिन्हें वर्ष 97-98 के दौरान चालू किए जाने की योजना बनाई है, वे निम्नलिखित हैं :

1. कालीकट जिले में थालाकोलाथुर (184 लाइनों वाला रैक्स)
2. कालीकट जिले में करियटटम्परा (184 लाइनों वाला रैक्स)
3. कालीकट जिले मे ओमैसरी (184 लाइनों वाला रैक्स)
4. कन्नूर जिले में वरम (1000 लाइनों वाला आर एल यू)
5. कन्नूर जिले में चन्दन कंपारा (184 लाइनों वाल रैक्स)
6. वायानाड जिले में वेल्लाद (184 लाइनों वाला रैक्स)

(ख) ऐसे एक्सचेंज जिन्हें 98-99 के दौरान चालू किए जाने की योजना बनाई गई है वे निम्नलिखित हैं :

1. वायानाद जिले में पेरिया
2. कन्नानूर जिले में थिरूवहूर
3. कालीकट जिले में चिक्कीलोड
4. कालीकट जिले में चेरूवादी

(ग) तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य न पाये गए प्रस्ताव :

केन्द्र	टिप्पणी
1. कन्नानूर जिले में इदुर	
2. कालीकट जिले में कोडीमाथुर	चेरूवादी के समीप एक अन्य एक्सचेंज की स्वीकृति दे दी गई है।
3. कालीकट जिले में अनव्कमयोइल	यह स्थान पुल्लुरामपरा एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र के भीतर स्थित है।

[*हिन्दी*]

साक्षरता अभियान

856. श्री गंगा चरण राजपूत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण साक्षरता अभियानों पर कितनी धनराशि खर्च हुई है और साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में कितने व्यक्तियों और बच्चों को प्रवेश दिया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा संपूर्ण साक्षरता अभियानों के दुरुपयोग के संबंध में किसी शिकायत को प्राप्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) आठवीं योजनावधि के दौरान संपूर्ण/उत्तर साक्षरता अभियानों पर 496.09 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। साक्षरता अभियानों की योजना में स्कूलों को चलाने का प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतें उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई थी।

[*अनुवाद*]

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपमार्ग परियोजनाएं

857. श्री संदीपान थोरात : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रही उपमार्ग परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान उपमार्ग कार्यों की हाल ही में समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) इन परियोजनाओं के लिए चालू वर्ष के दौरान कितने धन की आवश्यकता है; और

(ङ) इन कार्यों के संशोधित लक्ष्यों और महाराष्ट्र सरकार से मंजूरी हेतु लंबित उपमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) यद्यपि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोई बाइपास परियोजना नहीं चल रही है किन्तु 3 बाईपासों अर्थात् रा॰रा॰ 6 पर अमरावती बाइपास और अकोला बाइपास तथा रा॰ रा॰ 4 पर लोनावाला-खंडाला बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन परियोजनाओं को बी ओ टी स्कीम के अंतर्गत शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ख) बाइपासों के बारे में ऐसी कोई विशेष कार्य निष्पादन समीक्षा नहीं की गई है। तथापि, सामान्यत: बाइपास यातायात की जरूरतों को उचित रूप से पूरा कर रहे हैं।

(ग) और (घ) कुछ नहीं।

(ङ) वार्षिक योजना 1997-98 में निम्नलिखित बाइपास शामिल किए गए हैं :

(i) रा॰ रा॰ 6 पर 440/540 से 444/400 कि॰ मी॰ में पालथी बाइपास का निर्माण।

(ii) रा॰रा॰ 50 पर 140/600 से 145/00 कि॰मी॰ में सांगमेर बाईपास के लिए भूमि पर अधिग्रहण।

[*हिन्दी*]

बिहार की रामगढ़ छावनी

858. श्री राम टहल चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में रामगढ़ छावनी के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन में की गयी शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1996 में श्री राम टहल चौधरी और अन्य व्यक्तियों की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें रामगढ़ छावनी के तत्कालीन छावनी कार्यपालक अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई थी जिसमें उन पर भ्रष्ट कार्यकलापों, चुने हुए सदस्यों के प्रति अपेक्षित आदर न दर्शाने, प्रशासन में मनमाना व्यवहार करने आदि के आरोप लगाये गये हैं और उनका तबादला किये जाने का अनुरोध किया गया है।

(ग) और (घ) मामले की जांच करवाई गई थी किन्तु उक्त अफसर के खिलाफ कुछ भी गलत प्रमाणित नहीं किया जा सका है। तथापि इस अफसर का सामान्य रूप से रामगढ़ से तबादला कर दिया गया है।

[*अनुवाद*]

केरल में विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

859. **श्री पी॰ सी॰ थामस :**

श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित कतिपय विद्युत परियोजनायें केन्द्र द्वारा स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या कोचीन रिफायनरीज़ लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी हां।

(ख) निकासी के लिए लंबित परियोजनाओं के नाम :

(i) मैसर्स बी॰ एस॰ ई॰ एस॰ लि॰ द्वारा त्रावणकोर कोचीन कैमिकल लिमिटेड परिसर, उद्योगमंडल में 150 मैगावाट कम्बाइंड साईकिल पावर प्रोजेक्ट।

(ii) मैसर्स डब्ल्यू आई सर्विसिज़ इस्टेटस लि॰ द्वारा कांजीकोड पलकाडा, केरल में 109.91 मैगावाट डी जी पावर प्लांट।

(iii) केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 163 मैगावाट एदरापल्ली हायड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट।

(iv) केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा कुरियार कुट्टी कारप्पारा हायड्रो प्रोजेक्ट।

(ग) कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा सेवा अस्पतालों द्वारा घटिया औषधियों का इस्तेमाल

860. **श्री सुकदेव पासवान :**

श्री प्रमोद महाजन :

श्री शिवानंद एच॰ कौजलगी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान दिनांक 25 सितंबर, 1997 के "पायनियर" में एक्सपायर्ड सबस्टैंडर्ड ड्रग्स बीइंग यूज्ड फार आर्म्ड फोर्सेज - 'बुलेट्स' सोल्जर्स फेस इन हास्पिटल' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में क्या तथ्य प्रकाशित किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार देश में विशेषकर जम्मू और कश्मीर में सेना अस्पतालों में उपलब्ध करायी गई दवाइयों में से कितनी मात्रा और मूल्य की दवाइयां घटिया थीं, मियाद की समाप्ति के बाद भी उपयोग हेतु रखी थीं और मनुष्यों के उपयोग के लिए अनुपयुक्त पायी गई थीं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(च) ऐसी औषधियां उपलब्ध कराने वाले और सैनिकों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाली फर्मों और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) इस संबंध में अब तक क्या अन्य उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। 'पायनियर' समाचार पत्र में 25 सितंबर, 1997 को सशस्त्र सेनाओं के लिए इस्तेमाल की जा रही उपयोगिता अवधि समाप्त हो चुकी, घटिया किस्म की दवाइयां - "सैनिकों द्वारा अस्पतालों में झेली जा रही गोलियां" शीर्षक से छपा समाचार 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ड्रग्स/औषधियां खरीदे जाने तथा उनके निर्गम से संबंधित रिपोर्ट पर आधारित प्रतीत होता है। उक्त समाचार के तथ्य इन मुद्दों से संबंधित है -

(1) कन्नूर, सिंकदराबाद के सेना अस्पतालों और बेंगलूर स्थित वायुसेना के कमान अस्पताल में उपयोगिता अवधि समाप्त हो चुकी औषधियों का निर्गम ;

(2) अप्रचलित औषधियों की खरीद;

(3) लखनऊ और दिल्ली में औषधियों की खरीद और बाद में प्रयोगशाला परीक्षण किए जाने से पहले मरीजों को इन औषधियों का निर्गम तथा

(4) छोटी तथा गैर-ख्याति प्राप्त कंपनियों से दवाइयों की खरीद, जिसके कारण मरीजों का संतुष्ट न होना और दवाइयों की स्वीकार्यता स्तर पर अधिक मात्रा में अस्वीकार किया जाना।

(ग) जम्मू-कश्मीर सहित देश के किसी भी सेना अस्पताल को घटिया किस्म की, उपयोगिता अवधि समाप्त हो चुकी, मरीजों के लिए अनुपयुक्त औषधियों की आपूर्ति नहीं की गई। यदि बाद में किन्हीं औषधियों/दवाओं का अनुपयुक्त घोषित किया तो ऐसा बाद में प्रयोगशाला परीक्षण के पश्चात ही किया गया। अधिकतर मामलों में ये फर्म स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, द्वारा पंजीकृत की गई थीं जिनमें गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा जांच नहीं की गई थी।

(घ) से (छ) 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही की टिप्पणी पहले ही सी जी डी ए को भेज दी गई है। वर्तमान कार्य प्रणाली के अनुसार औषधियां सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा द्वारा गुणता आश्वासन महानिदेशालय अथवा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पास पंजीकृत निर्मिताओं से खरीदी जाती है। केन्द्रीय रूप से खरीदी गई औषधियों की गुणता आश्वासन संगठन द्वारा जांच की जाती है और उनकी स्वीकृति के पश्चात् ही वे औषधियां उपयोग के लिए रिलीज की जाती है। कुछ स्थितियों में चिकित्सा स्टोर डिपो औषधियों की खरीद पंजीकृत फर्मो से स्थानीय रूप से करता है और उन्हें उनके दावों के आधार पर स्वीकार करता है। तथापि, पर्याप्त सावधानी के लिए कुछ नमूने बाद में जांच के लिए भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार की आपातकालीन स्थितियों में खरीदी गई औषधियां जहां भी प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजी गई हों उनके परिणामों की प्रतीक्षा किए बिना जारी कर दी जाती हैं। अधिकांश मामलों में प्रयोगशाला जांच औषधियों के निर्धारित मानकों की पुष्टि करती है। बहुत कम मामलों में औषधियां सभी निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं। ऐसे मामलों में ऐसी औषधियों को बदले जाने अथवा इनकी लागत की वसूली के लिए आपूर्तिकर्ताओं को लौटा दी जाती है। कुछ मामलों में ऐसी फर्मो से भविष्य में औषधियां खरीदे जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। एक बार घटिया घोषित की गई औषधियों को जारी नहीं किया जाता, बल्कि उनको संबंधित फर्मो से पुष्टीकरण करने के पश्चात् स्थानीय रूप से नष्ट कर दिया जाता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में गबन

861. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य :**

श्री मंगल राम प्रेमी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अक्तूबर, 1997 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'रूपीज 20 लाख एमबेजिल्ड इन डी यू' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले में तथ्य क्या हैं;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पत्तनों पर भीड़-भाड़ कम किया जाना तथा इनका विकास

862. **श्री प्रमोद महाजन :**

श्री चिंतामन वानगा :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अक्तूबर, 1997 के 'द इंडियन एक्सप्रेस' में 'महाराष्ट्रज पोर्ट डेवलपमेंट प्रोपोजल रन्स इन टू ट्रबल फार इन्वायरमेंटल रिजन्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले मुम्बई पत्तन पर भीड़-भाड़ कम किए जाने संबंधी राज्य सरकार की प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा पत्तनों के बुनियादी विकास विशेषकर महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव से संबंधित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस परियोजना की पर्यावरण संबंधी मंजूरी कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को महाराष्ट्र में वधावन में प्रस्तावित पत्तन के बारे में मैसर्स अम्मा लाइंस लि॰ द्वारा मई, 1996 में तथा पी॰ एंड ओ॰ द्वारा मई, 1997 में एक मामला भेजा गया था। तथापि इस मंत्रालय को पर्यावरण निकासी के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोई विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावकों को राज्य सरकार के माध्यम से दहानु तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण को आवेदन करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार को भी यह सलाह दी गई है कि दहानु तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण तथा इस मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव की विस्तृत जांच के लिए लंबित प्रस्तावित स्थल पर निर्माण के रूप में प्रारंभिक कार्रवाई अथवा अन्यथा कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

अम्बा मुहाने पर धर्मातर क्रीक में जेट्टी के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसकी जांच की जा रही है।

(घ) इस मंत्रालय को इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

दस सूची योजना

863. श्री मोहन रावले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि॰ ने दूरसंचार आयोग को एक-सूची योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरसंचार आयोग ने इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां। एम टी एल एल मुंबई तथा दिल्ली में दूरसंचार सेवाओं का आधुनिकीकरण करने हेतु एम टी एन एल ने 'विजन 2000' नामक शीर्षक से योजना तैयार की है।

(ख) 'विजन 2000' के उद्देश्य इस प्रकार है :

1. बाह्य संयंत्र का उन्नयन ।
2. ग्राहक संतुष्टि पर अत्यधिक बल ।
3. मांग होने पर टेलीफोनों की शीघ्र उपलब्धता। 2000 करोड़ रुपये की लागत से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(ग) 'विजन 2000' नामक दस्तावेज को दूरसंचार आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। एम टी एन एल की योजना कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है।

रक्षा व्यय

864. श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पिछले वर्ष सकल घरेलू उत्पाद के 2.3 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत रक्षा पर व्यय करने का प्रस्ताव है जैसा कि पश्चिमी कमान के जनरल आफिसर कमांडिंग ने बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनरल आफिसर कमांडिंग ने रक्षा व्यय में उस वृद्धि के क्या मुख्य कारण बताए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगे रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए सुरक्षा संबंधी मामलों और आवश्यकताओं, संसाधनों की समग्र उपलब्धता तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा किए गए रक्षा आबंटनों के आधार पर संसद द्वारा पारित की जाती है। रक्षा आबंटनों के संबंध में भावी आवश्कयताओं के बारे में बताया जाना संभव नहीं है क्योंकि सुरक्षा संबंधी मामले और संसाधनों की स्थिति समय-समय पर बदलती रहती है।

[*हिन्दी*]

दिल्ली-बद्रीनाथ धाम सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

865. डा॰ महादीपक सिंह शाक्य :

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-बद्रीनाथ धाम सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने और इसका विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है और इसके पूरा होने की अवधि क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) से (ग) प्रस्ताव बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है और तत्संबंधी ब्यौरे दे पाना अभी संभव नहीं है।

[*अनुवाद*]

पत्तनों पर भीड़भाड़ कम करना

866. श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :

श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्तनों पर भीड़भाड़ कम करने और उन्हें अधिक यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समय सीमाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या तत्संबंधी निर्देश सभी बड़े पत्तनों को भेज दिये गये हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सभी बड़े पत्तनों से तीन माह के अन्दर परिणाम प्राप्त करने के लिए कहा गया है;

(च) यदि हां, तो क्या पत्तनों को यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए पत्तन चेयरमैन को अन्य निर्देश जारी किए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में पत्तनों के चेयरमैन द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(ज) क्या भीड़भाड़ कम करने और भविष्य में बढ़ने वाले भार का सामना करने के लिए नये पत्तन बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) से (ङ) जी हां। महापत्तनों पर भीड़भाड़ को कम करने, उत्पादकता में सुधार लाने और बर्थिंग-पूर्व ठहराव समय को कम करके 24 घंटे से नीचे लाने आदि के समग्र उद्देश्यों के साथ 1.9.1997 से एक तीन माह लम्बा अभियान शुरू किया गया है।

(च) और (छ) इस बारे में जारी किए गए मार्गनिर्देशों के प्रतिक्रिया स्वरूप कार्गों को जल्दी हटाने में पेश आ रही समस्याओं का समाधान करने और पत्तनों पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए पत्तनों में पत्तन प्रयोक्ताओं के साथ नियमित रूप से बैठकें होती रहती हैं। उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए श्रमिकों से सहयोग मांगा गया है।

(ज) जी नहीं।

तमिलनाडु में केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं

867. **श्री एन॰ एस॰ वी॰ चित्तन :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में शुरू की जा रही केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं तथा गत वर्षों के दौरान परियोजना-वार दर्ज की गई वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति क्या है;

(ख) विचार तथा मंजूरी के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर परियोजना-वार क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) विश्व बैंक तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ग) तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय और विदेशी सहायता से संचालित पर्यावरणीय और वानिकी परियोजनाओं के ब्यौरों के साथ-साथ वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) 1997-98 के दौरान, राज्य से 18 लाख रुपये के औषधीय पौधों सहित, गैर-इमारती वनोपज स्कीमों तथा 10 लाख रुपए की बीज विकास स्कीम के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रथम प्रस्ताव को स्कीम के संशोधित दिशा-निर्देशों तथा लागत-मानदंडों के अनुसार पुन: तैयार करने के लिए राज्य सरकार को लौटा दिया गया है और द्वितीय प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है। राज्य में मुथुपेट कच्छ वनस्पति संबंधी प्रबंध कार्य योजना के लिए निधियों को जारी करने के बारे में एक अन्य प्रस्ताव विचाराधीन है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत ऊटी और कोडियाकनाल झीलों के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार से दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, यह स्कीम मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए विचाराधीन है।

विवरण

(लाख रुपये)

क्र॰सं॰	स्कीम का नाम	संक्षिप्त उद्देश्य	अवस्था	गत तीन वर्षों 1994-95, 95-96 और 96-97 के दौरान उपलब्धियाँ	
				वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6
1.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	जनता की सक्रिय भागीदारी के जरिए पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना	चालू	-	7 जिलों में गठित
2.	कच्छ वनस्पतियों का संरक्षण	कच्छ वनस्पतियों का संरक्षण और प्रबंधन	चालू	28.81	2 कच्छ वनस्पतियां सम्मिलित
3.	जीवमंडल रिजर्व स्कीम	राज्य में स्थापित 2 जीवमंडल रिजर्व के प्रबंध कार्य योजना का क्रियान्वयन	चालू	64.88	2 जीवमंडल रिजर्व सम्मिलित
4.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना स्कीम	कावेरी नदी प्रदूषण उपशमन	तमिलनाडु के 5 कस्बों यथा-कुमारपलयम, भवानी, ईरोड, त्रिची और पल्लीपलयम पर कुल 38.2 करोड़ की लागत से कावेरी नदी प्रदूषण उपशमन कार्य नामक स्कीम को केन्द्र तथा राज्य की बराबर की हिस्सेदारी के आधार पर अनुमोदित किया गया है। कावेरी कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा अब तक 195.35 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।		

1	2	3	4	5	6
5.	विश्व बैंक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	औद्योगिक प्रचालनों के कारण पर्यावरणीय अवक्रमण का निवारण और उपशमन	इस परियोजना में 155.6 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-प्रणाली तथा भारत सरकार, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं तथा ऋण सुविधा प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा मुहैया की जाने वाली 108 मिलियन अमरीकी डालर की समकक्ष निधियां सम्मिलित हैं। परियोजना के तहत तमिलनाडु सहित 4 राज्य शामिल हैं। प्रत्येक राज्य के लिए कोई विशिष्ट आबंटन नहीं है।		
	साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र	साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना, प्रयोगशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम	चालू	848.78	26 सा॰ ब॰ शो॰ संयंत्र सम्मिलित
6.	क्षेत्रोन्मुख जलाऊ लकड़ी और चारा स्कीम	जलाऊ लकड़ी की कमी वाले अभिनिर्धारित जिलों में जलाऊ लकड़ी और चारे की आपूर्ति में वृद्धि करना।	चालू	334.47	5800 हे॰ क्षेत्र सम्मिलित
7.	औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती वनोपज	औषधीय पौधों सहित गैर-वनोपज उगाना।	चालू	69.49	1350 हे॰ क्षेत्र सम्मिलित
8.	समन्वित वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम	वनीकरण और पारि॰ विकास संवर्द्धन	चालू	126.36	1944 हे॰ क्षेत्र सम्मिलित
9.	बीज विकास स्कीम	गुणवत्ता बीजों के अवसंरचना विकास।	चालू	2.42	वित्तीय बंटन के अनुसार नियत लक्ष्य
10.	बाघ परियोजना	बाघों की समुचित आबादी सुनिश्चित करना।	चालू	82.395	2 बाघ रिजर्व सम्मिलित
11.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	चिडियाघरों के उत्थान की स्कीम	चालू	21.33	3 चिड़ियाघर सम्मिलित
12.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास।	राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों का विकास करना।	चालू	56.51	16 राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित
13.	हाथी परियोजना	हाथियों की दीर्घकालीन जीवितता सुनिश्चित करना।	चालू	34.40	वित्तीय बंटनों के अनुसार नियत लक्ष्य।
14.	संरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास	राष्ट्रीय उद्यानों के घेरे में रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक आश्रय प्रदान करना।	चालू	8.16	3 राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य सम्मिलित
15.	आधुनिक दावानल नियंत्रण प्रणाली	वनों के संरक्षण के लिए दावानल नियंत्रित करना।	चालू	17.72	वित्तीय बंटन के अनुसार नियत लक्ष्य
16.	वनस्पति उद्यानों को सहायता	वनस्पति उद्यानों का उत्थान करना।	चालू	18.55	3 वनस्पति उद्यान सम्मिलित

1	2	3	4	5	6
17.	सहायता अनुदान स्कीम	वनीकरण और वृक्षरोपण गतिविधियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक अभिकरणों को वित्तीय सहायता।	चालू	64.12	वित्तीय बंटन के अनुसार नियत लक्ष्य
18.	लघु उद्योग द्वारा अनुकूल प्रौद्योगिकी	लघु उद्योग द्वारा अनुकूल प्रौद्योगिकी/प्रक्रिया अपनाना।	चालू	3.00	चर्म शोधन कारखानों की व्यावहार्यता अध्ययन।
19.	राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना	संरक्षण	-	-	संपूर्ण स्कीम को विश्व बैंक से सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है। तमिलनाडु के ऊटी और कोडिया कनाल की झीलें भी इस स्कीम में आती हैं।

टेलीफोन का अन्तरण

868. **श्री सिद्दया कोटा :**

श्री काशीराम राणा :

श्री पवन दीवान :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली के कुछ अधिकारियों को जाली पत्रों के आधार पर टेलीफोन के अंतरण के मामले में लिप्त पाया गया है, और इससे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को भारी नुकसान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) टेलीफोनों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाये जाने/नियम के उल्लंघन करने के कुछ मामले सामने आये है;

(i) टेलीफोन के पते का स्थानिक अनियमित परिवर्तन किये जाने का एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे एम टी एन एल को 54.04 लाख रुपये की हानि हुई है। यह मामला सी बी आई को भेज दिया गया है।

(ii) एक अन्य मामले में एक टेलीफोन जाली आवेदन-पत्र के आधार पर एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाया गया पाया गया था। परन्तु इससे एम टी एन एल को कोई हानि नहीं हुई। इस प्रकार की गलती करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा कर दी गयी है।

(iii) जाली दस्तावेजों पर दो टेलीफोनों का गैर कानूनी ढंग से स्थानांतरण कराये जाने तथा उन टेलीफोनों पर अनाधिकृत एस टी डी/आई एस डी कॉल किये जाने के मामले भी एम टी एन एल के ध्यान में आये हैं। इस मामले में एम टी एन एल को 21.32 लाख रुपये की हानि हुई। इस मामले में एम टी एन एल पदाधिकारियों के लिप्त होने के संबंध में जांच करने हेतु यह मामला सी बी आई को सौंप दिया गया है और इसकी जांच की जा रही है।

[*हिन्दी*]

विदेशी नागरिकों द्वारा जासूसी गतिविधियां

869. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान किसी विदेशी नागरिक अथवा विदेशी दूतावास के कर्मचारी को मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने अथवा इसी तरह से जासूसी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सुरक्षा प्रणालियों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है तथा वर्गीकृत सूचना/दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से रखने के लिए समुचित अनुदेश जारी किए जाते हैं।

विवरण

1 पाकिस्तानी नागरिक श्री डेनियल मसीह, उर्फ पीटर प्रकाश को जासूसी के आरोप में 19.8.1997 को गिरफ्तार किया गया था। वह एक पुताई कर्मी/एम ई एस संविदा कार्मिक के भेष में प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस गया था। पाकिस्तान की आई एस आई ने उसे 1993 के शुरू में प्रशिक्षित करने के बाद विशिष्ट अनुदेशों के साथ सीमा

पार भेजा था कि वह रक्षा कार्मिकों एवं स्थापनाओं को निशाना बनाए। वह दिसंबर, 1993 से भारत में सक्रिय था। उसके पास से भारतीय वायुसेना से संबंधित कुछ वर्गीकृत दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई थी। किसी कोड या पासवर्ड्स का भेद नहीं खोला गया था।

2. पाकिस्तानी नागरिक एवं नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के एक कर्मचारी नूर मोहम्मद, को दिल्ली छावनी, जो हालांकि एक प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, में जासूसी करते हुए 28 सितंबर, 1996 को गिरफ्तार किया गया था। वह इफैंट्री बटालियन के एक सिपाही से परिचय बढ़ाने का प्रयास कर रहा था जिन्हें पहले से जांची गयी सूचना देने के अनुदेश दिए गए थे। इससे उस पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार करना संभव हुआ।

[*अनुवाद*]

इंदिरा गांधी नहर परियोजना

870. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान अतिरिक्त धनराशि दिए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि दी जानी है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ) राजस्थान सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 176 करोड़ रुपये की कुल आवश्यकता सूचित की है। इसमें से 80 करोड़ रुपये राज्य योजना में आबंटित किये गये हैं, योजना आयोग द्वारा 60 करोड़ रुपये सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकृत किये गये हैं और 36 करोड़ रुपये त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में अनुमोदित किये गये हैं।

धूम्रपान निषेध

871. **श्री विजय पटेल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संपूर्ण देश में 'धूम्रपान निषेध' आदेश लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

[*हिन्दी*]

ट्रांसपोंडरों का आबंटन

872. **श्री हंसराज अहीर** :

श्री मदन पाटिल :

डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के कई जिला मुख्यालयों सहित 83 टेलीफोन केन्द्रों का इनसैट-2 डी उपग्रह में खराबी आ जाने के कारण संपर्क पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था;

(ख) क्या दूरसंचार विभाग की मूलभूत टेलीफोन सेवाएं पूर्वोत्तर राज्यों की सुदूर क्षेत्रों में बुरी तरह प्रभावित हुई हैं;

(ग) क्या अंतरिक्ष विभाग से जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली दूरसंचार विभाग की संचार सुविधाओं की आवश्यक तथा व्यावसायिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए वैकल्पिक उपग्रहों पर कुछ ट्रांसपोडरों को उपलब्ध कराने के संबंध में आग्रह किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो परिस्थिति से निबटने के लिए विभाग द्वारा किन मदों पर विचार किया जा रहा है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) इन्सैट-2 डी के खराब हो जाने के कारण संपूर्ण देश में 75 टेलीफोन केन्द्र प्रभावित हुए थे।

(ख) जी हां, पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 26 लम्बी दूरी टेलीफोन केन्द्र प्रभावित हुए थे।

(ग) जी हां।

(घ) जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में इन्सेट-2 डी की खराबी के कारण प्रभावित होने वाले टेलीफोन केन्द्रों में से अरुणाचल प्रदेश के एक केन्द्र (माचुका) को छोड़कर अन्य सभी केन्द्रों के अंत:महानगरीय उपग्रह परियात को कम करके तथा इन्सेट-2 सी पर अतिरिक्त ट्रांसपोंडर का प्रयोग करके टेलीफोन सेवा पुन: चालू कर दी गई है। टेलीफोन केन्द्र माचुका में जहां टेलीफोन सेवा स्थानीय पावर प्लांट के कारण प्रभावित है। इन सेवाओं को चालू करने का कार्य प्रगति पर है।

[*अनुवाद*]

उड़ीसा में कोणार्क मंदिर

873. **श्रीमती शारदा टाडीपारथी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोणार्क मंदिर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसकी मरम्मत किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 'यूनेस्को' की विश्व विरासत सूची के अंतर्गत मन्दिर की मरम्मत के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस० आर० बोम्मई) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) भविष्य में स्मारक के संरक्षण का पता लगाने के लिए कुछ खोजे आवश्यक हैं जिसके लिए यूनेस्को द्वारा 30,000 अमरीकी डालर स्वीकृत किए गए। इस खोज में अन्य बातों के साथ-साथ जगमोहना मन्दिर में मौजूद सुराखों में से एक को मजबूत करना भी शामिल है ताकि अपेक्षित संरचनात्मक संरक्षण के भीतर प्रत्यक्ष निरीक्षण और मूल्यांकन किया जा सके।

उड़ीसा में सिंचाई सुविधाएं

874. श्री के० पी० सिंह देव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उड़ीसा में सन् 2000 तक सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) सरकार द्वारा लक्ष्य हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ङ) सिंचाई सुविधाओं के विकास की सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा राज्यों के योजना आबंटनों से किया जाता है। तथापि, चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। वर्ष 1996-97 के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में चल रही चुनिंदा वृहद और मध्यम तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा ए आई बी पी के तहत 500 करोड़ रुपए बराबर-बराबर आधार पर केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में जारी किए गए। इसमें से 48.45 करोड़ रुपए उड़ीसा सरकार को चार परियोजनाओं नामश: रेंगाली सिंचाई परियोजना, अपर इन्द्रावती दायां तट नहर सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना और आनन्दपुर बराज के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में जारी किए गए। वर्ष 1997-98 के दौरान उड़ीसा की एक और परियोजना नामश: अपर कोलाब की भी ए आई बी पी के तहत सहायता के लिए शामिल किया गया है। वर्ष 1997-98 के दौरान ए आई बी पी के तहत 1300 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। उड़ीसा राज्य के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान ए आई बी पी के तहत 90.00 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में अनुमोदित की गई है, जिसमें से 44.20 करोड़ रुपए राज्य को पहले ही जारी किये जा चुके हैं। उड़ीसा को ए आई बी पी के तहत प्रदान की गई केन्द्रीय ऋण सहायता का परियोजनावार ब्यौरा इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपए में)

क्र०सं०	परियोजना का नाम	अनुमोदित केन्द्रीय ऋण सहायता	वर्ष 1997-98 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय ऋण सहायता
1.	रेंगाली सिंचाई	20.00	10.00
2.	अपर इन्द्रावती	30.00	15.00
3.	सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय	27.00	13.50
4.	आनंद पुर बराज	3.00	0.70
5.	अपर कोलाब	10.00	5.00
		90.00	44.20

[*हिन्दी*]

टेलीफोन वार्ता को टेप किया जाना

875. जस्टिस गुमान मल लोढ़ा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय तार अधिनियम के अंतर्गत टेलीफोन वार्ता को टेप करने का अधिकार प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को किन मामलों में टेलीफोन वार्ता टेप करने का अधिकार प्राप्त है तथा टेलीफोन वार्ता को टेप किए जाने संबंधी निर्देश जारी करने का अधिकार किन अधिकारियों को प्राप्त है;

(ग) क्या ये अधिकारी उक्त निर्देश जारी करने में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं तथा क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नियम, उपनियम एवं दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय तार अधिनियम, 1895 की धारा 5(2) के परन्तुक के अंतर्गत किसी सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होने अथवा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, इस संबंध में विशेष रूप से प्राधिकृत केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार या कोई अन्य अधिकारी किसी संदेश अथवा किसी भी श्रेणी के संदेशों को अवरोध कर सकता है अथवा उसे रोक सकता है। केन्द्र सरकार/राज्य संरकार के गृह सचिव को टेलीफोनों की टैपिंग के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ) अंतरावरोधन के लिए मार्ग-निर्देशों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है। इस समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

तटीय विनियमन जोन नियम

876. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने तटीय विनियमन जोन नियम में संशोधन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के कार्यक्षेत्र, व्यावहारिकता और कार्यान्वयन में सुधार के लिए अनुरोध किया है।

(ग) केरल सरकार के प्रतिवेदन की जांच के लिए प्रो॰ बालाकृष्णन नायर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति की कुछ सिफारिशों को शामिल करके तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना को दिनांक 9 जुलाई, 1997 के एम॰ ओ॰ संख्या 494 के तहत संशोधित किया गया था।

मादा बाघ का रेडियो कौलरिंग

877. श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 जनवरी, 1997 को पन्ना बाघ क्षेत्र में एक मादा बाघ और उसके बच्चों की रेडियो कौलरिंग की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मादा बाघ और उसके बच्चों की रेडियों कौलरिंग सरकार की अनुमति के बगैर की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मादा बाघ और उसके बच्चों का रेडियो कौलरिंग किए जाने से क्या खतरा है;

(घ) क्या बी॰ बी॰ सी॰ के एक फोटोग्राफर को रेडियो कौलरिंग की प्रक्रिया के फोटोग्राफ लेने की अनुमति दी गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसका कारण और औचित्य क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पांच प्रमुख गोदी श्रमिक बोर्डों का विलयन

878. श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटिल : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक सभा में गोदी कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक, 1948 के पारित होने के बाद पांच प्रमुख गोदी श्रमिक बोर्डों के परस्पर विलयन के लिए पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पुनर्गठन की प्रस्तावित संरचना अपनाए जाने पर होने वाले परिवर्तन के बारे में पत्तन न्यासों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) प्रस्तावित विलय के कार्यान्वन से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और वास्तविक कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) जी हां।

(ख) संबंधित पत्तन न्यासों और गोदी कामगार बोर्डों के प्रबंधन, सहमति प्राप्त करने के लिए संबंधित श्रमिक संगठनों के साथ समझौता वार्ता कर रहे हैं।

(ग) पत्तन न्यासों के साथ गोदी कामगारो बोर्डों के वास्तविक विलय के पश्चात् कार्गों के लिए एक ही हैंडलिंग एजेंसी और अधिक उत्पादकता प्राप्त करने और हैंडलिंग लागत कम करने के लिए एकीकृत गैंगों की तैनाती सुगम बनाना सुनिश्चित होगा।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धनराशि का उपयोग

879. श्री जयसिंह चौहान : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आबंटित धनराशि का पूर्णतया उपयोग नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैम्पस द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लौटायी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) एक वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों को उस वर्ष के अंत तक उपयोग में लाया जाना होता है। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों को उपयोग में न लाए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पोंग बांध झील में जल क्रीड़ा

880. श्री सत महाजन : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध झील में जल क्रीड़ा आरंभ करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दे दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर॰ धनुषकोडी आदित्यन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हम्पी के पुनरुद्धार के लिए समन्वित विकास परियोजना

881. श्री के॰ सी॰ कोंडय्या : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व विरासत के केन्द्र हम्पी के पुनरुद्धार के लिए 400 करोड़ रुपए की समन्वित विकास परियोजना को ओवरसीज़ इकोनोमिक कारपोरेशन फंड के पास भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो ओवरसीज इकोनोमिक कारपोरेशन फंड शिष्टमंडल ने इस परियोजना के संबंध में कर्नाटक सरकार को सकारात्मक संकेत दिया है; और

(ग) इस परियोजना के लिए ओवरसीज इकोनोमिक कारपोरेशन फंड से धन प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी, हां। विश्वदाय केन्द्र हम्पी के एकीकृत विकास हेतु परियोजना को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा वित्त पोषण हेतु विदेशी आर्थिक सहयोग कोश के समक्ष रखा गया है। परियोजना की कुल लागत का अनुमान 396.2 करोड़ रुपये लगाया गया है कि जिसमें से 300.00 करोड़ रुपये विदेशी आर्थिक सहयोग कोष हेतु निवेश योग्य दर्शाया गया है।

(ख) वित्त पोषण अभिकरणों के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। आर्थिक कार्य विभाग के तत्वावधान में परियोजना पर विदेशी आर्थिक सहयोग कोष के साथ विस्तार से बातचीत की गई है। कर्नाटक सरकार के अधिकारी भी वहां उपस्थित थे।

(ग) विभाग ने परियोजना के वित्त पोषण हेतु पहले ही सिफारिश की हुई है।

विदेशी पर्यटन

882. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने विदेशी पर्यटको ने भारत का भ्रमण किया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) कितने विदेशी पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर का भ्रमण किया;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कुछ और परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जैना) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य में आए कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या तथा पर्यटन से प्राप्त विदेशी मुद्रा आय, नीचे दिए गए अनुसार है :-

वर्ष	विदेशी पर्यटकों की संख्या		अनुमानित विदेशी मुद्रा आय
	भारत	जम्मू और कश्मीर राज्य	(करोड़ रु॰ में (संपूर्ण भारत)
1994	1886433	24622	7281.66
1995	2123683	20589	8633.30
1996	2287860	22628	10049.95

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर में विभिन्न पर्यटन विकास परियोजनाओं के लिए 403.54 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

[*हिन्दी*]

प्रमुख वनों में आग लगने की घटनाएं

883. श्री डी॰ पी॰ यादव : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान देश के प्रमुख वनों में आग लगने की राज्यवार कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने आग द्वारा वन संपदा को होने वाली क्षति को रोकने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) सूचना राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, हां।

(ग) केन्द्रीय सरकार 100% केन्द्रीय प्रायोजित एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है "ग्यारह राज्यों (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और गुजरात) में "आधुनिक वन अग्नि नियंत्रण पद्धतियां" जिनके माध्यम से सरकार फायरलाइनों के सृजन, फायर वाच-टावरों का निर्माण, संचार उपकरणों की खरीद, फायर टेंडर्स और अग्नि शमन उपकरणों आदि के लिए राज्यों को निधियां प्रदान करती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 7.37 करोड़ रुपये खर्च किया गया था। 1997-98 के दौरान 2.10 करोड़ रुपये के परिव्यय का बजट प्रावधान किया गया है।

रक्षा अकादमी परीक्षाएं

884. श्री मणी भाई रामजीभाई चौधरी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अकादमी की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में ही तैयार किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्रों को भारतीय भाषाओं में भी तैयार करने हेतु प्रबंध करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) डा० सतीश चन्द्र समिति की सिफारिशों के आधार पर रक्षा अकादमी परीक्षाओं सहित सभी सेवाओं के लिए परीक्षाओं जिनमें चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है, में बहु-भाषा परीक्षा प्रणाली शुरू करने संबंधी प्रस्ताव की इस समय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जांच कर रहा है।

[*अनुवाद*]

पश्चिम बंगाल में सिंचाई परियोजनाएं

885. श्री बीर सिंह महतो : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चल रही मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर सिंचाई क्षमता में कुल कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) उपर्युक्त चल रही परियोजनाओं के पूरा होने पर कुल 1618.22 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजित होने की संभावना है।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने "कंगसबती जलाशय परियोजना के आधुनिकीकरण" का संशोधित प्रस्ताव अक्तूबर, 1996 में केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया था। केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां अनुपालन हेतु राज्य सरकार को भेज दी गई हैं।

विवरण

चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र०सं०	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	3/97 तक किया गया व्यय (करोड़ रु० में)	चरण क्षमता (हजार हेक्टेयर)	वार्षिक योजना 95-97 के अंत तक सृजित क्षमता	
					क्षमता (हजार हैक्टेयर)	उपयोग (हजार हैक्टेयर)
1	2	3	4	5	6	7
	वृहद परियोजनाएं					
1.	सिंचाई प्रणाली का बराज, दामोदर घाटी निगम	60.00	56.68	515.38	485.00	461.20
2.	कंगसबती परियोजना	205.41	186.73	401.66	398.20	353.15
3.	तीस्ता बराज चरण-फेज-1	1177.00	685.26	533.52	99.61	61.45
4.	सुवर्ण रेखा बराज	595.00	17.68	130.00	0.00	0.00
	मध्यम परियोजनाएं					
1.	हिंजलोन	14.50	13.60	12.38	12.38	12.33
2.	बाराभूम	2.90	2.87	2.73	2.73	2.73
3.	सली सिंचाई	2.25	2.15	0.59	0.57	0.56
4.	गोलमारजोरे	2.46	2.33	1.00	0.98	0.98
5.	रामचन्देरपुर	6.00	5.76	2.56	2.56	2.44
6.	सली डायवरशन	3.75	3.67	2.27	2.23	2.21
7.	मोटेरेवोरे	1.90	1.56	1.08	1.07	1.06
8.	हनुमता	6.39	5.87	2.78	2.65	2.31

1	2	3	4	5	6	7
9.	टात्का	9.60	7.47	2.48	2.37	2.25
10.	पाटले	6.00	4.09	2.16	2.10	2.10
11.	बीको	4.69	3.84	1.59	1.43	1.39
12.	लिपानीजोरे	3.45	2.85	1.59	1.59	1.56
13.	पारगा	2.50	2.37	0.92	0.91	0.88
14.	करियार	3.06	2.97	0.51	0.51	0.47
15.	खेरा बेरिया	2.98	2.82	0.57	0.55	0.55
16.	फ्यूटिरी	13.08	1.66	1.20	0.60	0.60
17.	रानी चक पंप सिंचाई	4.91	3.54	1.25	0.20	0.20
	जल निकास					
	विस्तार नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीमें					
1.	मयूराकांक्षी जलाशय की विशेष मरम्मत	10.00	6.06	-	0.00	0.00
2.	मिदनापुर नहर की विशेष मरम्मत	2.50	1.54	-	0.00	0.00
3.	मयूराकांक्षी का आधुनिकीकरण	60.00	3.89	-	0.00	0.00
4.	दामोदर घाटी निगम का आधुनिकीकरण	100.00	3.46	-	0.00	0.00
5.	बंध सिंचाई का विस्तार	5.88	4.63	-	0.00	0.00
6.	विभिन्न स्कीमों के कंगसबती डब्ल्यू आर सी पी का आधुनिकीकरण	491.00	1.23	0.00	0.00	0.00

लुप्तप्राय प्रजातियों संबंधी अनुसंधान केन्द्र

886. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षणार्थ हैदराबाद में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या इस केन्द्र के लिए कोई विदेशी तकनीक अथवा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस केन्द्र से इन लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण में किस हद तक सहायता मिलेगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य सरकार, सैंटर फार सेल्यूलर एंड मोलेक्यूलर बायोलोजी, सेंटर फार डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायगनोस्टिक्स, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश वन विभाग और भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सहयोग से हैदराबाद में वन्यजीवों की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुई है। इस प्रयोजनार्थ एक समझौता ज्ञापन प्रस्तावित भागीदारों के विचाराधीन है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5.0 करोड़ रुपए है। प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य डीएन ए फिंगर प्रिंटिग, जीन बैंकों की स्थापना, सीमन मूल्यांकन और अण्डोत्सर्ग के समय का निर्धारण, भ्रूण का हस्तांतरण, कृत्रिम गर्भाधान आदि द्वारा आनुवांशिक विभिन्नता आदि की निगरानी करना है।

(ग) और (घ) किसी भी विदेशी तकनीक या वित्तीय सहायता की परिकल्पना नहीं की गई है।

[हिन्दी]

जोधपुर से वायु सेना कमान मुख्यालय को स्थानान्तरित करना

887. श्री गिरधारी लाल भार्गव:

प्रो॰ रासा सिंह रावत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना कमान का मुख्यालय राजस्थान से बाहर स्थानान्तरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या जोधपुर के सामरिक महत्व और सरकार तथा जनप्रतिनिधियों के अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) जी, हां। दक्षिण पश्चिम वायु कमान मुख्यालय को जोधपुर (राजस्थान) से गांधीनगर (गुजरात) में स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) गांधी नगर सक्रियात्मक दृष्टि से बेहतर स्थिति में है तथा गांधी नगर में बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ऊपर (ख) के अनुसार ही।

[अनुवाद]

राउरकेला से बर्नपाल तथा रांची तक राष्ट्रीय राजमार्ग-23 की स्थिति

888. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राउरकेला से बर्नपाल तथा राउरेकला से रांची तक राष्ट्रीय राजमार्गों की बदतर स्थिति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सड़कों के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन सड़कों के विकास हेतु विश्व बैंक अथवा एशियाई विकास बैंक में ऋण हेतु आवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार को कब तक ऋण प्राप्त होने की आशा है और कार्य आरंभ किए जाने हेतु क्या समय निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो अन्य स्रोत क्या हैं जिनसे सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग-23 के विकास के लिए धनराशि प्रदान करना चाहती है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध संसाधनों के भीतर यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त सुधार कार्य जैसे चौड़ाई बढ़ाना, सुदृढ़ करना, कमजोर और तंग पुलों का पुनर्निर्माण तथा भू-ज्यामितीय सुधार आदि भी निधियों की उपलब्धता, यातायात आवश्यकताओं और परस्पर प्राथमिकता के अध्यधीन चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उड़ीसा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-23 का सामान्य बजटीय सहायता के जरिए विकास करने पर विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति

889. प्रो॰ रासा सिंह रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को क्रियान्वित करने के बाद दूरसंचार के क्षेत्र में क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या सरकार ने दूरसंचार नीति के क्रियान्वयन जिसके कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका से उत्पन्न परिस्थितियों की कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) देश में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिए कितने आवेदक आज की तारीख तक प्रतीक्षा सूची में हैं और कितनी ग्राम पंचायतों और गांवों में दूरसंचार सुविधाएं अभी भी उपलब्ध नहीं है और सन् 2000 तक इस लक्ष्य को किस प्रकार पूरा कर लेने की संभावना है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) :

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994

(क) से (घ) 8वीं योजना अवधि के दौरान 8.73 मिलियन टेलीफोन प्रदान किए गए हैं। 31.3.97 की स्थिति के अनुसार, प्रतीक्षा सूची 2.887 मिलियन थी। 1997-98 के दौरान, 2.9 मिलियन टेलीफोन प्रदान करने की योजना है। जिसमें निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान किए जाने वाले टेलीफोन शामिल नहीं है। 31.10.97 तक 8,72,583 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे।

2. 31.3.97 तक देश में 6,04374 ग्रामों में से, 267832 ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा चुकी थी। 1997-98 के दौरान, और 83,000 ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है। 31.10.97 तक और 10.609 ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई थी। 31.3.97 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 3,45178 सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए गए हैं। 1997-98 के दौरान और 1,38,750 सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किए जाने का कार्यक्रम है। 30.9.97 तक, देश के शहरी क्षेत्रों में और 30,141 पी सी ओ खोले जा चुके हैं। 30.9.97 की स्थिति के अनुसार, 1991 की जनगणना के आधार पर, शहरी क्षेत्रों में औसतन 580 व्यक्तियों पर एक पी सी ओ प्रदान किया गया है।

3. चार महानगरों नामश: दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता तथा चेन्नई और 15 क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किलों के चुनिंदा शहरों में सेल्यूलर सचल टेलीफोन सेवा प्रारंभ कर दी गई है। 27 प्रमुख शहरों तथा 12 क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किलों के चुनिंदा शहरों में पेजिंग सेवा शुरू कर दी गई। 30.9.97 की स्थिति के अनुसार, लगभग 6.13 लाख सेल्यूलर उपभोक्ता तथा 6.34 लाख पेजर उपभोक्ता थे। अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं जैसे ई-मेल, पी एम आर टी एस, वायस-मेल तथा वी-सैट के अनेक लाइसेंसधारकों ने वाणिज्यिक दृष्टि से अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। लाइसेंसधारकों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

4. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 के अनुसरण में पांच कंपनियों ने पांच दूरसंचार सर्किलों में बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदान करने हेतु सरकार के साथ लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए हैं। (ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं)।

5. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा के बाद ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी पी टी) के कार्यक्रम के संबंध में उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

6. जहां तक अनुसंधान और विकास का संबंध है, टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) तथा विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों की अनुसंधान एवं विज्ञान यूनिटें कार्य करती आ रही हैं। सी-डॉट भी आई एस डी एन, ए टी एम, पी सी एस तथा इन्टेलिजेंट नेटवर्क प्रणालियों का विकास कर रहा है।

सरकार ने ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन कार्यक्रम के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों की समीक्षा की है और लक्ष्य पूरे न होने के निम्नलिखित कारणों का पता लगाया है :-

(i) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपस्कर की आपूर्ति में विलंब।

(ii) उन निजी प्रचालकों द्वारा लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने में विलंब करना जिन्होंने वर्ष 1996-97 से कई दूरसंचार सर्किलों में बुनियादी सेवा शुरू करनी थी। इन निजी प्रचालकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने में सहयोग करना था।

7.11.97 की स्थिति के अनुसार, जिन ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान नहीं की गई उनकी संख्या 3,25,527 है। शेष ग्रामों में 9वीं योजना अवधि के दौरान उक्त सुविधा प्रदान करने की योजना है। यह भी आशा है कि बुनियादी टेलीफोन सेवा के निजी प्रचालक उन निम्नलिखित सर्किलों के लिए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना शुरू कर देंगे जिनके लिए लाइसेंस पर हस्ताक्षर हो गए हैं :

आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब।

नई प्रौद्योगिकी अधिष्ठापित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे दूरसंचार सेवाएं और तेजी से प्रदान की जा सकेंगी।

31.10.97 की स्थिति के अनुसार, देश में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में लगभग 34,90,420 आवेदक दर्ज हैं। 7.11.97 की स्थिति के अनुसार, जिन ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है उनकी संख्या लगभग 3,25,527 है। 9वीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान शेष ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है। जिसके लिए निजी प्रचालक, दूरसंचार विभाग के प्रयासों में सहयोग करेंगे।

विवरण-I

क्र॰सं॰	मूल्य वर्धित सेवा का नाम	जारी किए गए लाइसेंसों की सं॰	उन लाइसेंस धारकों की सं॰ जिन्होंने सेवा शुरू कर दी है।
1.	सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा		
	(क) महानगर	8	8
	(ख) क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किल	33	24
2.	रेडियो पेजिंग सेवा		
	(क) 27 नगर	103	78
	(ख) क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किल	26	15
3.	सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सेवा	204	23
4.	ई-मेल (ईडीआई, फाइल ट्रांसफर, प्रोटोकॉल कनवर्शन, फैक्स मेल इत्यादि)	16	14
5.	ऑडियो टैक्स सहित वायस मेल	39	15
6.	वी सैटों का उपयोग कर 64 केबीपी एस डाटा (सी यू जी सेवा)	13	9

विवरण-II

बुनियादी टेलीफोन सेवा की नवीनतम स्थिति

	कंपनी के नाम	सर्किल	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	मैसर्ज एचएफसी एल बैजक टेलीकाम लि॰	दिल्ली हरियाणा उ॰प्र॰ (पश्चिम) तथा उड़ीसा	4.3.96 को आशय-पत्र जारी किए गए। प्रचालकों द्वारा संविदात्मक दायित्वों का पूरा न किए जाने के कारण बयाना बैंक गारंटी (ई एम बी जी) भुना ली गई। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया। 19.09.97 को मामला वादी के पक्ष में निर्णीत हो गया है। सरकार ने उक्त निर्णय के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सम्मुख एक दायर की है।

1	2	3	4
2.	मैसर्ज बेसिक टेली सर्विसिज लि॰	तलिमनाडु	आशय-पत्र स्वीकृत किया गया है परन्तु निष्पादन व वित्तीय बैंक गारंटियां प्रस्तुत नहीं की हैं। ई एम बी जो भुना ली गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया गया है तथा मामला न्यायालयाधीन है।
3.	मैसर्ज टैक्नोटेलीकाम लि॰	बिहार	-वही-
4.	मैसर्ज एस्सार कॉमविजन लि॰	पंजाब	7.11.97 को लाइसेंस पर हस्ताक्षर किए गए।
5.	मैसर्ज टाटा टेलीसर्विसेज लि॰	आंध्र प्रदेश	4.11.97 को लाइसेंस पर हस्ताक्षर किए गए।
6.	मैसर्ज हयूजेज इस्पात लि॰	महाराष्ट्र तथा कर्नाटक	30.9.97 को महाराष्ट्र के लिए लाइसेंस पर हस्ताक्षर किए गए। कर्नाटक सर्किल के लिए आशय पत्र स्वीकृत हो गया है। लाइसेंस पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं।
7.	मैसर्ज भारती टेलीनेट लि॰	मध्य प्रदेश	28.2.97 को लाइसेंस पर हस्ताक्षर किए गए।
8.	मैसर्ज रिलायंस टेलीकॉम लि॰	गुजरात	18.3.97 को लाइसेंस पर हस्ताक्षर किए गए।

विवरण-III

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 के पश्चात् ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी पी टी) कार्यक्रम के लक्ष्य तथा उपलब्धियां

सर्किल का नाम	लक्ष्य 94-95	94-95 के दौरान उपलब्धियां	लक्ष्य 95-96	95-96 के दौरान उपलब्धियां	लक्ष्य 96-97	96-97 के दौरान उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7
अंडमान निकोबार	0	55	200	36	200	75
आंध्र प्रदेश	3000	2014	4000	2601	3000	2619
असम	2000	2010	2000	2015	2000	1665
बिहार	3164	2595	11800	1246	6000	3526
गुजरात	3000	3041	2000	636	4000	1505
हरियाणा	1212	1335	800	510	1700	1204
हिमाचल प्रदेश	1000	720	1500	1005	1000	1034
जम्मू व कश्मीर	400	421	1000	297	600	730
कर्नाटक	4000	5074	3700	3178	3000	4120
केरल	18	18	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	5706	7869	10400	2026	7350	7335
महाराष्ट्र	6000	5125	5000	3600	5000	4727
उत्तर पूर्व	500	512	1800	406	1000	644
उड़ीसा	3000	3531	8500	3961	5000	3423
पंजाब	500	605	2300	338	4750	3506

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	4000	4011	5800	2122	6500	5051
तमिलनाडु	1500	1573	3000	1081	3200	2608
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	8000	5200	23000	3007	9000	5702
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)			11000	685	6300	4000
पश्चिम बंगाल	3000	1950	7200	2691	5000	2860
दिल्ली	0	0	0	0	0	0
कलकत्ता	0	0	0	56	400	365
	50000	47659	105000	31497	75000	56719

पश्चिम बंगाल में प्राचीन स्मारकों का संरक्षण

890. श्री हाराधन राय : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में जिलेवार किन-किन प्राचीन स्मारकों का संरक्षण किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनकी सुरक्षा के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या कुछ स्मारक खराब हालत में है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्मारकों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन स्मारकों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) सूची विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) 1994-95 रु॰ 42,66000

1995-96 रु॰ 47,58000

1996-97 रु॰ 61,31000

(ग) से (ङ) जी, नहीं। पुरातत्वीय मानदंडों के अनुसार स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव एक सतत् प्रक्रिया है। स्मारकों की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार संरक्षण का कार्य किया गया है।

विवरण

पश्चिमी बंगाल राज्य में केन्द्रीय संरक्षित स्मारक की सूची

(जिला-वार)

क्र॰सं॰	स्मारक का नाम	अवस्थिति
1	2	3
	बंकुरा जिला	
1.	प्राचीन मन्दिर	बहुलारा
2.	सैलेश्वर मन्दिर	दीहार
3.	सारेश्वर मन्दिर	-वही-
4.	राधा दामोदरजीव का मन्दिर	घुतगेरिया
5.	रत्नेश्वर का मन्दिर	जगन्नाथपुर
6.	श्यामसुन्दर का मन्दिर	मदनपुर
7.	मन्दिर स्थल जो कि अब केवल एक टीला और सूर्य की प्रतिमा के रूप में स्थित है	पारेशनाथ
8.	प्राचीन जैन मन्दिर का मन्दिर स्थल जो कि अब केवल एक टीला है जिसके साथ एक जैन प्रतिमा है।	-वही-
9.	वृक्ष के नीचे महिषासुरमर्दन की प्रतिमा	सारेगनाथ
10.	मन्दिर स्थल जो कि अब केवल एक टीला है।	-वही-
11.	मन्दिर स्थल जो कि अब केवल एक टीला है। जिसके ऊपर गणेश और नन्दी की प्रतिमा स्थित है।	-वही-
12.	मन्दिर स्थल जो कि अब केवल एक टीला है। जिसके ऊपर नन्दी की प्रतिमा स्थित है।	-वही-
13.	चन्द्रवर्मन के शिला अभिलेख	सुसुनिया पहाड़ी
14.	दालमदाल गन और प्लेटफार्म जिस पर टीला स्थित है	विष्णुपुर
15.	पुराने किले का प्रवेश द्वार	-वही-
16.	जोर मन्दिर	विष्णुपुर
17.	जोर बंगला मन्दिर	-वही-
18.	कालचंद मन्दिर	-वही-
19.	लालजी मन्दिर	-वही-
20.	मदनगोपाल मन्दिर	-वही-
21.	मदन मोहन मन्दिर	-वही-
22.	मल्लेश्वर मन्दिर	-वही-

1	2	3
23.	मुरारी मोहन मन्दिर	-वही-
24.	नंदलाल मन्दिर	-वही-
25.	पटपुर मन्दिर	-वही-
26.	राधा विनोद मन्दिर	-वही-
27.	राधा गोविंद मन्दिर	-वही-
28.	राधा माधव मन्दिर	-वही-
29.	राधा श्याम मन्दिर	-वही-
30.	रासमानचा	-वही-
31.	श्याम रॉय मन्दिर	-वही-
32.	किले का छोटा प्रवेश द्वार	-वही-
33.	पत्थर का रथ	-वही-
34.	गोकुल चंद मन्दिर	गोकुलनगर
	बीरभूम जिला	
35.	दो टीले	भादेश्वर
36.	राधा विनोद मन्दिर जिसे आमतौर पर जयदेव कहा जाता है।	जॉयदेव केंडुली
37.	धर्मराज का मन्दिर	कुबिलाशपुर
38.	वासुली मन्दिर और टीला जिसके साथ समीप ही चौदह अन्य मन्दिर हैं जिसमें शिवलिंग की प्रतिमाएं हैं	ननूर
39.	मन्दिर और रासमानचा (दामोदर मन्दिर)	सूरी
	बर्दवान जिला	
40.	दो प्राचीन मन्दिर (संयुक्त)	बैद्यपुर
41.	रूद्रेश्वर मन्दिर	बामुनारा
42.	प्राचीन मन्दिरों का समूह	बेगुनिया
43.	बाहराम सक्का का मकबरा, शेर अफगान और नवाब कुतुबुद्दीन	बर्दवान
44.	पत्थर का मन्दिर	गरूई
45.	इच्छाई घोष का मन्दिर	गौरंगपुर
46.	प्राचीन मन्दिर	नादीहा
47.	जैन ईटों का मन्दिर जिसे सत-देउल कहा जाता है।	देउलिया
48.	मन्दिरों का समूह (राजबरी परिसर में रामेश्वर मन्दिर, लालजी मन्दिर, गिरि गोबर्द्धन मन्दिर, बिजोय बैद्यनाथ मन्दिर, कृष्णा-चन्द्राजी मन्दिर, पंचरत्न मन्दिर, रूपेश्वर मन्दिर और प्रतापेश्वर मन्दिर, रत्नेश्वर मन्दिर, जलेश्वर मन्दिर, नाबा-कैलाश मन्दिर, गोपाल जी मन्दिर)	कलना
49.	प्राचीन स्थल और पांडु राजार धीपी के अवशेष	पांडुक
50.	प्राचीन टीला	भरतपुर
	जिला कूच बेहर	
51.	राजपत स्थल	खालसा गोसानीमारी
52.	कूच बेहर महल	कूच बेहर
	दार्जिलिंग जिला	
53.	एलेक्जेंडर सीजोमा डी कोर्स	दार्जिलिंग
54.	जनरल लॉयड का मकबरा	-वही-
	दक्षिण दीनाजोर जिला	
55.	टीला	बाणगढ़ (गंगारामपुर)
56.	शाह अट्टा की दरगाह	गंगारामपुर
	हुगली जिला	
57.	डच कब्रिस्तान जिसके साथ सभी मकबरे और स्मारक हैं	चिनसुराह
58.	सुसाने अन्ना मारिया का डच यादगार स्मारक	-वही-
59.	मन्दिरों का समूह जिसे वृद्धावन चन्द्रा का मठ कहा जाता है।	गुप्तीपारा
60.	टीला	महानाद
61.	मीनार	पांडुआ
62.	मस्जिद और मकबरा	-वही-
63.	मस्जिद	सतगांव
64.	(i) दानीश कब्रिस्तान	
	(ii) कथित दीवार के भीतर सभी प्राचीन ढांचे, सभी मकबरे, पत्थर के स्मारक, अवशेष और अभिलेख।	सेरामपोर
65.	मन्दिर और मस्जिद जिसे जफर खान गाजी की दरगाह कहा जाता है।	त्रिवेणी
66.	हंसेश्वरी और वासुदेव मन्दिर	बांसबेरिया
	हावड़ा जिला	
67.	श्री मेयर घाट	बेलूर
	मालदा जिला	
68.	बैसगाजी दीवार	गौर

1	2	3
69.	बारादुआरी मस्जिद अथवा ग्रेट गोल्डन मस्जिद	-वही-
70.	चांद सदागर का भीटा	-वही-
71.	चमकती मस्जिद	-वही-
72.	छिका मस्जिद	-वही-
73.	दाखिल दरवाजा	-वही-
74.	फिरोज मीनार	-वही-
75.	गुमती प्रवेशद्वार	-वही-
76.	गुणामंत मस्जिद	-वही-
77.	कोतवाली दरवाजा	-वही-
78.	लोटान मस्जिद	-वही-
79.	लुकोचुरी प्रवेश द्वार	-वही-
80.	कदम रसूल मस्जिद	-वही-
81.	पाथ खान का मकबरा	-वही-
82.	तांतीपारा मस्जिद	-वही-
83.	तांतीपारा मस्जिद के सामने दो मकबरे	-वही-
84.	दो पत्थर के खंभे	-वही-
85.	टॉवर	नीमासराय
86.	अदिना मस्जिद	पांडुआ (अदिना)
87.	एकलखी मुसोलियम	पांडुआ
88.	कुतब शाही मस्जिद	-वही-
	मदनपुर जिला	
89.	कुरूम्बेरा किला	गंगानेश्वर
90.	जॉन पीयर्स का मकबरा	मिदनापुर
	मुर्शिदाबाद जिला	
91.	अजिमुनिसा बेगम, मुर्शिद कुली खान की बेटी	अजीमनगर
92.	रेजीडेंसी सीमेट्री जिसे स्टेशन बरियल ग्राउंड भी कहा जाता है	बाबुलबोना (बेरहामपुर)
93.	भवानीश्वर मन्दिर	बारानगर
94.	शिव मन्दिर का चार बंगला समूह	-वही-
95.	मीर मदान का मकबरा	फरीदपुर
96.	डच कब्रिस्तान कालिकापुर	
97.	प्राचीन इंगलिश कब्रिस्तान अथवा प्राचीन रेजीडेंसी बरियल ग्राउंड	काशीम्बाजार
98.	मस्जिद	खेखल
99.	अलीवर्दी खान का मकबरा सिराजु-उद-दौला	खोसबाग
100.	टीला जिसे बारकोंडदेउल कहा जाता है।	पंच थुपी
101.	टीला जिसे राक्षस का टीला और राजा करना का महल कहा जाता है।	रंगमती
102.	शुजाउद्दीन का मकबरा	रोशनीबाग
103.	मुर्शिद कुली खान का मकबरा और मस्जिद	सब्जीकातरा
104.	जहान कोशा गन	तोपखाना
105.	हजारदुराई महल और इमामबारा	(किला निजामात) (मुर्शिदाबाद)
	नादिया जिला	
106.	टीला जिसे बामनपुकुर टीला अथवा किला कहा जा सकता है।	बामनपुकुर
107.	किले के अवशेष	-वही-
108.	मन्दिर	पालपारा
	पुरुलिया जिला	
109.	संदा स्थित प्राचीन मन्दिर	बांदा
	कलकत्ता जिला	
110.	गेटकाफ हॉल	कलकत्ता
	24 परगना नार्थ जिला	
111.	चन्द्रकेतु का किला	बेराचंपा
112.	प्राचीन टीला जिसे बाराह मिहिर धीपी कहा जाता है	देउलिया और कोकीपारा
	24 परगना दक्षिण जिला	
113.	जातर देउल	जात
	पूर्णिया जिला	
114.	टीला जिसे कन्हैयाजी मन्दिर और संलग्न टीला भी	बांदरझूला

टिहरी बांध परियोजना

891. श्री ए॰ सी॰ जोस : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवादास्पद टिहरी बांध परियोजना के पर्यावरणीय तथा पुनर्वास संबंधी अनेक पहलुओं पर गौर करने हेतु सरकार द्वारा गठित हनुमंतराव समिति ने हाल ही में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषतायें क्या है;

(ग) समिति द्वारा इस संबंध में क्या सिफारिशें की गयी है;

(घ) कब तक यह रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने की संभावना ?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट में मोटे तौर पर निम्नलिखित पहलू शामिल हैं।

पुनर्वास, पर्यावरण, रोजगार और आय उत्पन्न करने वाली स्कीमें और संस्थागत तंत्र।

(ग) समिति ने परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के साथ ही साथ पर्यावरण का स्तर बढ़ाने से संबंधित विस्तृत प्रकार की विभिन्न सिफारिशें की हैं।

(घ) रिपोर्ट विचाराधीन है।

राजस्थान में समुद्री पत्तन

892. कर्नल सोना राम चौधरी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय कठिनाइयों के कारण सातवीं और आठवीं योजना के दौरान कोई अतिरिक्त समुद्री पत्तन चालू नहीं किया गया है;

(ख) क्या पोतों को दो से तीन सप्ताह तक इंतजार (वेटिंग टाइम) करना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्थान में समुद्री पत्तन बनाने के लिए अरब सागर को गुजरात से भाखासर और बाड़मेर में 300 कि॰मी॰ अन्दर तक लाने की योजना है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(च) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) जी, नहीं। जवाहर लाल नेहरू पत्तन सातवीं योजना में चालू किया गया।

(ख) जी, नहीं। सभी महापत्तनों पर सभी प्रकार के जलयानों के प्रतीक्षा समय में काफी कमी हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

धनराशि का आबंटन

893. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है और उसमें से अब तक राज्यों द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : भारत सरकार ने 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अब तक कोई राज्य-वार निधियों का आबंटन नहीं किया है।

अध्यापकों की भर्ती के लिए मानदंड

894. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न ग्रेडों और श्रेणियों में अध्यापकों के चयन हेतु निम्नतम अर्हता परीक्षाओं में प्राप्तांक चयन के लिए आवश्यक मानदंडों का हिस्सा है;

(ख) क्या सरकार को विश्वविद्यालयों और बोर्डों आदि की तरह राज्यों में भी लगभग समान योग्यता वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में भारी अन्तर के होने की जानकारी है;

(ग) क्या उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार विभिन्न विश्वविद्यालयों और राज्यों से उम्मीदवारों को एक समान स्तर पर लाने के लिए लिखित परीक्षा अथवा अन्य उपाय शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के चयन के लिए एक भर्ती बोर्ड का गठन करने और लिखित परीक्षा शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[*हिन्दी*]

सैनिकों के लिए बुलेट प्रुफ जैकेट

895. कुमारी उमा भारती : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना द्वारा हाल ही में पश्चिमी, उत्तरी तथा पूर्वी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए डेढ़ लाख बुलेट प्रुफ जैकेटों की मांग की गई है;

(ख) क्या सरकार ने सिर्फ छ: हजार बुलेट प्रुफ जैकेटों के खरीद की अनुमति दी है; और

(ग) यदि हां, तो डेढ़ लाख बुलेट प्रुफ जैकेटों के स्थान पर केवल छ: हजार जैकेटों की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (ग) सेना

मुख्यालय ने जून, 1997 में तात्कालिक आधार पर 20,000 बुलेट प्रुफ जैकेटों की खरीद के संबंध में एक प्रस्ताव भेजा था। इस मामले को अति-शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप दिया गया है और तदनुसार, आर्डर दिए जा रहे हैं।

लद्दाख पर हमला करने का पाकिस्तान का लक्ष्य

896. **श्री सत्यदेव सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 सितंबर, 1997 के "दैनिक जागरण" में "लद्दाख में भारतीय ठिकानों को निशाना बनाना चाहता है पाक" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सीमा के साथ-साथ सभी जगह सतत् निगरानी रखी जाती है। हमारी सेनाएं सीमा पार से उत्पन्न होने वाले किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।

तेल और जल मिश्रित डामर से सड़क का निर्माण करने की योजना

897. **श्रीमती केतकी देवी सिंह** :

श्री पंकज चौधरी :

प्रो॰ ओमपाल सिंह निडर :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में तेल और जल मिश्रित डामर से सड़क का निर्माण करने संबंधी किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) आरंभ में इस नई प्रणाली से सड़क का निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी॰ वेंकटरामन): (क) और (ख) "तेल और जल मिश्रित डामर" शब्द का आशय संभवत: कट बैक और मिश्रण से है। मंत्रालय के विनिर्देशों से टैंक तह, प्रथम तह, फोग सील, स्लरी सील, प्रीमिक्स सतह, सतह बनाने और गड्ढ़ों की मरम्मत में मिश्रण तथा टैक तह और प्रारंभिक तह में कट बैक का उपयोग पहले से ही निर्धारित है।

(ग) और (घ) टैक तह और प्रथम तह के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी नए कार्यों में।

शिक्षा स्नातक (बी॰एड॰) स्तर के संस्थानों को मान्यता

898. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में शिक्षा स्नातक (बी॰एड॰) स्तर के संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में राज्य-वार ऐसे कितने शिक्षा स्नातक (बी॰एड॰) स्तर के संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के प्रस्ताव हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) प्रत्येक संस्था को, जो शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण प्रदान कर रही है अथवा करना चाहती है, इसे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के अधीन राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त करना अपेक्षित है। यह अधिनियम 1.7.1995 से लागू है और इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आते हैं।

पर्यटन विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

899. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटन विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहायता लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पर्यटन विकास परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेने की योजना भी बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जैना) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग, आर्थिक कार्य-विभाग के समन्वयन में राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही पर्यटन विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए आर्थिक-कार्य विभाग द्वारा प्रस्तावों के आमंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त/की अपेक्षा करता है। इस वर्ष जिन परियोजनाओं के लिए विदेशों से आर्थिक सहायता की अपेक्षा की गई है, वे परियोजनाएं हैं :

1. अजंता-एलोरा संरक्षण एवं पर्यटन विकास परियोजना (चरण-II)
2. उड़ीसा में पारिस्थितिकी पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए अवसंरचना विकास
3. हम्पी विश्व धरोहर केन्द्र का एकीकृत विकास।
4. थेनमाला (केरल) पारिस्थितिकी पर्यटन विकास परियोजना

(ग) और (घ) धन की उपलब्धता और आवश्यकता अनुसार

पर्यटन विकास परियोजनाओं को तैयार करने के लिए विशेषज्ञों से संपर्क किया जा सकता है और इस कार्य पर उन्हें लगाया जा सकता है।

प्रोत्साहन देने योग्य पर्यटन विकास संबंधी अध्ययन परियोजना जो अंडमान द्वीप से संबंधित है विश्व पर्यटन संगठन द्वारा प्रायोजित थी तथा इसके लिए धन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू॰ एन॰ डी॰ पी॰) नाम संस्था द्वारा मुहैया/उपलब्ध कराया गया था।

[अनुवाद]

बुर्जोहामा की उपेक्षा

900. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुर्जोहामा जो कश्मीर घाटी में एकमात्र नव-पाषाण कालीन स्थल है, पूर्ण विध्वंस के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गत 31 वर्षों से इस क्षेत्र की रक्षा नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) संरक्षित क्षेत्र को कंटीली तारों से नहीं घेरा जा सकता क्योंकि भूमि का कुछ भाग पशुओं के चरागाह के लिए छोड़ा गया है।

जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

901. श्री एन॰ एन॰ कृष्णादास : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए उस सर्वेक्षण की ओर आकृष्ट कराया गया है जिसमें उसने यह बताया है कि गत 50 वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति पुन: प्रयोज्य ताजे जल की उपलब्धता लगभग 6000 क्यूबिक मीटर से घटकर 2300 क्यूबिक मीटर हो गयी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान ने यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2017 तक भारत में जल संकट उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घटकर प्रतिवर्ष 1600 क्यूबिक मीटर रह जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) और (ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, भारत में उपलब्ध कुल वार्षिक पुनर्भरणीय ताजा जल 1869 बिलियन घन मीटर है और विभिन्न वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता नीचे दी गई है।

वर्ष	प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता (घन मीटर में)
1991	2213
1996	2000
2000	1875
2016	1479

इस प्रकार, आबादी बढ़ जाने और शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण में तीव्र वृद्धि होने के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में गिरावट का रुख आया है। जल की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने विभिन्न नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें ये शामिल हैं:- राष्ट्रीय जल नीति (1987) अपनाना, जल को जल के अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार करना, विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल के कुशल और किफायती प्रयोग को बढ़ावा देना, अद्यतन प्रौद्योगिकी के प्रयोग सहित विभिन्न पद्धतियों के जरिए जल संरक्षण पर बल देना, विविध प्रयोगों के लिए जल के प्रबंधन में लोगों की सहभागिता और चल रही चुनिंदा वृहद और मध्यम सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू करना।

शैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा मुकदमेबाजी

902. श्री रूपचन्द पाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 अक्तूबर, 1997 के "द पाइनियर" में "एजूकेशन आफिसिएल्स स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन लिटिगेशन" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस समस्या से निबटने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की जांच की जा रही है तथा सभा पटल पर विस्तृत उत्तर रख दिया जाएगा।

चंडीगढ़ में शिक्षा विकास की योजनाएं

903. श्री सत्य पाल जैन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में शिक्षा के स्तर में सुधार लाने और शैक्षिक संस्थानों के विकास के लिए वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिए कुछ योजनाएं तैयार की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई थी और उसमें से वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रही और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[*हिन्दी*]

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

904. **श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा"** :

श्री धर्मभिक्षम :

श्री अनंत कुमार :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत इलेक्ट्रानिक और मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेजों में बदला गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए नए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेजों में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा) : (क) I. 31.10.1997 की स्थिति के अनुसार देश में 22508 इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

II. देश में कोई भी हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों (1994-95, 1995-96, 1996-97) के दौरान 2316 टेलीफोन एक्सचेजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेजों में बदला गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों (1994-95, 1995-96, 1996-97) के दौरान 3259 नये इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 205 टेलीफोन एक्सचेजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	31.10.97 की स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रानिक एक्सचेजों की संख्या	31.10.97 की स्थिति के अनुसार मानव चालित एक्सचेजों की संख्या	पिछले 3 वर्षों के दौरान ऐसे टेलीफोन एक्सचेजों की संख्या जिन्हें इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदला गया है	पिछले 3 वर्षों के दौरान स्थापित किये गये इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1957	शून्य	640	58
2.	असम	299	शून्य	4	33
3.	अरुणाचल प्रदेश	65	शून्य	शून्य	20
4.	बिहार	827	शून्य	13	83
5.	गुजरात	1655	शून्य	166	161
6.	गोवा	72	शून्य	शून्य	19
7.	हरियाणा	775	शून्य	22	178
8.	हिमाचल प्रदेश	592	शून्य	28	178
9.	जम्मू एवं कश्मीर	230	शून्य	72	39
10.	कर्नाटक	2086	शून्य	223	240
11.	केरल	784	शून्य	114	104
12.	मध्य प्रदेश	3067	शून्य	33	333

1	2	3	4	5	6
13.	महाराष्ट्र	2722	शून्य	277	419
14.	मणिपुर	30	शून्य	शून्य	2
15.	मेघालय	42	शून्य	शून्य	4
16.	मिजोरम	36	शून्य	शून्य	15
17.	नागालैंड	34	शून्य	शून्य	2
18.	उड़ीसा	741	शून्य	13	78
19.	पंजाब	918	शून्य	55	227
20.	राजस्थान	1503	शून्य	172	409
21.	सिक्किम	20	शून्य	शून्य	4
22.	तमिलनाडु	1446	शून्य	287	147
23.	त्रिपुरा	48	शून्य	शून्य	8
24.	उत्तर प्रदेश	1949	शून्य	70	276
25.	पं॰ बंगाल	737	शून्य	121	167
26.	दिल्ली	133	शून्य	6	55
	जोड़	22508		2316	3259

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना

905. **श्री विश्वेश्वर भगत** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से स्वीकृति हेतु कोई योजनाएं प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत सागर झील के संरक्षण एवं प्रबंध के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। स्कीम की अनुमानित लागत 28.45 करोड़ रुपये है। स्कीम सरकार के विचाराधीन है तथा इसके बारे में यथा समय निर्णय ले लिया जाएगा।

[*अनुवाद*]

राष्ट्रीय संस्कृति कोष

906. **श्री जी॰ एल॰ कनौजिया** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 नवबंर 1997 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "हूज कल्चर इज़ इट इन्टस्ट्री इग्नोर्स फंडस" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस॰ आर॰ बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 28 नवबंर, 1996 के भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय संस्कृति निधि (संक्षेप में रा॰ सं॰ नि॰) की स्थापना की है। इसकी स्थापना के पश्चात् संस्कृति विभाग ने राष्ट्रीय संस्कृति निधि को परिचालनात्मक बनाने हेतु कई कदम उठाए हैं। इनमें, राष्ट्रीय संस्कृति निधि के प्रबंधन के लिए, जैसा कि अधिसूचना में प्रावधान किया गया है, निकायों का गठन, समुदाय और निगमित सेक्टर के प्रतिनिधियों से परामर्श और बड़ी संख्या में व्यक्तियों और संस्थाओं को पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय संस्कृति निधि का प्रचार करना तथा राष्ट्रीय संस्कृति निधि के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य-नीति तैयार करना शामिल है। इन प्रयासों के कारण राष्ट्रीय संस्कृति निधि के प्रति बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हुई है तथा इसके लिए अंशदान मिलने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। "समाचारों" में उल्लिखित अंशदानों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय संस्कृति निधि को ओबेराय होटल समूह से भी 5 लाख रुपये का अंशदान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय संस्कृति निधि में संस्कृति विभाग का अब तक का अंशदान 2 करोड़ रुपये है जो वर्ष 1996-97 में जारी किया गया था। अधिसूचना जिसके तहत राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना की गई है, में यह प्रावधान किया गया है कि इस अंशदान के अतिरिक्त, राष्ट्रीय संस्कृति निधि की परिसंपत्तियों में अन्य के साथ-साथ

17 करोड़ और 50 लाख रुपए भी शामिल होंगे जो संस्कृति विभाग, भारत सरकार के योजनागत बजट में से दिए जाएंगे। जहां तक राष्ट्रीय संस्कृति निधि को दिए गए अंशदानों पर कर से छूट का संबंध है, वर्तमान स्थिति यह है कि राष्ट्रीय संस्कृति निधि को दिए गए दान/अंशदान पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अंतर्गत उक्त धारा में निर्धारित सीमाओं और शर्तों तथा विहित नियमों के अनुसार छूट प्राप्त होगी।

(ग) यद्यपि, राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना दिनांक 28.11.96 को की गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से इसे दिनांक 29.3.97 को शुरू किया गया। इस प्रकार इसने प्रभावी ढंग से अपनी स्थापना के आठ माह पूरे कर लिए हैं। किसी संगठन के लिए यह एक बहुत छोटी अवधि है, जिसमें भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर नव-परिवर्तन की आशा की जा सके। वस्तुत: अभी भी यह मानना होगा कि राष्ट्रीय संस्कृति निधि अपने निर्माणात्मक चरण में है जिसे संस्कृति विभाग से व्यवस्थित सहायता की आवश्यकता है। तथापि, राष्ट्रीय संस्कृति निधि ने तेजी से अपना आधार मजबूत कर लिया है और ऐसा लगता है कि उसने स्वावलंबन की अवस्था प्राप्त कर ली है। अत: संस्कृति विभाग राष्ट्रीय संस्कृति निधि के भविष्य और उसकी सफलता के संबंध में पर्याप्त आशावान है।

हिमालय से निकलने वाली नदियों को दक्षिणी राज्यों की नदियों के साथ जोड़ना

907. **श्री केशव महंत** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के जल संसाधनों के विकास हेतु एक समेकित योजना तैयार करने के लिए किसी आयोग का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग का कार्यक्षेत्र क्या है;

(ग) क्या आयोग को हिमालय से निकलने वाली नदियों को दक्षिणी राज्यों की नदियों से जोड़ने हेतु एक व्यावहारिक योजना तैयार किए जाने का कार्य सौंपा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) भारत सरकार द्वारा 13.9.96 को स्वीकृत जल संसाधन विकास योजना तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। योजना आयोग के सदस्य डा॰ एस॰ आर॰ हशिम, इसके वर्तमान अध्यक्ष है।

(ख) से (घ) आयोग के विचारार्थ विषय ये हैं :

1. पेय, सिंचाई, औद्योगिक, बाढ़ नियंत्रण और अन्य प्रयोगों के लिए जल संसाधनों के विकास की एकीकृत जल योजना तैयार करना।
2. उपयुक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ कर अधिशेष जल को जल की कमी वाले बेसिनों में स्थानान्तरित करने के तौर-तरीके सुझाना।
3. महत्वपूर्ण चल रही तथा नई परियोजनाओं का पता लगाना जिन्हें चरणबद्ध ढंग से प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिये।
4. अधिकतम लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से जल क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी और अन्तर्विषयक अनुसंधान योजना का पता लगाना।
5. जल क्षेत्र के लिए वास्तविक और वित्तीय संसाधन उत्पन्न करने की नीतियां सुझाना।
6. अन्य सम्बद्ध मुद्दे।

विचारार्थ विषय की उपर्युक्त मद सं॰ 2 में हिमालयी नदियों को दक्षिणी नदियों के साथ जोड़ने के अध्ययन भी शामिल हैं।

पर्यटन उद्योग का विकास

908. **श्री टी॰ गोविन्दन** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पर्यटन संबंधी क्रियाकलापों को सहकारी क्षेत्र को सौंपने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जैना) : (क) से (ग) पर्यटन उद्यम मुख्यतया निजी क्षेत्र में हैं और सहकारी क्षेत्र भी पर्यटक संबंधी कार्यकलाप कर सकते हैं। तथापि पर्यटन क्षेत्र में मात्र सहकारी संस्थाओं के लिए कोई विशेष योजनाएं नहीं हैं।

पूर्वाह्न 11.28 बजे

तत्पश्चात लोकसभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

.....(*व्यवधान*)

[*अनुवाद*]

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैंने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उसका क्या हुआ? ...(*व्यवधान*)

डा॰ के॰ पी॰ रामालिंगम (त्रिरूचेंगोडे) : महोदय हमने नियम 193 के अंतर्गत बहस के लिए एक नोटिस दिया था। .....(*व्यवधान*)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैंने अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है .....(*व्यवधान*) हम सदन में और कोई अन्य कार्य नहीं होने देंगे। .....(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को रखा जाए।

अपराह्न 2.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[*अनुवाद*]

मझगांव डाक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की समीक्षा और उसका वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मझगांव डॉक लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल०टी० 2390/97]

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के पर्यावरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रहमण्यम): श्री मुरासोलीमारन की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल०टी० 2391/97]

सेंटर फार पालिसी रिसर्च नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब को दर्शाने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : श्री पी० चिदम्बरम की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) सेंटर फार पालिसी रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल०टी० 2392/97]

(3) मद्रास स्कूल आफ इकानोमिक्स, मद्रास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल०टी० 2393/97]

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इलाहाबाद बैंक के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 2394/97]

(दो) महाराष्ट्र बैंक के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 2395/97]

(तीन) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 2396/97]

(चार) इण्डियन बैंक के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 2397/97]

(पांच) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 2398/97]

(छः) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 2399/97]

(सात) सिंडिकेट बैंक के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और

क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 2400/97]

(आठ) यूनियन बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 2401/97]

(नौ) यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 2402/97]

(दस) यूको बैंक के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 2403/97]

(ग्यारह) आन्ध्रा बैंक के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 2404/97]

(बारह) कारपोरेशन बैंक के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 2405/97]

(तेरह) पंजाब एंड सिंध बैंक के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण और क्रियाकलाप संबंधी प्रतिवेदन तथा लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 2406/97]

(6) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा 3 के अंतर्गत स्टेट बैंक आफ हैदराबाद और स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल०टी० 2407/97]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचना

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० बालासुब्रह्मण्यन) : प्रो० सैफुद्दीन सोज़ की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 494 (अ) जो 9 जुलाई 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तटीय विनियमन परिक्षेत्र में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्संबंधी शुद्धि पत्र जो 21 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 735 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल०टी० 2408/97]

ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन) : श्री एस० आर० बोम्मई की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1)(एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल०टी० 2409/97]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अधिसूचना

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा०का०नि० 430(अ) जो 29 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनमें न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (निवास का आबंटन विनियम) 1997 का शुद्धि-पत्र जो 2 जनवरी, 1997 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 30(अ) में प्रकाशित हुआ था, अंतर्विष्ट है।

(दो) सा०का०नि० 561(अ) जो 19 सितंबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वेतन तथा भत्ते) विनियमों का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 281(अ) जो 28 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (अभिदायी भविष्य निधि) विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा०का०नि० 282(अ) जो 28 मई, 1997 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास (साधारण भविष्य निधि) विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा०का०नि० 372(अ) जो 8 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(छ:) सा०का०नि० 384(अ) जो 10 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सिगनल बोसन पद हेतु भर्ती नियम विनियम, 1997 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा०का०नि० 429(अ) जो 29 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलौर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती ज्येष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा०का०नि० 431(अ) जो 29 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाव पत्तन कर्मचारी (निवास का आबंटन) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(नौ) सा०का०नि० 470(अ) जो 19 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाव पत्तन कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

(दस) सा०का०नि० 471(अ) जो 19 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मारमुगाव पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, ज्येष्ठता और प्रोन्नति) संशोधन विनियम, 1997 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल०टी० 2410/97]

इलैक्ट्रानिक्स एंड कंप्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 की वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० बोल्ला बुल्ली रमैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1)(एक) इलेक्ट्रानिक्स एंड कंप्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) इलैक्ट्रानिक्स एंड कंप्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन कांउसिल, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल०टी० 2411/97]

(2) भारत व्यापार संवर्धन संगठन और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिए** संख्या एल०टी० 2412/97]

भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जैना) : श्री रमाकांत डी० खलप की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1)(एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल०टी० 2413/97]

(2) इंटरनेशनल सेंटर फार एल्टरनेटिव डिसप्यूट रिजोल्यूशन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखते हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल०टी० 2414/97]

असम प्राथमिक शिक्षा अचानी परिषद्, गोवाहाटी के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन) : श्री मुही राम सैकिया की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1)(एक) असम प्राथमिक शिक्षा अचानी परिषद्, गोवाहाटी के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) असम प्राथमिक शिक्षा अचानी परिषद्, गोवाहाटी के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल०टी० 2415/97]

(3)(एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल०टी० 2416/97]

कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम तथा सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) लागत लेखा अभिलेख (सीमेंट) नियम, 1997 जो 12 सितंबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 536(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लागत लेखा अभिलेख (मोटरयान) नियम, 1997 जो 12 सितंबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 537(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) लागत लेखा अभिलेख (औद्योगिक एल्कोहल) नियम, 1997 जो 17 सितंबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 552(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल०टी० 2417/97]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 1997 जो 3 सितंबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 635(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 1997 जो 10 सितंबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 649(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1997 जो 7 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 713(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल०टी० 2418/97]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा०का०नि० 523(अ) जो दिनांक 8 सितंबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन स्थापित किसी परिष्करणी को अंतिम माल के निर्माण और आपूर्ति हेतु विशेष अग्रदाय अनुज्ञप्ति के विरुद्ध आदानों के शुल्क मुक्त आयात की प्रसुविधा का विस्तार किया गया था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा०का०नि० 543(अ) और 544(अ) जो दिनांक 16 सितंबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चमड़े के वस्त्रों, कपड़े के वस्त्रों, कृषि उत्पादों और उद्यान कृषि उत्पादों तथा पुष्प कृषि उत्पादों के विनिर्माण के लिये समस्त पूंजीगत माल पर 'जीरो डयूटी ई० पी० सी० जी० स्कीम' के अंतर्गत 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त सीमा शुल्क (सी० वी० डी०) उदग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल०टी० 2419/97]

(4) सा०का०नि० 474(अ) जो दिनांक 22 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दो और देशों के दूतावासों के नाम को सम्मिलित करना है और दो और देशों अर्थात् ब्राजील और आयरलैंड के संबंध में दूतावास भवनों और राजदूत निवासों पर टेलीफोन की सेवा कर से छूट को सीमित करना भी है कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल०टी० 2420/97]

(5) आय स्वेच्छा प्रकटन नियम, 1997 जो वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 77 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिनांक 9 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 436(अ) में प्रकाशित हुए थे कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल०टी० 2421/97]

(6) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 87 के उपविनियम (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० 54 ई०एल० (1)/3/97 जो दिनांक 16 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिनमें यह अधिसूचित किया गया है कि संस्थान की सत्रहवीं परिषद् के लिये निर्वाचन हेतु खड़े होने के इच्छुक उम्मीदवारों के नामांकन विनियम 87 के अंतर्गत विहित रीति से अग्रेषित किये जाने चाहिये, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल०टी० 2422/97]

(7) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 134 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं० 54 ई०एल० (1)/5/97 जो दिनांक 16 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आफ इंडिया की

सत्रहवीं परिषद् और सोलहवीं क्षेत्रीय परिषद् के लिये निर्वाचनों हेतु नामांकनों की संवीक्षा के लिये समिति की रचना अधिसूचित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल०टी० 2423/97]

(8) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1997 जो 5 सितंबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 640(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण अभिकर्ता रजिस्ट्रार) संशोधन विनियम, 1997 जो 17 सितंबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 660(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) संशोधन नियम, 1997 जो 16 सितंबर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 541(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल०टी० 2424/97)

(9) अधिसूचना संख्या का० आ० 585(अ) जो 16 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 15 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या का० आ० 327(अ) का शुद्धि-पत्र है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल०टी० 2425/97]

(10) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या 85/97-सी० शु० जो 21 नवंबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की प्रारंभिक सिफारिशों के आधार पर कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया गणराज्य से आयातित प्यूरिफाइड टेरेफ्थोलिक ऐसिड (पीटीए) पर डंपिग-रोधी शुल्क अधिरोपित करना है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल०टी० 2426/97]

अपराह्न 2.04 बजे

[अनुवाद]

प्राक्कलन समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : मैं कोयला मंत्रालय–कोयले का उत्पादन और वितरण के बारे में प्राक्कलन समिति के सतावनवें प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में प्राक्कलन समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 2.04½ बजे

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

तिरेसठवां प्रतिवेदन

मैं संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक, 1997 के बारे में मानव संसाधन संबंधी स्थायी समिति के तिरसठवें प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न 2.06 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

.....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी० आर० दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, सरकार में द्रविड़ मुनैत्र कज़गम के रहते हुए हम सभा का कोई कार्य नहीं कर सकते हैं।. ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बैठने की कृपा करेंगे ?

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। कृपया अपने स्थानों पर जाइए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : साथियों, कृपया बैठ जाइए।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, कृपया बैठ जाइए। श्री रामलिंगम, कृपया बैठ जाइए। कृपया इस तरह व्यवहार न करें।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पांजा जी, कृपया बैठ जाइए। अब प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने स्थान पर बैठ जाये। यह क्या हो रहा है? मुझे बहुत अफसोस है।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया मेरी बात सुनिए। क्या आपको मेरी बात धैर्य से सुनेंगे?

... (*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह रूलिंग काफी कष्ट और दुख के साथ दे रहा हूं।

माननीय सदस्यों, राजीव गांधी की हत्या से संबंधित जैन आयोग की रिपोर्ट तथा 'की गई कार्रवाई' रिपोर्ट को सरकार ने इस सत्र के प्रथम कार्य दिवस अर्थात् 20.11.1997 को सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया था। यह सरकार द्वारा दिए गए उस वचन के अनुसरण में था जो उन्होंने 18.11.1997 को मेरे द्वारा आयोजित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक में दिया था। रिपोर्टों पर चर्चा करने के लिए प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत नोटिस भी प्राप्त हुए हैं। कार्य मंत्रणा समिति ने भी यह निर्णय किया है कि यह सदन इस रिपोर्ट पर 25.11.1997 को चर्चा करेगा।

इसी बीच, कांग्रेस (आई) पार्टी ने यह मांग की है कि द्रविड़ मुनैत्र कज़गम से संबंधित मंत्रियों को सरकार से बाहर कर दिया जाए। उन्होंने यह मांग जैन आयोग के कतिपय निष्कर्षों के आधार पर की है और ये निष्कर्ष उनके विरुद्ध आरोप के समान है।

इस मांग के अनुसरण में कांग्रेस (आई) पार्टी के माननीय सदस्यों ने 20 नवंबर, 1997, 21 नवबंर, 1997 और आज सदन में नारे लगाए और प्रदर्शन किए। संसद के अन्य सदस्यों जिनमें सत्ता पक्ष के सदस्य भी शामिल हैं, ने भी नारे लगाए तथा प्रदर्शन किए। इससे सूची के अनुसार कार्य करना असंभव हो गया है। इसके परिणामस्वरूप, सदन को प्रश्नकाल के कार्य सहित किसी अन्य कार्य को संचालित किये बिना सदन को लगातार स्थगित करना पड़ा।

मेरा ख्याल है कि यह मुद्दा कांग्रेस (आई) दल के माननीय सदस्यों के लिए भावनात्मक है। मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूँ। द्रविड़ मुनैत्र कज़गम के संसद सदस्यों का भावनात्मक जवाब भी समझने योग्य है। तथापि, जहां तक सुचारु कार्य संचालन के संबंध में किये गये संकल्प जो 26 अगस्त, 1997 से 1 सितंबर, 1997 तक आयोजित स्वर्ण-जयंती सत्र के अंत में लिया गया था, का प्रश्न है, शोरगुल करना, प्रदर्शन करना और लगातार काम में बाधा डालना इसका उल्लंघन है। यह उन लोगों का भी मजाक है जिन्होंने इस सभा के लिए सदस्यों को चुना है और यह संसद का अपमान भी है जिसकी मैं अनुमति नहीं दूंगा।

इसलिए मैंने सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। यह सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 2.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस० — 48/18/4/97 (एन०)
220

© 1997 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।